ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

फरवरी 2026
वर्ष : 08 | अंक : 02

dhyeyaias.com

इस अंक में ...

- सोमनाथ स्वाभिमान पर्व
- जर्मन चांसलर की भारत यात्रा
- ईरान विरोध प्रदर्शन
- जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026
- सऊदी अरब का यमन पर हमला
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026
- भैरव बटालियन
- प्रलय मिसाइल
- टेक्स-रैम्प्स योजना
- भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश
- भारत में क्रिप्टो के लिए नए केवाईसी नियम
- हिमालयी जलवायु वित्त अंतराल रिपोर्ट
- भारत के नदी डेल्टाओं की चिंताजनक स्थिति
- कॉस्मिक डस्ट (अंतरिक्षीय धूल) के कणों की पहचान

और भी महत्वपूर्ण विषय ...

भारत-यूरोपीय संघ
मुक्त व्यापार समझौता

मुख्य विशेषताएं पावर पैक्ड न्यूज | प्री बेस्ड एमसीक्यूस | संपादकीय लेख

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

NEW BATCH
UPSC (IAS)

Starting

16 FEB 2026

08:30 AM | 05:30 PM

SANJAY SIR

Subject: Geography

Free

3 Days Class

Online/Offline Mode

Aliganj, Lucknow ☎ 9506256789

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्त्वपूर्ण मुद्दे सँभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
आवरण सज्जा	:	सोनल तिवारी

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

-: For any feedback Contact us :-
+91 9369227134
perfect7magazine@gmail.com

ध्येयIAS most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक समसामायिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति 06-19

➢ **भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था: असुरक्षा से कानूनी मान्यता की ओर**

- हरियाणा के लिंगानुपात में सुधार
- पवित्र पिपरहवा अवशेष
- पंखुड़ी (PANKHUDI) पोर्टल
- भारत में सड़क दुर्घटना संकट पर रिपोर्ट
- भारत में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार
- सोमनाथ स्वाभिमान पर्व
- भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर लैंसेट रिपोर्ट
- केरल की वृद्ध होती आबादी की चुनौती
- ओडिशा का 'डायमंड ट्रायंगल' यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल

2. राजव्यवस्था एवं शासन 20-38

➢ **आरक्षण और योग्यता पर सुप्रीम कोर्ट की नई संवैधानिक स्पष्टता**

- भारत की जनगणना 2027
- सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसआईआर पर चुनाव आयोग का पक्ष
- यूएपीए के तहत ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
- भारत में अवैध सट्टेबाज़ी और जुआ
- पॉक्सो मामलों के तहत 'रोमियो जूलियट क्लॉज'
- दो नई क्रेडिट-लिंक्ड योजनाओं का अनावरण
- तमिलनाडु और केरल में राज्यपाल विवाद
- "किल स्विच और बीमा पूल" डिजिटल अरेस्ट से लड़ने के उपकरण
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A
- संस्थागत अपमान पर रोक
- भारत में व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) सुरक्षा तकनीक
- सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 के समानता नियमों पर रोक लगाई
- मासिक धर्म स्वास्थ्य मौलिक अधिकार है: सर्वोच्च न्यायालय

3. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 39-57

➢ **वैश्वीकरण के बाद की भू-राजनीति: 'डोनरो सिद्धांत', वेनेजुएला संकट और नियम-आधारित व्यवस्था का भविष्य**

- बुल्गारिया यूरोज़ोन में शामिल
- संयुक्त राज्य अमेरिका–वेनेज़ुएला संबंध
- 60 से अधिक वैश्विक संगठनों से अमेरिका हटा
- सऊदी अरब का यमन पर हमला
- सोमालिलैंड का रणनीतिक महत्व
- जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की भारत यात्रा
- ईरान में विरोध प्रदर्शन
- पैक्स सिलिका पहल
- ग़ाज़ा शांति योजना का दूसरा चरण
- जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026
- भारत–यूएई संबंध
- इंडो-पैसिफिक महासागर पहल में शामिल हुआ स्पेन
- भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता

4. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 58-74

➢ **जल संरक्षण और सुरक्षा: नीति, नवाचार और व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता**

- हिमालयी जलवायु वित्त अंतराल पर रिपोर्ट
- घासभूमियों के लिए राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं की आवश्यकता

- गैलेक्सी फ्रॉग पर फोटो पर्यटन की वृद्धि का प्रभाव
- तमिलनाडु स्थापित करेगा 'गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र'
- हाई सीज़ संधि (High Seas Treaty)
- अंटार्कटिक पेंगुइन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
- इंडियन स्किमर (Indian Skimmer)
- एक नई समुद्री क्रस्टेशियन प्रजाति की खोज
- वैश्विक जल 'दिवालियापन' की शुरुआत
- दिल्ली का शीतकालीन प्रदूषण
- भारत के नदी डेल्टाओं की चिंताज़नक स्थिति

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 75-85

➢ **भारत का एआई दृष्टिकोण: समावेशी विकास, संप्रभु नवाचार और विकसित भारत @2047**
- कॉस्मिक डस्ट (अंतरिक्षीय धूल) के कणों की पहचान
- दिल्ली में रेबीज 'अधिसूचित रोग' घोषित
- भारत की पहली राज्य-वित्तपोषित BSL-4 प्रयोगशाला
- पीएसएलवी-सी62/ईओएस-एन1 मिशन
- मेटाबॉलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीयोटिक लिवर डिजीज (MASLD)
- निपाह वायरस

6. आर्थिकी 86-109

➢ **आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26: वैश्विक अनिश्चितता के मध्य भारत की आर्थिक मजबूती**
➢ **केंद्रीय बजट 2026–27: अवसंरचना, विनिर्माण और समावेशी विकास की रूपरेखा**
- मुक्त व्यापार समझौता (FTA) देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा
- जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर
- भारत बना दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था
- ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात पर टैरिफ खत्म
- बैंक धोखाधड़ी पर आरबीआई रिपोर्ट
- भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश
- टेक्स-रैम्प्स योजना
- भारत में क्रिप्टो के लिए नए केवाईसी नियम
- भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि
- भारत की जीडीपी को लेकर आईएमएफ का पूर्वानुमान
- खुले समुद्र में भारत की पहली समुद्री मछली पालन परियोजना
- स्टार्टअप इंडिया का एक दशक
- एमएसएमई क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सिडबी में इक्विटी निवेश

7. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा 110-124

➢ **तकनीक और रणनीतिक स्वायत्तता: भारत के पनडुब्बी कार्यक्रम का विश्लेषण**
- भारत में साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी
- भारतीय तटरक्षक जहाज 'समुद्र प्रताप'
- हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में बड़ी सफलता
- प्रलय मिसाइल
- ₹79,000 करोड़ रक्षा खरीद की मंजूरी
- भैरव बटालियन
- एकीकृत रॉकेट-मिसाइल फोर्स
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026
- C-295 विमान
- डीआरडीओ की हाइपरसोनिक मिसाइल

प्रमुख चर्चित स्थल 125-128

पावर पैक्ड न्यूज 129-145

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 146-154

1 भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति

भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्थाः असुरक्षा से कानूनी मान्यता की ओर

संदर्भः

भारत की तेज़ी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म कार्यबल देश की डिजिटल और शहरी आर्थिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरी है। युवा जनसंख्या, व्यापक डिजिटल अपनाव और तीव्र शहरीकरण से सशक्त यह गिग कार्य जिसमें डिलीवरी, राइड-हेलिंग और अन्य ऐप-आधारित सेवाएँ शामिल हैं, लाखों लोगों के लिए आसान रोजगार के अवसर लेकर आया है। हालांकि, डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद, ये श्रमिक लंबे समय से अनिश्चितता, कम वेतन और न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा की परिस्थितियों में काम करते रहे हैं। क्रिसमस डे और नववर्ष की पूर्व संध्या 2025–26 पर डिलीवरी कर्मियों द्वारा किए गए हालिया हड़तालें जिनमें असुरक्षित 10-मिनट डिलीवरी मॉडल पर प्रतिबंध, उचित वेतन और कानूनी मान्यता की मांग की गई थी, के सन्दर्भ में केन्द्रीय श्रम मंत्री के हस्तक्षेप के बाद क्विक-कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्लेटफार्म कंपनियों ने 10 मिनट डिलीवरी मॉडल हटाने का निर्णय लिया। फिर भी यह विरोध प्रदर्शन इस बात को रेखांकित करता है कि प्लेटफॉर्म कंपनियों के हितों और उनके कार्यबल के अधिकारों व कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।

इस निर्णय से पूर्व संघ ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को लिखे एक पत्र में, इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (आईएफएटी) ने असुरक्षित 10 मिनट की डिलीवरी मॉडल पर प्रतिबंध, उचित और पारदर्शी वेतन, हाल ही में अधिसूचित श्रम संहिता के तहत कंपनियों का विनियमन और संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी करने के अपने अधिकार की मान्यता सहित कई अन्य मांगों को उठाया था।

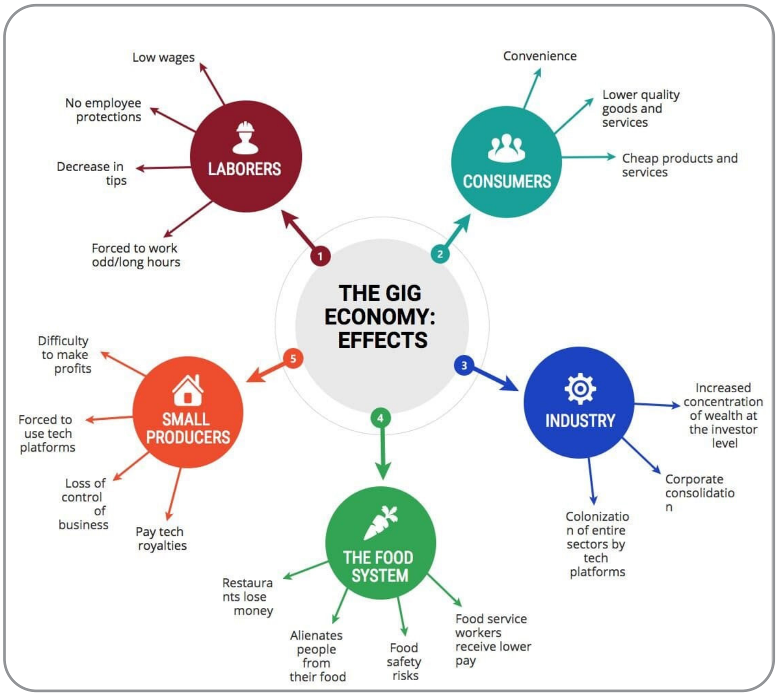

गिग अर्थव्यवस्था और उभरती चुनौतियाँः

- स्विगी, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्मो

से भारत की गिग अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में तेज़ी से बढ़ी है। ये प्लेटफॉर्म लचीले कार्य विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे आर्थिक समावेशन को बढ़ावा मिलता है और विशेष रूप से युवाओं के लिए आजीविका के अवसर सृजित होते हैं। इस कार्यबल ने देश के शहरों में सुविधा-आधारित सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में प्लेटफॉर्मों को सक्षम बनाया है।

- हालांकि, इस वृद्धि के साथ-साथ कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। श्रमिकों की आय अनिश्चित रहती है और वे प्रायः परिवर्तनीय प्रोत्साहनों पर निर्भर होते हैं, जबकि मूल वेतन बढ़ती जीवन-यापन लागत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है। कार्य का नियंत्रण काफी हद तक अपारदर्शी एल्गोरिद्म द्वारा किया जाता है, जो कार्य आवंटन, डिलीवरी समय-सीमा और प्रोत्साहन तय करते हैं। परिणामस्वरूप, श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक में प्रतिदिन सैकड़ों किलोमीटर तक यात्रा करने को मजबूर होते हैं।
- इसके अतिरिक्त, ये श्रमिक सामान्यतः वैधानिक श्रम संरक्षण से बाहर रहते हैं। उन्हें स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवर, पेंशन योजनाओं या मातृत्व लाभों तक पहुंच नहीं मिलती, जो असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र में उनकी स्थिति को दर्शाता है। 25 दिसंबर और 31 दिसंबर जैसी अधिक मांग वाले दिनों पर हड़तालें इन चुनौतियों को और अधिक उजागर करती हैं। क्रिसमस डे 2025 को लगभग 40,000 डिलीवरी कर्मियों ने हड़ताल में भाग लिया, जिससे दिल्ली, कर्नाटक, हैदराबाद और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में 50–60% ऑर्डर या तो विलंबित हुए या विवादित रहे। कंपनियों ने वैकल्पिक लोगों की तैनाती, अतिरिक्त प्रोत्साहनों की पेशकश और निष्क्रिय आईडी को पुनः सक्रिय कर परिचालन बनाए रखने का प्रयास किया। ये घटनाएँ प्लेटफॉर्म कंपनियों और श्रमिकों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती हैं और अस्थिर रोजगार पर आधारित गिग अर्थव्यवस्था की सीमाओं को उजागर करती हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के माध्यम से कानूनी मान्यता:

- गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, सामाजिक सुरक्षा संहिता (SS), 2020, भारत की हालिया श्रम सुधारों के तहत लागू चार प्रमुख श्रम संहिताओं में से एक, इन श्रमिकों को पहली बार कानूनी संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में औपचारिक रूप से लाती है। इस सुधार से पहले, गिग श्रमिकों को अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का हिस्सा माना जाता था और वे वेतन भुगतान अधिनियम (1936), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948), कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जैसे पारंपरिक श्रम कानूनों के दायरे से बाहर थे।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता औपचारिक कानूनी मान्यता प्रदान करता है और प्रमुख शब्दों को परिभाषित करता है:
  - **एग्रीगेटर:** एक डिजिटल मध्यस्थ जो खरीदारों और सेवा प्रदाताओं को जोड़ता है।
  - **गिग श्रमिक:** पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर पारिश्रमिक के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति।
  - **प्लेटफॉर्म श्रमिक:** गैर-पारंपरिक रोजगार व्यवस्था के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करने वाला व्यक्ति।
  - **प्लेटफॉर्म कार्य:** भुगतान के बदले विशिष्ट समस्याओं के समाधान या सेवाएँ प्रदान करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा सुगम की गई कार्य व्यवस्था।
- यह मान्यता एक लंबे समय से मौजूद अंतर को भरती है, जिससे गिग श्रमिक वैधानिक अधिकारों और लाभों का दावा कर सकते हैं तथा पहले से अनुपस्थित संरक्षणों का संस्थानीकरण होता है। कानूनी मान्यता यह भी सुनिश्चित करती है कि इन श्रमिकों को राष्ट्रीय श्रम आँकड़ों में शामिल किया जाए, जिससे बेहतर नीति निर्माण और कल्याण वितरण संभव हो सके।

सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और सुगमता का लाभ:

- यह संहिता गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों को कई तंत्रों के माध्यम से संस्थागत बनाती है। एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की गई है, जिसके तहत अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्विगी और ज़ोमैटो जैसे एग्रीगेटरों को अपने वार्षिक टर्नओवर का 1–2% योगदान देना होगा, जो श्रमिकों का देय भुगतानों के 5% तक सीमित होगा। यह कोष स्वास्थ्य, दुर्घटना, मातृत्व लाभ और पेंशन को शामिल करने वाली कल्याणकारी योजनाओं का वित्तपोषण करता है, जिससे जिम्मेदारी व्यक्तिगत श्रमिकों से हटकर एक संरचित, वैधानिक ढांचे में स्थानांतरित होती है।
- सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक लाभों की पोर्टेबिलिटी है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को एक विशिष्ट आधार-लिंक्ड आईडी

मिलती है, जिससे वे प्लेटफॉर्म या नौकरियाँ बदलने पर भी लाभों की निरंतरता बनाए रख सकते हैं। पहले, नौकरी बदलने पर श्रमिक अपने अधिकार खो देते थे, जिससे असुरक्षा और निरंतरता की कमी होती थी। अब, चाहे कोई श्रमिक कई प्लेटफॉर्मों पर काम करे या रोजगार बदले, उसके लाभ सुरक्षित रहते हैं, जिससे अन्यथा अस्थिर रोजगार क्षेत्र में स्थिरता आती है।

- ई-श्रम के माध्यम से निर्मित राष्ट्रीय डेटाबेस लक्षित कल्याण वितरण को सक्षम बनाता है, कौशल विकास का समर्थन करता है और नीति-निर्माण में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा संहिता (एस एस कोड) शिकायत निवारण तंत्र, जैसे- टोल-फ्री हेल्पलाइन या सुविधा केंद्र का प्रावधान करता है, जो वेतन शोषण, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों या लाभों से वंचित किए जाने जैसी शिकायतों का समाधान करता है। ये उपाय एक अनियंत्रित गिग अर्थव्यवस्था से एक अधिक संरचित और श्रमिक-केंद्रित व्यवस्था की ओर बदलाव को दर्शाते हैं।

अनौपचारिकता से संरक्षण की ओर गिग अर्थव्यवस्था का रूपांतरण:

- सामाजिक सुरक्षा संहिता (एस एस कोड) के अंतर्गत सुधारात्मक उपाय भारत की गिग अर्थव्यवस्था में एक बदलाव का संकेत देते हैं। जो गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक कभी लगभग अदृश्य और असुरक्षित थे, अब उन्हें कानूनी मान्यता, सामाजिक सुरक्षा लाभ और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच मिल रही है जो औपचारिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पोर्टेबल लाभ, समर्पित कल्याण कोष और राष्ट्रीय पंजीकरण ढांचे के माध्यम से यह संहिता सुनिश्चित करती है कि ये श्रमिक अब केवल प्लेटफॉर्म एल्गोरिद्म या कॉर्पोरेट विवेक पर निर्भर न रहें।
- हालांकि, केवल कानूनी मान्यता पर्याप्त नहीं है। श्रम प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन, असुरक्षित डिलीवरी मॉडलों के नियमन और एल्गोरिद्मिक प्रबंधन की निगरानी को भी विनयमित करना होगा। प्लेटफॉर्म कंपनियों को पारदर्शी और न्यायसंगत वेतन निर्धारण अपनाना चाहिए, श्रमिकों के संगठन के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और सुरक्षा व कल्याण को परिचालन ढाँचों में अंतर्निहित करना चाहिए। साथ ही, नीति-निर्माताओं को सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, एग्रीगेटरों के अनुपालन की निगरानी करना और नए प्रकार के प्लेटफॉर्म कार्य को शामिल करने हेतु कवरेज का विस्तार करना चाहिए।
- गिग अर्थव्यवस्था भारत के शहरीकृत और डिजिटल परिदृश्य में कार्य के भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। इस क्षेत्र का निष्पक्ष, सुरक्षित और समावेशी रूप से विकसित होना न केवल श्रमिक कल्याण के लिए बल्कि आर्थिक वृद्धि, शहरी सेवाओं और उपभोक्ता विश्वास को बनाए रखने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, कानूनी आधार प्रदान करती है; अब प्रभावी प्रवर्तन, कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और श्रमिक सशक्तिकरण यह तय करेंगे कि भारत एक लचीली, औपचारिक और न्यायसंगत गिग पारिस्थितिकी तंत्र किस हद तक प्राप्त कर पाता है।

निष्कर्ष:

भारत की गिग और प्लेटफॉर्म कार्यबल देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, जो जल्दी रोजगार प्रदान करता है और आर्थिक गतिविधियों को गति देता है। फिर भी, लंबे समय से चली आ रही चुनौतियाँ, जैसे- कम वेतन, असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ और सामाजिक सुरक्षा का अभाव लाखों श्रमिकों को असुरक्षा का भाव देती रही है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, जिसमें कानूनी मान्यता, सामाजिक सुरक्षा लाभ, कल्याण कोष, पोर्टेबल अधिकार और शिकायत निवारण के प्रावधान शामिल हैं, इस क्षेत्र के रूपांतरण की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार है। हालिया घटना यह रेखांकित करती है कि कानूनी प्रावधानों को व्यवहार में उतारना, असुरक्षित कार्य मॉडलों का नियमन करना और उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करना कितना आवश्यक है। प्लेटफॉर्म-आधारित कार्य को श्रमिकों के अधिकारों, संरक्षण और गरिमा के साथ संतुलित किया जाए। गिग अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण और उसके कार्यबल का संरक्षण करके, भारत न केवल लाखों लोगों की आजीविका सुरक्षित कर सकता है, बल्कि एक भविष्य-तैयार, समावेशी और सुदृढ़ आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी कर सकता है।

हरियाणा के लिंगानुपात में सुधार

संदर्भ:

जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) के मामले में एक समय भारत के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक हरियाणा ने पिछले दशक में उल्लेखनीय सुधार किया है। वर्ष 2011 में प्रति 1,000 लड़कों पर 834 लड़कियों से बढ़कर, राज्य का जन्म के समय लिंगानुपात 2025 में 923 तक पहुंच गया है, जो 933 के राष्ट्रीय औसत के करीब है। यह बदलाव कानूनी प्रवर्तन, प्रशासनिक निगरानी, सामुदायिक सहभागिता और अभिनव नीतिगत हस्तक्षेपों के मिश्रण को दर्शाता है।

उठाए गए मुख्य कदम:

- **PNDT और MTP अधिनियमों का सख्त प्रवर्तन**
  - » हरियाणा में 2015 से 2025 के बीच चिकित्सा पेशेवरों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों के मालिकों के खिलाफ 1,375 प्राथमिकी दर्ज की गईं।
  - » फरीदाबाद (126 FIR), सोनीपत (115) और गुरुग्राम (112) जैसे शहरी केंद्रों के साथ-साथ अंबाला, हिसार और कुरुक्षेत्र सहित टियर-II जिलों में जिला-वार कार्रवाई की गई।
- **अंतर-राज्यीय छापेमारी:**
  - » निवासियों को राज्य के बाहर अवैध लिंग निर्धारण परीक्षण कराने से रोकने के लिए, 2025 में उत्तर प्रदेश में 218, दिल्ली में 89, पंजाब में 83 और राजस्थान में 26 छापेमारी की गई।
  - » लॉजिस्टिक्स और खुफिया जानकारी से संबंधित चुनौतियों से निपटने में पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय महत्वपूर्ण साबित हुआ।
- **तकनीकी और प्रशासनिक नवाचार**
  - » **प्रजनन और बाल स्वास्थ्य आईडी (RCHID):** प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए 12-अंकीय विशिष्ट आईडी ने पंजीकरण दर में 37 प्रतिशत अंकों का सुधार किया।
  - » **निगरानी कार्यक्रम:** 'सहेली' जैसी पहल, जिसमें आशा (ASHA) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल थीं, ने विशेष रूप से उन गर्भवती महिलाओं की निगरानी की जिनकी पहले से बेटियां थीं। इसके परिणामस्वरूप एक वर्ष के भीतर तिमाही-वार गर्भपात दर में 57 प्रतिशत अंकों की कमी आई।
  - » नियमित निरीक्षण, अल्ट्रासाउंड केंद्रों के साथ व्हाट्सएप-आधारित संचार और त्रैमासिक समीक्षा बैठकों ने जवाबदेही सुनिश्चित की।
- **प्रोत्साहन और सामुदायिक भागीदारी**
  - » अवैध प्रथाओं की सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें 10 वर्षों में लगभग ₹5 करोड़ का भुगतान किया गया।
  - » अवैध गतिविधियों का पता लगाने के लिए पुलिस डिकॉय (नकली ग्राहक), जो अक्सर लैंगिक समानता में व्यक्तिगत रुचि रखने वाली महिलाएं होती थीं, को तैनात किया गया।
- **कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई**
  - » नियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप लाइसेंस रद्द किए गए, उपकरण जब्त किए गए और चिकित्सा कर्मियों पर मुकदमा चलाया गया।
  - » विशेष टास्क फोर्स ने ब्लैक मार्केट में MTP किट और पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीनों की अवैध बिक्री पर नजर रखी।

जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) के बारे में:

- जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) को प्रति 100 महिला जन्मों पर पुरुष जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका प्राकृतिक जैविक मानक लगभग 105 पुरुष प्रति 100 महिलाएं (लगभग 105:100) है।
- इस अनुपात में विचलन, विशेष रूप से कम महिला जन्म, अक्सर प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण और चयनात्मक गर्भपात जैसी लिंग-चयनात्मक प्रथाओं का संकेत देते हैं।

जन्म के समय लिंगानुपात सुधारने के लिए योजना:

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP):**
  - » SRB में सुधार करने और बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2015 में शुरू की गई।
  - » यह जागरूकता सृजन, स्वास्थ्य हस्तक्षेप, शिक्षा और कानूनी प्रवर्तन को एकीकृत करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण का पालन करती है।
  - » यह पोषण अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं के साथ मिलकर काम करती है।

निष्कर्ष:

हरियाणा की सफलता उन राज्यों के लिए एक प्रभावी मॉडल है जो असंतुलित लिंगानुपात की चुनौती से जूझ रहे हैं। यह अनुभव सिद्ध करता है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, विभागों के बीच बेहतर तालमेल और तकनीक आधारित निगरानी से सामाजिक भेदभाव को खत्म किया

जा सकता है। अब तक मिली उपलब्धियों को बनाए रखने और पिछड़े जिलों में सुधार के लिए निरंतर सतर्कता और नए प्रयासों की आवश्यकता बनी रहेगी।

पवित्र पिपरहवा अवशेष

संदर्भ:

3 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राय पीथोरा सांस्कृतिक परिसर में पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का शीर्षक "द लाइट एंड द लोटस: रिलिक्स ऑफ़ द अवेकन्ड वन" रखा गया।

पिपरहवा अवशेषों के बारे में:

- पिपरहवा अवशेष प्राचीन पुरावस्तुओं का एक संग्रह हैं, जिनमें अस्थि-अवशेष और रत्न शामिल हैं, जिन्हें व्यापक रूप से भगवान बुद्ध से संबंधित माना जाता है। इनकी खोज पहली बार 1898 में भारत–नेपाल सीमा के निकट पिपरहवा में एक स्तूप स्थल से हुई थी, जिसे पुरातात्विक रूप से प्राचीन कपिलवस्तु से जोड़ा जाता है—जहाँ बुद्ध ने संन्यास से पूर्व अपना प्रारंभिक जीवन बिताया।
- इन अवशेषों में पवित्र अवशेष-निधियाँ, अवशेष-पात्र (रिलिक्वेरी) और बहुमूल्य रत्नों का संग्रह शामिल है। औपनिवेशिक काल के दौरान इन पुरावस्तुओं का एक हिस्सा विदेश ले जाया गया था, जिनमें से कुछ बाद में निजी विदेशी संग्रहों में सामने आए।

प्रदर्शनी का महत्व:

- **ऐतिहासिक पुनर्एकीकरण और प्रत्यावर्तन**
  - इस प्रदर्शनी में प्रत्यावर्तित अवशेषों के साथ-साथ राष्ट्रीय संग्रहालय और भारतीय संग्रहालय जैसी भारतीय संस्थाओं में संरक्षित प्रामाणिक पुरातात्विक सामग्री को एक साथ प्रदर्शित किया गया है।
  - यह एक सदी से अधिक समय में पहली बार है जब बिखरे हुए ये अवशेष एक ही स्थान पर एकत्रित किए गए हैं।
- **सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत**
  - यह आयोजन बौद्ध धर्म के साथ भारत के गहरे सभ्यतागत संबंध और उसके जन्मस्थल के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करता है।
  - यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे नए प्रयासों को दर्शाता है।
  - प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बुद्ध की शिक्षाएँ कालातीत और सार्वभौमिक हैं तथा ये अवशेष केवल ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि भारत की जीवंत विरासत का अभिन्न अंग हैं।
- **जन-सहभागिता**
  - इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत के युवाओं को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है।
  - सुव्यवस्थित प्रदर्शनों और इमर्सिव मल्टीमीडिया अनुभवों के माध्यम से आगंतुकों को बुद्ध के जीवन, शिक्षाओं और विरासत से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया है।

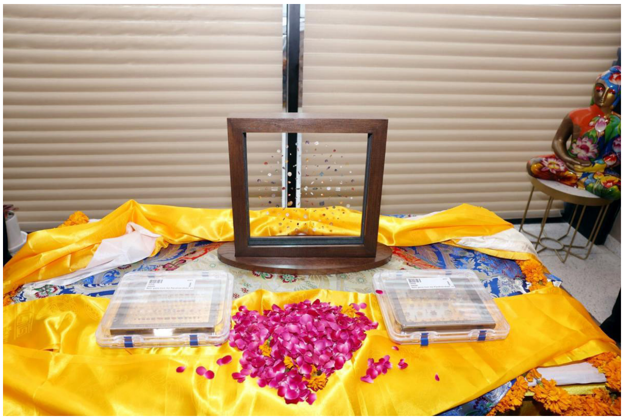

रणनीतिक और कूटनीतिक आयाम:

- पिपरहवा अवशेषों का प्रत्यावर्तन और प्रदर्शन भारत की व्यापक सांस्कृतिक कूटनीति का हिस्सा है, जो वैश्विक बौद्ध विरासत और सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को सुदृढ़ करता है।
- इन पुरावस्तुओं की वापसी में सरकारी समन्वय, संस्थागत सहयोग और नवीन सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल शामिल रहे, जो विरासत प्रत्यावर्तन के प्रति उभरते दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक क्षण है। यह भारत की प्राचीन सभ्यतागत विरासत के संरक्षण और उत्सव के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पंखुड़ी (PANKHUDI) पोर्टल

सन्दर्भ:

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) और निजी भागीदारी को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से पंखुड़ी (PANKHUDI) नामक एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया।

पंखुड़ी (PANKHUDI)'पोर्टल के विषय में:

- पंखुड़ी (PANKHUDI) एक सिंगल-विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे महिलाओं और बच्चों से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए गैर-मौद्रिक (Non-Monetary), पारदर्शी और परिणाम-आधारित योगदान को आसान बनाने के लिए विकसित किया गया है।
- यह पोर्टल व्यक्तियों, प्रवासी भारतीयों, एनजीओ, कॉरपोरेट संस्थाओं, सीएसआर योगदानकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों को बिना जटिल प्रक्रियाओं के सीधे कल्याणकारी कार्यक्रमों से जुड़ने की सुविधा देता है। साथ ही, यह योगदानकर्ताओं को प्रगति और परिणामों की निगरानी करने की अनुमति देता है, जिससे विश्वास, जवाबदेही और दक्षता बढ़ती है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **सिंगल-विंडो इंटरफेस:** स्वैच्छिक, संस्थागत और CSR योगदानों को एक साझा डिजिटल मंच पर एकीकृत करता है।
- **एंड-टू-एंड डिजिटल वर्कफ्लो:** पंजीकरण, योजनाओं की पहचान, प्रस्ताव जमा करना, स्वीकृति और क्रियान्वयन की ट्रैकिंग की सुविधा।
- **नकद लेन-देन रहित योगदान व्यवस्था:** वित्तीय पारदर्शिता और ऑडिट सुनिश्चित करता है तथा दुरुपयोग को रोकता है।
- **रीयल-टाइम मॉनिटरिंग:** निर्धारित स्वीकृति और रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से परिणामों की निगरानी।

विषयगत फोकस क्षेत्र:

- यह पोर्टल निम्नलिखित प्रमुख सामाजिक विकास क्षेत्रों में पहलों को समर्थन देता है:
  - पोषण और स्वास्थ्य
  - प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा (ECCE)
  - बाल कल्याण, संरक्षण और पुनर्वास
  - महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और आजीविका समर्थन
- ये सभी क्षेत्र मानव विकास संकेतकों में सुधार और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

प्रमुख मिशनों को समर्थन:

- पंखुड़ी (PANKHUDI), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करता है:
  - मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0
  - मिशन वात्सल्य
  - मिशन शक्ति
- यह केंद्र और राज्य सरकारों, क्रियान्वयन एजेंसियों, सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय को बढ़ाता है।

शासन और सामाजिक विकास के लिए महत्व:

- पारदर्शी और तकनीक-आधारित कल्याण वितरण के माध्यम से डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करता है।
- CSR और NGO भागीदारी को आसान बनाकर पब्लिक-प्राइवेट सहयोग को बढ़ावा देता है।
- रीयल-टाइम, परिणाम-आधारित निगरानी के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
- 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों, बाल देखभाल संस्थानों और महिला सहायता सुविधाओं को समर्थन देकर सामाजिक अवसंरचना को सशक्त करता है।

निष्कर्ष:

पंखुड़ी (PANKHUDI) पोर्टल समावेशी, सहयोगात्मक और जवाबदेह कल्याणकारी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल उपकरणों और बहु-हितधारक साझेदारी के माध्यम से यह सेवा वितरण को बेहतर बनाता है और महिलाओं व बच्चों के समग्र विकास में योगदान देता है, जिससे भारत की सहभागी और पारदर्शी शासन व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत होती है।

भारत में सड़क दुर्घटना संकट पर रिपोर्ट

संदर्भ:

भारत सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली वार्षिक मौतों की संख्या के मामले में विश्व में पहले स्थान पर है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तथा सेव लाइफ फ़ाउंडेशन (SaveLIFE Foundation) द्वारा जारी एक संयुक्त रिपोर्ट में देश के उन शीर्ष 100 ज़िलों की पहचान की गई है, जहाँ सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की गंभीरता सबसे अधिक पाई गई है। इस सूची में महाराष्ट्र का नासिक ग्रामीण ज़िला पहले स्थान पर है, जबकि इसके बाद पुणे ग्रामीण, पटना और अहमदनगर का स्थान आता है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **दुर्घटना और मृत्यु के आँकड़े (शीर्ष ज़िले, 2023–24):**

ज़िला	दुर्घटनाएँ	मृत्यु
नासिक ग्रामीण	4,336	2,678
पुणे ग्रामीण	4,886	2,781
पटना	3,120	2,222
अहमदनगर	4,807	2,433

- **मौतों का वितरण:**
  - » 59% मृत्यु बिना किसी यातायात नियम उल्लंघन के होती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सड़क डिज़ाइन और इंजीनियरिंग की कमियाँ एक बड़ा कारण हैं।
  - » 53% मृत्यु शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच होती हैं, जो खराब रोशनी और कमज़ोर निगरानी व्यवस्था की ओर संकेत करता है।
  - » 80% घायलों को सरकारी 108 एम्बुलेंस सेवा के बजाय निजी साधनों से अस्पताल पहुँचाया जाता है।
- **स्थान-विशेष पर दुर्घटनाओं का जमाव:**
  - » अधिकांश दुर्घटनाएँ चिन्हित दुर्घटना-प्रवण स्थलों, विशेष सड़क खंडों या कुछ पुलिस थाना क्षेत्रों के आसपास होती हैं।
  - » दुर्घटना-प्रवण स्थल कुल मौतों के 58% के लिए ज़िम्मेदार हैं, जबकि महत्वपूर्ण सड़क कॉरिडोरों पर 42% मौतें दर्ज की गई हैं।
- **दुर्घटनाओं के प्रकार और कारण:**
  - » पीछे से टक्कर, आमने-सामने की टक्कर और पैदल यात्रियों से जुड़ी दुर्घटनाएँ कुल मौतों के 72% के लिए ज़िम्मेदार हैं।
  - » यातायात नियम उल्लंघन में तेज़ गति (19%), लापरवाह ड्राइविंग (7%) और खतरनाक ओवरटेकिंग (3%) प्रमुख कारण हैं।
  - » इंजीनियरिंग से जुड़ी मुख्य कमियों में क्षतिग्रस्त क्रैश बैरियर, मिटे हुए सड़क चिह्न, खराब संकेतक, बिना सुरक्षा वाले कठोर ढाँचे और अपर्याप्त रोशनी शामिल हैं।
- **क्षेत्रीय निष्कर्ष:**
  - » उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गंभीर ज़िले पाए गए हैं, इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान का स्थान आता है।
- **अवसंरचना की स्थिति:**
  - » भारत का सड़क नेटवर्क 63.45 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 1.46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 1.8 लाख किलोमीटर राज्य राजमार्ग और 60 लाख किलोमीटर से अधिक अन्य सड़कें शामिल हैं।
  - » कुल सड़क दुर्घटना मौतों में से 63% गैर-राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती हैं, जिससे स्थानीय सड़कों की डिज़ाइन, पुलिस व्यवस्था और अस्पतालों की तैयारी में मौजूद कमियाँ स्पष्ट होती हैं।

मुख्य सिफ़ारिशें:

- **इंजीनियरिंग सुधार:**
  - » राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राज्य लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा प्रत्येक सड़क कॉरिडोर का नियमित सड़क सुरक्षा सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए।
  - » दुर्घटना-बहुल स्थलों पर बार-बार सामने आने वाली शीर्ष 20 इंजीनियरिंग समस्याओं को भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।
- **पुलिसिंग और प्रवर्तन:**
  - » महत्वपूर्ण और संवेदनशील पुलिस थानों को पर्याप्त मानव

संसाधन, तकनीकी उपकरण और प्रवर्तन क्षमता से सशक्त किया जाए।

» दुर्घटना-बहुल क्षेत्रों में सामान्य कार्रवाई के बजाय स्थान-विशेष पर केंद्रित और निरंतर प्रवर्तन रणनीति अपनाई जाए।

- **आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य व्यवस्था:**
  - » 108 एम्बुलेंस सेवाओं का राष्ट्रीय एम्बुलेंस कोड के अनुरूप नियमित ऑडिट किया जाए, ताकि सेवा की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके।
  - » घायलों के कम से कम 75% मामलों में 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अस्पताल पहुँचाने का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया जाए।
- **बजट और योजनाओं का बेहतर उपयोग:**
  - » रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि नई योजनाएँ शुरू करने की बजाय मौजूदा योजनाओं के प्रभावी और समन्वित क्रियान्वयन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - » इंजीनियरिंग, प्रवर्तन और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े बजट के बीच बेहतर तालमेल, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

आगे की राह:

- भारत की सड़क सुरक्षा समस्या योजनाओं की कमी नहीं, बल्कि व्यवस्था से जुड़ी समस्या है।
- बेहतर सड़क डिज़ाइन, सख़्त प्रवर्तन और तेज़ आपातकालीन सेवाओं से बड़ी संख्या में मौतों को रोका जा सकता है।
- ये प्रयास स्टॉकहोम घोषणा (2020) के तहत 2030 तक सड़क दुर्घटना मौतों को आधा करने के लक्ष्य के अनुरूप हैं।

निष्कर्ष:

कुछ विशेष ज़िलों और स्थानों पर सड़क दुर्घटनाओं का अधिक होना यह दर्शाता है कि लक्षित और केंद्रित सुधारों से बड़ा बदलाव संभव है। सड़क सुरक्षा के लिए एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें अवसंरचना सुधार, प्रभावी पुलिस व्यवस्था, तेज़ आपातकालीन सेवाएँ और निरंतर जन-जागरूकता शामिल हों।

भारत में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार

संदर्भ:

भारत के श्रम और सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य में एक ऐतिहासिक प्रगति हुई है। देश के औपचारिक और अनौपचारिक कार्यबल के बीच सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के केंद्रित प्रयासों के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में 1.03 करोड़ से अधिक नए श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। यह सुधार 'नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना' स्प्री (SPREE) का परिणाम है।

पृष्ठभूमि:

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक सामाजिक सुरक्षा संगठन है। इसकी स्थापना ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत श्रमिकों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल, बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, विकलांगता और आश्रित लाभ सहित व्यापक लाभ प्रदान करने के लिए की गई थी।
- परंपरागत रूप से, भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज सीमित रहा है, विशेष रूप से असंगठित और छोटे उद्यम क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए। इस अंतर को कम करना एक निरंतर नीतिगत प्राथमिकता रही है जिसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत सुधारों और इसके बाद की 'स्प्री' जैसी योजनाओं द्वारा आगे बढ़ाया गया है।

स्प्री (SPREE) योजना के बारे में:

- नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहन देने वाली इस योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2025 को किया गया था। इसका

प्राथमिक उद्देश्य उन समस्त अपंजीकृत नियोक्ताओं और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में सम्मिलित करना था, जो अब तक इससे वंचित थे।

- यह योजना उन संस्थाओं के लिए एक विशेष अवसर के रूप में प्रस्तुत की गई जो अनिवार्य पात्रता के बावजूद ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हो सके थे। इसकी मुख्य विशेषता यह रही कि इसमें शामिल होने वाले नियोक्ताओं को पिछली बकाया देनदारियों अथवा किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही से पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया।

- इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल रखा गया, जिससे शेष रहे संस्थान और कर्मचारी ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा अथवा एमसीए पोर्टल के माध्यम से सुगमता से अपना नामांकन कर सकें। योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इसमें पंजीकरण का प्रभावी लाभ नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से ही लागू हो जाता है।
- 11 जनवरी 2026 तक, इस योजना ने ईएसआईसी के तहत लगभग 1.17 लाख नए नियोक्ताओं और 1.03 करोड़ नए कर्मचारियों का पंजीकरण दर्ज किया है।

इस उपलब्धि का महत्व:

- **सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार:** यह व्यापक नामांकन भारत के सामाजिक सुरक्षा जाल के महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है, जो संभावित रूप से लाखों पहले से अछूते श्रमिकों तक स्वास्थ्य देखभाल, बीमारी लाभ, मातृत्व अवकाश और विकलांगता कवर का विस्तार करता है।
- **कार्यबल का औपचारिकीकरण:** ईएसआईसी ढांचे के तहत इतने बड़े समूह को शामिल करना कार्यबल को औपचारिक बनाने की दिशा में प्रगति का संकेत है। यह श्रम सुधारों का एक प्रमुख उद्देश्य है जिसका लक्ष्य सुरक्षा के साथ लचीलेपन को संतुलित करना है।
- **सुधार और अनुपालन प्रोत्साहन:** पिछली देनदारियों और दंडात्मक जुर्माने के डर को दूर करके, स्प्री ने स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित किया। यह आधुनिक नियामक दृष्टिकोणों के अनुरूप है जो दंडात्मक प्रवर्तन के बजाय प्रोत्साहित पंजीकरण को प्राथमिकता देते हैं।
- **श्रम संहिता सुधारों के साथ तालमेल:** यह विस्तार भारत की नई श्रम संहिताओं के साथ मेल खाता है, जो रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए कई पुराने कानूनों को एकीकृत ढांचे में समेकित करता है। ये सुधार व्यापक श्रमिक लाभ, सुव्यवस्थित अनुपालन और व्यापक कवरेज पर जोर देते हैं।

निष्कर्ष:

ईएसआईसी के साथ 1.03 करोड़ नए श्रमिकों का पंजीकरण भारत की सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह रोजगार को औपचारिक बनाने और श्रमिक कल्याण की रक्षा करने में लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों और सामाजिक सुरक्षा सुधारों के प्रभाव को रेखांकित करता है। डिजिटल पोर्टलों का लाभ उठाकर, पुराने बोझ को हटाकर और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करके, ईएसआईसी ने अपनी पहुंच को काफी बढ़ाया है। भारत के तेजी से बदलते जॉब मार्केट में श्रम कल्याण और आर्थिक समावेश के लिए इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व

संदर्भ:

हाल ही में गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व (1026–2026) का आयोजन किया गया। यह पर्व गुजरात स्थित ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले प्रमुख आक्रमण की 1,000वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया।

सोमनाथ मंदिर के बारे में:

- सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन और प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल है, जो गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में वेरावल के निकट प्रभास पाटन में, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है।
- इसे बारह ज्योतिर्लिंगों (द्वादश ज्योतिर्लिंग) में प्रथम माना जाता है, जहाँ भगवान शिव की आराधना प्रकाश के दिव्य स्तंभ अर्थात् ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है।
- "सोमनाथ" का शाब्दिक अर्थ है "चंद्रमा के अधिपति"। यह नाम एक प्राचीन पौराणिक कथा से जुड़ा है, जिसके अनुसार चंद्रदेव ने अपने क्षीण हुए तेज को पुनः प्राप्त करने के लिए इसी स्थल पर भगवान शिव की तपस्या और उपासना की थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- यह स्थल प्राचीन काल से ही एक प्रमुख तीर्थ और धार्मिक केंद्र रहा है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण, भागवत पुराण सहित अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है।
- सोमनाथ मंदिर का इतिहास बार-बार हुए ध्वंस और पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ है। पहला प्रमुख ऐतिहासिक आक्रमण 1026 ईस्वी में महमूद ग़ज़नवी द्वारा किया गया, जिसके बाद मंदिर के विनाश और पुनर्स्थापना का क्रम आरंभ हुआ।
- मध्यकालीन कालखंड में विभिन्न शासकों और वंशों द्वारा इस मंदिर को कई बार नष्ट किया गया, किंतु प्रत्येक बार इसका पुनर्निर्माण हुआ, जिससे सोमनाथ मंदिर आस्था, अदम्य संकल्प और सांस्कृतिक निरंतरता का एक सशक्त प्रतीक बनकर उभरा।

आधुनिक पुनर्निर्माण:

- भारत की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व और पहल पर सोमनाथ मंदिर के आधुनिक पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ किया गया।
- पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद मई 1951 में इसका विधिवत प्राण-प्रतिष्ठा एवं लोकार्पण संपन्न हुआ।

वास्तुकला:

- सोमनाथ मंदिर का निर्माण चालुक्य (मारु-गुर्जर) स्थापत्य शैली में किया गया है, जो गुजरात की पारंपरिक एवं समृद्ध मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट पहचान मानी जाती है।
- मंदिर की संरचना में उत्कृष्ट और सूक्ष्म पत्थर की नक्काशी, लगभग 155 फीट ऊँचा भव्य शिखर, तथा गर्भगृह और मंडप जैसे आवश्यक वास्तु अंग सम्मिलित हैं।
- मंदिर परिसर अरब सागर की ओर उन्मुख है और त्रिवेणी संगम के समीप स्थित है, जहाँ कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिससे इसकी पवित्रता और तीर्थीय महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

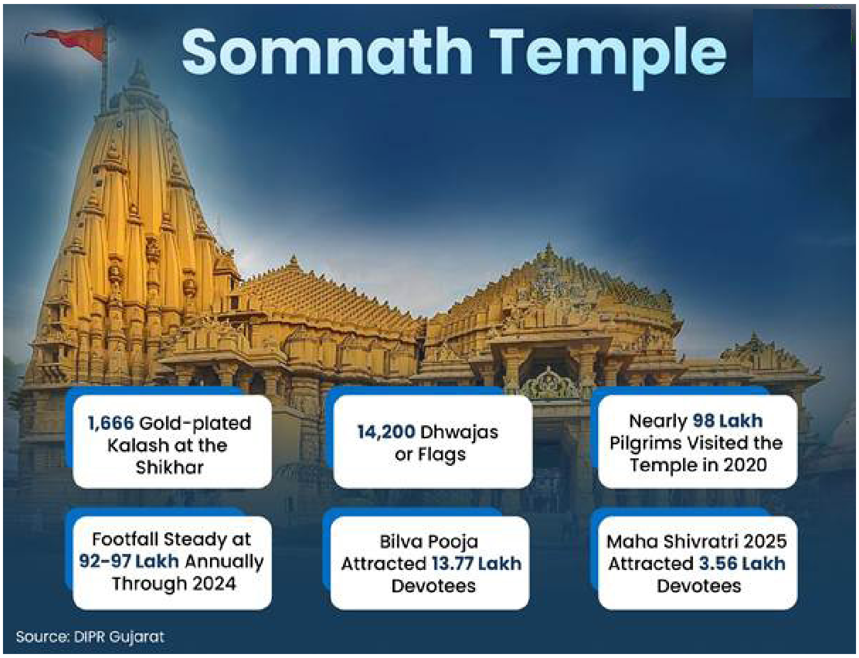

हजार वर्षीय स्मृति उत्सव का महत्व

- **सभ्यतागत प्रतीकात्मकता:**
  - » स्वाभिमान पर्व भारतीय सभ्यता की अडिग और अटूट आत्मा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि बार-बार विनाश के बावजूद एक पवित्र स्थल को सामूहिक संकल्प, आस्था और श्रद्धा के बल पर पुनः स्थापित किया जाता रहा है।
  - » यह गाथा आध्यात्मिक दृढ़ता, सांस्कृतिक स्वाभिमान और राष्ट्रीय पहचान जैसे व्यापक विषयों से जुड़ी हुई है, जिससे यह आयोजन केवल धार्मिक न रहकर गहरे सभ्यतागत महत्व को भी अभिव्यक्त करता है।
- **राष्ट्रीय एकता:**
  - » शौर्य यात्रा जैसे आयोजनों तथा देशभर से लोगों की व्यापक

सहभागिता यह स्पष्ट करती है कि यह पर्व किसी एक क्षेत्र या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक चेतना और सामूहिक गौरव का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा है।

निष्कर्ष:

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व एक हजार वर्षों से चली आ रही अटूट आस्था, सांस्कृतिक दृढ़ता और आध्यात्मिक निरंतरता का सशक्त प्रतीक है। अपनी भव्य वास्तुकला से परे, सोमनाथ मंदिर भारत की उस शाश्वत सभ्यतागत शक्ति को अभिव्यक्त करता है, जिसके बल पर देश ने प्रत्येक विपत्ति का सामना किया, आस्था को बार-बार पुनर्जीवित किया और सदियों से अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित व जीवंत बनाए रखा।

भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर लैंसेट रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में प्रकाशित लैंसेट आयोग की रिपोर्ट में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अब सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज – UHC) को प्राप्त करना संभव हो गया है, किंतु शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, समानता और जवाबदेही से संबंधित कई गंभीर कमियाँ अब भी बनी हुई हैं। यह रिपोर्ट नागरिकों के अधिकारों पर आधारित तथा नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत करती है, जिससे प्रत्येक भारतीय को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के बारे में:

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) का तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति और समुदाय बिना किसी आर्थिक कठिनाई के आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त कर सकें। इसमें रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन, उपचार, पुनर्वास तथा जीवन के अंतिम चरण की देखभाल जैसी सभी सेवाएँ शामिल हैं।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज समानता, गुणवत्ता, वहन-योग्यता और उपलब्धता पर विशेष जोर देता है, ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे और स्वास्थ्य व्यय के कारण गरीबी की ओर न चला जाए। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 3.8 का एक प्रमुख लक्ष्य है, जो "सबके लिए स्वास्थ्य" की वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से संबंधित प्रमुख पहलों में आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र तथा ई-संजीवनी जैसे डिजिटल मंच शामिल हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **बाधाओं में परिवर्तन:** पहले सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की राह में अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और कमजोर स्वास्थ्य अवसंरचना जैसी समस्याएँ प्रमुख थीं। वर्तमान में रिपोर्ट यह अंकित करती है कि मुख्य चुनौतियाँ असमान स्वास्थ्य गुणवत्ता, खंडित सेवा वितरण, संसाधनों का अप्रभावी उपयोग तथा कमजोर शासन तंत्र से जुड़ी हैं।
- **अधिकार-आधारित और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण:** आयोग के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को एक मौलिक नागरिक अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अंतर्गत योजना निर्माण, सेवा वितरण और निगरानी में समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया गया है। साथ ही, स्वास्थ्य प्रणाली के प्रदर्शन से संबंधित आँकड़ों को सार्वजनिक करने की आवश्यकता बताई गई है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
- **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की केंद्रीय भूमिका:** रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आधारशिला मजबूत और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर टिकी होनी चाहिए। इससे महंगी तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भरता घटेगी तथा मधुमेह और मानसिक रोग जैसी दीर्घकालिक बीमारियों का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा।
- **मानव संसाधन और समानता की खाइयाँ:** यद्यपि डॉक्टरों, नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, फिर भी उनका असमान भौगोलिक वितरण, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में अंतर तथा आशा कार्यकर्ताओं का स्वैच्छिक दर्जा प्रभावी सेवा वितरण में बाधा बना हुआ है।

मुख्य सिफारिशें:

- **सार्वजनिक व्यवस्था और वित्त पोषण को सुदृढ़ करना:** सार्वजनिक वित्त पोषित और सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आधार संरचना बनाया जाए।
- **एकीकृत सेवा प्रणाली:** प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच समन्वय और निरंतरता सुनिश्चित की जाए।

- **समुदाय की भागीदारी:** नागरिकों और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को योजना निर्माण तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका प्रदान की जाए।
- **आँकड़ों की पारदर्शिता:** स्वास्थ्य प्रणाली के प्रदर्शन से संबंधित संकेतकों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए।
- **मानव संसाधन सुधार:** स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, उनके असमान वितरण और प्रशिक्षण की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाए।
- **आशा कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना:** आशा कार्यकर्ताओं को औपचारिक स्वास्थ्य प्रणाली का अभिन्न अंग मानते हुए उन्हें मान्यता और नियमित दर्जा प्रदान किया जाए।

महत्व:

- यह रिपोर्ट भारत को निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के एक संभावित आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है।
- रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज केवल एक तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर राजनीतिक और संस्थागत चुनौती भी है, जिसके लिए सशक्त नेतृत्व, मजबूत जवाबदेही तंत्र और निरंतर नागरिक सहभागिता अनिवार्य है।

लैंसेट आयोग के बारे में:

- वर्ष 2020 में गठित यह आयोग भारत और विदेशों के प्रमुख विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है, जिनमें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्वान भी शामिल हैं।
- आयोग के निष्कर्ष 29 राज्यों में 50,000 से अधिक परिवारों के सर्वेक्षण तथा व्यापक द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य 2047 तक "विकसित भारत" के दृष्टिकोण के अनुरूप सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को साकार करना है।

निष्कर्ष:

भारत ने स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, समानता और जवाबदेही से संबंधित चुनौतियों का समाधान अभी शेष है। एक नागरिक-केंद्रित, अधिकार-आधारित और पारदर्शी स्वास्थ्य प्रणाली (जिसे मजबूत शासन व्यवस्था और सशक्त समुदायों का समर्थन प्राप्त हो) ही 2047 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को वास्तविकता में बदल सकती है।

केरल की वृद्ध होती आबादी की चुनौती

संदर्भ:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केरल में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव को राज्य की राजकोषीय स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती बताया है। RBI ने पेंशन प्रणाली, स्वास्थ्य वित्तपोषण और श्रम नीति में तत्काल सुधार का आग्रह किया है। अपनी नवीनतम रिपोर्ट, 'स्टेट फाइनेंस: ए स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2025-26 - डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया: इम्प्लीकेशंस फॉर स्टेट फाइनेंसेज' में, आरबीआई ने केरल को एक "वृद्धावस्था वाला राज्य" (Ageing State) श्रेणी में रखा है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या का हिस्सा पहले ही 15% की सीमा को पार कर चुका है, जो वर्तमान में लगभग 18.7% है और 2036 तक 22.8% तक बढ़ने का अनुमान है। कार्यशील आबादी में गिरावट के साथ यह बदलाव दीर्घकालिक राजकोषीय और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां पेश करता है।

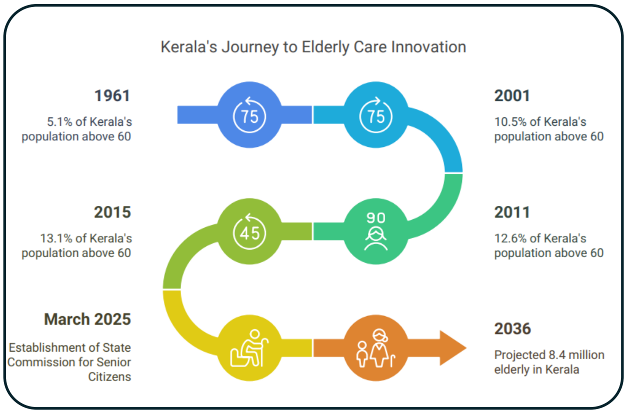

केरल का जनसांख्यिकीय संक्रमण और राजकोषीय प्रभाव:

- केरल की बढ़ती उम्र की आबादी भारत में सबसे उन्नत जनसांख्यिकीय परिवर्तनों में से एक को दर्शाती है। राज्य की कार्यशील आयु वाली आबादी, जो वर्तमान में लगभग 62% है, 2036 तक घटकर 59.5% होने की उम्मीद है।
- इससे उस श्रम शक्ति में कमी आएगी जो आर्थिक विकास और कर राजस्व को बनाए रखती है। RBI की रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि उम्रदराज होती आबादी राज्य की वित्त व्यवस्था पर "दोहरी मार" करती है:
  - » **धीमी राजस्व वृद्धि:** श्रम शक्ति की भागीदारी में कमी के

कारण।

» **उच्च अनिवार्य व्यय:** बुजुर्गों से संबंधित खर्चों जैसे पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा की बढ़ती मांग।

- वर्तमान में, उन्नत जनसांख्यिकीय चरणों वाले राज्य सामाजिक क्षेत्र के व्यय का एक बड़ा हिस्सा (औसतन लगभग 30%) पेंशन पर खर्च करते हैं। यह अक्सर विकास और बुनियादी ढांचे के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय को "बाधित" कर देता है।

प्रमुख सुधार सिफारिशें:

बढ़ती आबादी के कारण उत्पन्न राजकोषीय और सामाजिक-आर्थिक दबावों से निपटने के लिए, RBI ने बहुआयामी नीतिगत प्रतिक्रिया की सिफारिश की है:

- **पेंशन प्रणाली में सुधार:** बढ़ते पेंशन दायित्वों को देखते हुए केरल को अपनी पेंशन संरचनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। इन प्रतिबद्धताओं को युक्तिसंगत बनाने से विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन मुक्त हो सकते हैं।
- **स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण सुधार:** RBI ने स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इसमें निवारक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, बीमा कवरेज का विस्तार करना और सार्वजनिक संसाधनों पर दबाव कम करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना शामिल है।
- **कार्यबल नीति समायोजन:** सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना, लचीली कार्य व्यवस्था शुरू करना और पुराने श्रमिकों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना श्रम बाजार के संकुचन को कम करने में मदद कर सकता है।
- **प्रवासन और श्रम आपूर्ति:** केरल को उन राज्यों से अंतरराज्यीय प्रवासन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों से लाभ हो सकता है जहाँ अतिरिक्त श्रम उपलब्ध है, ताकि कार्यबल को मजबूत किया जा सके और कर आधार को बढ़ाया जा सके।

निष्कर्ष:

केरल का जनसांख्यिकीय संक्रमण संरचनात्मक राजकोषीय और सामाजिक सुधारों के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। पेंशन पुनर्गठन, स्वास्थ्य वित्तपोषण और कार्यबल वृद्धि पर RBI की सिफारिशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की वृद्ध होती आबादी राजकोषीय कमजोरी का कारण न बने। बुजुर्गों के लिए सामाजिक सहायता और टिकाऊ दीर्घकालिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए साहसिक नीतिगत कार्रवाई और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय की आवश्यकता होगी।

ओडिशा का 'डायमंड ट्रायंगल' यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल

संदर्भ:

यूनेस्को ने ओडिशा के 'डायमंड ट्रायंगल' (हीरक त्रिकोण) को भारत की संभावित सूची में शामिल किया है। इसमें जाजपुर और कटक जिलों में स्थित रत्नागिरी, उदयगिरि और ललितगिरि के बौद्ध स्थल शामिल हैं। 5वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच ये स्थल वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। यह बौद्ध धर्म के समृद्ध इतिहास और वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह नामांकन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के माध्यम से तैयार और प्रस्तुत किया गया था।

पृष्ठभूमि:

- यूनेस्को की संभावित सूची उन विरासत स्थलों की एक आधिकारिक सूची है जिन्हें कोई देश 'विश्व धरोहर' के रूप में नामांकित करना चाहता है।
- विरासत स्थलों को संभावित सूची में शामिल होना अनिवार्य है और विश्व धरोहर समिति द्वारा विचार किए जाने से पहले किसी स्थल को कम से कम एक वर्ष तक इस सूची में रहना चाहिए।
- वर्तमान में भारत के लगभग 70 स्थल इस सूची में हैं, जिनमें ओडिशा के 'एकाम्र क्षेत्र' (भुवनेश्वर) और 'चिल्का झील' भी शामिल हैं।

'डायमंड ट्रायंगल' के बारे में:

- यह पूर्वी भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध परिदृश्यों में से एक है:
  » **रत्नागिरी:** इसका अर्थ है "बहुमूल्य रत्नों की पहाड़ी"। यह 18 एकड़ में फैला सबसे बड़ा बौद्ध परिसर है, जो केलुआ नदी के किनारे असिया पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है।
  » **उदयगिरि:** इसका अर्थ है "उगते हुए सूर्य की पहाड़ी"।
  » **ललितगिरि:** इसका अर्थ है "लाल पहाड़ी"।

पुरातात्विक महत्व:

- इन स्थलों में स्तूपों, मठों (विहारों), अवशेष मंजूषाओं , मूर्तियों और भगवान बुद्ध व अन्य बौद्ध देवी-देवताओं की प्रतिमाओं के अवशेष मिले हैं। माना जाता है कि इन स्थलों ने बौद्ध धर्म की तीनों प्रमुख शाखाओं के प्रसार को देखा है:

- » हीनयान
- » महायान
- » वज्रयान

- यह क्षेत्र कई शताब्दियों में बौद्ध दर्शन और अभ्यास के विकास को दर्शाने में अद्वितीय है।

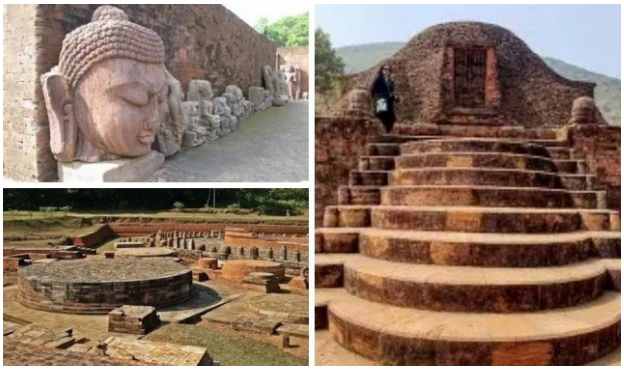

संभावित सूची में शामिल होने का महत्व:

- **सांस्कृतिक महत्व:** बौद्ध शिक्षा और मठवासी जीवन के प्रमुख केंद्र के रूप में ओडिशा की भूमिका को उजागर करता है।
- **वैश्विक पहचान:** बोधगया और सारनाथ जैसे प्रसिद्ध स्थलों के अलावा भारत की अन्य बौद्ध विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है।
- **पर्यटन और अर्थव्यवस्था:** विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय रोजगार पैदा करने और क्षेत्रीय विकास की संभावना।
- **संरक्षण को बढ़ावा:** साइट के संरक्षण के लिए अधिक धन, जवाबदेही और अंतरराष्ट्रीय निगरानी सुनिश्चित होती है।
- **सॉफ्ट पावर:** साझा बौद्ध विरासत के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करता है।

यूनेस्को (UNESCO) के बारे में:

- **स्थापना:** 16 नवंबर 1945
- **मुख्यालय:** पेरिस, फ्रांस
- **सदस्य:** 194 देश
- **उद्देश्य:** शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में सहयोग के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना।
- **भारत और यूनेस्को:** भारत 1946 से सदस्य है। ASI विश्व धरोहर मामलों के लिए नोडल एजेंसी है।

निष्कर्ष:

ओडिशा के 'डायमंड ट्रायंगल' का यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल होना भारत की विरासत संरक्षण यात्रा में एक महत्वपूर्ण विकास है। तीनों बौद्ध परंपराओं के दुर्लभ संगम को प्रदर्शित करने वाले ये स्थल विश्व धरोहर बनने की प्रबल क्षमता रखते हैं।

2 राजव्यवस्था एवं शासन

आरक्षण और योग्यता पर सुप्रीम कोर्ट की नई संवैधानिक स्पष्टता

संदर्भ:

आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों ने सार्वजनिक रोजगार के एक विवादास्पद मुद्दे पर बहुप्रतीक्षित स्पष्टता प्रदान की है कि सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की रिक्तियों में किन शर्तों के तहत नियुक्तियां होनी है। ये निर्णय विशेष रूप से संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी), एसएससी (SSC) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहाँ कट-ऑफ, छूट और श्रेणी प्रवास (category migration) को लेकर विवाद अक्सर मुकदमेबाजी और अनिश्चितता का कारण बनते हैं।

दो अलग-अलग परिदृश्यों को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने एक सुसंगत संवैधानिक सिद्धांत की पुष्टि की है: योग्यता (मेरिट) खुली प्रतिस्पर्धा का आधार है, जबकि आरक्षण एक लक्षित सुधारात्मक तंत्र बना हुआ है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, ये निर्णय भर्ती प्रक्रियाओं में निष्पक्षता, पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता को फिर से परिभाषित करते हैं।

संवैधानिक और विधिक आधार:

- भारत का संवैधानिक ढांचा औपचारिक समानता और वास्तविक न्याय के बीच संतुलन बनाता है।
  - **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।
  - **अनुच्छेद 16(1):** सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है।
  - **अनुच्छेद 16(4):** उन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है जिनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
  - **अनुच्छेद 15(4):** सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।
- भारतीय संविधान आरक्षण को समानता के अपवाद के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे स्तरित समाज में वास्तविक समानता प्राप्त करने के साधन के रूप में देखता है।

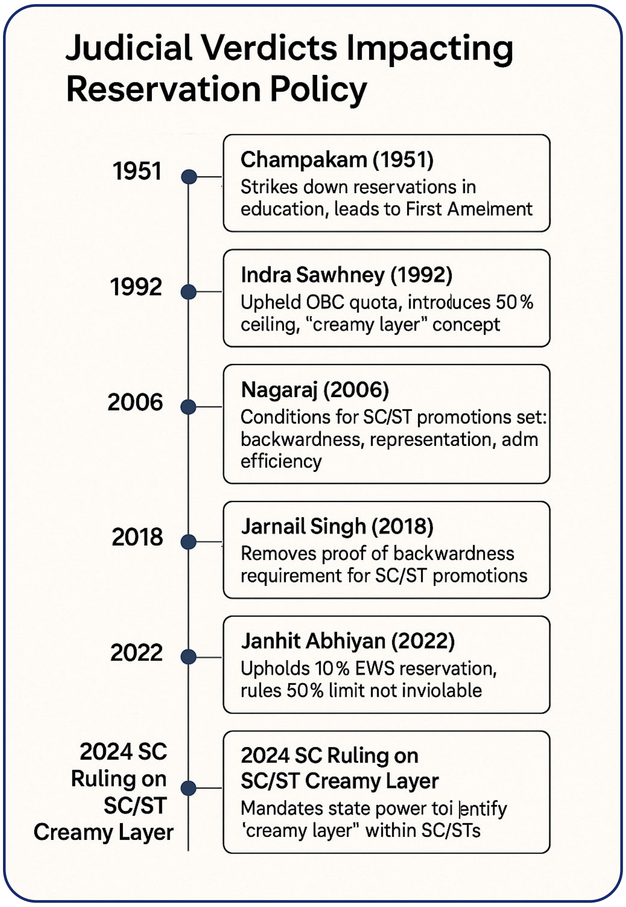

- साथ ही, यह इस विचार को सुरक्षित रखता है कि अनारक्षित पदों को विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर भरा जाना चाहिए, बिना किसी श्रेणी-आधारित लाभ के। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले इसी दोहरी प्रतिबद्धता, मेरिटोक्रेसी (योग्यता तंत्र) को कम किए बिना सामाजिक न्याय की पुष्टि करते हैं।

आरक्षण नीति का ऐतिहासिक विकास:

- **सामाजिक सुधार:** आरक्षण नीतियां स्वतंत्रता से पहले की हैं। ज्योतिराव फुले और पेरियार ई.वी. रामास्वामी जैसे समाज सुधारकों ने शिक्षा और राज्य सत्ता से जाति-आधारित बहिष्कार को रेखांकित किया। 1902 में, कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज ने प्रशासन में आरक्षण की शुरुआत की, जो शुरुआती सकारात्मक कार्यवाही उपायों में से एक था।
- **1950 के बाद का संवैधानिक दृष्टिकोण:** डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण एक स्थायी अधिकार नहीं, बल्कि हाशिए पर रहने वाले समूहों को समान स्तर पर लाने के लिए एक अस्थायी सुधारात्मक उपाय था। प्रारंभ में, आरक्षण अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) तक सीमित था।
- **मंडल आयोग और न्यायिक हस्तक्षेप:** मंडल आयोग (1979) ने ओबीसी (OBC) को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े के रूप में पहचाना, जिससे 1990 में केंद्रीय सेवाओं में 27% आरक्षण मिला। इससे योग्यता और निष्पक्षता पर बहस तेज हो गई। इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए:
    » आरक्षण की सीमा 50% तय की गई।
    » 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत की शुरुआत हुई।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना किसी छूट के चुने गए मेधावी आरक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित कोटे में नहीं गिना जाना चाहिए।

नए आयाम: ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण

- 103वें संवैधानिक संशोधन (2019) ने उन लोगों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की जो एससी/एसटी/ओबीसी कोटे के अंतर्गत नहीं आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह विशुद्ध रूप से जाति-आधारित नुकसान से आर्थिक भेद्यता की ओर एक दार्शनिक बदलाव था, जबकि सामान्य सीटों के लिए खुली प्रतिस्पर्धा को बरकरार रखा गया।

सुप्रीम कोर्ट के दो हालिया फैसलों के बारे में:

- **राजस्थान उच्च न्यायालय भर्ती मामला (19 दिसंबर, 2025)**
    » राजस्थान न्यायपालिका में लिपिक पदों पर भर्ती से है। कई आरक्षित श्रेणियों के लिए कट-ऑफ अंक सामान्य कट-ऑफ से अधिक थे। कुछ आरक्षित उम्मीदवारों ने सामान्य कट-ऑफ से अधिक लेकिन अपनी श्रेणी के कट-ऑफ से कम अंक प्राप्त किए, जिसके कारण उन्हें बाहर कर दिया गया।
    » **सुप्रीम कोर्ट का फैसला:** सामान्य (ओपन) श्रेणी केवल अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए अनन्य नहीं है। कोई भी उम्मीदवार जो बिना किसी छूट के सामान्य कट-ऑफ को पूरा

करता है, उसे पहले चरण से ही ओपन लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

» **मुख्य सिद्धांत:** ओपन कैटेगरी में योग्यता आधारित समावेशन आरक्षण का लाभ नहीं है।

- **कर्नाटक / आईएफएस (IFS) कैडर आवंटन मामला (6 जनवरी, 2026)**
  » एक एससी उम्मीदवार ने छूट वाले कट-ऑफ अंकों का उपयोग करके आईएफएस प्रारंभिक परीक्षा पास की। अंतिम योग्यता सूची में, उन्होंने एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से उच्च रैंक प्राप्त की और सामान्य (अनारक्षित) इनसाइडर कैडर का दावा किया।
  » **सुप्रीम कोर्ट का फैसला:** परीक्षा एक एकल, एकीकृत चयन प्रक्रिया है। यदि किसी उम्मीदवार ने किसी भी चरण में किसी भी छूट का लाभ उठाया है, तो वे बाद में अनारक्षित स्थिति का दावा नहीं कर सकते। अंतिम मेरिट पिछली रियायतों को मिटा नहीं सकती।
  » **मुख्य सिद्धांत:** एक ही चयन प्रक्रिया में मिली छूट को, बाद के चरण में, प्रदर्शन से मिटाया नहीं जा सकता।

दोनों निर्णयों का अर्थ:

- ये फैसले एक सुसंगत संवैधानिक सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में शामिल किया जा सकता है यदि:
  » वे सभी सामान्य मानकों को पूरा करते हैं।
  » वे किसी भी छूट (आयु, अंक, प्रयास, कट-ऑफ) का लाभ नहीं लेते हैं।
  » उनका चयन विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर होता है।
- आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया जा सकता यदि:
  » उन्होंने किसी भी चरण में किसी भी रियायत का उपयोग किया है।
  » भले ही वे बाद में सामान्य उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन करें।

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निहितार्थ:

- **ओपन कैटेगरी वास्तव में ओपन है:** सामान्य सीटें अनारक्षितों के लिए आरक्षित नहीं हैं। वे किसी भी व्यक्ति के लिए खुली हैं जो विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है।
- **"दोहरे लाभ" के विरुद्ध संरक्षण:** कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण के लाभ खुली प्रतिस्पर्धा में नहीं जाने चाहिए यदि उम्मीदवार ने पहले रियायत ली है।
- **उच्च प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट नियम:** सामान्य सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन केवल उन उम्मीदवारों से जो बिना किसी सहायता के अर्हता प्राप्त करते हैं।
- **संस्थागत स्पष्टता:** भर्ती एजेंसियों को पहले मेरिट-ओनली ओपन लिस्ट तैयार करनी चाहिए, फिर आरक्षित सीटों को भरना चाहिए।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले न तो आरक्षण को खत्म करते हैं और न ही सामाजिक न्याय की कीमत पर योग्यता को विशेषाधिकार देते हैं। बल्कि, वे नियमों को स्पष्ट करते हैं। वे पुष्टि करते हैं कि योग्यता (मेरिट) खुली प्रतिस्पर्धा का मार्गदर्शक सिद्धांत है। आरक्षण एक लक्षित सुधारात्मक उपाय है, न कि हर स्थिति में मिलने वाला लाभ। अवसर की समानता का अर्थ यांत्रिक समानता नहीं है। संविधान निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की गारंटी देता है, प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा की नहीं।

संक्षिप्त मुद्दे

भारत की जनगणना 2027

संदर्भ:

भारत सरकार ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण की समय-सारिणी को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। यह पहल 2011 की पिछली जनगणना के बाद देश के लिए अद्यतन जनसांख्यिकीय तथा सामाजिक-आर्थिक आँकड़े उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनगणना का पहला चरण "मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना" 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।

पहले चरण का मुख्य फोकस:

- चरण-I "मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना" का उद्देश्य देश में उपलब्ध आवासों और परिवारों से जुड़ी आधारभूत जानकारी एकत्र करना है।
  - आवास की समग्र स्थिति तथा मकानों की संरचनात्मक विशेषताएँ।
  - घरों में उपलब्ध परिसंपत्तियों का स्वामित्व और बुनियादी सुविधाएँ, जैसे पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाला ईंधन और बिजली की उपलब्धता।
  - परिवार की संरचना, फर्श एवं छत में प्रयुक्त सामग्री, विभिन्न सेवाओं तक पहुँच तथा उनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण संकेतक।
- इस चरण में किसी भी व्यक्ति की अलग से गणना नहीं की जाती। इसका प्रमुख उद्देश्य आगामी दूसरे चरण की जनसंख्या गणना के लिए एक सुदृढ़ नमूना ढाँचा और प्रभावी संचालन व्यवस्था तैयार करना है।

डिजिटल परिवर्तन:

- जनगणना 2027 भारत की पहली ऐसी जनगणना होगी, जिसे मुख्य रूप से डिजिटल माध्यमों के जरिए संचालित किया जाएगा। आँकड़ों का संग्रह मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किया जाएगा तथा इसके लिए एक केंद्रीकृत निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। इस व्यवस्था से आँकड़ों की गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है।
- डिजिटल उपकरणों के प्रयोग से त्रुटियाँ कम होंगी, बेहतर निगरानी संभव होगी और क्षेत्रीय कार्यों की वास्तविक समय में समीक्षा की जा सकेगी।

महत्त्व:

- **अद्यतन आँकड़ा प्रणाली:** कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना में हुई देरी के बाद, यह अभ्यास देश को नवीन और विश्वसनीय जनसंख्या, परिवार तथा सामाजिक-आर्थिक आँकड़े उपलब्ध कराएगा। ये आँकड़े विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी नीति निर्माण, योजना निर्धारण और संसाधन आवंटन के लिए अत्यंत आवश्यक होंगे।
- **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण:** मकान सूचीकरण से प्राप्त जानकारी विस्तृत जनसंख्या गणना के लिए मज़बूत नमूना ढाँचा तैयार करती है। साथ ही, यह आवास, सार्वजनिक उपयोगिताओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे से संबंधित नीतिगत निर्णयों को तथ्यात्मक आधार प्रदान करती है।
- **सामाजिक संकेतकों की नींव:** सटीक और व्यापक मकान सूचीकरण दूसरे चरण में सम्पूर्ण जनसंख्या कवरेज को सुनिश्चित करता है, जिसमें जनसांख्यिकीय संरचना, जाति गणना, साक्षरता स्तर, प्रवासन तथा आर्थिक गतिविधियों से जुड़े विस्तृत और समग्र आँकड़े शामिल होंगे।

भारत में जनगणना:

- भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली प्रक्रिया है, जिसे जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन और संचालन गृह मंत्रालय के

अंतर्गत कार्यरत भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता है।

- संविधान के प्रावधानों के अनुसार जनगणना, संघ सूची का विषय है। यह शासन व्यवस्था, विकास योजना, संसाधन आवंटन तथा नीति निर्धारण के लिए देश को व्यापक और विश्वसनीय सामाजिक-आर्थिक आँकड़े उपलब्ध कराती है।

संवैधानिक एवं कानूनी आधार:

- **अनुच्छेद 246 (सातवीं अनुसूची, प्रविष्टि 69):** जनगणना संघ सूची का विषय है।
- **जनगणना अधिनियम, 1948 एवं नियम, 1990:** यह कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, आँकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित करता है और अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान करता है।

इतिहास:

- **पहली असमकालिक जनगणना:** 1872।
- **पहली समकालिक (दशकीय) जनगणना:** 1881।
- **स्वतंत्रता के बाद:** 1951, 1961 से लेकर 2011 तक नियमित रूप से आयोजित।

निष्कर्ष:

1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच प्रस्तावित जनगणना 2027 का पहला चरण भारत के व्यापक प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास की औपचारिक शुरुआत है। इस चरण में डिजिटल माध्यमों तथा स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) के विकल्प पर विशेष बल दिया गया है। इस चरण का सफल क्रियान्वयन आगे होने वाली जनसंख्या गणना के लिए एक मज़बूत आधार तैयार करेगी और शासन व्यवस्था, विकास योजना निर्माण तथा सामाजिक-आर्थिक सुधारों के लिए आवश्यक, अद्यतन और विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसआईआर पर चुनाव आयोग का पक्ष

संदर्भ:

हाल ही में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करना उसका केवल संवैधानिक अधिकार ही नहीं, बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य भी है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह सुनिश्चित करना उसकी ज़िम्मेदारी है कि मतदाता सूची में किसी भी विदेशी नागरिक का नाम शामिल न हो। यह पक्ष चुनाव आयोग ने चल रहे पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ दायर कानूनी चुनौतियों के जवाब में रखा।

पृष्ठभूमि:

- चुनाव आयोग वर्तमान में बिहार से प्रारंभ करते हुए देश के कई राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कर रहा है। इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को अद्यतन करना, त्रुटियों को दूर करना तथा अपात्र प्रविष्टियों को हटाना है।
- हालांकि, इस पुनरीक्षण की संवैधानिक वैधता और इसके अधिकार-क्षेत्र को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अनेक याचिकाएँ दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में मुख्य प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या चुनाव आयोग को मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं की नागरिकता की जाँच करने का अधिकार प्राप्त है।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनाव आयोग का पक्ष:

- चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया कि मतदाता सूचियों के निर्माण और उनके पुनरीक्षण के लिए उसे स्पष्ट संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। इस अधिकार के अंतर्गत यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता के रूप में पंजीकृत हों।
- आयोग ने यह तर्क दिया कि भारतीय संविधान मूल रूप से "नागरिक-केंद्रित" है, क्योंकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायाधीश जैसे प्रमुख संवैधानिक पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्त हो सकते हैं। इसी कारण मतदाता सूचियों में भी केवल पात्र नागरिकों के नाम दर्ज होना आवश्यक है।
- चुनाव आयोग के अनुसार, उसकी यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 से प्राप्त होती है, जिन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह धारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान नागरिकता की जाँच का प्रावधान करती है।
- आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तुलना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से किए जाने को अनुचित बताते हुए स्पष्ट किया कि एसआईआर का उद्देश्य केवल मतदाता सूचियों की शुद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है, न कि नागरिकता का कोई स्वतंत्र रजिस्टर तैयार करना।

कानूनी और संवैधानिक पहलू:

- संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनावों के संचालन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण की व्यापक शक्ति प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत मतदाता सूचियों की तैयारी और उनका पुनरीक्षण भी सम्मिलित है। वहीं, अनुच्छेद 326 नागरिकों के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मतदाता बनने की पात्रता का मूल आधार नागरिकता है।
- चुनाव आयोग ने इस तर्क का भी प्रत्युत्तर दिया कि नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही प्राप्त है। आयोग ने स्पष्ट किया कि उसकी भूमिका केवल चुनावी प्रयोजनों के लिए सीमित जाँच तक है तथा वह नागरिकता से संबंधित किसी भी विवाद का अंतिम या न्यायिक निर्णय नहीं करता।

निष्कर्ष:

चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत यह पक्ष भारत की निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मज़बूत करता है। यह मूल संवैधानिक सिद्धांत को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि लोकतांत्रिक निर्णय-प्रक्रिया में सहभागिता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। साथ ही, नागरिकता की जाँच को लेकर चल रही संवैधानिक बहसों के संदर्भ में यह चुनाव आयोग की भूमिका, अधिकार-क्षेत्र और कर्तव्यों को स्पष्ट करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

यूएपीए के तहत ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

संदर्भ:

5 जनवरी 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े साज़िश के मामले में छात्र कार्यकर्ताओं उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इंकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने अन्य पाँच सह-आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ ज़मानत प्रदान की। यह फैसला आतंकवाद-रोधी क़ानूनों, विशेष रूप से गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के अंतर्गत मामलों में अदालत द्वारा अपनाए जाने वाले कड़े और सतर्क न्यायिक दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

मामले की पृष्ठभूमि:

- 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसक घटनाएँ हुईं, जिनमें कई लोगों की मृत्यु हुई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए।
- इन घटनाओं की यूएपीए के तहत की गई जांच में आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में सुनियोजित तरीके से हिंसा फैलाने के लिए एक "बड़ी आपराधिक साज़िश" रची गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियाँ:

- **ज़मानत से इंकार:** अदालत ने कहा कि यूएपीए के अंतर्गत उपलब्ध प्रथम दृष्टया सबूत से यह संकेत मिलता है कि उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की कथित गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यूएपीए की धारा 43डी(5) के तहत ज़मानत सामान्य नियम नहीं बल्कि एक अपवाद है और केवल लंबी अवधि की हिरासत अपने आप में ज़मानत का आधार नहीं बन सकती।
- **भिन्न न्यायिक दृष्टिकोण:** जिन पाँच सह-आरोपियों को सशर्त ज़मानत दी गई, उनकी भूमिका सीमित पाई गई। इसके विपरीत, उमर ख़ालिद और शरजील इमाम पर कथित रूप से योजना निर्माण और लोगों को संगठित करने में केंद्रीय भूमिका निभाने का आरोप है।
- **भविष्य में ज़मानत का अवसर:** अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियुक्त एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद या संरक्षित गवाहों की गवाही के समापन के पश्चात नई ज़मानत याचिका दायर कर सकते हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और संतुलन बना रहे।

यूएपीए के तहत ज़मानत से जुड़े प्रमुख न्यायिक उदाहरण:

- **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021):**
  - » अभियुक्त पाँच वर्षों से अधिक समय तक विचाराधीन हिरासत में रहा, जबकि अभियोजन पक्ष के 276 गवाहों की गवाही अभी शेष थी।
  - » सर्वोच्च न्यायालय ने यूएपीए की धारा 43डी(5) की कठोरता के बावजूद, अत्यधिक लंबी हिरासत को आधार बनाते हुए ज़मानत प्रदान की।
- **भीमा कोरेगांव मामला – शोमा सेन (अप्रैल 2024):**
  - » लंबे समय से जारी विचाराधीन हिरासत को देखते हुए अभियुक्त को ज़मानत दी गई।
  - » न्यायालय ने पुनः रेखांकित किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित करना तभी उचित है जब वह न्यायसंगत, उचित और संतुलित हो।
- **शेख़ जावेद इक़बाल मामला (जुलाई 2024):**

» एक नेपाली नागरिक नौ वर्षों से अधिक समय तक यूएपीए के तहत हिरासत में रहा, जबकि अब तक केवल दो गवाहों की ही गवाही हो सकी।

» सर्वोच्च न्यायालय ने इसे त्वरित सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन का मामला मानते हुए ज़मानत प्रदान की।

कानूनी तर्क और संवैधानिक पहलू:

- **यूएपीए और सख़्त ज़मानत व्यवस्था:**
  - » गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967, ज़मानत के लिए अत्यंत कठोर नियम स्थापित करता है।
  - » **धारा 43डी(5):** यदि प्रथम दृष्टया साक्ष्य आरोपों को सही साबित करते हैं, तो यह धारा ज़मानत पर रोक लगाती है। इसका अर्थ है कि प्रारंभिक चरण में रिहाई की संभावना बहुत सीमित हो जाती है और अभियोजन के आकलन को विशेष महत्व दिया जाता है।
  - » **न्यायिक दृष्टिकोण:** यूएपीए के तहत ज़मानत सामान्य प्रक्रिया नहीं है; इसमें अभियुक्त की भूमिका और उपलब्ध साक्ष्यों की गहन न्यायिक जांच आवश्यक है।
- **अनुच्छेद 21 — व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम वैधानिक सीमाएँ:**
  - » संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है।
  - » अदालत ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मामलों में संवैधानिक संरक्षण स्वतः वैधानिक प्रतिबंधों पर हावी नहीं हो सकता।
  - » यूएपीए के तहत प्रथम दृष्टया निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि निरंतर हिरासत उचित है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखता है।

निष्कर्ष:

उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को ज़मानत न देने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यूएपीए के तहत कड़े ज़मानत मानकों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। यह फैसला दर्शाता है कि न्यायपालिका संवैधानिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। साथ ही, यह निर्णय भारत में आतंकवाद-रोधी कानूनों, विचाराधीन हिरासत, और न्यायिक विवेकाधिकार पर चल रही बहस को भी प्रभावित करेगा।

भारत में अवैध सट्टेबाज़ी और जुआ

संदर्भ:

16 जनवरी 2026 को भारत सरकार ने अनधिकृत ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के विरुद्ध एक निर्णायक कार्रवाई करते हुए 242 अवैध वेबसाइटों और लिंक को प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही, ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 के प्रभावी होने के बाद से अब तक लगभग 7,800 अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक या निष्क्रिय किया जा चुका है। यह कार्रवाई भारत सरकार द्वारा अवैध ऑनलाइन गतिविधियों पर सख़्त नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है।

कानूनी पृष्ठभूमि:

- यह कार्रवाई ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 के लागू होने के पश्चात की गई है। यह अधिनियम संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने तथा अगस्त 2025 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद विधिवत लागू हुआ।

- इस अधिनियम के अंतर्गत रियल मनी गेमिंग (अर्थात ऐसे सभी ऑनलाइन खेल जिनमें किसी भी रूप में धन की हिस्सेदारी शामिल होती है, चाहे खेल का परिणाम कौशल पर आधारित हो, संयोग पर आधारित हो अथवा दोनों के संयोजन पर) भारत में पूर्णतः निषिद्ध घोषित किया गया है।
- इसके साथ ही ऐसे प्लेटफॉर्म्स से संबंधित विज्ञापनों तथा उनसे जुड़े वित्तीय लेन-देन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और सक्षम प्राधिकारियों को उल्लंघन की स्थिति में कठोर प्रवर्तन कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A सरकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत एजेंसियों को राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन वाली ऑनलाइन सामग्री तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत सट्टेबाज़ी और जुए से संबंधित वेबसाइटें तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।

कार्रवाई के पीछे तर्क:

- सरकार ने इस सख़्त नीति को कई आधारों पर उचित ठहराया है:
  - **उपभोक्ता संरक्षण:** रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स से वित्तीय नुकसान, लत और सामाजिक समस्याएं जुड़ी पाई गई हैं, विशेषकर युवाओं और संवेदनशील वर्गों में।
  - **सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा:** विभिन्न रिपोर्टों और आधिकारिक बयानों में यह सामने आया है कि अनियंत्रित गेमिंग अनुभवों के कारण लोगों में लत, मानसिक तनाव और गंभीर परेशानियां बढ़ रही हैं।
  - **नियामक कमियां:** कई अवैध प्लेटफॉर्म विदेशी या अपंजीकृत होते हैं, जो जीएसटी और भारतीय कानूनों के दायरे से बाहर रहते हैं। इससे धन शोधन, अवैध धन हस्तांतरण और उपभोक्ता शिकायत निवारण से जुड़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
  - **घरेलू बचत और परिवारों की सुरक्षा:** नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों ने इस बात पर चिंता जताई है कि जोखिम भरे ऑनलाइन सट्टेबाज़ी प्लेटफॉर्म्स के कारण परिवार अपनी जमा पूंजी खो रहे हैं और आर्थिक अस्थिरता बढ़ रही है।

नियमन से जुड़ी चुनौतियां:

- इन कड़ी कार्रवाइयों के बावजूद, ऑनलाइन अवैध सट्टेबाज़ी और जुए पर नियंत्रण कई संरचनात्मक और तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहा है:
  - **यूआरएल बदलना और बचाव रणनीतियां:** अवैध संचालक बार-बार डोमेन नाम और होस्टिंग स्थान बदलते रहते हैं, जिससे उन्हें ब्लॉक करना एक निरंतर और जटिल प्रक्रिया बन जाता है।
  - **विदेशी क्षेत्राधिकार:** बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म भारत से बाहर संचालित होते हैं, जिससे कानूनी कार्रवाई और डिजिटल निगरानी कठिन हो जाती है।
  - **वित्तीय लेन-देन:** "म्यूल" खातों और डिजिटल वॉलेट्स के माध्यम से धन को तेज़ी से देश से बाहर भेज दिया जाता है, जिससे धन शोधन और वित्तीय नियंत्रण से जुड़ी चुनौतियां बढ़ जाती हैं।

निष्कर्ष:

242 अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुआ वेबसाइटों को ब्लॉक किया जाना, ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 के तहत एक महत्वपूर्ण प्रवर्तन कार्रवाई है। यह सरकार की उस व्यापक रणनीति को दर्शाता है जिसका उद्देश्य वित्तीय नुकसान, लत और सामाजिक दुष्प्रभावों पर नियंत्रण करना है। हालांकि, अवैध और विदेशी प्लेटफॉर्म्स की निरंतर मौजूदगी यह स्पष्ट करती है कि डिजिटल शासन के क्षेत्र में चुनौतियां बनी हुई हैं। इनसे निपटने के लिए निरंतर प्रवर्तन, विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग और तकनीकी विकास के साथ संतुलित एवं नवोन्मेषी नियामक तंत्र की आवश्यकता होगी।

पॉस्को मामलों के तहत 'रोमियो जूलियट क्लॉज'

संदर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह विचार करने को कहा कि बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) में एक "रोमियो जूलियट क्लॉज़" (Romeo Juliet Clause) को शामिल किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। यह टिप्पणी न्यायालय द्वारा उस अपील की सुनवाई के दौरान की गई, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक ज़मानत संबंधी आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी और जो पॉस्को अधिनियम के तहत पंजीकृत एक मामले से संबंधित थी।

पॉस्को अधिनियम क्या है?

- पॉस्को अधिनियम एक सख़्त बाल-सुरक्षा कानून है, जिसे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों की रोकथाम, जाँच और दंड सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यह अधिनियम आपराधिक न्याय प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं को अनिवार्य बनाता है तथा नाबालिगों को यौन शोषण और लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण देने के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान करता है।
- हालाँकि, यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों से संबंधित सभी प्रकार के यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखता है, चाहे वे आपसी सहमति पर आधारित ही क्यों न हों। इसके परिणामस्वरूप, ऐसे मामलों में भी पॉस्को अधिनियम लागू हो जाता है जहाँ आयु में अत्यंत कम अंतर वाले किशोर आपसी सहमति से संबंध में हों और जिनमें किसी प्रकार का शोषण, दबाव या बल प्रयोग सम्मिलित न हो।

'रोमियो जूलियट क्लॉज़' के बारे में:

- "रोमियो जूलियट क्लॉज़" एक ऐसा कानूनी अपवाद है, जिसका उद्देश्य आयु में अत्यंत कम अंतर वाले किशोरों के बीच सहमति से स्थापित प्रेम या यौन संबंधों को कठोर वैधानिक बलात्कार कानूनों के अंतर्गत अपराध ठहराए जाने से बचाना है। यह अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि किशोरों के बीच होने वाले सभी सहमति-आधारित संबंध स्वभावतः शोषणकारी नहीं होते और उन्हें बिना भेदभाव के अपराध की श्रेणी में रखना न्यायसंगत नहीं है।
- ऐसे प्रावधान विश्व के कई देशों में प्रचलित हैं, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहाँ कानूनों के अंतर्गत सामान्यतः आयु-अंतर की एक स्पष्ट सीमा निर्धारित की जाती है। इस निर्धारित सीमा के भीतर, नाबालिगों के आपसी संबंधों अथवा किसी नाबालिग और उससे थोड़े अधिक आयु वाले व्यक्ति के बीच सहमति से बने संबंधों पर आपराधिक दायित्व आरोपित नहीं किया जाता।

कानून और नीति के लिए महत्व:

- **संरक्षण और स्वायत्तता के बीच संतुलन:**
  - न्यायालय का यह सुझाव इस बात को दर्शाता है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ किशोरों की समझ, स्वायत्तता और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
  - सभी मामलों को समान रूप से आपराधिक मानने से सामान्य और सहमति-आधारित किशोर संबंधों पर अनावश्यक कलंक लग सकता है तथा आपराधिक न्याय प्रणाली पर ऐसे मामलों का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, जिनमें वास्तविक शोषण का अभाव होता है।
- **कानून के दुरुपयोग की समस्या:**
  - न्यायपालिका द्वारा समय-समय पर यह टिप्पणी की गई है कि पॉस्को अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग कई बार पारिवारिक विवादों को सुलझाने या सामाजिक नैतिकताओं को बलपूर्वक लागू करने के साधन के रूप में किया जाता है।
  - यह स्थिति एक अत्यधिक कठोर कानून ढाँचे के अनचाहे और नकारात्मक परिणामों को उजागर करती है।
- **विधायी जिम्मेदारी:**
  - सर्वोच्च न्यायालय कानून की व्याख्या करने और आवश्यक सुधारों का सुझाव देने का अधिकार रखता है, किंतु पॉस्को अधिनियम में किसी भी प्रकार का औपचारिक अपवाद जोड़ने की संवैधानिक शक्ति केवल संसद के पास निहित है।
  - यह तथ्य शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को स्पष्ट करता है, जिसके अंतर्गत न्यायपालिका की भूमिका व्याख्यात्मक और परामर्शात्मक होती है, जबकि कानून निर्माण का दायित्व विधायिका का होता है।

चुनौतियाँ:

- **आयु-सीमा का निर्धारण:** उपयुक्त आयु-अंतर सीमा (जैसे दो से तीन वर्ष) का स्पष्ट निर्धारण आवश्यक है, ताकि कानूनी अस्पष्टता से बचा जा सके और प्रावधान के संभावित दुरुपयोग को रोका जा सके।
- **शोषण से प्रभावी संरक्षण:** इस अपवाद का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि वास्तविक शोषण, दबाव, छल या शक्ति-असमानता पर आधारित संबंधों को सहमति का आवरण देकर संरक्षण प्राप्त न हो सके।
- **सामाजिक एवं सांस्कृतिक संवेदनशीलता:** भारत में किशोर संबंधों को लेकर सामाजिक दृष्टिकोण अत्यंत विविध हैं, जो न केवल ऐसे प्रावधान के क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि इसकी सामाजिक स्वीकार्यता और प्रभावशीलता पर भी प्रभाव डालते हैं।

निष्कर्ष:

पॉस्को अधिनियम में "रोमियो जूलियट क्लॉज़" को शामिल किए जाने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का सुझाव इस बात को स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बच्चों की सुरक्षा

के उद्देश्य से बनाए गए कानून अनजाने में सहमति-आधारित किशोर व्यवहार को अपराध की श्रेणी में न डाल दें। यह विषय किशोरों की स्वायत्तता और संरक्षण के बीच संतुलन, सुरक्षात्मक कानूनों के संभावित दुरुपयोग, न्यायपालिका और विधायिका की संवैधानिक भूमिकाओं तथा एक संतुलित, मानवीय और संदर्भ-संवेदनशील बाल-सुरक्षा ढाँचे की आवश्यकता पर एक महत्वपूर्ण और व्यापक विमर्श को सामने लाता है।

दो नई क्रेडिट-लिंक्ड योजनाओं का अनावरण

सन्दर्भः

भारत सरकार ने भारतीय निर्यातकों के लिए किफायती वित्त तक पहुंच सुधारने और वैश्विक व्यापार में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) के तहत दो अतिरिक्त ऋण-आधारित पहलों की घोषणा की है।

निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) के बारे में:

- निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य भारत के निर्यात तंत्र की संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए एक व्यापक और डिजिटल-संचालित प्रणाली तैयार करना है।
  - » **एकीकृत ढांचा:** यह मिशन कई बिखरी हुई योजनाओं के स्थान पर एक एकल, परिणाम-आधारित और अनुकूलन योग्य तंत्र (Adaptive Mechanism) लाता है।
  - » **बजट आवंटन:** वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए EPM का कुल परिव्यय ₹25,060 करोड़ है।
  - » **प्रमुख क्षेत्र:** यह विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), पहली बार निर्यात करने वालों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - » **रणनीतिक बदलाव:** सरकार के अनुसार, यह स्वतंत्र योजनाओं के जाल से हटकर एक एकीकृत ढांचे की ओर एक रणनीतिक कदम है, जो निर्यातकों को बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य के अनुरूप ढलने में मदद करेगा।

EPM के तहत उप-योजनाएं:

- EPM में दो एकीकृत उप-योजनाएं शामिल हैं:
  - » **निर्यात प्रोत्साहन:** यह ब्याज सहायता (Interest Subvention), संपार्श्विक सहायता (Collateral Support) और अन्य क्रेडिट संवर्द्धन उपायों के माध्यम से किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार पर केंद्रित है।
  - » **निर्यात दिशा:** यह गैर-वित्तीय कारकों जैसे निर्यात गुणवत्ता सहायता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, वैश्विक ब्रांडिंग और लॉजिस्टिक्स सुविधा पर लक्षित है।

नई ऋण-आधारित पहलें:

- **ब्याज सहायता योजना**
  - » निर्यात वित्तपोषण की लागत को कम करने के लिए ₹5,181 करोड़ की ब्याज सहायता योजना शुरू की गई है।
  - » यह निर्यातकों को शिपमेंट से पहले और शिपमेंट के बाद मिलने वाले 'रुपया निर्यात ऋण' पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
  - » उद्देश्य: उधार लेने की लागत को कम करना और कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विशेष रूप से उन MSMEs के लिए जो कठिन वैश्विक वित्तीय स्थितियों का सामना कर रहे हैं।
- **निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक सहायता**
  - » इसके तहत ₹2,114 करोड़ निर्धारित किए गए हैं, जिससे निर्यातक बिना पारंपरिक सुरक्षा की बाधा के ऋण गारंटी कवरेज प्राप्त कर सकेंगे।

- » इसे CGTMSE (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) के साथ साझेदारी में लागू किया गया है।
- » यह सूक्ष्म और लघु निर्यातकों के लिए 85% तक और मध्यम निर्यातकों के लिए 65% तक गारंटी कवरेज प्रदान करता है।

इन उपायों का महत्व:

- **वित्त तक सुलभ पहुँच:** यह ऋण की उच्च लागत और गारंटी (Collateral) की कमी जैसी बाधाओं को दूर करता है।
- **छोटे और नए निर्यातकों को प्रोत्साहन:** यह वैश्विक व्यापार में व्यापक भागीदारी और भारत के निर्यात आधार के विविधीकरण को बढ़ावा देता है।
- **पारदर्शिता और दक्षता:** एकीकृत डिजिटल ढांचे के माध्यम से बिखरी हुई योजनाओं को समाप्त कर पारदर्शिता और 'ईज ऑफ एक्सेस' (पहुंच में आसानी) को बढ़ाता है।

निष्कर्ष:

निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत ये दो नई पहलें किफायती वित्त प्रदान कर, MSMEs को सशक्त बनाकर और निर्यातकों को वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाकर भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करती हैं।

तमिलनाडु और केरल में राज्यपाल विवाद

संदर्भ:

तमिलनाडु और केरल में हाल के घटनाक्रमों ने राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल की भूमिका को लेकर तीव्र राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। तमिलनाडु में, राज्यपाल आर. एन. रवि ने विधानसभा में पारंपरिक अभिभाषण का वाचन करने से इंकार कर दिया तथा सदन से बहिर्गमन कर गए। वहीं केरल में, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सरकार द्वारा तैयार नीतिगत भाषण के कुछ अंशों में संशोधन किया, जिसके परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री को उन हटाए गए अंशों को सदन में स्वयं पढ़ना पड़ा। इन घटनाओं ने संवैधानिक प्रावधानों, स्थापित परंपराओं तथा प्रचलित राजनीतिक व्यवहारों के मध्य विद्यमान तनाव को उजागर किया है।

तमिलनाडु और केरल की घटनाएँ:

- **तमिलनाडु:**
  - » राज्यपाल ने द्रमुक (DMK) सरकार के भाषण में कथित गलतियों और कुछ प्रक्रियात्मक मुद्दों का हवाला देते हुए अभिभाषण देने से इनकार कर दिया।
  - » मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल कैबिनेट द्वारा अनुमोदित भाषण देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया था जिसमें उस अभिभाषण को आधिकारिक रूप से पढ़ा हुआ माना गया।
- **केरल:**
  - » नीतिगत भाषण के वे हिस्से जिनमें वित्तीय स्वायत्तता और लंबित केंद्रीय कानूनों का जिक्र था, राज्यपाल द्वारा बदल दिए गए या हटा दिए गए।
  - » मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस बदलाव की आलोचना करते हुए इसे स्थापित प्रक्रियात्मक मानदंडों का उल्लंघन बताया। उन्होंने दोहराया कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित पाठ (Text) ही सरकार की आधिकारिक नीति घोषणा मानी जाती है। विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) ने भी इस रुख का समर्थन किया और लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक परंपराओं के पालन की आवश्यकता पर बल दिया।

संवैधानिक प्रावधान:

- विधायी अभिभाषणों में राज्यपाल की भूमिका मुख्यतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रत्येक विधायी वर्ष के प्रारंभ में तथा आम चुनावों के पश्चात् एक विशेष अभिभाषण को अनिवार्य बनाता है। संविधान राज्यपाल को एक नाममात्र के प्रमुख (Nominal Head) के रूप में परिकल्पित करता है, जो अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह पर कार्य करता है।
- यद्यपि अनुच्छेद 175 राज्यपाल को विधानमंडल को संदेश भेजने का अधिकार प्रदान करता है, तथापि मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित अभिभाषण से एकतरफा विचलन अथवा उसमें संशोधन को व्यवहार में सामान्यतः संवैधानिक रूप से अनुचित माना जाता है।
- न्यायालयों ने भी ऐसे कृत्यों को मौलिक अवैधता (Substantive Illegality) के स्थान पर प्रक्रियात्मक अनियमितता (Procedural Irregularity) के रूप में देखने की प्रवृत्ति अपनाई है।

संवैधानिक परंपराएँ और राजनीतिक व्यवहार:

- स्थापित संवैधानिक परंपराओं के अनुसार, राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्वाचित सरकार द्वारा तैयार किए गए

अभिभाषण को बिना किसी परिवर्तन के सदन में पढ़ें, क्योंकि यह भाषण सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं तथा विधायी एजेंडे को प्रतिबिंबित करता है।

- इसके पश्चात् प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks) पर होने वाली चर्चा के माध्यम से विधायी समीक्षा संभव होती है तथा कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।
- अभिभाषण पढ़ने से इनकार करना अथवा उसकी सामग्री में संशोधन करना इस संस्थागत संतुलन को बाधित करता है और संघीय मर्यादाओं तथा केंद्र–राज्य संबंधों को लेकर व्यापक चिंताओं को जन्म देता है।

निष्कर्ष:

ये घटनाएँ भारत की संघीय व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों, स्थापित परंपराओं तथा व्यावहारिक राजनीतिक आचरण के मध्य विद्यमान नाजुक संतुलन को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती हैं। ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की सीमा और दायरे को लेकर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता को उजागर करती हैं, साथ ही सार्वजनिक नीति की अभिव्यक्ति में निर्वाचित राज्य सरकारों की प्रधान भूमिका की पुनः पुष्टि करती हैं। तमिलनाडु और केरल से जुड़े ये विवाद भविष्य में भारतीय संघवाद, राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका तथा विधायी अभिभाषणों की संवैधानिक वैधता से संबंधित विमर्श को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

"किल स्विच और बीमा पूल" डिजिटल अरेस्ट से लड़ने के उपकरण

संदर्भ:

भारत की तीव्र गति से डिजिटलीकृत होती अर्थव्यवस्था के समक्ष "डिजिटल अरेस्ट" से संबंधित धोखाधड़ी, एक गंभीर एवं बढ़ता हुआ साइबर खतरा है। इस चुनौती से निपटने के लिए, गृह मंत्रालय के अधीन एक उच्च-स्तरीय अंतर-विभागीय समिति (IDC) ग्राहकों और बैंकों की सुरक्षा हेतु "किल स्विच" (Kill Switch) जैसे तकनीकी उपकरणों और बीमा तंत्रों की संभावनाओं का अन्वेषण कर रही है। इन घोटालों में, धोखेबाज वीडियो कॉल के माध्यम से कानून प्रवर्तन अधिकारियों का प्रतिरूपण करते हैं और गिरफ्तारी या संपत्ति जब्त करने की धमकी देकर पीड़ितों को धन हस्तांतरित करने हेतु विवश करते हैं।

डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में:

- डिजिटल गिरफ्तारी एक ऑनलाइन जबरन वसूली का तरीका है जहाँ धोखेबाज:
  - » सीबीआई (CBI), ईडी (ED) या पुलिस अधिकारियों का प्रतिरूपण (Impersonate) करते हैं।
  - » पीड़ितों पर आपराधिक या वित्तीय गलत काम करने का आरोप लगाते हैं।
  - » वीडियो कॉल के जरिए फर्जी पूछताछ करते हैं।
  - » पैसा हस्तांतरित न करने पर जेल या संपत्ति जब्त करने की धमकी देते हैं।
  - » धोखाधड़ी करने वाले अक्सर क्रिप्टोक्यूरेंसी, वायर ट्रांसफर, या डिजिटल वॉलेट के माध्यम से धन एकत्र करने के बाद गायब हो जाते हैं।

डिजिटल गिरफ्तारी बढ़ने के कारण:

- डिजिटल लेनदेन में भारी वृद्धि।
- उपयोगकर्ताओं के बीच कम साइबर जागरूकता।
- एआई (AI) द्वारा उत्पन्न आवाजों और डीपफेक (deepfakes) सहित तकनीकी परिष्कार।
- कमजोर वैश्विक प्रवर्तन जो क्षेत्रीय कमियों का लाभ उठाता है।
- अथॉरिटी के डर का फ़ायदा उठाकर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन।

किल स्विच के बारे में:

- प्रस्तावित "किल स्विच" यूपीआई (UPI) या बैंक ऐप्स में एकीकृत एक आपातकालीन सुविधा है। यदि कोई उपयोगकर्ता धोखाधड़ी का संदेह करता है, तो इसके उपयोग से सभी लेनदेन तुरंत फ्रीज हो जाते हैं, जिससे धन को "म्यूल खातों" (mule accounts - अवैध रूप से धन प्राप्त करने वाले खाते) में जाने से रोका जा सकता है। यह जबरन वसूली वाले घोटालों के खिलाफ एक वास्तविक समय, सक्रिय सुरक्षा उपाय का प्रतिनिधित्व करता है।

धोखाधड़ी के खिलाफ बीमा:

- एक बीमा तंत्र पर भी विचार किया जा रहा है। बैंकों और बीमाकर्ताओं द्वारा समर्थित और आईआरडीएआई (IRDAI) द्वारा विनियमित एक धोखाधड़ी बीमा पूल, प्रणालीगत जोखिम को फैला सकता है, जो आतंकवाद बीमा मॉडल के समान है, जिससे कवरेज किफायती और प्रभावी हो जाएगा।

डिजिटल गिरफ्तारी को रोकने के लिए संस्थागत प्रतिक्रिया:

- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** साइबर अपराध पैटर्न को ट्रैक करने के लिए बैंकों, दूरसंचार और फिनटेक फर्मों के साथ समन्वय करता है।
- **स्पूफ्ड कॉल को ब्लॉक करना:** दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) घोटालों में उपयोग किए जाने वाले फर्जी अंतरराष्ट्रीय नंबरों को ब्लॉक करते हैं।
- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:** नागरिक cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन घोटालों की रिपोर्ट कर सकते हैं।
- **सीईआरटी-इन (CERT-In) दिशानिर्देश:** जनता को कॉल सत्यापित करने, व्यक्तिगत डेटा साझा करने से बचने और संदिग्ध ऐप्स इंस्टॉल न करने की सलाह देते हैं।
- **अंतर-मंत्रालयी समिति (मई 2024):** दक्षिण पूर्व एशिया से संचालित होने वाले अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क से निपटती है।

निष्कर्ष:

डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर करते हैं। "किल स्विच", बीमा पूल, और समन्वित संस्थागत उपाय व्यक्तिगत और प्रणालीगत दोनों जोखिमों को कम कर सकते हैं। नागरिकों की सुरक्षा, वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करने और विकसित हो रहे साइबर खतरे के परिदृश्य का मुकाबला करने के लिए सक्रिय, बहु-हितधारक रणनीतियाँ आवश्यक हैं।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A

संदर्भ:

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA), 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता पर एक 'विभाजित फैसला' (Split Verdict) सुनाया है। यह धारा किसी भी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कथित अपराधों की जांच या अन्वेषण शुरू करने से पहले संबंधित सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य बनाती है।

पृष्ठभूमि:

- लोक सेवकों द्वारा रिश्वतखोरी और आपराधिक कदाचार से निपटने वाले कानूनों को समेकित करने के लिए 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू किया गया था। इसकी उत्पत्ति संथानम समिति (1962-64) से जुड़ी है, जिसने भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कानून को मजबूत करने की सिफारिश की थी।
- **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की प्रमुख विशेषताएं:**
  - » **लोक सेवक:** इसमें सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश और सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने वाले व्यक्ति शामिल हैं।
  - » **सार्वजनिक कर्तव्य:** इसे सरकार, जनता या सामुदायिक हित को प्रभावित करने वाली जिम्मेदारी के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - » **दंडनीय अपराध:** अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी , आपराधिक कदाचार और बिना किसी उचित प्रतिफल के अनुचित लाभ प्राप्त करने को गंभीर अपराध माना गया है।
  - » **धारा 19:** यह अदालत में लोक सेवक पर मुकदमा चलाने से पहले सरकार से पूर्व मंजूरी (Prior Sanction) का प्रावधान करती है।

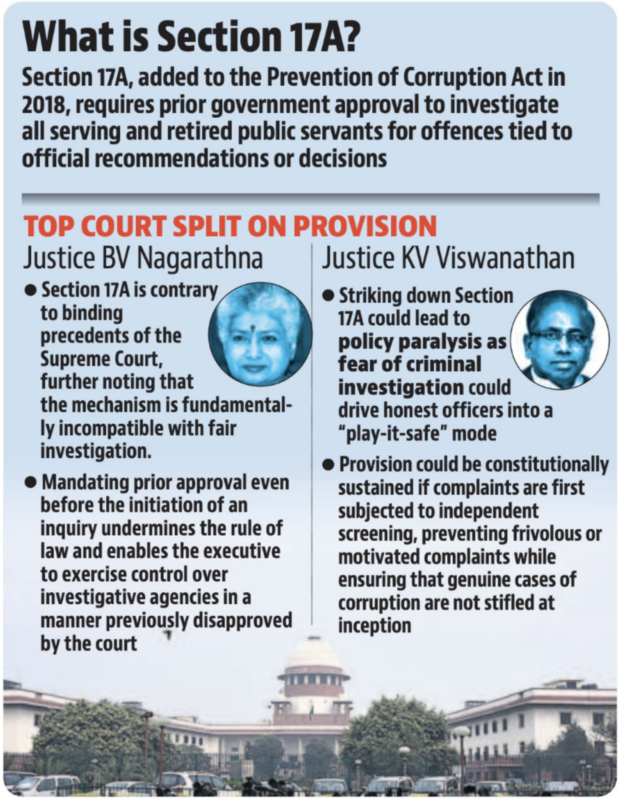

धारा 17A के बारे में:

- 2018 के संशोधन के माध्यम से लागू की गई धारा 17A का उद्देश्य निम्नलिखित के बीच अंतर करना था:

- » जानबूझकर किया गया भ्रष्टाचार।
  - » सद्भावना (Good faith) में लिए गए निर्णय, जिनसे अनजाने में गलतियाँ हो सकती हैं।
- यह लोक सेवकों द्वारा की गई सिफारिशों या लिए गए निर्णयों से संबंधित अपराधों की जांच शुरू करने से पहले सरकार से पूर्व अनुमति की मांग करती है। इसका उद्देश्य ईमानदार अधिकारियों को महत्वहीन शिकायतों से बचाना और नौकरशाही में "सुरक्षित खेलने" (Play-it-safe) की प्रवृत्ति को रोकना था।

पूर्व के न्यायिक निर्णय:

- **विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1998):** जांच से पहले पूर्व अनुमति की आवश्यकता वाले कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया गया था।
- **डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम सीबीआई (2014):** DSPE अधिनियम की धारा 6A को अमान्य कर दिया गया था, जो वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पूर्व मंजूरी अनिवार्य बनाती थी, क्योंकि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन थी।
- इन फैसलों ने इस बात पर जोर दिया कि लोक सेवकों को मिलने वाले व्यापक संरक्षण के कारण कानून के समक्ष समानता के अधिकार से समझौता नहीं होना चाहिए।

वर्तमान विभाजित फैसले (Split Verdict) के बारे में:

'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (CPIL) द्वारा दायर एक जनहित याचिका में धारा 17A को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने परस्पर विरोधी राय दी:

- **न्यायाधीश के.वी. विश्वनाथन का मत:**
  - » **संरक्षण का समर्थन:** उन्होंने ईमानदार अधिकारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए 'पूर्व अनुमति' की अनिवार्यता को उचित ठहराया।
  - » **स्वतंत्र संस्था की भूमिका:** उन्होंने सुझाव दिया कि यह अनुमति स्वयं सरकार (Executive) के बजाय लोकपाल या लोकायुक्त जैसी स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा दी जानी चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
  - » **निर्णय लेने में अक्षमता का भय:** उन्होंने चेतावनी दी कि सुरक्षा कवच के अभाव में नौकरशाहों में डर पैदा होगा, जिससे वे महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम उठाने से बचेंगे (Decisional Paralysis)।
- **न्यायाधीश बी.वी. नागरत्ना का मत:**
  - » **असंवैधानिक घोषणा:** उन्होंने धारा 17A को पूरी तरह असंवैधानिक और अवैध माना।
  - » **पुरानी व्यवस्था का दोहराव:** उनका तर्क था कि यह प्रावधान "पुरानी शराब, नई बोतल" की तरह है, जो उन नियमों को फिर से लागू करने की कोशिश है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही निरस्त कर चुका है।
  - » **समानता का उल्लंघन:** उन्होंने कहा कि धारा 19 पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है। उनके अनुसार, धारा 17A अनुच्छेद 14 के तहत 'तार्किक वर्गीकरण' और 'स्पष्ट अंतर' की कसौटी पर खरी नहीं उतरती और समानता के अधिकार का हनन करती है।

आगे की राह:

- यह फैसला प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली में सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है:
  - » **मामलों का त्वरित निस्तारण:** भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का समयबद्ध और तेज़ निपटारा सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि समाज में कानून का प्रभावी डर (Deterrence) बना रहे।
  - » **झूठी शिकायतों पर दंड:** ईमानदार अधिकारियों को अनावश्यक मानसिक और कानूनी उत्पीड़न से बचाने के लिए, उनके विरुद्ध की गई आधारहीन या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर दंडात्मक कार्रवाई का सख्त प्रावधान होना चाहिए।

संस्थागत अपमान पर रोक

संदर्भ:

राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में गिरफ्तार व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से घुमाने और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की पुलिसिया प्रथा की कड़ी निंदा की है और इसे "संस्थागत अपमान" करार दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 24 घंटे के भीतर ऐसी तस्वीरों को तुरंत हटा दें और भविष्य में ऐसी प्रथाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय लागू करें। यह मामला तब सामने आया जब कई याचिकाओं में यह बताया गया कि गिरफ्तार व्यक्तियों को अपमानजनक स्थितियों में फोटो खिंचवाने के लिए मजबूर किया गया और उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

न्यायालय के निर्णय के मुख्य बिंदु:

- **अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा का अधिकार:**

» अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान का अनुच्छेद 21 न केवल जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और गरिमा के साथ जीने के अधिकार की भी सुरक्षा करता है।
» गिरफ्तारी होने से किसी व्यक्ति के मौलिक मानवाधिकार खत्म नहीं हो जाते; जब तक दोष साबित न हो जाए, आरोपी व्यक्ति को संविधान द्वारा मिले सुरक्षा चक्र और अधिकारों का उपयोग करने का पूरा हक है।

- **संस्थागत अपमान:**
  » गिरफ्तार व्यक्तियों को पुलिस थानों के मुख्य द्वार पर बैठने के लिए विवश करना, उन्हें आंशिक रूप से निर्वस्त्र करना, उनकी फोटो खींचना और उन चित्रों को सार्वजनिक रूप से साझा करना, यह कृत्य 'संस्थागत अपमान' की श्रेणी में आता है।
  » पुलिस की ऐसी अनुचित कार्रवाइयां किसी भी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य को ऐसी स्थायी क्षति पहुँचाती हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति संभव नहीं है; भले ही भविष्य में वह व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया द्वारा निर्दोष ही सिद्ध क्यों न हो जाए।
- **कानूनी और संवैधानिक उल्लंघन:**
  » दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), पुलिस अधिनियम, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) का कोई भी प्रावधान ऐसी प्रथाओं को अधिकृत नहीं करता है।
  » अदालत ने इन कार्रवाइयों को मनमाना और अवैध बताया, जो अनियंत्रित मनमानी को दर्शाती हैं और कानून के शासन एवं संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करती हैं।
- **अधिकारियों को निर्देश:**
  » सभी वेब पोर्टल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार पत्रों से तस्वीरों और संबंधित सामग्री को तुरंत हटाया जाए।
  » पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर और पुलिस आयुक्त, जोधपुर द्वारा हलफनामा और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। भविष्य में होने वाले उल्लंघनों को रोकने के लिए संस्थागत सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं।
- **कमजोर समूहों पर प्रभाव:**
  » अविवाहित महिलाएं और युवा व्यक्ति सामाजिक कलंक, प्रतिकूल वैवाहिक परिणामों और मनोवैज्ञानिक आघात के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं।
  » यह निर्णय न्यायिक निर्णय से पहले अभियुक्त व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील और मानवीय व्यवहार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

महत्व:

- **मौलिक अधिकारों की रक्षा:** यह इस बात को पुख्ता करता है कि गरिमा, सम्मान और गोपनीयता के अधिकार पूरी आपराधिक कार्यवाही के दौरान बरकरार रहते हैं। यह 'दोषी साबित होने तक निर्दोष' के सिद्धांत को कायम रखता है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली का एक आधारभूत सिद्धांत है।
- **डिजिटल युग के निहितार्थ:** यह संवेदनशील सामग्री के डिजिटल प्रसार से उत्पन्न खतरों को संबोधित करता है, और ऑनलाइन अपमान की स्थायी एवं दूरगामी प्रकृति को स्वीकार करता है। यह नैतिक पुलिसिंग और जिम्मेदार डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **संस्थागत जवाबदेही:** यह मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए पुलिस अधिकारियों को जवाबदेह ठहराता है और सत्ता के मनमाने इस्तेमाल के ऊपर कानून के शासन को प्राथमिकता देता है। यह अन्य राज्यों के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों के उपचार से संबंधित पुलिसिंग प्रथाओं की समीक्षा और सुधार करने के लिए एक मिसाल कायम करता है।

निष्कर्ष:

राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय आपराधिक कानून, मानवाधिकार और डिजिटल नैतिकता के महत्वपूर्ण मिलन बिंदु पर प्रकाश डालता है, और यह पुष्टि करता है कि संवैधानिक सुरक्षा अदालत कक्ष के बाहर भी लागू होती है। इस प्रथा को 'संस्थागत अपमान' के रूप में वर्गीकृत करके, न्यायालय ने पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग और डिजिटल युग में सार्वजनिक रूप से लज्जित करने के खतरों के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है।

भारत में व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) सुरक्षा तकनीक

संदर्भ:

भारत सरकार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने और यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से व्हीकल-टू-व्हीकल(V2V) सुरक्षा तकनीक शुरू करने की योजना बना रही है। संसदीय परामर्श समिति की हालिया बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि दूरसंचार विभाग ने इस प्रणाली के विकास हेतु विशेष रूप से 30 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो फ़्रीक्वेंसी आवंटित की है।

महत्त्व:

- व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) एक उन्नत वायरलेस संचार तकनीक है, जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) के अंतर्गत आती है। इसके माध्यम से वाहन आपस में वास्तविक समय में संवाद कर सकते हैं और गति, स्थान, त्वरण, मंदन तथा ब्रेकिंग जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा कर सकते हैं।

मुख्य लाभ:

- **टक्कर रोकथाम:** यह तकनीक चालकों को दुर्घटना-संभावित स्थलों, सड़क पर मौजूद अवरोधों, खड़े वाहनों, घने कोहरे या पास के वाहन द्वारा अचानक ब्रेक लगाए जाने जैसी परिस्थितियों की समय रहते चेतावनी देती है।
- **मृत्यु दर में कमी:** भारत जैसे देश में, जहाँ सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, यह तकनीक मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय रूप से सहायक हो सकती है।

पृष्ठभूमि:

- इस तकनीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता गंभीर आँकड़ों से स्पष्ट होती है:
  - **वैश्विक हिस्सेदारी:** वर्ष 2022 में भारत में 1,68,491 सड़क दुर्घटना मृत्यु दर्ज की गईं, जो वैश्विक कुल का लगभग 11 प्रतिशत हैं, जबकि भारत के पास विश्व के केवल 1 प्रतिशत वाहन हैं।
  - **मानवीय त्रुटि:** लगभग 78 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएँ चालक की गलती के कारण होती हैं, जिससे जोखिम कम करने के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है।

कार्यान्वयन:

- **ऑन-बोर्ड इकाइयाँ:** वाहनों में विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाएँगे, जो वाहन-से-वाहन (V2V) संचार को संभव बनाएँगे।
- **चरणबद्ध शुरुआत:** प्रारंभिक चरण में यह तकनीक नए वाहनों में अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी, जबकि दीर्घकाल में पुराने वाहनों में इसे जोड़ने की योजना है। उदाहरण: अमेरिका, जर्मनी, जापान और चीन जैसे देशों में V2V आधारित प्रणालियाँ पहले से सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी हैं।

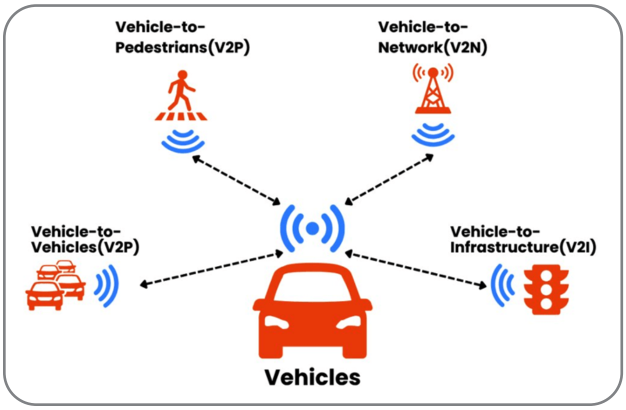

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- हालाँकि व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) तकनीक अत्यंत उपयोगी है, फिर भी इसके समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियाँ मौजूद हैं:
  - **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:** बड़ी मात्रा में वाहन और चालक से संबंधित डेटा के संग्रह से दुरुपयोग और साइबर हमलों का खतरा उत्पन्न होता है।
  - **तकनीकी पहुँच:** भारत में वाहनों की विविधता, उपकरणों की लागत तथा फ़्रीक्वेंसी से जुड़ी सीमाओं के कारण इसका समान रूप से प्रसार करना चुनौतीपूर्ण है।
  - **नियामक ढाँचा:** प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने तथा तकनीकी त्रुटियों या गलत संकेतों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सशक्त दिशा-निर्देश आवश्यक हैं।

पूरक उपाय: चार-स्तंभीय (4E) दृष्टिकोण:

- व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) तकनीक को अकेले समाधान नहीं माना जा सकता; इसे सड़क सुरक्षा के मौजूदा चार-स्तंभीय दृष्टिकोण के साथ समन्वित करना आवश्यक है:
  - **शिक्षा:** जन-जागरूकता अभियान, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह और विशेष ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।
  - **अभियांत्रिकी:** सड़क सुरक्षा ऑडिट, दुर्घटना-संभावित स्थलों का सुधार तथा एयरबैग, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) और स्पीड लिमिटर की तरह अनिवार्य सुरक्षा सुविधाएँ।
  - **प्रवर्तन:** मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 का प्रभावी कार्यान्वयन और ई-चालान प्रणाली की निगरानी।
  - **आपातकालीन देखभाल:** 'गुड समैरिटन' सुरक्षा, बेहतर मुआवज़ा व्यवस्था और राष्ट्रीय राजमार्गों पर एंबुलेंस सेवाओं का विस्तार।

- इसके अतिरिक्त, वाहन स्क्रैपिंग नीति, भारत नई कार आकलन कार्यक्रम (BNCAP) तथा स्वचालित फिटनेस प्रमाणन जैसी पहलें सड़क सुरक्षा ढाँचे को और अधिक सुदृढ़ बनाती हैं।

आगे की राह:

व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) तकनीक सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है, किंतु इसकी सफलता मज़बूत नियामक व्यवस्था, व्यापक तकनीकी अपनाव और जन-जागरूकता पर निर्भर करेगी। यदि इसे बुनियादी ढाँचे में सुधार और चार-स्तंभीय दृष्टिकोण के साथ प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो यह भारतीय सड़कों को अधिक सुरक्षित बनाकर स्मार्ट परिवहन की दिशा में एक निर्णायक परिवर्तन ला सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 के समानता नियमों पर रोक लगाई

संदर्भ:

29 जनवरी 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026 के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायालय ने प्रारंभिक रूप से यह टिप्पणी की कि इन नियमों में कई महत्वपूर्ण अस्पष्टताएँ हैं, जिनके कारण समाज में विभाजन की आशंका उत्पन्न हो सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय आने तक वर्ष 2012 के यूजीसी समानता नियम ही लागू रहेंगे। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 19 मार्च 2026 को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष निर्धारित की गई है।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2026 के ये नियम रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं द्वारा दायर याचिकाओं के बाद तैयार किए गए थे। दोनों छात्रों की मृत्यु कथित रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव के कारण हुई आत्महत्या से जुड़ी मानी जाती है।
- इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव की शिकायतों से निपटने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढाँचा तैयार करना, समावेशी शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देना तथा कमजोर और हाशिए पर मौजूद वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों में समान अवसर केंद्र और समानता समितियों (EOCs) की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

2026 के नियमों के प्रमुख प्रावधान:

- **समानता समितियाँ (इक्विटी कमेटी) और समान अवसर केंद्र:**
  - » सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर केंद्र और समानता समितियों की स्थापना अनिवार्य की गई है, जो भेदभाव से संबंधित शिकायतों की जाँच और समाधान का कार्य करेंगी।
  - » इन समितियों में शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी, छात्र, नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है।
- **शिकायत निवारण व्यवस्था:**
  - » प्रत्येक संस्थान को 24×7 कार्यरत हेल्पलाइन और एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल संचालित करना होगा।
  - » प्राप्त शिकायतों का निपटारा 15 कार्य दिवसों के भीतर करना तथा आवश्यक कार्रवाई 7 दिनों के अंदर सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
  - » शिकायतकर्ता और गवाहों को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, दबाव या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से संरक्षण देना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
- **अनुपालन और दंड:**

» नियमों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित संस्थान को यूजीसी अनुदान से वंचित किया जा सकता है, उसकी शैक्षणिक मान्यता प्रभावित हो सकती है या उसे विभिन्न सरकारी योजनाओं में भागीदारी से बाहर किया जा सकता है।

» इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया है।

मुख्य कानूनी मुद्दे:

- **जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा:** नियमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा अपेक्षाकृत सीमित रखी गई है, जबकि अन्य धाराएँ व्यापक दायरे की ओर संकेत करती हैं। इससे नियमों में आंतरिक कानूनी असंगति उत्पन्न होती है।
- **सामान्य वर्ग के छात्रों का बहिष्करण:** याचिकाकर्ताओं का यह तर्क है कि इन नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों को शिकायत निवारण व्यवस्था से बाहर रखा गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1), 19(1)(क) और 21 के उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।
- **अस्पष्टता और दुरुपयोग की आशंका:** सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि नियमों में प्रयुक्त अस्पष्ट और व्यापक भाषा के कारण शैक्षणिक परिसरों में भ्रम, मनमानी व्याख्या और संभावित दुरुपयोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ:

- **परिभाषाओं में अस्पष्टता:** जाति-आधारित भेदभाव से संबंधित एक प्रावधान दूसरे प्रावधान से आंशिक रूप से टकराता हुआ प्रतीत होता है, जिससे दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है।
- **अलगाव का खतरा:** अलग-अलग छात्रावास या मार्गदर्शन समूह बनाने की अनुमति देने वाले प्रावधान संविधान में निहित समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के विपरीत हो सकते हैं।
- **कवरेज की कमी:** रैगिंग और क्षेत्रीय या भाषायी भेदभाव जैसे मुद्दों को स्पष्ट रूप से शामिल न करने से नियमों की प्रभावशीलता सीमित हो सकती है।
- **समानता का संतुलन:** याचिकाकर्ताओं ने सामान्य वर्ग के छात्रों के प्रति संभावित पक्षपात की आशंका भी न्यायालय के समक्ष रखी।

महत्व:

- यह पहल संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अनुरूप समावेशी और समानतापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ी हुई है।
- इससे उच्च शिक्षा संस्थानों की जवाबदेही बढ़ सकती है तथा शिकायत निवारण की संस्थागत व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकती है।
- दीर्घकाल में इसे एक जाति-रहित, समान अवसर और गरिमापूर्ण शैक्षणिक परिसर की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के 2026 के समानता नियमों पर लगाई गई अंतरिम रोक यह स्पष्ट करती है कि उच्च शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाई को लागू करते समय सामाजिक समरसता, संवैधानिक मूल्यों और व्यावहारिक संतुलन बनाए रखना एक जटिल चुनौती है। इस मामले में आने वाला अंतिम निर्णय आने वाले वर्षों में भारत के शैक्षणिक परिसरों में समानता, समावेशन और सामाजिक न्याय की दिशा को निर्णायक रूप से प्रभावित करेगा।

मासिक धर्म स्वास्थ्य मौलिक अधिकार है: सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि विद्यालयों में मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता तक पहुँच संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।

मुख्य न्यायिक निष्कर्ष:

- **मासिक धर्म स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार के रूप में:**
  » न्यायालय ने माना कि मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन (MHM) अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक मूल घटक है, क्योंकि इसमें गरिमा, निजता, स्वास्थ्य और शारीरिक स्वायत्तता शामिल हैं।
  » निर्णय में इस बात पर बल दिया गया कि मासिक धर्म स्वच्छता उपायों तक पहुँच का अभाव कलंक, अपमान और बहिष्कार को जन्म देता है, जिससे सार्थक (Substantive) समानता कमजोर होती है।
- **शिक्षा के अधिकार से संबंध:**
  » चूँकि अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार, जीवन के

अधिकार का विस्तार है, इसलिए शिक्षा तक प्रभावी पहुँच के लिए उन बाधाओं को हटाना आवश्यक है, जैसे मासिक धर्म सुविधाओं का अभाव, जो किशोरियों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं।

- **सार्थक समानता:**
  - न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के तहत सार्थक समानता के दृष्टिकोण को अपनाया और कहा कि असमानों के साथ समान व्यवहार करना संरचनात्मक बहिष्कार और प्रणालीगत नुकसान को बनाए रख सकता है।

जारी निर्देश:

- **निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन:** सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा सरकारी और निजी—सभी विद्यालयों को छात्राओं को निःशुल्क जैव-अपघटनीय सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने होंगे।
- **मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन सुविधाएँ:** विद्यालयों में पानी, साबुन और पर्याप्त निजता से युक्त, दिव्यांग-अनुकूल, कार्यशील लैंगिक रूप से पृथक शौचालय स्थापित किए जाने चाहिए। सुरक्षित निपटान के लिए ढके हुए डिब्बे, इंसीनेरेटर या अन्य पर्यावरण-अनुकूल प्रणालियाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- **जागरूकता और शिक्षा:** विद्यालयी पाठ्यक्रम में मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल किया जाए तथा सामाजिक कलंक को दूर करने और गरिमा सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रम चलाए जाएँ।
- **अनुपालन और जवाबदेही:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्धारित समय-सीमा में इन उपायों को लागू करना होगा; अनुपालन न करने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता रद्द किए जाने सहित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

महत्त्व:

- **लैंगिक न्याय और सार्वजनिक स्वास्थ्य:** यह निर्णय मासिक धर्म स्वास्थ्य को बहुआयामी अधिकार के रूप में मान्यता देता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिमा, निजता और लैंगिक समानता शामिल हैं।
- **वर्जनाओं को तोड़ना:** जागरूकता और शिक्षा को अनिवार्य बनाकर यह निर्णय मासिक धर्म से जुड़ी गहरी सामाजिक वर्जनाओं को चुनौती देता है और अधिक समावेशी विद्यालयी वातावरण को बढ़ावा देता है।
- **शिक्षा में समानता:** पर्याप्त मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता से छात्राओं की अनुपस्थिति और ड्रॉपआउट दर में कमी आती है, जिससे शिक्षा में सहभागिता और निरंतरता बढ़ती है।

नीतिगत प्रभाव:

- यह निर्णय समग्र शिक्षा, स्वच्छ भारत मिशन तथा विद्यालय जाने वाली बालिकाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति जैसी मौजूदा योजनाओं को संवैधानिक दायित्व के रूप में सुदृढ़ करता है।
- भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) ने सरकार से न्यायालय के निर्देशों के कड़े निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन का आग्रह किया है।

निष्कर्ष:

विद्यालयों में मासिक धर्म स्वास्थ्य को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग घोषित करने वाला सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय एक प्रगतिशील और परिवर्तनकारी कदम है। गरिमा, स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता को मौलिक अधिकारों के ढाँचे में दृढ़ता से स्थापित कर यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और शिक्षा तक पहुँच से जुड़ी दीर्घकालिक कमियों को दूर करने का प्रयास करता है।

3 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

वैश्वीकरण के बाद की भू-राजनीति: 'डोनरो सिद्धांत', वेनेजुएला संकट और नियम-आधारित व्यवस्था का भविष्य

प्रस्तावना:

3 जनवरी 2026 को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसे प्रतिमान विस्थापन (Paradigm Shift) दर्ज किया गया है, जिसने न केवल पश्चिमी गोलार्ध के शक्ति-संतुलन को बदला, बल्कि द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात निर्मित 'नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था' (Rules-Based International Order) की प्रासंगिकता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व' (Operation Absolute Resolve) के अंतर्गत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की हिरासत केवल एक संप्रभु राष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की घटना नहीं थी बल्कि यह एक नई अमेरिकी विदेश नीति के उदय की उद्घोषणा थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रतिपादित 'डोनरो सिद्धांत' (Donroe Doctrine) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं सदी की महाशक्ति राजनीति अब उदारवादी अंतरराष्ट्रीयवाद (Liberal Internationalism) के आवरण को त्यागकर यथार्थवाद (Realism) और प्रभाव-क्षेत्र (Spheres of Influence) की कठोर नीतियों की ओर लौट रही है।

ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व:

- वेनेजुएला की राजधानी काराकास में की गई सैन्य कार्रवाई को अमेरिका ने 'राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान' की संज्ञा दी। पिछले कई महीनों से कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक जमावड़ा और वेनेजुएला की समुद्री घेराबंदी इस बात का संकेत दे रही थी कि वाशिंगटन अब कूटनीतिक प्रतिबंधों से आगे बढ़कर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की ओर बढ़ रहा है।
- इस सैन्य हस्तक्षेप का प्राथमिक तर्क 'नार्को-टेररिस्ट शासन' का उन्मूलन था। ट्रंप प्रशासन के अनुसार, मादुरो शासन केवल एक तानाशाही नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आपराधिक तंत्र था जो वैश्विक मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का केंद्र बन चुका था। इस बार अमेरिका ने 'लोकतंत्र की स्थापना' जैसे पारंपरिक उदारवादी नारों का उपयोग न करके 'अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा' को आधार बनाया, जो उसकी विदेश नीति में आए वैचारिक बदलाव को दर्शाता है।

डोनरो सिद्धांत:

- 'डोनरो सिद्धांत' (Donroe Doctrine) शब्द वर्ष 1823 के प्रसिद्ध 'मोनरो सिद्धांत' और डोनाल्ड ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का एक हाइब्रिड संकलन है। जहाँ मूल मोनरो सिद्धांत का उद्देश्य यूरोपीय शक्तियों को अमेरिकी महाद्वीप में हस्तक्षेप से रोकना था, वहीं 'डोनरो सिद्धांत' इसे एक कदम आगे ले जाता है।
- इसके मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं:

» **क्षेत्रीय आधिपत्य का पुनरुद्धार:** अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध को अपना अनन्य प्रभाव-क्षेत्र मानता है। इसमें चीन और रूस जैसे बाहरी प्रतिद्वंद्वियों की उपस्थिति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना गया है।

» **हस्तक्षेप का सैन्यीकरण:** कूटनीति और आर्थिक प्रतिबंधों के स्थान पर प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई को एक वैध साधन के रूप में स्वीकार करना।

» **प्रतीकात्मक भू-राजनीति:** मेक्सिको की खाड़ी को 'अमेरिका की खाड़ी' (Gulf of America) कहना केवल नामकरण नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि अमेरिका अपने निकटवर्ती समुद्री क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है।

- यह सिद्धांत बहुपक्षवाद (Multilateralism) के स्थान पर एकपक्षवाद (Unilateralism) को प्राथमिकता देता है, जो यह संकेत देता है कि अमेरिका अब नाटो या संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों की सहमति की प्रतीक्षा करने के बजाय अपने 'कोर' हितों के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।

फेंटेनिल संकट: सुरक्षा का नया विमर्श और 'WMD' का विस्तार

- इस संकट का सबसे प्रभावी विमर्श फेंटेनिल (Fentanyl) और सिंथेटिक ओपिओइड का बढ़ता प्रकोप है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, फेंटानिल एक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपिओइड दवा है जिसका उपयोग दर्द निवारक और बेहोशी की दवा के रूप में किया जाता है।
- फेंटानिल की समस्या यह है कि यह हेरोइन या मॉर्फिन से 30 से 100 गुना अधिक शक्तिशाली हो सकती है और इसका असर बहुत तेजी से होता है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। अमेरिका में फेंटानिल से संबंधित ओवरडोज के कारण कुल ओवरडोज से होने वाली मौतों में से 69 प्रतिशत से अधिक मौतें हुई हैं।
- ट्रंप प्रशासन द्वारा फेंटेनिल और उसके रासायनिक घटकों को 'सामूहिक विनाश के हथियार' ('Weapons of Mass Destruction' -WMD) की श्रेणी में रखना अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विमर्श में एक बदलाव है। पारंपरिक रूप से WMD शब्द परमाणु, जैविक या रासायनिक हथियारों के लिए आरक्षित था।
- मादक पदार्थों को इस श्रेणी में लाकर अमेरिका ने किसी भी ऐसे देश के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई का द्वार खोल दिया है, जो इन पदार्थों के उत्पादन या तस्करी में लिप्त पाया जाता है। इस प्रक्रिया ने एक जनस्वास्थ्य समस्या को अस्तित्वगत सैन्य खतरे में बदल दिया जाता है।

भू-राजनीति के केंद्र में ऊर्जा: तेल भंडार और आर्थिक वर्चस्व

- वेनेजुएला के संकट के केंद्र में हमेशा से तेल रहा है। लगभग 300 अरब बैरल से अधिक के तेल भंडार के साथ वेनेजुएला विश्व में प्रथम स्थान पर है, जो सऊदी अरब से भी अधिक है। इसके बावजूद, मादुरो शासन के दौरान कुप्रबंधन और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण उत्पादन मात्र 10 लाख बैरल प्रतिदिन तक सिमट गया था।
- 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व' के बाद अमेरिकी तेल कंपनियों की वेनेजुएला में वापसी की घोषणा और तेल बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव इराक युद्ध के बाद की ऊर्जा कूटनीति की

याद दिलाता है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि वेनेजुएला के तेल संसाधनों का उपयोग उसी देश के बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए किया जाएगा, लेकिन इसके गहरे भू-राजनीतिक निहितार्थ हैं:

- **चीन और रूस का निष्कासन:** वेनेजुएला का तेल क्षेत्र चीनी और रूसी ऋणों के लिए गिरवी था। वेनेजुएला ने पिछले दशकों में चीन और रूस से भारी मात्रा में ऋण लिया था। इस कर्ज की अदायगी के लिए वेनेजुएला ने अपने तेल भंडार (दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार) को गारंटी के तौर पर रखा था। वेनेजुएला पर चीन का लगभग $60 बिलियन का बकाया है, जिसे तेल निर्यात के माध्यम से चुकाया जाना था। रूसी कंपनी 'रोजनेफ्ट' (Rosneft) ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों में बड़ा निवेश किया था और कर्ज के बदले तेल निकालने के अधिकार प्राप्त किए थे। अमेरिकी नियंत्रण इन प्रतिद्वंद्वियों को ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा झटका देता है।
- **वैश्विक तेल मूल्य नियंत्रण:** वेनेजुएला के उत्पादन में वृद्धि वैश्विक तेल बाजार में ओपेक (OPEC) और विशेष रूप से रूस (OPEC+) के प्रभाव को कम कर सकती है।

अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता:

- 3 जनवरी की घटना ने अंतरराष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों, संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप पर गंभीर प्रहार किया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) स्पष्ट रूप से किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग को निषिद्ध करता है।
- मादुरो की हिरासत के विरुद्ध वैश्विक प्रतिक्रिया अलग अलग है जहाँ चीन, रूस, ईरान और क्यूबा ने आक्रामकता और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और नियम-आधारित व्यवस्था का अंत है। वहीं पश्चिमी सहयोगियों ने इसे एक 'अपवाद' के रूप में देखा है, जिसे सुरक्षा के आधार पर उचित ठहराया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की विफलता यहाँ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अमेरिका की वीटो शक्ति उसे किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचाती है। यह स्थिति 19वीं सदी की 'शक्ति ही अधिकार है' (Might is Right) वाली राजनीति की ओर वापसी का संकेत देती है, जहाँ अंतरराष्ट्रीय कानून केवल छोटी शक्तियों पर लागू होता है, जबकि महाशक्तियां अपनी सुरक्षा परिभाषाओं के आधार पर कानून का निर्माण करती हैं।

भारत के सन्दर्भ में रणनीतिक और नैतिक चुनौतियां:

- भारत के लिए वेनेजुएला संकट एक जटिल कूटनीतिक पहेली है। भारत की विदेश नीति पारंपरिक रूप से 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) और 'गुटनिरपेक्षता' के आदर्शों पर आधारित रही है।
  - **नैतिक दुविधा:** भारत हमेशा से किसी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी सैन्य हस्तक्षेप का विरोधी रहा है। यदि भारत इस कार्रवाई का समर्थन करता तो वह अपनी दीर्घकालिक सैद्धांतिक स्थिति को कमजोर करेगा। यदि विरोध करता, तो अमेरिका के साथ उसके प्रगाढ़ होते रक्षा और तकनीकी संबंधों (जैसे iCET और इंडो-पैसिफिक साझेदारी) में तनाव आ सकता है।
  - **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत की रिलायंस और नायरा जैसी रिफाइनरियां वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल (Heavy Crude) को संसाधित करने में सक्षम हैं। यदि अमेरिकी नियंत्रण के तहत उत्पादन बढ़ता है, तो भारत को रूसी तेल पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण का एक नया विकल्प मिल सकता है।
  - **वैश्विक व्यवस्था का भविष्य:** भारत एक 'बहु-ध्रुवीय विश्व' का पक्षधर है। डोनरो सिद्धांत के तहत अमेरिका का एकपक्षीय व्यवहार भारत के उस दृष्टिकोण के लिए चुनौती है, जहाँ अंतरराष्ट्रीय नियम सर्वोपरि होने चाहिए।
- भारत की संभावित प्रतिक्रिया 'संयमित मौन' और 'सक्रिय कूटनीति' का मिश्रण है। भारत संभवतः इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में किसी भी पक्ष की ओर झुकने के बजाय 'हिंसा की समाप्ति' और 'क्षेत्रीय स्थिरता' की अपील करेगा, जबकि पर्दे के पीछे वह नई वेनेजुएला व्यवस्था के साथ अपने ऊर्जा हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

निष्कर्ष:

वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की हिरासत वैश्विक उदारवादी सहमति का अंत प्रतीत होता है जिसने शीत युद्ध के बाद के तीन दशकों तक विश्व राजनीति को निर्देशित किया था। साथ ही यह संकट वैश्विक समुदाय को चेतावनी देता है कि यदि अंतरराष्ट्रीय संस्थान (जैसे UN) स्वयं में सुधार नहीं करते और वैश्विक शक्तियों के कार्यों को नियंत्रित करने में विफल रहते हैं, तो विश्व पुनः 'प्रभाव-क्षेत्रों' के संघर्ष में डूब जाएगा। भविष्य की विश्व राजनीति अब संप्रभुता की रक्षा और सुरक्षा की अनिवार्यता के बीच एक निरंतर तनाव का क्षेत्र होगी।

बुल्गारिया यूरोज़ोन में शामिल

संदर्भ:

1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया आधिकारिक रूप से यूरोज़ोन में शामिल हो गया, जिससे वह यूरो को अपनाने वाला यूरोपीय संघ (EU) का 21वाँ सदस्य देश बन गया।

यूरोज़ोन के बारे में:

- 1992 की मास्ट्रिस्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना की गई और निम्नलिखित के लिए आधार तैयार हुआ:
  - यूरोपीय आर्थिक और मौद्रिक संघ (EMU)
  - एक साझा मुद्रा, यूरो को अपनाना
  - एकीकृत केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली, यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) की स्थापना
  - एक साझा आर्थिक क्षेत्र का गठन
- यूरोज़ोन उन यूरोपीय संघ (EU) सदस्य देशों को कहा जाता है जिन्होंने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में पूर्णतः अपना लिया है।
- यूरोपीय संघ (EU) के 27 सदस्य देशों में से अब 21 देश यूरो का उपयोग करते हैं, जबकि शेष छह देश अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं को बनाए हुए हैं।

यूरो का उपयोग करने वाले अन्य क्षेत्र:

- एंडोरा, मोनाको, वैटिकन सिटी और सैन मैरिनो जैसे सूक्ष्म-राज्य (औपचारिक समझौतों के माध्यम से)।
- कोसोवो और मोंटेनेग्रो, जो EU के सदस्य न होते हुए भी एकतरफा रूप से यूरो का उपयोग करते हैं।

यूरोज़ोन में शामिल होने के लाभ:

- **आर्थिक लाभ:**
  - **मूल्य पारदर्शिता:** उपभोक्ताओं को सदस्य देशों के बीच कीमतों की तुलना करने में सहायता, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।
  - **लेन-देन में सुगमता:** सीमा-पार व्यापार और निवेश को सरल बनाता है।
  - **मूल्य स्थिरता:** ECB मुद्रास्फीति को लगभग 2% पर बनाए रखने का लक्ष्य रखता है, जिससे घरेलू बाजार स्थिर रहते हैं।
  - **कम ब्याज दरें:** साझा मौद्रिक नीति से उधारी लागत में कमी आती है।
  - **मुद्रा विनिमय लागत का उन्मूलन:** व्यापार, यात्रा और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है।
  - **बाहरी झटकों से सुरक्षा:** बड़े मुद्रा समूह की सदस्यता आर्थिक लचीलापन प्रदान करती है।
- **रणनीतिक और सामाजिक-आर्थिक लाभ:**
  - श्रम, वस्तुओं, सेवाओं और पूँजी की मुक्त आवाजाही के साथ एकल बाज़ार तक पहुँच।
  - **पर्यटन में वृद्धि:** यूरो को अपनाने से यात्रा और खर्च सरल हो जाते हैं।
  - **प्रतीकात्मक महत्व:** विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा होने के कारण यूरो यूरोपीय पहचान और एकीकरण को मजबूत करता है।

यूरोज़ोन सदस्यता की पात्रता:

- डेनमार्क को छोड़कर सभी EU सदस्य देशों के लिए यूरो अपनाना अनिवार्य है, क्योंकि डेनमार्क को औपचारिक छूट प्राप्त है।
- देशों को अभिसरण मानदंड (Convergence Criteria) पूरे करने होते हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - यूरोज़ोन देशों के साथ आर्थिक सामंजस्य (मुद्रास्फीति, सार्वजनिक ऋण, राजकोषीय घाटा और ब्याज दरें)।
  - कानूनी और संस्थागत सामंजस्य, विशेष रूप से केंद्रीय बैंक

की स्वतंत्रता।

» सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तैयारी, ताकि सुचारु एकीकरण सुनिश्चित हो सके।

- बुल्गारिया ने इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी और नीतिगत सुधार लागू किए।

बुल्गारिया और यूरोपीय संघ के निहितार्थ:

- **आर्थिक:**
  » यूरोज़ोन बाज़ारों, पूँजी और निवेश तक बेहतर पहुँच।
  » अधिक आर्थिक स्थिरता और कम लेन-देन लागत।
  » पर्यटन और सीमा-पार वाणिज्य को बढ़ावा।
- **राजनीतिक और रणनीतिक:**
  » यूरोपीय संघ के साथ बुल्गारिया का एकीकरण मजबूत होगा।
  » मुद्रा और व्यापार संबंधों के माध्यम से रूस द्वारा ऐतिहासिक रूप से बनाए गए संभावित आर्थिक प्रभाव में कमी।
- **जोखिम:**
  » घरेलू राजनीतिक विरोध और रूस के साथ सांस्कृतिक संबंध आंतरिक तनाव उत्पन्न कर सकते हैं।
  » लेव से यूरो में संक्रमण के दौरान अल्पकालिक मुद्रास्फीति दबाव की संभावना।

निष्कर्ष:

बुल्गारिया द्वारा यूरो को अपनाना यूरोपीय संघ के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जहाँ यह आर्थिक स्थिरता, मूल्य पारदर्शिता और क्षेत्रीय प्रभाव में वृद्धि का वादा करता है, वहीं यह घरेलू राजनीतिक सहमति और भू-राजनीतिक संवेदनशीलताओं की भी परीक्षा लेता है। बुल्गारिया का अनुभव राजनीतिक रूप से जटिल और आर्थिक रूप से विविध देशों में यूरो अपनाने से जुड़ी व्यापक चुनौतियों को दर्शाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका–वेनेज़ुएला संबंध

संदर्भ:

3 जनवरी 2026 को, "ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व" के तहत अमेरिकी सैन्य बलों और विशेष बलों ने कराकस के निकट समन्वित हवाई और ज़मीनी कार्रवाई की। इस अभियान में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ़्तार करके, उन पर मादक पदार्थ की तस्करी व नार्को-आतंकवाद से जुड़े आरोपों पर मुकदमा के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया है। यह कार्रवाई 1989 में पनामा पर अमेरिकी आक्रमण के बाद लैटिन अमेरिका में सबसे प्रत्यक्ष अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप मानी जा रही है।

हालिया सैन्य तनाव:

- 2025 के उत्तरार्ध में तनाव तेज़ी से बढ़ा, जिसके प्रमुख घटनाक्रम निम्नलिखित रहे:
  » **ऑपरेशन सदर्न स्पीयर (सितंबर 2025):** कैरेबियन और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी "मादक पदार्थ विरोधी" समुद्री अभियान, जिसमें कथित तस्करी में संलिप्त जहाज़ों के विरुद्ध घातक कार्रवाइयाँ की गईं।
  » **हवाई क्षेत्र प्रतिबंध (29 नवंबर 2025):** अमेरिका ने वेनेज़ुएला के हवाई क्षेत्र को सभी नागरिक विमानों के लिए बंद घोषित कर दिया।
  » **नौसैनिक नाकाबंदी (दिसंबर 2025):** वेनेज़ुएला के तेल टैंकरों पर "पूर्ण नौसैनिक नाकाबंदी", जिसे अमेरिका ने "नार्को-आतंकवादी शासन" के विरुद्ध कार्रवाई के रूप में उचित ठहराया।

संबंधों का विकास और विवाद की पृष्ठभूमि:

- बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका–वेनेज़ुएला संबंध अपेक्षाकृत सहयोगपूर्ण रहे, जिनका आधार तेल व्यापार और शीत युद्धकालीन रणनीतिक संरेखण था। यह स्थिति 1999 में ह्यूगो चावेज़ के सत्ता में आने के बाद तेज़ी से बदली, जब उन्होंने वेनेज़ुएला को समाजवादी राज्य घोषित किया और खुली "साम्राज्यवाद-विरोधी" विदेश नीति अपनाई।
- तनाव तब और गहराया जब वेनेज़ुएला ने 2002 में चावेज़ के विरुद्ध असफल तख्तापलट के प्रयास में अमेरिका की भूमिका का आरोप लगाया हालाँकि बाद में इन आरोपों को आंशिक रूप से वापस ले लिया गया। 2008 और फिर 2014 में राजनयिकों के निष्कासन से कूटनीतिक तनाव और बढ़ गया, जब कराकस ने अमेरिकी

राजनयिकों पर आंतरिक अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया।

- हालाँकि 2009 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रयासों के बाद संबंधों में थोड़े समय के लिए सुधार हुआ, लेकिन यह जल्द ही समाप्त हो गया। 2019 के राष्ट्रपति संकट के दौरान स्थिति निर्णायक रूप से बिगड़ गई, जब अमेरिका ने विपक्षी नेता जुआन गुआइदो को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी, जिसके बाद मादुरो सरकार ने अमेरिका से कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए।
- कराकस में समाजवादी नेतृत्व के उदय के बाद से अमेरिका–वेनेज़ुएला संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। वॉशिंगटन ने मादुरो शासन पर सत्तावादी शासन, चुनावी हेरफेर, व्यापक भ्रष्टाचार और अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से संबंधों के आरोप लगाए हैं। इसके प्रत्युत्तर में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यक्तिगत, वित्तीय और क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक प्रतिबंध लगाए, विशेष रूप से राज्य-स्वामित्व वाली तेल कंपनी PDVSA पर। इन प्रतिबंधों ने वेनेज़ुएला की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से कमजोर किया और देश को चीन व रूस जैसे रणनीतिक साझेदारों के और करीब ला दिया।

अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप से जुड़े अंतरराष्ट्रीय क़ानूनी मुद्दे:

- अंतरराष्ट्रीय क़ानून के दृष्टिकोण से अमेरिकी कार्रवाई कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है:
  - **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) का उल्लंघन:** किसी संप्रभु राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग निषिद्ध है।
  - **संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना किसी मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की गिरफ़्तारी राज्य संप्रभुता के स्थापित मानकों को चुनौती देती है।
  - **आत्मरक्षा का अभाव:** अमेरिका को किसी तात्कालिक सशस्त्र हमले का सामना नहीं था, जिससे अनुच्छेद 51 (आत्मरक्षा) के तहत दावे कमजोर पड़ते हैं।
  - **सीमापार क़ानून प्रवर्तन:** मादुरो की जबरन हिरासत अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून और प्रत्यर्पण से जुड़े स्थापित मानदंडों पर प्रश्न खड़े करता है।

निष्कर्ष:

जनवरी 2026 का अमेरिका–वेनेज़ुएला टकराव समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों की कई प्रमुख बहसों को उजागर करता है, जिनमें सैन्य हस्तक्षेप की सीमाएँ, राज्य संप्रभुता का सम्मान और ऊर्जा सुरक्षा की भू-राजनीति शामिल हैं। आंतरिक राजनीतिक अनिश्चितता और बाहरी दबावों के बीच वेनेज़ुएला जिस मार्ग पर आगे बढ़ेगा, उसके प्रभाव पश्चिमी गोलार्ध में कूटनीतिक मानदंडों और शक्ति संतुलन पर दूरगामी होंगे।

60 से अधिक वैश्विक संगठनों से अमेरिका हटा

संदर्भ:

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है, जिनमें 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़े निकाय और 35 गैर-यूएन संगठन शामिल हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC) और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC)। व्हाइट हाउस ने इस निर्णय को राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा तथा उन संस्थानों से दूरी बनाने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया है, जिन्हें अमेरिका अपने हितों के विपरीत या अप्रभावी मानता है।

निर्णय के पीछे का तर्क:

- यह निर्णय "अमेरिका फर्स्ट" सिद्धांत को दर्शाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि बहुपक्षीय प्रतिबद्धताएँ घरेलू प्राथमिकताओं और करदाताओं के हितों के अनुरूप होनी चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों का तर्क है कि वैश्विक संगठनों में भागीदारी से अक्सर राष्ट्रीय नीतिनिर्माण पर बाधाएँ आती हैं और हमेशा ठोस, मापनीय लाभ प्राप्त नहीं होते। समर्थक इसे अंतरराष्ट्रीय मामलों में संप्रभुता और स्वायत्तता की पुनः पुष्टि के रूप में देखते हैं।

वैश्विक और रणनीतिक प्रभाव:

- **बहुपक्षीय व्यवस्था पर खतरा:** इस वापसी से जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और विकास से जुड़े संस्थान कमजोर पड़ सकते हैं, जिससे वैश्विक शासन व्यवस्था में विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **जलवायु कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):** जलवायु मंचों से बाहर निकलना वैश्विक जलवायु वार्ताओं में अमेरिका के प्रभाव को कम करता है। ISA से हटने से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोगी प्रयास बाधित हो सकते हैं और इससे चीन जैसी अन्य शक्तियों के लिए प्रभाव बढ़ाने का अवसर पैदा हो सकता है।
- **शक्ति संतुलन:** अमेरिका की घटती भागीदारी बहुपक्षीय संस्थानों में नेतृत्व विहीनता उत्पन्न करती है, जिससे यूरोपीय संघ, चीन और

उभरती अर्थव्यवस्थाएँ नियमों और मानकों को आकार देने में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकती हैं और वैश्विक निर्णय-निर्माण ढाँचे में बदलाव आ सकता है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:

- यह कदम अंतरराष्ट्रीय सहयोग को कमजोर करता है, साझा वैश्विक संकटों से निपटने की क्षमता घटाता है और अमेरिका की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचा सकता है। संगठनों की कथित अक्षमता को व्यक्तिपरक बताया जाता है, जो सहयोग के दीर्घकालिक लाभों जैसे- डेटा साझा करना, मानक निर्धारण और संघर्ष समाधान की अनदेखी करता है। मानवीय और विकास-केंद्रित एजेंसियाँ संसाधनों और क्षमता की कमी से जूझ सकती हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहायता पर निर्भर निम्न-आय वाले देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

भारतीय और क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य:

- भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और जलवायु-संबंधी निकायों से अमेरिका की वापसी एक कूटनीतिक झटका है, लेकिन साथ ही दक्षिण–दक्षिण सहयोग को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करती है।
- नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु गठबंधनों में भारत का नेतृत्व बना हुआ है, हालांकि देश को अन्य प्रमुख साझेदारों के साथ अपने संबंधों का पुनर्संतुलन करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष:

अमेरिका का यह कदम संप्रभुता-आधारित विदेश नीति और वैश्विक जिम्मेदारी के बीच तनाव को उजागर करता है। जहाँ यह घरेलू प्राथमिकताओं को मजबूत करता है, वहीं यह उन बहुपक्षीय ढाँचों को कमजोर करने का जोखिम भी पैदा करता है जो वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक हैं। भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए यह रणनीतिक स्वायत्तता, निरंतर बहुपक्षीय सहभागिता और बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में अनुकूल कूटनीति के महत्व को रेखांकित करता है।

सऊदी अरब का यमन पर हमला

संदर्भ:

हाल ही में, सऊदी अरब ने यमन में रणनीतिक स्थलों पर हवाई हमले किए, जिनमें बंदरगाह की बुनियादी संरचना भी शामिल थी। ये हमले लंबे समय से चल रहे यमनी संघर्ष में एक नई वृद्धि का प्रतीक हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन हमलों ने ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि यह केवल सऊदी अरब की सुरक्षा चिंताओं को ही नहीं दर्शाता, बल्कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती क्षेत्रीय मतभेदों और यमन में चल रहे शांति प्रयासों की नाजुक स्थिति को भी उजागर करता है।

पृष्ठभूमि:

- यमन 2014 से गृहयुद्ध में उलझा हुआ है, जब ईरान समर्थित हुथी विद्रोहियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को उखाड़ फेंका। इस घटनाक्रम ने देश में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा दिया और गृहयुद्ध की शुरुआत की।
- 2015 में, सऊदी अरब ने यमनी सरकार को बहाल करने और हुथी प्रभाव को रोकने के लिए, संयुक्त अरब अमीरात सहित एक गठबंधन का नेतृत्व किया। समय के साथ, यह संघर्ष क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता, कई स्थानीय गुटों और गंभीर मानवीय संकट के कारण एक जटिल प्रॉक्सी युद्ध में बदल गया। इसके परिणामस्वरूप लाखों लोग विस्थापित हुए और देश की बड़ी आबादी बाहरी सहायता पर निर्भर हो गई।

सऊदी हवाई हमलों का तात्कालिक कारण:

- सऊदी अरब ने हाल के हमलों को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए उचित ठहराया और कहा कि यमन में संचालित हथियार शिपमेंट और सैन्य संपत्तियाँ उसकी सीमाओं को अस्थिर कर सकती हैं।
- रिपोर्टों के अनुसार, इन हमलों का संबंध दक्षिणी यमनी गुटों, विशेषकर दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद (STC) से जुड़े हथियारों के हस्तांतरण की चिंताओं से भी था, जिसे संयुक्त अरब अमीरात का

समर्थन प्राप्त है। यह घटना एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है, क्योंकि पहले यमन में एकमत रहने वाले सऊदी अरब और UAE अब देश के राजनीतिक भविष्य को लेकर अलग दृष्टिकोण रखते हैं।

क्षेत्रीय हितों का टकराव:

- ये हवाई हमले खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के भीतर बढ़ते टकराव को उजागर करते हैं। सऊदी अरब अपनी सीमाओं पर दीर्घकालिक अस्थिरता को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के तहत एक एकीकृत यमन को प्राथमिकता देता है।
- इसके विपरीत, संयुक्त अरब अमीरात STC का समर्थन करता है, जो दक्षिणी यमन के लिए अधिक स्वायत्तता या यहां तक कि स्वतंत्रता चाहता है। ये अलग-अलग हित हुथी विरोधी गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं और शांति वार्ता को जटिल बना रहे हैं, जिससे एक सुसंगत और एकीकृत राजनीतिक समाधान की संभावना कम हो गई है।

मानवीय और क्षेत्रीय प्रभाव:

- नए सिरे से सैन्य कार्रवाई से यमन के मानवीय संकट के बिगड़ने का खतरा है, जो पहले से ही दुनिया के सबसे बुरे संकटों में से एक है। बंदरगाहों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान से भोजन और ईंधन की आपूर्ति के प्रवाह को खतरा है, क्योंकि देश आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।
- क्षेत्रीय स्तर पर, यमन में अस्थिरता लाल सागर और बाब अल-मंडब समुद्री गलियारे को सीधे प्रभावित करती है, जो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। निरंतर अशांति की वृद्धि गैर-राज्य अभिनेताओं को भी बढ़ावा दे सकती है और इस क्षेत्र में ईरान के रणनीतिक प्रभाव का विस्तार कर सकती है।

आगे की राह:

- सऊदी अरब का यमन पर हमला क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था की नाजुकता और सैन्य समाधानों की सीमाओं को उजागर करता है। एक स्थायी शांति प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि:
  - » खाड़ी देशों, विशेष रूप से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव कम किया जाए।
  - » संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में सभी यमनी हितधारकों को शामिल करते हुए समावेशी शांति वार्ता आयोजित की जाए।
  - » मानवीय पहुंच, संघर्ष विराम प्रवर्तन और युद्धोपरांत पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी जाए।
- यदि इन उपायों के लिए नए कूटनीतिक प्रयास नहीं किए गए, तो यमन क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक व्यापार के लिए गंभीर परिणामों के साथ और अधिक अस्थिरता की ओर धकेल सकता है।

सोमालिलैंड का रणनीतिक महत्व

संदर्भ:

सोमालिया से अलग होकर 1991 में स्वयं को स्वतंत्र गणराज्य घोषित करने वाला सोमालिलैंड, दिसंबर 2025 में इज़राइल द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद पुनः वैश्विक ध्यान के केंद्र में आ गया है। इज़राइल ऐसा करने वाला पहला संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश है, जिसने औपचारिक रूप से सोमालिलैंड की स्वतंत्रता को मान्यता दी। सोमालिलैंड को लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली, फिर भी इसकी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति विशेषकर बाब-एल-मंदेब जलडमरूमध्य के निकटता ने इसे रेड सी और हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका की उभरती भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है।

सोमालिलैंड के बारे में:

- सोमालिलैंड, आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ़ सोमालिलैंड, हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका में स्थित एक स्वयं-घोषित संप्रभु राज्य है। यद्यपि इसकी अपनी सरकार, मुद्रा और सेना है तथा यह एक स्वतंत्र इकाई की तरह कार्य करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे सोमालिया का एक स्वायत्त क्षेत्र ही माना जाता है।

सोमालिलैंड का महत्व:

- सोमालिलैंड अदन की खाड़ी के किनारे स्थित है और यह विश्व के

सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक-पॉइंट्स में से एक, हिंद महासागर को रेड सी और स्वेज नहर से जोड़ने वाले मार्ग पर है। इस मार्ग से विश्व के लगभग 12% वैश्विक व्यापार का आवागमन होता है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति, वाणिज्यिक नौवहन और नौसैनिक अभियानों के लिए इसकी स्थिरता और पहुँच अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

- यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा रेड सी में जहाजों पर बढ़ते हमलों ने इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है।

बर्बेरा बंदरगाह और सैन्य अवसंरचना:

- सोमालिलैंड के रणनीतिक मूल्य के केंद्र में बर्बेरा बंदरगाह और हवाई पट्टी है, जिसे 2016 से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा दीर्घकालिक रियायत के तहत विकसित किया जा रहा है।
- इस प्रगति के बाद यह बंदरगाह बड़े नौसैनिक जहाजों, ड्रोन और सैन्य विमानों की मेज़बानी करने में सक्षम हो गया है, जिससे यह एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र से संभावित सैन्य लॉजिस्टिक्स बेस में परिवर्तित हो रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, यहाँ व्यापार-केंद्रित हितों से हटकर व्यापक सुरक्षा और शक्ति-प्रक्षेपण उद्देश्यों की ओर क्रमिक झुकाव देखा जा रहा है।

इज़राइल और यूएई की रुचि:

- इज़राइल के लिए, सोमालिलैंड यमन में हूती गतिविधियों की निगरानी और संभावित प्रतिक्रिया हेतु एक रणनीतिक मंच प्रदान करता है, जिससे रेड सी क्षेत्र में उसकी निगरानी और परिचालन क्षमता का विस्तार होता है। यह कदम अब्राहम समझौते के तहत इज़राइल– यूएई सुरक्षा सहयोग को भी पूरक करता है।
- यूएई ने औपचारिक मान्यता से इंकार करते हुए भी इज़राइल के इस कदम का विरोध नहीं किया है, क्योंकि वह संभावित कूटनीतिक लागत की तुलना में रणनीतिक पहुँच और सुरक्षा हितों को प्राथमिकता देता है।

क्षेत्रीय और वैश्विक प्रतिक्रियाएँ:

- सोमालिया ने इस मान्यता को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और यूएई के साथ समझौते रद्द कर दिए।
- तुर्की, जो सोमालिया का प्रमुख सहयोगी है, ने चिंता व्यक्त की कि क्षेत्रीय विखंडन उसके सैन्य और आर्थिक निवेशों को कमजोर कर सकता है।
- मिस्र ने ऐसे कदमों का विरोध किया जो रेड सी में उसके सुरक्षा हितों को प्रभावित कर सकते हैं।
- चीन ने सोमालिलैंड के ताइवान से संबंधों और इज़राइल के साथ उसके झुकाव के कारण इस विकास का विरोध किया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने इज़राइल के मान्यता देने के अधिकार का समर्थन किया, लेकिन क्षेत्रीय गठबंधनों और व्यापक भू-राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए स्वयं ऐसा करने में सावधानी बरती।

निष्कर्ष:

जैसे-जैसे रेड सी में असुरक्षा बढ़ती जा रही है और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा गहराती जा रही है, सोमालिलैंड का भविष्य संभवतः उसके लोकतांत्रिक प्रमाण-पत्रों से कम और इस बात से अधिक तय होगा कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियाँ सुरक्षा आवश्यकताओं को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मानकों के साथ कैसे संतुलित करती हैं।

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की भारत यात्रा

संदर्भ:

हाल ही में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ भारत की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। यह यात्रा भारत–जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष और राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुई। यह दौरा इस माह के अंत में प्रस्तावित भारत–यूरोपीय संघ (EU) शिखर सम्मेलन से पहले तथा रूस–यूक्रेन युद्ध और वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखलाओं के पुनर्संरेखण से उत्पन्न भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच संपन्न हुआ। यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ जर्मनी भारत का यूरोप में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अतः यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों से कहीं आगे व्यापक रणनीतिक महत्व रखती है।

यात्रा के प्रमुख परिणाम:

- दोनों देशों के मध्य 19 समझौतों और समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते भारत के रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक अभिसरण को दर्शाते हैं।

रणनीतिक और रक्षा सहयोग

- रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप पर संयुक्त आशय घोषणा (JDoI) पर हस्ताक्षर।
- सह-विकास, सह-उत्पादन, प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा निर्यात मंज़ूरियों में तेजी पर ज़ोर।
- पनडुब्बियों, काउंटर-यूएएस प्रणालियों, हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म, संयुक्त सैन्य अभ्यास और सुरक्षा परामर्श में जारी सहयोग।

रणनीतिक प्रासंगिकता:

- आत्मनिर्भर भारत और रक्षा स्वदेशीकरण को समर्थन।
- रूसी रक्षा आपूर्तियों पर भारत की अत्यधिक निर्भरता कम करने में सहायक।
- भारत के कुशल कार्यबल को जर्मनी की उन्नत रक्षा तकनीकों के साथ जोड़ना।

उच्च शिक्षा और वैश्विक कौशल साझेदारी

- उच्च शिक्षा सहयोग के लिए व्यापक रोडमैप को अपनाया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत जर्मनी को भारत में परिसर स्थापित करने का आमंत्रण।
- स्वास्थ्य पेशेवरों की गतिशीलता को सुगम बनाने हेतु वैश्विक कौशल साझेदारी (JDoI) की शुरुआत।
- स्कूलों, विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों में जर्मन भाषा शिक्षा का विस्तार।
- नवीकरणीय ऊर्जा में कौशल विकास हेतु भारत–जर्मनी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।

आर्थिक और व्यापारिक संबंध:

- 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब अमेरिकी डॉलर के पार, जो भारत–EU व्यापार का 25% से अधिक है।
- लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs), स्टार्टअप्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटलीकरण और आपूर्ति-श्रृंखला विविधीकरण में मज़बूत निवेश।
- जर्मन–इंडियन सीईओ फोरम के माध्यम से संस्थागत समर्थन।
- भारत–यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के शीघ्र निष्कर्ष पर बल।

महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियाँ:

- सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, दूरसंचार, एआई, स्वास्थ्य और जैव-अर्थव्यवस्था में सहयोग को सुदृढ़ करना।
- **प्रमुख पहलें:**
  - सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी
  - महत्वपूर्ण खनिज सहयोग ढाँचा
  - भारत–जर्मनी डिजिटल संवाद कार्य योजना (2026–27)
- **रणनीतिक उद्देश्य:** विश्वसनीय आपूर्ति-श्रृंखलाओं का निर्माण, डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना और चीन-केंद्रित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भरता कम करना।

जलवायु, ऊर्जा और सततता:

- नवीकरणीय ऊर्जा में भारत–जर्मनी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।
- ग्रीन हाइड्रोजन मेगा-परियोजनाओं, शहरी गतिशीलता और जलवायु कार्रवाई में सहयोग।
- ग्रीन और सतत विकास साझेदारी के तहत 2030 तक 10 अरब यूरो की जर्मनी की प्रतिबद्धता।

हिंद-प्रशांत और वैश्विक भू-राजनीति:

- मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत, UNCLOS और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि।
- इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव (IPOI) के तहत सहयोग।
- प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा, जिनमें शामिल हैं:
  - यूक्रेन युद्ध (संयुक्त राष्ट्र चार्टर-आधारित शांति का समर्थन)
  - ग़ाज़ा संघर्ष (दो-राज्य समाधान का समर्थन)
  - आतंकवाद (भारत में हुए हमलों की कड़ी निंदा)
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों के लिए समर्थन और G4 ढाँचे के तहत समन्वय।

निष्कर्ष:

जर्मन चांसलर मर्ज़ की यात्रा यूरोप की रणनीतिक सोच में भारत के बढ़ते

महत्व को रेखांकित करती है। आर्थिक, रक्षा, तकनीकी और जलवायु क्षेत्रों में सहयोग के गहराते दायरे के साथ-साथ, इस यात्रा ने तेज़ी से विकसित हो रही बहुध्रुवीय दुनिया में हितों के समन्वय की जटिलताओं को भी उजागर किया। कुल मिलाकर, इन परिणामों ने भारत–जर्मनी संबंधों को उल्लेखनीय रूप से मज़बूत किया है।

ईरान में विरोध प्रदर्शन

संदर्भ:

हाल ही में ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन बहुत जल्द सत्ता विरोधी आंदोलन में बदल गया। ये प्रदर्शन देश के सभी 31 प्रांतों में फैले हुए हैं और लगभग 180 शहरों के 512 से अधिक स्थानों पर हुए हैं, जिनमें तेहरान, मशहद, इस्फ़हान, शीराज़ और क़ुम जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। जनवरी 2026 तक जारी ये आंदोलन हाल के वर्षों में ईरान के सबसे बड़े जन-विद्रोह में से एक माने जा रहे हैं, जिनमें आर्थिक असंतोष, राजनीतिक विरोध और युवा पीढ़ी की सक्रिय भागीदारी का सम्मिलित रूप दिखाई देता है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार विरोध प्रदर्शनों में 3,117 लोग मारे गए, जिनमें 2,427 आम नागरिक और बाकी सुरक्षा बलों के सदस्य थे।

विरोध प्रदर्शनों के कारण:

इन प्रदर्शनों की जड़ें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक कारकों के जटिल अंतर्संबंध में निहित हैं:

- **राजनीतिक और शासन से जुड़े मुद्दे:**
  - **सत्तावाद और मानवाधिकार उल्लंघन:** नागरिक राजनीतिक दमन और संस्थागत भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।
  - **अनिवार्य हिजाब और धार्मिक प्रतिबंध:** विशेषकर युवा वर्ग ने कठोर धार्मिक नियमों और लैंगिक प्रतिबंधों के विरुद्ध असहमति व्यक्त की है।
  - **इंटरनेट सेंसरशिप और ब्लैकआउट:** सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के सरकारी प्रयासों ने जनता के अविश्वास को बढ़ाया और ऑनलाइन सक्रियता को प्रोत्साहित किया।
  - **जातीय और वैचारिक तनाव:** हाशिये पर मौजूद जातीय और धार्मिक समूहों ने व्यापक सुधार की मांगों के साथ अपने मुद्दों को और मुखर किया है।
- **आर्थिक शिकायतें:**
  - **मुद्रा संकट:** ईरानी रियाल के तीव्र अवमूल्यन से महंगाई बढ़ी है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं।
  - **आर्थिक कुप्रबंधन:** दशकों से चले आ रहे वित्तीय कुप्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने खाद्य, ऊर्जा और जल की कमी को और गंभीर बना दिया है।
  - **आम नागरिकों और व्यापारियों पर प्रभाव:** बाज़ार के व्यापारियों ने हड़तालें और दुकानों को बंद कर विरोध जताया है, जो मौजूदा आर्थिक नीतियों के प्रति व्यापक असंतोष को दर्शाता है।
- **पीढ़ीगत और सामाजिक कारक:**
  - **जेन-ज़ी (Gen Z) की सक्रियता:** वैश्विक सामाजिक आंदोलनों से प्रेरित युवा ईरानी सांस्कृतिक मानदंडों और राजनीतिक सत्ता, दोनों को चुनौती दे रहे हैं।
  - **शहरी और छात्र आंदोलन:** तेहरान जैसे शहरों में छात्रों और शहरी युवाओं के नेतृत्व में छतों से नारे, मार्च और डिजिटल अभियानों का आयोजन हुआ है।

प्रभाव:

- **घरेलू प्रभाव:**
  - निरंतर अशांति राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है और धार्मिक-शासन व्यवस्था की टिकाऊपन को चुनौती दे सकती है।
  - हड़तालों, व्यापार बाधाओं और आर्थिक अवरोधों से घरेलू कठिनाइयाँ और बढ़ी हैं।
  - पीढ़ी-प्रेरित विरोध सामाजिक उदारीकरण और राजनीतिक सुधार की बढ़ती मांगों को रेखांकित करते हैं।
- **क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव:**
  - ये विरोध पश्चिम एशिया में ईरान की विदेश नीति, विशेषकर सीरिया, इराक और यमन में उसके प्रॉक्सी जुड़ाव, को प्रभावित कर सकते हैं।
  - आंतरिक अस्थिरता वैश्विक तेल बाज़ारों पर असर डाल सकती है, क्योंकि ऊर्जा निर्यात में ईरान की रणनीतिक भूमिका है।
  - अंतरराष्ट्रीय समुदाय मानवाधिकार चिंताओं और भू-राजनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाते हुए अपनी सहभागिता रणनीतियों की पुनर्समीक्षा कर सकता है।

भारत के लिए निहितार्थ:

- भारत के ईरान के साथ रणनीतिक हित जुड़े हैं, विशेषकर चाबहार

बंदरगाह, जो अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक जारी अशांति से बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ और व्यापारिक लॉजिस्टिक्स प्रभावित हो सकते हैं।

- कूटनीतिक स्तर पर भारत को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। ईरान के साथ संबंध बनाए रखते हुए इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को भी साधे रखना होगा।

वैश्विक प्रभाव:

- **क्षेत्रीय सुरक्षा:** बढ़ते तनाव से मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलने का डर है, विशेषकर अमेरिकी और इज़राइली संलिप्तता की पृष्ठभूमि में।
- **ऊर्जा बाज़ार:** तेल निर्यात में ईरान की महत्वपूर्ण भूमिका अस्थिरता के दौर में वैश्विक कीमतों को प्रभावित कर सकती है।
- **मानवाधिकार:** राज्य की कठोर कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय आलोचना को जन्म दिया है, जिससे जनआंदोलनों पर सत्तावादी प्रतिक्रियाओं को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं।

निष्कर्ष:

2025–26 के ईरानी विरोध प्रदर्शन, 2022 के महसा अमीनी आंदोलन के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट, राजनीतिक असंतोष और पीढ़ीगत असंतुलन के संगम का प्रतीक हैं। यद्यपि इनकी उत्पत्ति आंतरिक है, लेकिन इनके क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव व्यापक हैं, जो राज्य संप्रभुता, मानवाधिकार और भू-राजनीतिक हितों के बीच संतुलन को चुनौती देते हैं। भारत के लिए, विवेकपूर्ण कूटनीति तथा ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों पर सतत निगरानी अत्यंत आवश्यक बनी रहेगी।

पैक्स सिलिका पहल

संदर्भ:

हाल ही में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण प्राप्त हुआ है। यह पहल सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, उन्नत विनिर्माण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और सुदृढ़ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के उद्देश्य से स्थापित एक रणनीतिक साझेदारी है।

पैक्स सिलिका के बारे में:

- पैक्स सिलिका संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में प्रारंभ की गई एक रणनीतिक पहल है, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2025 में की गई थी। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना, उन्नत विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिजों तथा लॉजिस्टिक्स जैसी आधारभूत और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के लिए सुरक्षित, सुदृढ़ और नवाचार-आधारित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास करना है।
- यह पहल तथाकथित "अनिवार्य निर्भरता" को कम करने का प्रयास करती है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहाँ किसी एक देश या सीमित स्रोतों (जैसे चीन) पर अत्यधिक निर्भरता बनी रहती है। इसके साथ ही, यह भरोसेमंद और समान विचारधारा वाले साझेदार देशों के बीच प्रौद्योगिकी आपूर्ति नेटवर्क के विविधीकरण और सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल देती है।
- इस पहल का नाम 'पैक्स' (अर्थात् शांति और स्थिरता) तथा 'सिलिका' (जो सिलिकॉन चिप्स का मूलभूत पदार्थ है) शब्दों के संयोजन से लिया गया है, जो इसके व्यापक रणनीतिक और तकनीकी उद्देश्य को दर्शाता है।

भू-राजनीतिक संदर्भ:

- पैक्स सिलिका, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोगी एवं समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में प्रभावशाली उत्पादक देशों, विशेष रूप से चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने से संबंधित संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यापक रणनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है।
- इस पहल में भाग लेने वाले देशों में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर,

नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात तथा ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

- भारत को इस पहल में आमंत्रित किया जाना वैश्विक प्रौद्योगिकी शासन ढाँचों में उसकी बढ़ती और गहन भागीदारी को दर्शाता है तथा यह संकेत करता है कि भारत भरोसेमंद, सुदृढ़ और विविधीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण में एक उभरती हुई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारत के लिए प्रभाव:

- **प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन:** पैक्स सिलिका पहल में भारत की भागीदारी से सेमीकंडक्टर विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मंचों, महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण तथा उन्नत आपूर्ति-श्रृंखला अवसंरचना में निवेश को नई गति मिल सकती है। इसके माध्यम से भारत की घरेलू तकनीकी क्षमताओं को उभरती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने में भी सहायता प्राप्त होगी।
- **रणनीतिक विविधीकरण:** इस पहल से भारत की भू-राजनीतिक साझेदारियों का दायरा और अधिक विस्तृत होगा। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग को गहराई मिलेगी, जबकि यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के अनुरूप भी बना रहेगा।
- **आर्थिक एकीकरण और नवाचार को बल:** यह पहल भारत को उच्च-मूल्य वाली वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रणालियों से अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने में सहायक हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुदृढ़ता बढ़ेगी तथा भारत नवाचार और उन्नत तकनीकी विकास के एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मज़बूत कर सकेगा।

निष्कर्ष:

पैक्स सिलिका पहल में भारत को दिया गया निमंत्रण वैश्विक प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण आपूर्ति-श्रृंखला व्यवस्था में उसकी स्थिति का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समर्थन है। यह भारत की उस क्षमता में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है, जिसके माध्यम से वह सुरक्षित और विविध प्रौद्योगिकी नेटवर्क में योगदान दे सकता है, साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को भी आगे बढ़ा सकता है। जैसे-जैसे वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज़ हो रही है, भारत की भूमिका एक सहयोगी भागीदार और एक संप्रभु तकनीकी शक्ति, दोनों रूपों में आने वाले समय में और अधिक विस्तृत होती जाएगी।

ग़ाज़ा शांति योजना का दूसरा चरण

संदर्भ:

हाल ही में ग़ाज़ा युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका समर्थित शांति योजना अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। यह चरण ऐसे समय शुरू हुआ है जब इज़राइल और हमास के बीच कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर मतभेद अब भी बने हुए हैं। इनमें हथियारों का त्याग (निरस्त्रीकरण) और युद्ध के बाद ग़ाज़ा की प्रशासनिक व्यवस्था सबसे प्रमुख विषय हैं। इस योजना का लक्ष्य केवल तत्काल युद्धविराम तक सीमित न रहकर, ग़ाज़ा में दीर्घकालिक शासन व्यवस्था, पुनर्निर्माण और स्थिरता को सुनिश्चित करना है।

पृष्ठभूमि:

- ग़ाज़ा संघर्ष, लंबे समय से चले आ रहे इज़राइल–फिलिस्तीन विवाद का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसकी जड़ें 1948 में इज़राइल की स्थापना और उसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों के विस्थापन में निहित हैं।
- वर्ष 2007 में हमास द्वारा ग़ाज़ा पर नियंत्रण स्थापित किए जाने के बाद यह क्षेत्र और अधिक अस्थिर तथा संवेदनशील हो गया। इसके चलते इज़राइल और मिस्र ने ग़ाज़ा पर नाकेबंदी लागू की, जिससे लोगों की आवाजाही और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर कड़ा प्रतिबंध लगा।
- संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 से हमास के इज़राइल पर व्यापक हमले से गंभीर रूप से और तेज हो गया जिनमें 1,200 से अधिक लोगों की जान गई और अनेक लोगों को बंधक बना लिया गया।
- इसके प्रत्युत्तर में इज़राइल ने 'ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स' आरंभ किया, जिसके परिणामस्वरूप ग़ाज़ा में बड़े पैमाने पर जनहानि, बुनियादी ढांचे का विनाश और मानवीय संकट उत्पन्न हुआ।

पहले चरण के बारे में:

- पहला चरण अक्टूबर 2025 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था:
  - » एक अस्थायी युद्धविराम स्थापित करना
  - » ग़ाज़ा में मानवीय सहायता की आपूर्ति सुनिश्चित करना
  - » बंधकों की रिहाई कराना
- इस चरण के दौरान अधिकांश बंधकों को रिहा कर दिया गया, किंतु रान ग्विली के अवशेषों की वापसी न हो पाने के कारण दूसरे चरण की शुरुआत और उसकी समय-सीमा को लेकर तनाव बना रहा।

- युद्धविराम के बावजूद उल्लंघन की घटनाएँ होती रहीं, जिससे दोनों पक्षों में जनहानि की खबरें सामने आईं। मानवीय सहायता अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सकी, परिणामस्वरूप भोजन, दवाइयों और ईंधन की कमी और अधिक गंभीर हो गई तथा ग़ाज़ा में मानवीय संकट लगातार गहराता चला गया।

दूसरे चरण के बारे में:

- दूसरे चरण के तहत ग़ाज़ा के प्रशासन की ज़िम्मेदारी संभालने के लिए 15 सदस्यीय एक फिलिस्तीनी तकनीकी समिति का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व अली शाअथ कर रहे हैं। इस समिति का मुख्य कार्य ग़ाज़ा में दैनिक प्रशासन को सुचारु रूप से चलाना, युद्ध से क्षतिग्रस्त ढांचे के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और आम नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
- इस पूरी व्यवस्था की निगरानी 'शांति परिषद' के माध्यम से की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई प्रमुख हस्तियाँ इस प्रक्रिया को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करेंगी। योजना के अंतर्गत एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल के गठन का भी प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षण देना, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना और क्षेत्र में समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा।

चुनौतियाँ:

- **निरस्त्रीकरण:** हमास पूर्ण रूप से हथियार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इसे इज़राइल अपनी सुरक्षा से जुड़ी सबसे अहम शर्त मानता है।
- **सेना की वापसी:** इज़राइल ने ग़ाज़ा से अपने सैनिकों की पूर्ण और चरणबद्ध वापसी को लेकर अब तक कोई स्पष्ट समय-सीमा घोषित नहीं की है।
- **मानवीय संकट:** ग़ाज़ा में 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनी गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं। भोजन, स्वच्छ पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है, जबकि लगभग 90% आबादी अब भी विस्थापन की स्थिति में है।
- **राजनीतिक अविश्वास:** दशकों से चले आ रहे मतभेद, हिंसा और आपसी अविश्वास के कारण मेल-मिलाप की प्रक्रिया कठिन बनी हुई है, जिससे स्थायी और प्रभावी शासन व्यवस्था स्थापित करने में बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं।

निष्कर्ष:

दूसरा चरण अल्पकालिक युद्धविराम से आगे बढ़कर दीर्घकालिक शासन और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसकी सफलता निरंतर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता, आपसी विश्वास और सुरक्षा व राजनीतिक विवादों के समाधान पर निर्भर करेगी। यदि इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ, तो ग़ाज़ा में पुनर्निर्माण और स्थायी शांति अस्थिर बनी रह सकती है। यह स्थिति लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों को सुलझाने की जटिलताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026

संदर्भ:

हाल ही में भारत को जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक (Responsible Nations Index) 2026 में 154 देशों में 16वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक इस बात का मूल्यांकन करता है कि कोई राष्ट्र अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग अपने नागरिकों, पर्यावरण तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति कितनी जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ करता है।

जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक (RNI) 2026 के बारे में:

- जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक का विकास विश्व बौद्धिक फाउंडेशन द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान, मुंबई और डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र के सहयोग से किया गया है। यह भारत का पहला ऐसा वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त सूचकांक है, जो नैतिक मूल्यों, जिम्मेदार शासन और सतत विकास की अवधारणा

पर आधारित है।

- यह सूचकांक 154 देशों को सम्मिलित करता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध, विश्वसनीय एवं पारदर्शी आंकड़ों के आधार पर देशों के आचरण का विश्लेषण करता है। इसमें यह देखा जाता है कि देश अपने नागरिकों के अधिकारों और कल्याण का संरक्षण कैसे करते हैं, पर्यावरण का प्रबंधन किस प्रकार करते हैं तथा वैश्विक शांति, स्थिरता और सहयोग में कितना योगदान देते हैं।
- इस सूचकांक की मूल अवधारणा यह है कि जिम्मेदारी के बिना प्राप्त समृद्धि दीर्घकाल तक टिकाऊ नहीं हो सकती, इसलिए यह समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक ढाँचा प्रदान करता है।

संरचना और कार्यप्रणाली:

- यह सूचकांक तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:
  - **आंतरिक जिम्मेदारी:** नागरिकों की गरिमा, जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति राष्ट्र की जिम्मेदारियों का आकलन।
  - **पर्यावरणीय जिम्मेदारी:** पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और जलवायु से जुड़े प्रयासों की समीक्षा।
  - **बाह्य जिम्मेदारी:** अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में देश के आचरण, सहयोग और वैश्विक योगदान का मूल्यांकन।
- इन तीनों स्तंभों का विश्लेषण सात आयामों के माध्यम से किया जाता है: जीवन की गुणवत्ता, शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रदर्शन, पर्यावरण संरक्षण, शांति स्थापना तथा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध।

जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 के प्रमुख निष्कर्ष:

- **शीर्ष देश:** इस सूचकांक के पहले संस्करण में सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि स्विट्ज़रलैंड और डेनमार्क क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- **भारत की स्थिति:** भारत 16वें स्थान पर है और उसने संयुक्त राज्य अमेरिका (66वाँ), चीन (68वाँ), फ्रांस तथा जापान (38वाँ) जैसे कई प्रमुख आर्थिक शक्तियों को पीछे छोड़ दिया है।
- **आर्थिक शक्ति बनाम जिम्मेदारी:** रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि केवल आर्थिक समृद्धि या धन-संपदा अपने आप में जिम्मेदार राष्ट्रीय व्यवहार की गारंटी नहीं होती। कई विकासशील देशों ने सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में समृद्ध देशों से बेहतर प्रदर्शन किया है।
- **अन्य प्रमुख देश:** जापान (38), यूनाइटेड किंगडम (25), ब्राज़ील (81), दक्षिण अफ्रीका (88) और मैक्सिको (70) स्थान पर हैं, जबकि उत्तर कोरिया को 146वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

महत्त्व:

- **नेतृत्व की नई परिभाषा:** यह सूचकांक वैश्विक नेतृत्व की अवधारणा को केवल शक्ति और प्रभुत्व से हटाकर जिम्मेदारी और नैतिकता के केंद्र में लाता है।
- **जवाबदेही को बढ़ावा:** शासन और सतत विकास में मौजूद कमियों को उजागर करके यह देशों को सामाजिक सुधार, मजबूत पर्यावरण नीतियाँ और शांतिपूर्ण कूटनीति अपनाने के लिए प्रेरित करता है।
- **नैतिक शासन को प्रोत्साहन:** “वसुधैव कुटुंबकम” अर्थात “पूरा विश्व एक परिवार है” की भावना के अनुरूप यह सूचकांक वैश्विक एकजुटता, न्याय और पर्यावरण संरक्षण के मूल्यों को प्रदर्शित करता है।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय सफलता को प्रभुत्व और शक्ति के बजाय जिम्मेदारी, नैतिकता और सतत विकास के आधार पर परिभाषित करके जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक दुनिया भर की सरकारों को अधिक संवेदनशील, समावेशी और दीर्घकालिक दृष्टि अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ये मूल्य और सिद्धांत भारत की दीर्घकालिक नीतिगत सोच और वैश्विक दृष्टिकोण से भी गहराई से जुड़े हुए हैं।

भारत–यूएई संबंध

संदर्भः

हाल ही में 19 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान अति संक्षिप्त दौरे में भारत आये। भारत के प्रधानमंत्री के साथ नई दिल्ली में उनकी बैठक हुई। इस बैठक में परमाणु ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग तथा आर्थिक संबंधों को विस्तार देने पर चर्चा हुई, जो दोनों देशों के बीच गहराते रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है।

बैठक में सहयोग के प्रमुख क्षेत्रः

- **ऊर्जा सुरक्षाः** दोनों देश ने 10-वर्षीय एलएनजी आपूर्ति समझौता किया, जिसके अंतर्गत ADNOC गैस वर्ष 2028 से भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) को प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगी। यह भारत के लिए यूएई की एक प्रमुख ऊर्जा भागीदार के रूप में भूमिका को और सुदृढ़ करता है।
- **परमाणु सहयोगः** दोनों देशों ने उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों, जिनमें बड़े परमाणु रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) शामिल हैं, में सहयोग की संभावनाओं पर सहमति व्यक्त की। यह सहयोग भारत के शांति (SHANTI) कानून द्वारा संभव हुआ है, जो असैन्य परमाणु क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सक्षम बनाता है।
- **एआई और डिजिटल अवसंरचनाः** एआई, डेटा और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग को प्राथमिकता दी गई। चर्चाओं में भारत में सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर की स्थापना, डेटा सेंटरों में यूएई निवेश, तथा डिजिटल दूतावासों की अवधारणा शामिल रही, जिससे डिजिटल संप्रभु अवसंरचना सुनिश्चित की जा सके। यूएई ने AI इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए भारत को समर्थन देने की भी घोषणा की।
- **रक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोगः** बैठक के परिणामस्वरूप रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर आशय-पत्र (Letter of Intent) जारी किया गया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद की निंदा की और आतंकवादी वित्तपोषण तथा धन शोधन से निपटने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) जैसे अंतरराष्ट्रीय तंत्रों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
- **व्यापार, निवेश और एमएसएमईः** 200 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य के अतिरिक्त, दोनों पक्षों ने धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में यूएई की भागीदारी सहित रणनीतिक निवेशों की समीक्षा की। भारत मार्ट, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और भारत-अफ्रीका सेतु जैसी पहलों को क्षेत्रों के बीच एमएसएमई संपर्क मजबूत करने हेतु रेखांकित किया गया।
- **अंतरिक्ष, खाद्य सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधः** भारत और यूएई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग गहरा करने, सुदृढ़ खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास तथा जन-जन के बीच संपर्क बढ़ाने पर सहमति जताई। इसमें अबू धाबी में "हाउस ऑफ इंडिया" की स्थापना की योजना भी शामिल है।

भारत-यूएई संबंधों के बारे में:

- **ऐतिहासिक और कूटनीतिक आधारः** भारत और यूएई के बीच 1972 से राजनयिक संबंध हैं, जिन्हें नियमित उच्च-स्तरीय संवाद और बढ़ती रणनीतिक समानता का समर्थन प्राप्त है। समय के साथ यह संबंध पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर ऊर्जा, निवेश, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और प्रवासी भारतीय संपर्कों तक विस्तारित हो गए हैं।
- **व्यापक रणनीतिक सहभागिताः** इस साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है, जो क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और वैश्विक शासन में सहयोग जैसे साझा हितों को प्रतिबिंबित करता है। खाड़ी क्षेत्र में भारत की भूमिका तथा मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए यूएई का प्रवेश-द्वार के रूप में महत्व इस

साझेदारी को और मजबूती प्रदान करता है।

- **आर्थिक और व्यापारिक एकीकरण:** 2022 में भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के बाद आर्थिक संबंधों में तेज़ी आई है, जिससे शुल्कों में कमी और बाजार पहुँच का विस्तार हुआ। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है। हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है और दोनों देशों ने इसे 2032 तक 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

निष्कर्ष:

भारत-यूएई के बीच हुई संक्षिप्त किंतु सारगर्भित बैठक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और संस्कृति में फैली भारत–यूएई की बहुआयामी साझेदारी को रेखांकित करती है। परमाणु सहयोग, एआई और आतंकवाद-रोधी प्रयासों पर दिया गया जोर एक परिपक्व रणनीतिक गठबंधन को दर्शाता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और साझा समृद्धि को समर्थन देता है। भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता के दौरान इस साझेदारी के और सुदृढ़ होने की संभावना है, जिससे भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका और मजबूत होगी।

इंडो-पैसिफिक महासागर पहल में शामिल हुआ स्पेन

संदर्भ:

हाल ही में स्पेन औपचारिक रूप से इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (आईपीओआई) में शामिल हुआ है। यह भारत के नेतृत्व में शुरू की गई समुद्री सहयोग की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे भारत–स्पेन रणनीतिक संबंधों में एक नया आयाम जुड़ गया। यह घटनाक्रम वर्ष 2026 में भारत और स्पेन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने का भी अवसर है। इसी संदर्भ में भारत–स्पेन द्विपक्षीय सांस्कृतिक, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष की शुरुआत भी की गई है, जो दोनों देशों के संबंधों की व्यापक और बहुआयामी प्रकृति को दर्शाता है।

इंडो-पैसिफिक महासागर पहल के बारे में:

- इंडो-पैसिफिक महासागर पहल की शुरुआत भारत द्वारा नवंबर 2019 में बैंकॉक में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। यह एक गैर-संधि आधारित और स्वैच्छिक ढांचा है, जिसका उद्देश्य समान सोच रखने वाले देशों के बीच व्यावहारिक और परिणामोन्मुख सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला, समावेशी और नियम-आधारित बनाया जा सके।
- इसके प्रमुख विषयगत स्तंभों में समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग, तथा व्यापार और संपर्क जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।
- यह पहल भारत की सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) की दृष्टि पर आधारित है तथा समुद्री स्थिरता, सतत विकास और क्षमता निर्माण के लिए साझा जिम्मेदारी पर जोर देती है। इसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ाना है, न कि किसी प्रकार के औपचारिक सैन्य गठबंधन का गठन करना।

आईपीओआई में स्पेन के शामिल होने का महत्व:

- **रणनीतिक सामंजस्य:** स्पेन की भागीदारी भारत की इंडो-पैसिफिक दृष्टि के प्रति उसके समर्थन को दर्शाती है तथा नौवहन की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
- **बहुपक्षवाद:** यह पहल गठबंधन-आधारित सुरक्षा ढांचों के बजाय सहयोगात्मक, समावेशी और बहुपक्षीय दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
- **यूरोपीय संघ का आयाम:** इससे इंडो-पैसिफिक मामलों में भारत और यूरोपीय देशों के बीच सहभागिता बढ़ती है तथा भारत–यूरोपीय संघ रणनीतिक सहयोग को नई गति मिलती है।
- **समुद्री प्रशासन:** समुद्री सततता, आपदा प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों के लिए नए अवसर सृजित होते हैं।

भारत–स्पेन संबंध के बारे में:

- **राजनयिक संबंध:**
  - भारत और स्पेन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी।
  - भारत का राजनयिक मिशन मैड्रिड में 1958 में खोला गया तथा 1965 में पहले स्थायी भारतीय राजदूत की नियुक्ति की गई।
  - दोनों देशों के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास पर आधारित रहे हैं तथा सामान्यतः सौहार्दपूर्ण और स्थिर बने हुए हैं।
- **आर्थिक और व्यापारिक संबंध:**
  - स्पेन, यूरोपीय संघ में भारत का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
  - वर्ष 2017–18 में द्विपक्षीय व्यापार का कुल मूल्य लगभग 5.66 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारत को व्यापार अधिशेष प्राप्त हुआ।
  - भारत के प्रमुख निर्यातों में वस्त्र, जैविक रसायन, लोहा एवं इस्पात, समुद्री खाद्य उत्पाद, वाहन तथा चमड़े के उत्पाद शामिल हैं।
  - भारत के प्रमुख आयातों में यांत्रिक उपकरण, विद्युत मशीनरी, रसायन, प्लास्टिक और खनिज ईंधन प्रमुख हैं।

निष्कर्ष:

इंडो-पैसिफिक महासागर पहल में स्पेन की भागीदारी भारत–स्पेन संबंधों के साथ-साथ स्थिर और सुरक्षित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए वैश्विक सहयोग के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सुरक्षा, बहुपक्षवाद और समुद्री प्रशासन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़ते सामंजस्य को दर्शाती है तथा क्षेत्रीय सहयोग में भारत की एक प्रमुख और जिम्मेदार भूमिका को रेखांकित करती है। जैसे-जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार होगा, इंडो-पैसिफिक महासागर पहल में स्पेन की सहभागिता एक स्वतंत्र, खुली और नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में साझा हितों को और मजबूत करेगी।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता

संदर्भ:

हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच लगभग दो दशकों तक चली गहन और जटिल वार्ताओं के बाद एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया गया है।

समझौते की प्रमुख विशेषताएँ:

- **वस्तुओं पर शुल्क में कटौती:**
  - व्यापार मूल्य के आधार पर लगभग 96 से 99 प्रतिशत वस्तुओं पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को चरणबद्ध रूप से कम किया जाएगा अथवा पूरी तरह समाप्त किया जाएगा।
  - यूरोपीय संघ में निर्मित वाहनों पर वर्तमान में लगने वाला आयात शुल्क, जो 110 प्रतिशत तक है, उसे कोटा सीमा के अंतर्गत घटाकर लगभग 10 प्रतिशत तक किया जा सकता है।
  - वाइन, बीयर और जैतून के तेल जैसे उत्पादों पर भी शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की जाएगी।
- **सेवा क्षेत्र में उदारीकरण:**
  - यूरोपीय कंपनियों को वित्तीय सेवाओं, समुद्री सेवाओं तथा अन्य चुनिंदा सेवा क्षेत्रों में भारत के बाजार तक अधिक व्यापक और सुगम पहुँच प्राप्त होगी।
- **अपवाद और सुरक्षा प्रावधान:**
  - घरेलू उत्पादकों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए कुछ संवेदनशील कृषि उत्पादों, जैसे चीनी और चयनित दुग्ध उत्पादों को इस समझौते के दायरे से बाहर रखा गया है।

पृष्ठभूमि:

- भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते का प्रस्ताव पहली बार वर्ष 2007 में रखा गया था। किंतु बाजार पहुँच, शुल्क दरों और गैर-शुल्क बाधाओं को लेकर दोनों पक्षों के बीच गहरे मतभेद होने के कारण वार्ताएँ कई वर्षों तक ठप रहीं।
- दोनों पक्षों की अपेक्षाओं में बड़े अंतर के चलते एक दशक से अधिक समय तक कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। वर्ष 2022 में नए राजनीतिक उत्साह और आपसी समझ के साथ बातचीत पुनः आरंभ हुई, जिसका परिणाम वर्ष 2026 में एक राजनीतिक समझौते के रूप में सामने आया।

लाभ और प्रभाव:

- **भारत के लिए:**
  - **निर्यात में वृद्धि:** वस्त्र, चमड़ा, रसायन, रत्न एवं आभूषण तथा समुद्री उत्पाद जैसे भारतीय क्षेत्रों को यूरोपीय बाजारों में बेहतर पहुँच प्राप्त होगी, जिससे निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।

- » **प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार:** यूरोपीय संघ द्वारा शुल्क घटाए जाने से भारतीय उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और बांग्लादेश तथा वियतनाम जैसे देशों के कारण खोई हुई बाजार हिस्सेदारी को पुनः प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- » **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से गहरा जुड़ाव:** यूरोप की उन्नत तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट्स तक बेहतर पहुँच से भारत की विनिर्माण क्षमता मजबूत होगी तथा निर्यात प्रदर्शन में सुधार आएगा।
- » **सेवाएँ और निवेश प्रवाह:** भारतीय कंपनियों को यूरोपीय सेवा बाजारों में नए अवसर मिलेंगे, वहीं भारत की तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था में यूरोपीय निवेश के बढ़ने की भी प्रबल संभावना है।

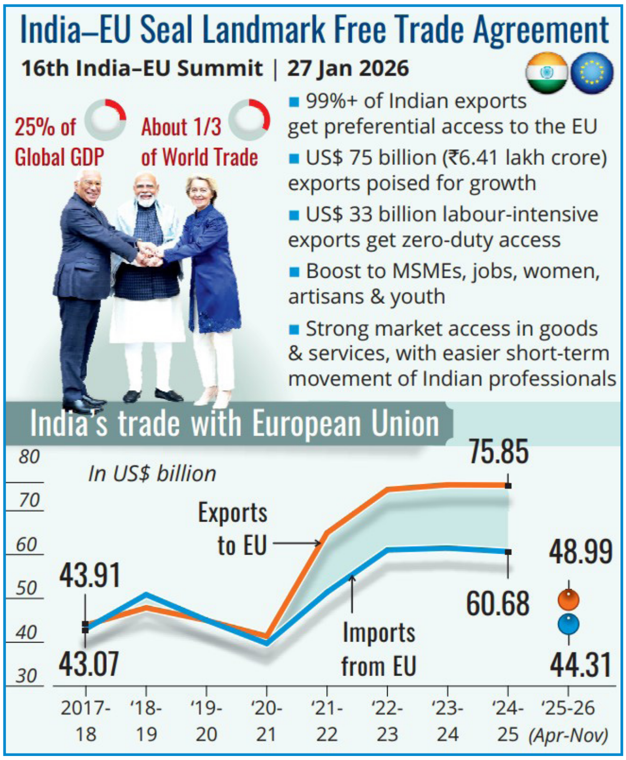

- **यूरोपीय संघ के लिए:**
  - » **भारत के विशाल बाजार तक पहुँच:** यूरोपीय संघ को लगभग 1.4 अरब की आबादी वाले, तेजी से बढ़ते भारतीय उपभोक्ता बाजार में व्यापक पहुँच प्राप्त होगी।
  - » **निर्यात में वृद्धि और शुल्क बचत:** व्यापार बाधाएँ कम होने से यूरोपीय निर्यातकों को प्रति वर्ष लगभग 4 अरब यूरो की शुल्क बचत होने का अनुमान है।
  - » **सेवा क्षेत्र में लाभ और नियामकीय सहयोग:** मजबूत बौद्धिक संपदा संरक्षण और वित्तीय व पेशेवर सेवाओं में आसान बाजार प्रवेश से यूरोपीय कंपनियों को उल्लेखनीय लाभ होगा।

रणनीतिक और भू-राजनीतिक प्रभाव:

- यह समझौता वैश्विक व्यापार तनावों और कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते संरक्षणवाद के बीच भारत की व्यापार विविधीकरण रणनीति को मजबूती प्रदान करता है।
- यह समझौता ऐसे समय में भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का संकेत देता है, जब वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है।

चुनौतियाँ और विचारणीय बिंदु:

- **अनुमोदन प्रक्रिया:** समझौते के प्रभावी होने से पूर्व इसे यूरोपीय संघ के सदस्य देशों तथा भारत की संबंधित विधायी और प्रशासनिक संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- **कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता:** कृषि क्षेत्र में सीमित उदारीकरण घरेलू राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वास्तविकताओं को दर्शाता है।
- **समायोजन का दबाव:** कुछ भारतीय उद्योगों पर यूरोपीय आयात के कारण अल्पकालिक प्रतिस्पर्धात्मक दबाव उत्पन्न हो सकता है, जिसके समाधान हेतु सहायक और संतुलित नीतिगत उपाय आवश्यक होंगे।

निष्कर्ष:

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता व्यापार और कूटनीति के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह भारत की निर्यात क्षमता, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ करता है, वहीं यूरोपीय संघ के लिए विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक के द्वार खोलता है। एक बार अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यह समझौता आने वाले दशक में वैश्विक व्यापार प्रवाह, आर्थिक रणनीतियों और भू-राजनीतिक संतुलनों को नई दिशा देने की क्षमता रखता है।

जल संरक्षण और सुरक्षा: नीति, नवाचार और व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता

सन्दर्भ:

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (UNU-INWEH) द्वारा जनवरी 2026 में जारी नवीनतम रिपोर्ट, "ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी: लिविंग बियॉन्ड आवर हाइड्रोलॉजिकल मीन्स" वैश्विक जल सुरक्षा के विमर्श में एक बड़ा परिवर्तन का संकेत देती है। यह रिपोर्ट 'जल संकट' की पारंपरिक और अस्थायी धारणा को बदलते हुए 'जल दिवालियापन' (Water Bankruptcy) जैसी गंभीर संकट को केंद्र में रखता है। जल दिवालियापन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी राष्ट्र का वार्षिक जल निष्कर्षण उसके प्राकृतिक पुनर्भरण (Natural Recharge) की क्षमता से निरंतर अधिक बना रहता है, जिसके परिणामस्वरूप पारिस्थितिक स्रोत्र का अपूरणीय क्षय होता है। भारत, विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है जो वैश्विक भूजल निष्कर्षण का लगभग 25% से अधिक हिस्सा उपयोग करता है। यह रिपोर्ट भारत के लिए एक गंभीर चेतावनी देती है।

जल दिवालियापन की अवधारणा:

- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट इस अवधारणा को दो प्रमुख सिद्धांतों के माध्यम से विश्लेषित करती है:
  - » **जल-विज्ञान दिवालियापन (Hydrological Insolvency):** यह आर्थिक दिवालियापन के समानांतर एक स्थिति है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी आय से अधिक व्यय करके ऋण के जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार 'हाइड्रोलॉजिकल आय' (वर्षा और प्राकृतिक स्रोत) से अधिक जल का उपभोग करते हैं, तो भूजल के 'मूलधन' (Principal Capital) को समाप्त करने लगते हैं। यह भविष्य की पीढ़ियों की जल सततता का दोहन है।
  - » **अपरिवर्तनीयता (Irreversibility):** जल दिवालियापन का सर्वाधिक घातक पक्ष इसकी अपरिवर्तनीय प्रकृति है। अत्यधिक दोहन के कारण जब भूगर्भीय एक्विफर्स (Aquifers) की संरचना ढह (Collapse) जाती है या सदियों पुराने ग्लेशियर पूर्णतः विलीन हो जाते हैं, तो उन्हें पुनः प्राप्त करना असंभव होता है। यह पारिस्थितिक पूंजी की स्थायी हानि है जिसे आर्थिक निवेश से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में जल पर निर्भरता और संकट:

- भारत की जल सुरक्षा और अर्थव्यवस्था अनिवार्य रूप से भूजल पर निर्भर है। भारत की कुल सिंचाई आवश्यकताओं का लगभग 62% भाग भूजल संसाधनों से ही पूर्ण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 85% पेयजल आपूर्ति और तीव्र शहरीकरण के बीच शहरी जल मांग का 50% भाग भूजल पर टिका है।
- बढ़ती जनसंख्या, कृषि की सघनता और अनियंत्रित औद्योगिक विस्तार ने भारत के भूजल भंडार को एक गंभीर की स्थिति में ला दिया है। सिंधु-गंगा के मैदानी भाग, जिन्हें कभी जल-समृद्ध माना जाता था, अब जल संकट के वैश्विक हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किए जा रहे हैं। यहाँ भूजल का स्तर प्रतिवर्ष कई मीटर की दर से गिर रहा है, जो भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए एक प्रत्यक्ष चुनौती है।

जल संकट के बहुआयामी कारक:

- **प्रदूषण का प्रसार:** औद्योगिक अपशिष्टों के अनियंत्रित विसर्जन, कृषि में उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग और प्राकृतिक रूप से विद्यमान

आर्सेनिक एवं फ्लोराइड ने भूजल की गुणवत्ता को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। जब स्वच्छ जल अनुपलब्ध हो जाता है, तो भौतिक रूप से जल की उपस्थिति के बावजूद वह उपयोग लायक नहीं रह जाता है।

- **मानव निर्मित सूखा:** आधुनिक ड्रिलिंग तकनीकों और विद्युत पंपों की सुलभता ने भूजल निष्कर्षण की दर को प्राकृतिक पुनर्भरण की दर से कई गुना बढ़ा दिया है जिससे इस संसाधन का दोहन हो रहा है। इससे 'सामान्य संसाधनों की त्रासदी' (Tragedy of the Commons) उत्पन्न हुई है, जहाँ व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक संपदा का विनाश हो रहा है।
- **खाद्य सुरक्षा बनाम जल सुरक्षा:** भारत के जल निष्कर्षण का लगभग 90% भाग कृषि क्षेत्र में व्यय होता है। चावल और गन्ने जैसी जल-गहन फसलों के प्रति अत्यधिक झुकाव ने जल संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। समाधान के रूप में फसल विविधीकरण (Crop Diversification) और मोटे अनाज (Millets) की ओर संक्रमण अनिवार्य है।
- **चक्रीय जल अर्थव्यवस्था (Circular Water Economy):** 'उपयोग करो और फेंको' की मानसिकता के स्थान पर 'उपयोग, शोधन और पुन: उपयोग' (Reduce, Reuse, Recycle) को अपनाना होगा। शहरी भारत में अपशिष्ट जल (Wastewater) का शत-प्रतिशत शोधन ही वह 'रिकवर्ड इनकम' है जो जल दिवालियापन के खाते को संतुलित कर सकती है।

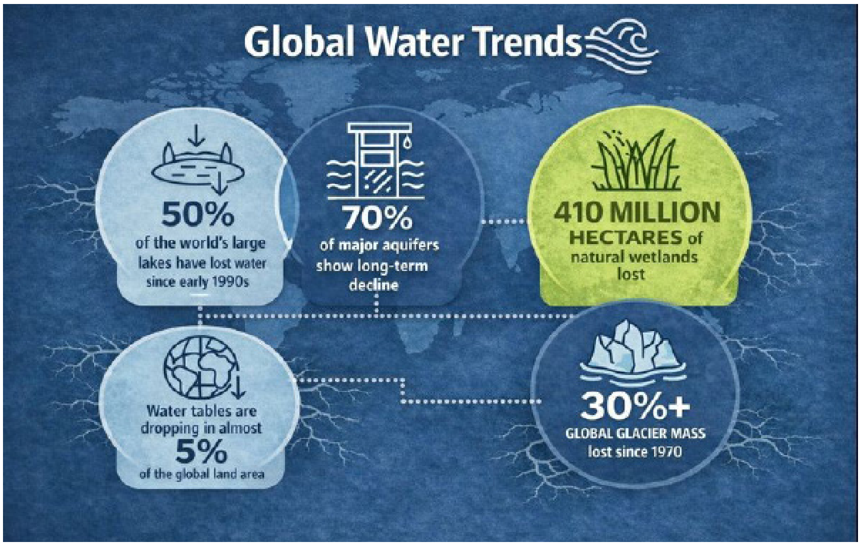

भारत की नीतिगत, निवारक एवं सुधारात्मक पहल:

भारत ने जल प्रबंधन को एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान किया है। जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के नेतृत्व में एक बहु-स्तरीय प्रबंधन ढांचा विकसित किया गया है।

- **मॉडल भूजल (विकास एवं प्रबंधन का नियमन और नियंत्रण) विधेयक:** जल एक राज्य का विषय (State Subject) होने के कारण, केंद्र सरकार ने राज्यों को एक मानक कानूनी ढांचा प्रदान करने हेतु 'मॉडल भूजल विधेयक' प्रस्तावित किया है। इसका उद्देश्य भूजल के अंधाधुंध निष्कर्षण को विनियमित करना और वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाना है। जनवरी 2026 तक, 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस मॉडल विधेयक को अपनाया है, जो भारत के सहकारी संघवाद में जल प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- **जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (JSA: CTR):** इस अभियान की शुरुआत 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर की गई। यह अभियान जल संरक्षण पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता निर्माण एवं सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। JSA: CTR के पाँच केंद्रित कार्य हैं:
  - » जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन
  - » सभी जल निकायों की पहचान, जियो-टैगिंग एवं सूचीबद्धता
  - » सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करना
  - » केंद्रित वनीकरण
  - » जागरूकता सृजन
- **जन संचय जन भागीदारी (JSJB)**
  - » जल संरक्षण को एक 'जन आंदोलन' में परिवर्तित करने हेतु सितंबर 2024 में 'जल संचय जन भागीदारी' की शुरुआत की गई। यह पहल वर्षा जल संचयन, जलभृत पुनर्भरण, बोरवेल पुनर्भरण तथा पुनर्भरण शाफ्ट जैसे उपायों से भूजल पुनर्भरण सुधारने का प्रयास करती है।
  - » यह स्थानीय स्तर पर घटते भूजल स्तर से निपटने हेतु एक

विस्तार योग्य एवं सतत मॉडल के रूप में डिजाइन की गई है तथा उन्नत निगरानी प्रणालियों को एकीकृत करती है जो भूजल पुनर्भरण का समर्थन करती है तथा जिम्मेदार भूजल प्रबंधन एवं सतत जल उपयोग को बढ़ावा देती है।

» जनवरी 2026 तक इसके अंतर्गत लगभग 40 लाख कृत्रिम पुनर्भरण और भंडारण संरचनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

- **मिशन अमृत सरोवर:** 24 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया 'मिशन अमृत सरोवर' के माध्यम से प्रत्येक जिले में जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है, जो स्थानीय स्तर पर जल दिवालियापन के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच (Buffer) के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- **अटल भूजल योजना (Atal Jal):** ₹6,000 करोड़ के कुल परिव्यय वाली यह योजना दुनिया के सबसे बड़े सामुदायिक जल प्रबंधन कार्यक्रमों में से एक है। यह विशेष रूप से 7 राज्यों (गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के सर्वाधिक जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसका अभिनव पक्ष 'परिणाम-आधारित प्रोत्साहन' (Incentive-based Outcomes) है। इस योजना के अंतर्गत 30 दिसंबर 2025 तक 6,271 डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर (DWLR) और 8,201 वर्षा मापी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो 'डेटा-संचालित प्रबंधन' को धरातल पर उतारते हैं।
- **वैज्ञानिक आधार: NAQUIM 2.0:** देश में प्रभावी भूजल प्रबंधन के समर्थन हेतु राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM 2012-2023) कार्यक्रम चलाया गया, जिसका उद्देश्य था:
  » हाइड्रोजियोलॉजिकल गुणों के आधार पर जलभृतों का विशेषीकरण।
  » भूजल उपलब्धता एवं गुणवत्ता का आकलन।
  » विस्तृत जलभृत मानचित्र तैयार करना।
  » सतत भूजल प्रबंधन रणनीतियाँ विकसित करना।
- राष्ट्रीय एक्विफर मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM 2.0) के दूसरे चरण के माध्यम से भारत अब पंचायत स्तर तक उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले मानचित्र उपलब्ध करा रहा है। यह कार्यक्रम न केवल जल की उपलब्धता का आकलन करता है, बल्कि तटीय क्षेत्रों में खारे पानी के प्रवेश (Saline Intrusion) और शहरी जलभराव जैसी स्थानीय समस्याओं के लिए विशिष्ट समाधान भी प्रदान करता है।

आगे की राह:

- संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी और भारत सरकार के सक्रिय प्रयास एक ही निष्कर्ष की ओर संकेत करते हैं: प्रबंधन अब एक विकल्प नहीं, बल्कि उत्तरजीविता की शर्त है। भारत को अपनी रणनीति को निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित करना होगा:
  » **हाइड्रोलॉजिकल ऑडिटिंग:** प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका स्तर पर वार्षिक जल बजट तैयार करना ताकि आय (पुनर्भरण) और व्यय (उपभोग) का वास्तविक हिसाब रखा जा सके।
  » **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके सूक्ष्म-सिंचाई और वास्तविक समय में जल रिसाव (Leakage) की निगरानी करना।
  » **पारिस्थितिक पुनर्वनीकरण:** नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों और वेटलैंड्स का संरक्षण, जो प्राकृतिक स्पंज (Sponges) की तरह कार्य करते हैं और एक्विफर्स को रिचार्ज करने में सहायता करते हैं।
  » **वैश्विक सहयोग:** जल दिवालियापन एक गंभीर समस्या है। भारत को दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 'जल कूटनीति' (Water Diplomacy) का नेतृत्व करना चाहिए ताकि साझा एक्विफर्स का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से हो सके।

निष्कर्ष:

भूजल भारत की जल सुरक्षा का केंद्र है, जो कृषि, पेयजल आपूर्ति, पारिस्थितिक तंत्र एवं कृषि गतिविधियों को बनाए रखता है, किंतु अति-निकासी, गुणवत्ता ह्रास तथा जलवायु परिवर्तनशीलता से उत्पन्न बढ़ते दबावों ने सतत भूजल प्रबंधन को अनिवार्य बना दिया है। भारत अपनी नीतियों के माध्यम से भूजल को बनाये रखने का प्रयास कर रहा है किंतु अंतिम सफलता व्यवहार परिवर्तन पर निर्भर करेगी क्योंकि जल का सुरक्षित भविष्य ही भारत के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है।

हिमालयी जलवायु वित्त अंतराल पर रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट' (ICIMOD) द्वारा जारी हिमालयी जलवायु वित्त अंतराल रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि भारत सहित हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र के देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए धन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। अकेले भारत को अपने हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन (Adaptation) और शमन (Mitigation) की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना लगभग 102 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **जलवायु वित्त की आवश्यकता:**
  - **हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र:** आठ देशों (भारत, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार) में फैले इस क्षेत्र को जलवायु प्रभावों से निपटने और लचीलापन बनाने के लिए प्रति वर्ष लगभग 768.7 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है।
  - **भारत की हिस्सेदारी:** इस आवश्यकता में भारत का हिस्सा सालाना लगभग 102 बिलियन डॉलर अनुमानित है।
  - **चीन की आवश्यकता:** चीन की जरूरत कहीं अधिक है, जो लगभग 605 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष है। भारत और चीन मिलकर इस क्षेत्र की कुल जलवायु वित्त जरूरतों का 92 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखते हैं।
- **दीर्घकालिक वित्त अंतराल:**
  - 2020-2050 की अवधि के लिए क्षेत्रीय जलवायु वित्त का कुल अंतराल लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
  - यह पहाड़ी पारिस्थितिक तंत्रों में निवेश की विशाल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **जलवायु संवेदनशीलता के मुख्य कारक:** हिमालयी क्षेत्र इन कारणों से जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है:
  - ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना।
  - जैव विविधता की हानि।
  - चरम मौसम की घटनाओं (जैसे बाढ़, बादल फटना) की बढ़ती आवृत्ति।
  - बढ़ता जल संकट।

भारत के लिए निहितार्थ:

- **दबाव में हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र:**
  - हिमालय दक्षिण एशिया के अरबों लोगों के लिए ताजे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और भारत की कृषि उत्पादकता व आर्थिक स्थिरता के लिए केंद्रीय है।
  - ग्लेशियरों का पीछे हटना और वर्षा के अनियमित पैटर्न से देश की जल सुरक्षा, खाद्य प्रणाली और आपदा तैयारियों को खतरा है।
- **धन की कमी और विकास का दबाव:**
  - भारी वित्तीय जरूरतों के बावजूद, वर्तमान में उपलब्ध जलवायु वित्त आवश्यक स्तर से बहुत कम है। इससे भारत की बड़े पैमाने पर अनुकूलन उपाय लागू करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
  - सीमित घरेलू बजट और अन्य विकास प्राथमिकताएं (जैसे गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा) इस चुनौती को और कठिन बना देती हैं।

ICIMOD के बारे में:

- 5 दिसंबर 1983 को स्थापित और काठमांडू, नेपाल में मुख्यालय वाला 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट' (ICIMOD) एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसका मिशन ज्ञान साझा करना है जो क्षेत्रीय नीति और निवेश को सूचित करता है, जिससे सदस्य देश जलवायु-अनुकूल और हरित विकास की ओर बढ़ सकें।

निष्कर्ष:

ICIMOD की रिपोर्ट हिंदू कुश हिमालय में जलवायु वित्त के एक बड़े अंतर को उजागर करती है। इस कमी को दूर करने के लिए घरेलू संसाधनों को जुटाने, अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त को मजबूत करने और नयी फंडिंग तंत्र (Innovative funding mechanisms) की आवश्यकता होगी ताकि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सके।

घासभूमियों के लिए राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं की आवश्यकता

संदर्भ:

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को रेंजभूमि और चरवाहा समुदायों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, जिसका उद्देश्य घासभूमियों तथा उन पर निर्भर समुदायों की आजीविका के वैश्विक महत्व को रेखांकित करना है। इसके बावजूद, ब्राज़ील में आयोजित COP30 में चर्चा का मुख्य केंद्र वन ही रहे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी जैसी पहलों ने इस वन-केंद्रित दृष्टिकोण को और स्पष्ट किया। इसके विपरीत घासभूमियों और अन्य खुले पारितंत्रों को बहुत कम महत्व दिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक जलवायु एजेंडे में शामिल करना अब अत्यंत आवश्यक है।

घासभूमियों के बारे में:

- घासभूमियाँ विस्तृत खुले क्षेत्र होते हैं, जहाँ घास प्रमुख वनस्पति के रूप में पाई जाती है। ये पृथ्वी की कुल स्थलीय सतह के लगभग 20 से 40 प्रतिशत हिस्से को आच्छादित (Covered) करती हैं। सामान्यतः ये ऐसे संक्रमण क्षेत्रों में विकसित होती हैं, जहाँ वर्षा की मात्रा इतनी होती है कि भूमि मरुस्थलीकरण से बची रहे, परंतु इतनी नहीं कि घने वनों का विकास संभव हो सके।
- कार्बन के दीर्घकालिक संचयन से, जैव विविधता के संरक्षण तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुनिश्चित करने में घासभूमियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद, ये विश्व के सबसे अधिक संकटग्रस्त पारितंत्रों में शामिल हैं।
- वैश्विक जलवायु वार्ताओं में प्रायः वनों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि घासभूमियाँ कृषि विस्तार, आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रसार, अनुचित वृक्षारोपण तथा पारंपरिक स्थानीय भूमि प्रबंधन प्रणालियों के दमन के कारण तीव्र गति से क्षरण का सामना कर रही हैं। जब तक घासभूमियों को स्वतंत्र और महत्त्वपूर्ण पारितंत्र के रूप में स्पष्ट मान्यता नहीं दी जाती, तब तक जलवायु शमन और अनुकूलन से जुड़ी रणनीतियाँ अपूर्ण ही बनी रहेंगी।

वैश्विक स्तर पर दबाव में घासभूमियाँ:

- **ऑस्ट्रेलिया:** ऑस्ट्रेलिया की रेगिस्तानी घासभूमियाँ अत्यधिक तापमान, लंबे समय तक पड़ने वाले सूखे, अचानक आने वाली बाढ़ तथा बफेल घास जैसी आक्रामक विदेशी प्रजातियों के गंभीर दबाव में हैं। इन परिस्थितियों में इंडिजिनस डेज़र्ट एलायंस जैसे आदिवासी संगठनों द्वारा अपनाए जा रहे सांस्कृतिक रूप से अनुकूल अग्नि प्रबंधन, आक्रामक प्रजातियों पर नियंत्रण तथा निरंतर निगरानी उपाय इन नाज़ुक पारितंत्रों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- **ब्राज़ील:** ब्राज़ील की सेराडो सवाना, जो देश की बारह में से आठ प्रमुख नदी प्रणालियों के लिए जीवनरेखा का कार्य करती है, अमेज़न क्षेत्र की तुलना में लगभग दोगुनी गति से नष्ट हो रही है। इसका प्रमुख कारण कृषि विस्तार, खनन गतिविधियाँ तथा प्राकृतिक अग्नि चक्रों का दमन है। इस क्षेत्र में आदिवासी एवं अफ्रीकी मूल के समुदायों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना केवल पारिस्थितिक संरक्षण का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का भी एक अहम मुद्दा बन गया है।
- घासभूमियाँ कार्बन भंडारण, जल प्रवाह का विनियमन तथा जैव विविधता के संरक्षण जैसी पारितंत्र सेवाएँ प्रदान करती हैं, जो कार्यात्मक रूप से वनों के समान ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बावजूद, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में इन्हें अब तक अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया है।

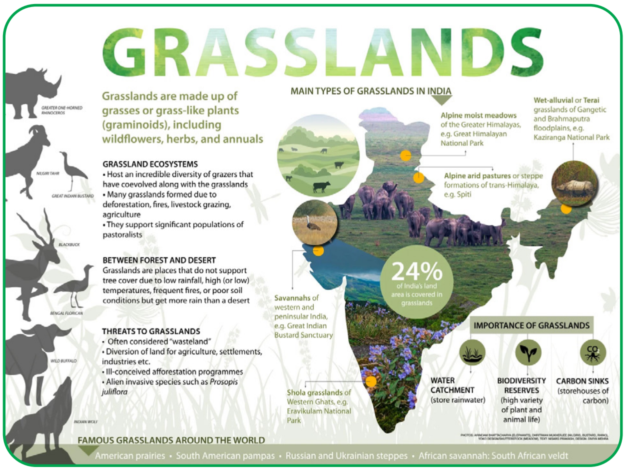

घासभूमि संरक्षण:

- घासभूमियों का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संयुक्त राष्ट्र ढाँचों के बीच समन्वय और एकीकृत नीति अत्यंत आवश्यक है:
  - **जलवायु परिवर्तन रूपरेखा संधि (UNFCCC):** जलवायु शमन और कार्बन प्रबंधन पर केंद्रित, जिससे घासभूमियों के कार्बन भंडारण क्षमता का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
  - **जैव विविधता संधि (CBD):** पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित, ताकि घासभूमियों में पाए जाने वाले वनस्पति और जीव-जंतु सुरक्षित रहें।
  - **मरुस्थलीकरण निरोधक संधि (UNCCD):** भूमि क्षरण को रोकने और भूमि स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित, जो घासभूमियों की सतत उपयोग और पुनर्स्थापन में मदद करता है।
- विश्व वन्यजीव कोष (WWF) और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ

(IUCN) जैसी संस्थाओं की रिपोर्टें पारितंत्र-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की समर्थन करती हैं। इन रिपोर्टों में यह सुझाया गया है कि घासभूमियों को राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में शामिल किया जाए और इन तीनों संधियों के बीच संस्थागत दूरी को कम किया जाए।

- उदाहरण के लिए, UNCCD COP16 में रेंजभूमियों को जटिल सामाजिक-पारिस्थितिक प्रणालियों के रूप में मान्यता दी गई और सुरक्षित भूमि अधिकार सुनिश्चित करने तथा सतत प्रबंधन में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया गया।

भारत में घासभूमियाँ:

- भारत में घासभूमियाँ लगभग 18 विभिन्न मंत्रालयों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जिससे नीतियाँ अक्सर बिखरी हुई और कई बार एक-दूसरे के विपरीत होती हैं। उदाहरण के लिए, पर्यावरण मंत्रालय इन्हें प्रायः वृक्षारोपण योग्य भूमि के रूप में देखता है, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कई बार इन्हें "बंजर भूमि" मानकर उपयोग परिवर्तन के लिए उपयुक्त बताया है।
- यदि घासभूमियों को स्वतंत्र पारितंत्र के रूप में, महत्वपूर्ण कार्बन भंडार और जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाए, तो यह भारत की जलवायु कार्रवाई को केवल वनों तक सीमित रखने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाकर एक समग्र और संतुलित जलवायु रणनीति की दिशा में योगदान कर सकता है।

आगे की राह:

- घासभूमियों को उनके स्वतंत्र पारितंत्र स्वरूप में मान्यता देना।
- राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं और योगदानों में घासभूमियों को शामिल करना।
- स्थानीय और आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकार और प्रबंधन भूमिका सुनिश्चित करना।
- विभिन्न संयुक्त राष्ट्र ढाँचों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देना।
- जीवाश्म ईंधन और बड़े कृषि हितों की बजाय विज्ञान-आधारित नीति और नागरिक समाज की भागीदारी को प्राथमिकता देना।

निष्कर्ष:

घासभूमियों की रक्षा केवल जलवायु सुरक्षा का दायित्व नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय का भी महत्वपूर्ण पहलू है। बहुपक्षीय सहयोग, समन्वित नीतियाँ और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना इस दिशा में आवश्यक कदम हैं। इन उपेक्षित लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण पारितंत्रों को वह सम्मान और संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिसके वे वास्तविक रूप से हकदार हैं।

गैलेक्सी फ्रॉग पर फोटो पर्यटन की वृद्धि का प्रभाव

संदर्भ:

हाल ही में प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन में यह सामने आया है कि दुनिया की सबसे दुर्लभ मेंढक प्रजातियों में शामिल सात गैलेक्सी मेंढकों (Melanobatrachus indicus) का समूह केरल के पश्चिमी घाट में स्थित उनके ज्ञात प्राकृतिक आवास से लापता हो गए हैं और अब उन्हें मृत माना जा रहा है। अध्ययन के अनुसार, इस गंभीर स्थिति का मुख्य कारण अनियंत्रित रूप से बढ़ता फोटो पर्यटन है। वन्यजीव फोटोग्राफरों द्वारा बार-बार हस्तक्षेप किए जाने से इन छोटे उभयचरों के अत्यंत नाज़ुक और संवेदनशील सूक्ष्म आवास को गंभीर नुकसान पहुँचा है।

अध्ययन के निष्कर्ष:

- हर्पेटोलॉजी नोट्स में प्रकाशित " अनैतिक वन्यजीव फोटोग्राफी पश्चिमी घाट के स्थानिक गैलेक्सी मेंढक को खतरे में डालती है..." शीर्षक वाले शोध पत्र में बताया गया है कि वर्ष 2020 में दर्ज किए गए सात गैलेक्सी फ्रॉग 2021–2022 के दौरान किए गए अनुवर्ती सर्वेक्षणों में दोबारा नहीं पाए गए।
- अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि कई फोटोग्राफर मेंढकों को हाथों से पकड़ते थे, बेहतर तस्वीरों के लिए उन्हें दूसरी जगह रखते थे और लंबे समय तक तीव्र कैमरा फ्लैश का उपयोग करते थे। ऐसे हस्तक्षेप से उभयचरों में नमी की कमी, शारीरिक तनाव तथा रोगाणुओं के फैलने का जोखिम काफी बढ़ जाता है।

फोटो पर्यटन के बारे में:

- फोटो पर्यटन यात्रा का वह रूप है जिसमें यात्रा का मुख्य उद्देश्य फोटोग्राफी होता है। यात्री विशेष और आकर्षक तस्वीरें लेने के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं, जैसे- वन्यजीव, प्राकृतिक दृश्य या

स्थापत्य कला।

- सामान्य पर्यटन में जहाँ फोटोग्राफी एक सहायक गतिविधि होती है, वहीं फोटो पर्यटन पूरी तरह कैमरे और फोटो अवसरों पर आधारित होता है, जो यात्रा स्थल, समय और वहाँ के व्यवहार को प्रभावित करता है।

गैलेक्सी फ्रॉग के बारे में:

- गैलेक्सी फ्रॉग एक अत्यंत दुर्लभ और छोटा उभयचर है, जिसकी लंबाई लगभग 2–3.5 सेंटीमीटर होती है। यह केवल दक्षिणी पश्चिमी घाट के नम सदाबहार वनों में पाया जाता है।
- इसका नाम इसके विशिष्ट और आकर्षक रूप के कारण पड़ा है, गहरे रंग की त्वचा पर फैले नीले और नारंगी बिंदु, जो रात के आकाश में चमकते तारों का आभास कराते हैं।
- यह प्रजाति IUCN की रेड लिस्ट में "संवेदनशील" श्रेणी में शामिल है और विकासवादी दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अपने वंश की एकमात्र ज्ञात प्रजाति है।

फोटो पर्यटन कैसे खतरा बना?

- वर्ष 2021 में गैलेक्सी फ्रॉग को मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान की "फ्लैगशिप प्रजाति" घोषित किए जाने के बाद इस दुर्लभ मेंढक को देखने और उसकी तस्वीरें लेने के लिए वन्यजीव फोटोग्राफरों की संख्या तेजी से बढ़ गई।
- यद्यपि वन्यजीव फोटोग्राफी से संरक्षण के प्रति जागरूकता फैल सकती है, लेकिन जब यह बिना स्पष्ट नियमों, नियंत्रण और नैतिक मर्यादाओं के की जाती है, तो यह अत्यंत नाजुक प्राकृतिक आवासों को गंभीर क्षति पहुँचा सकती है।
- उभयचरों के अस्तित्व के लिए स्थिर नमी और संतुलित तापमान अत्यंत आवश्यक होते हैं, जिनमें थोड़ा-सा भी बदलाव उनके लिए घातक हो सकता है।
- लकड़ी के लट्ठों, पत्थरों या पत्तियों की परत को हल्का-सा भी हटाना या पलटना उनके भोजन, आश्रय और प्रजनन चक्र को बाधित कर देता है, जिससे पूरा सूक्ष्म आवास उनके रहने के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।

पारिस्थितिक और संरक्षण संबंधी प्रभाव:

- मेंढक महत्वपूर्ण "संकेतक प्रजातियाँ" होते हैं, क्योंकि उनकी संवेदनशीलता पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को दर्शाती है।
- मेंढकों की संख्या में कमी अक्सर व्यापक पर्यावरणीय गिरावट का संकेत होती है।
- सात गैलेक्सी फ्रॉग का गायब होना यह दिखाता है कि गलत तरीके से किया गया फोटो पर्यटन सीधे तौर पर अत्यंत संवेदनशील प्रजातियों के लिए खतरा बन सकता है।

निष्कर्ष:

इन सात दुर्लभ गैलेक्सी फ्रॉग का संभावित नुकसान संरक्षण से जुड़े एक गंभीर और विरोधाभासी खतरे को सामने लाता है। जिन गतिविधियों (जैसे वन्यजीव फोटो पर्यटन) का उद्देश्य प्रकृति और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है यदि वे सख्त नैतिक मानकों और प्रभावी नियमन के बिना संचालित की जाएँ, तो अनजाने में ही प्रजातियों के पतन की प्रक्रिया को तेज कर सकती हैं। यह घटना पश्चिमी घाट जैसे पर्यावरणीय रूप से अत्यंत नाजुक क्षेत्रों में टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने और जैव विविधता संरक्षण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और कड़े नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता पर एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में देखी जानी चाहिए।

तमिलनाडु स्थापित करेगा 'गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र'

संदर्भ:

हाल ही में, तमिलनाडु वन विभाग ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचना दी कि राज्य के भीतर 'गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र' (Vulture Safe Zones) स्थापित करने की औपचारिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस पहल का उद्देश्य गिद्धों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है, जो प्रमुख खतरों विशेष रूप से पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाली विषाक्त गैर-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाओं जैसे 'डाइक्लोफेनाक' से मुक्त हो। ये दवाएं गिद्धों की सामूहिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार रही हैं।

पृष्ठभूमि:

- गिद्ध मांस खाने वाले पक्षी हैं जो मृत शरीरों को तेजी से खाकर महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कार्य करते हैं, जिससे बीमारियों के प्रसार को रोका जाता है और पोषक चक्रण में मदद मिलती है। दुनिया की 23 गिद्ध प्रजातियों में से भारत में 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कई गंभीर संरक्षण खतरों का सामना कर रही हैं:
  - **अति संकटापन्न (Critically Endangered):** व्हाइट-रम्प्ड (सफेद पीठ वाले), स्लेंडर-बिल्ड, लॉन्ग-बिल्ड और रेड-हेडेड (लाल सिर वाले) गिद्ध।

- » **संकटापन्न (Endangered):** मिस्र के गिद्ध (Egyptian Vulture)।
- » **संकट के करीब (Near Threatened):** हिमालयन ग्रिफॉन, सिनेरियस वल्चर, दाढ़ी वाले गिद्ध (Bearded Vulture)।
- गिद्धों की आबादी में गिरावट के मुख्य कारणों में डाइक्लोफेनाक विषाक्तता, सीसा संदूषण, विद्युत् लाइनों से करंट लगना, आवास का नुकसान और जानबूझकर जहर देना शामिल है।

पहल की मुख्य विशेषताएं:

- **पहला गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र (VSZ):**
  - » नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में मोयार नदी घाटी को पहले VSZ के रूप में पहचाना गया है।
  - » यह पहल गिद्ध संरक्षण विजन दस्तावेज (VDVC) 2025–2030 के तहत लागू की जा रही है।
- **निगरानी और कार्यान्वयन समिति:**
  - » समिति की अध्यक्षता मुदुमलई टाइगर रिजर्व के फील्ड निदेशक करेंगे। सदस्यों में नीलगिरी, गुडलूर, कोयंबटूर और इरोड के जिला वन अधिकारी; मुदुमलई, अन्नामलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के उप निदेशक; और AIWC (वंडालूर) का एक प्रतिनिधि शामिल होगा।
- **वैज्ञानिक और कानूनी उपाय:**
  - » गिद्धों के घोंसले के शिकार स्थलों और मृत शरीरों के हॉटस्पॉट की मैपिंग।
  - » प्रतिबंधित नॉन - स्टेरॉयडल एंटी - इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडी) के अंशों का पता लगाने के लिए दो साल की निगरानी अवधि में 800 मृत शरीरों के नमूने लेना। प्रतिबंधित पशु चिकित्सा दवाओं की बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए औषधि नियंत्रण विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण।
  - » पड़ोसी राज्यों, विशेष रूप से कर्नाटक और केरल के साथ सहयोग, ताकि क्षेत्रीय संरक्षण प्रयासों में समन्वय बना रहे।

महत्व:

- **पारिस्थितिक:** यह उन 'मार्जनक' (Scavenger) प्रजातियों का संरक्षण करता है जो प्रकृति में रोग नियंत्रण और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिए अपरिहार्य हैं।
- **संरक्षण:** यह पहल राष्ट्रीय वन्यजीव कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अंतर्गत संरक्षित 'अति संकटापन्न' गिद्ध प्रजातियों की संख्या के पुनरुद्धार में सहायक है।
- **वैज्ञानिक:** यह संरक्षण नीतियों और आवास प्रबंधन की भावी रणनीतियों के निर्माण हेतु सटीक एवं ठोस क्षेत्रीय डेटा (Data) उपलब्ध कराता है।
- **अंतर-राज्यीय सहयोग:** यह गिद्धों के व्यापक विचरण क्षेत्र को देखते हुए, दक्षिण भारत के राज्यों के मध्य एक समन्वित और साझा संरक्षण दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष:

तमिलनाडु में 'गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र' की स्थापना वैज्ञानिक और नीति-आधारित एक महत्वपूर्ण कदम है। क्षेत्र की निगरानी, कानूनी प्रवर्तन और अंतर-राज्यीय सहयोग को एकीकृत करके, यह कार्यक्रम गिद्धों की आबादी को पुनर्जीवित करने और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करता है।

हाई सीज़ संधि (High Seas Treaty)

संदर्भ:

हाई सीज़ संधि, जिसे औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के अंतर्गत राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव-विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता (BBNJ Agreement) कहा जाता है, 17 जनवरी 2026 को प्रभाव में आई। यह पहली बार है जब वैश्विक समुदाय ने अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों, जो किसी भी एक देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित विशाल महासागरीय क्षेत्र हैं, में समुद्री जीवन की रक्षा हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा अपनाया है।

पृष्ठभूमि:

- महासागर पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक भाग को आच्छादित करते हैं और इनमें से लगभग दो-तिहाई क्षेत्र, जिसे हाई सीज़ कहा जाता है, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित है। ऐतिहासिक रूप से, इन क्षेत्रों में समुद्री जैव-विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कोई एकीकृत कानूनी व्यवस्था नहीं थी, जिससे ये क्षेत्र विशेष रूप से निम्नलिखित खतरों के प्रति संवेदनशील रहे हैं:
- विनाशकारी मत्स्य प्रथाएँ, जिनमें अत्यधिक मछली पकड़ना तथा अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ना शामिल हैं:
  - » नौवहन से उत्पन्न प्रभाव और प्रदूषण, विशेषकर प्लास्टिक कचरा

» जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दबाव, जैसे महासागरों का गर्म होना और अम्लीकरण
» गहरे समुद्र में खनन जैसी उभरती हुई चुनौतियाँ

- लगभग दो दशकों की वार्ताओं के बाद, BBNJ समझौते को जून 2023 में अपनाया गया, सितंबर 2023 में हस्ताक्षर हेतु खोला गया और कम से कम 60 देशों द्वारा अनुमोदन के बाद सितंबर 2025 में आवश्यक सीमा पूरी होने के 120 दिनों बाद यह प्रभाव में आया।

हाई सीज़ संधि की प्रमुख विशेषताएँ:

यह संधि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों (ABNJ) में समुद्री जैव-विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा स्थापित करती है। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:

- **समुद्री संरक्षित क्षेत्र (Marine Protected Areas – MPAs):**
  » पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संरक्षण हेतु हाई सीज़ में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की व्यवस्था।
  » वर्तमान में हाई सीज़ के केवल लगभग 1% क्षेत्र को ही संरक्षण प्राप्त है; यह संधि संरक्षण कवरेज को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के उपकरण प्रदान करती है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIAs):**
  » जिन गतिविधियों से हाई सीज़ की जैव-विविधता को नुकसान पहुँच सकता है, जैसे गहरे समुद्र में खनन और बड़े पैमाने पर मछली पकड़ना, उनके लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अनिवार्य किया गया है।
  » इसका उद्देश्य संचयी पर्यावरणीय क्षति को रोकना, न्यूनतम करना या कम करना है।

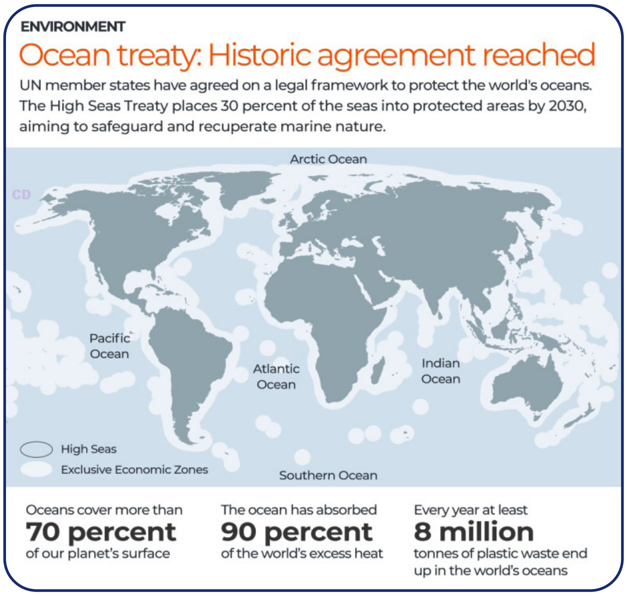

- **समुद्री आनुवंशिक संसाधन (Marine Genetic Resources – MGRs):**
  » संधि समुद्री जीवों से प्राप्त आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के न्यायसंगत और समान वितरण का प्रावधान करती है, जिसमें डिजिटल अनुक्रम सूचना भी शामिल है।
  » यह विशेष रूप से विकासशील देशों के हित में न्याय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर बल देती है।
- **क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:**
  » विकासशील देशों को हाई सीज़ प्रशासन और समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रभावी भागीदारी हेतु समर्थन प्रदान किया जाएगा।
  » इससे समुद्री संरक्षण प्रयासों में समावेशी और समान भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।
- **संस्थागत ढांचा:**
  » संधि के अंतर्गत पक्षकारों का सम्मेलन (COP), एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी निकाय, तथा सचिवालय जैसे संस्थागत ढांचों की स्थापना का प्रावधान है, जो कार्यान्वयन और निर्णय-निर्माण का समन्वय करेंगे।

महत्व:

- **वैश्विक महासागरीय शासन:**
  » पहली बार, अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र जो पहले खंडित और क्षेत्र-विशिष्ट कानूनों द्वारा शासित थे, अब जैव-विविधता संरक्षण और सततता पर केंद्रित एकीकृत, कानूनी रूप से बाध्यकारी

व्यवस्था के अंतर्गत आए हैं।

- » यह पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साझा संसाधन के प्रबंधन में वैश्विक सहयोग की बड़ी उपलब्धि है।

- **संरक्षण और जलवायु संबंध:**
  - » स्वस्थ महासागर कार्बन अवशोषण, ऑक्सीजन उत्पादन, और वैश्विक जलवायु प्रणाली के विनियमन में अहम भूमिका निभाते हैं।
  - » हाई सीज़ पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण जलवायु शमन और जैव-विविधता लक्ष्यों में प्रत्यक्ष योगदान देता है, जिनमें 2030 तक 30% महासागरीय क्षेत्रों की रक्षा (30×30 लक्ष्य) शामिल है।
- **समानता और समावेशन:**
  - » क्षमता निर्माण और लाभ-साझेदारी पर जोर देकर यह संधि विकासशील देशों को समुद्री अनुसंधान और संरक्षण में सार्थक भागीदारी का अवसर देती है।
  - » यह वैश्विक महासागरीय शासन में पारिस्थितिक प्रभावशीलता और अंतरराष्ट्रीय समानता दोनों के लिए आवश्यक है।
- **वैज्ञानिक सहयोग:**
  - » अनुमोदन करने वाले देशों को समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग, डेटा साझा करने और महासागरीय खतरों पर नीतिगत समन्वय करना अनिवार्य है।
  - » इससे ज्ञान-अंतर कम होते हैं और हाई सीज़ से जुड़े मुद्दों पर साक्ष्य-आधारित निर्णय-निर्माण को मजबूती मिलती है।

अंटार्कटिक पेंगुइन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

संदर्भ:

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स विश्वविद्यालय द्वारा किए गए दस वर्षों के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि तेज़ी से बढ़ते तापमान के कारण अंटार्कटिक पेंगुइन अपने प्रजनन मौसम की शुरुआत पहले की तुलना में काफी जल्दी कर रहे हैं। एडेली (Adelie), चिनस्ट्रैप (Chinstrap) और जेंटू (Gentoo) पेंगुइन अब दस वर्ष पहले की अपेक्षा लगभग 24 दिन पहले घोंसला बनाना शुरू कर चुके हैं। यह व्यवहारिक अनुकूलन उन्हें बढ़ते तापमान के अनुरूप ढलने में सहायक है, किंतु इसके परिणामस्वरूप भोजन की समय पर उपलब्धता में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे उनकी आबादी की स्थिरता पर गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका है। पेंगुइन को "संकेतक प्रजाति" माना जाता है, क्योंकि उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अंटार्कटिका के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे व्यापक बदलावों को दर्शाते हैं।

अंटार्कटिक पेंगुइनों के बारे में:

- पेंगुइन न उड़ने वाले समुद्री पक्षी हैं, जो ध्रुवीय समुद्री पर्यावरण के अनुरूप पूरी तरह अनुकूलित हैं। एडेली, चिनस्ट्रैप और जेंटू पेंगुइन मुख्य रूप से अंटार्कटिक प्रायद्वीप तथा उसके आसपास के द्वीपों में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख भोजन क्रिल (krill), मछलियाँ और स्क्विड (squid) होता है।
- इनका प्रजनन चक्र उस समय से जुड़ा होता है जब समुद्र में भोजन सबसे अधिक उपलब्ध होता है। समुद्री बर्फ के फैलाव और बर्फ पिघलने के समय में बदलाव इनके घोंसला बनाने की सफलता और बच्चों के जीवित रहने पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है।

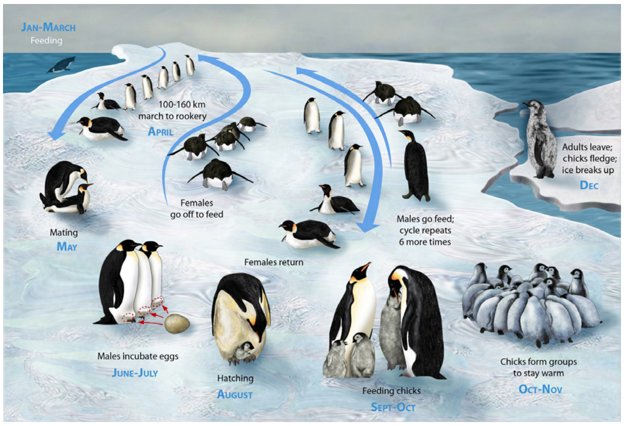

अध्ययन के निष्कर्ष:

- जेंटू पेंगुइन औसतन 13 दिन पहले प्रजनन कर रहे हैं और कुछ कॉलोनियों में यह बदलाव 24 दिन तक का है।
- एडेली और चिनस्ट्रैप पेंगुइन लगभग 10 दिन पहले प्रजनन शुरू कर रहे हैं।
- यह बदलाव किसी भी पक्षी प्रजाति में अब तक दर्ज किया गया सबसे तेज़ मौसमी (प्रजनन समय से जुड़ा) परिवर्तन है।
- प्रजनन स्थलों पर स्थानीय तापमान हर साल लगभग 0.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, जो अंटार्कटिका के औसत तापमान वृद्धि से लगभग चार गुना अधिक है। इससे बर्फ जल्दी पिघलती है और पर्यावरणीय संकेत बदल जाते हैं।

पेंगुइन समय पूर्व प्रजनन क्यों कर रहे हैं?

- तेज़ी से बढ़ता तापमान, बर्फ के जल्दी पिघलने और समुद्री बर्फ के जल्दी हटने का कारण बन रहा है, जिससे घोंसला बनाने की जगहें मौसम की शुरुआत में ही खुल जाती हैं। तापमान और बर्फ की स्थिति जैसे पर्यावरणीय संकेत पेंगुइनों के प्रजनन समय को तय करते हैं।
- हालांकि जल्दी प्रजनन करना उन्हें गर्म होते वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है, लेकिन भोजन की उपलब्धता के साथ तालमेल बिगड़ने का खतरा बना रहता है।

पारिस्थितिक प्रभाव:

- **मौसमी असंतुलन:** पेंगुइन के बच्चे ऐसे समय पैदा हो सकते हैं जब क्रिल की संख्या अपने चरम पर न हो, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है।
- **लाभ और नुकसान:** जेंटू पेंगुइन गर्म परिस्थितियों से कुछ हद तक लाभ उठा सकते हैं, जबकि एडेली और चिनस्ट्रैप पेंगुइन, जो समुद्री बर्फ पर अधिक निर्भर हैं, उनकी आबादी में गिरावट देखी जा सकती है।
- **बढ़ती प्रतिस्पर्धा:** प्रजनन मौसम के एक-दूसरे से टकराने के कारण भोजन और घोंसला बनाने की जगह के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

नीति और संरक्षण का महत्व:

- पेंगुइन अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। उनके प्रजनन समय में हो रहे बदलाव यह दिखाते हैं कि अब तुरंत निम्न कदम उठाने की ज़रूरत है, जैसे:
  - पेंगुइन आबादी और उनके भोजन स्रोतों की लंबे समय तक निगरानी।
  - संरक्षण योजनाओं में मौसमी बदलाव से जुड़े आँकड़ों को शामिल करना।
  - वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयास, ताकि आगे होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

निष्कर्ष:

अंटार्कटिक पेंगुइनों का पहले प्रजनन करना जलवायु परिवर्तन के प्रति एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है, लेकिन इसके साथ गंभीर पारिस्थितिक जोखिम भी जुड़े हुए हैं। भोजन और प्रजनन समय के बीच असंतुलन, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कुछ प्रजातियों की घटती आबादी यह दिखाती है कि मजबूत मानी जाने वाली प्रजातियाँ भी खतरे में हैं। यह स्थिति तत्काल संरक्षण कदमों और वैश्विक जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता को साफ़ तौर पर सामने रखती है।

इंडियन स्किमर (Indian Skimmer)

संदर्भ:

हाल ही में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के सहयोग से गंगा बेसिन के प्रमुख नदी-खंडों में संकटग्रस्त इंडियन स्किमर (Rynchops albicollis) तथा अन्य नदीय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण हेतु एक प्रमुख परियोजना प्रारंभ की है।

पृष्ठभूमि:

- इंडियन स्किमर एक विशिष्ट नदीय पक्षी है, जिसकी चोंच जल की सतह को छूते हुए मछलियाँ पकड़ने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती है।
- इस प्रजाति की वैश्विक आबादी का लगभग 90% भारत में पाया जाता है, जिससे इसके दीर्घकालिक संरक्षण में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
- आवास हानि, रेत खनन, बांधों के कारण नदी प्रवाह में परिवर्तन, शिकार, तथा मानव एवं पशुधन गतिविधियों से उत्पन्न व्यवधान के कारण इसकी संख्या में तीव्र गिरावट आई है।

परियोजना के उद्देश्य:

- इंडियन स्किमर एवं अन्य नदीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण बालू-टापू (सैंडबार) प्रजनन स्थलों की रक्षा करना।
- नदीय पक्षी आबादी की व्यवस्थित निगरानी करना।
- आवास संरक्षण और वैज्ञानिक आंकड़ा संग्रह के लिए सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करना।

रणनीतिक दृष्टिकोण:

- **सामुदायिक सहभागिता**
  - » यह परियोजना राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के सफल संरक्षण मॉडल पर आधारित है, जहाँ स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से नदीय पक्षियों के घोंसला-निर्माण की सफलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। स्थानीय निवासियों को निम्न रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा:
    - ➢ नेस्ट गार्जियन (Nest Guardians)- घोंसलों की सुरक्षा और खतरों को न्यूनतम करने हेतु।
    - ➢ रिवर गार्जियन (River Guardians)- पक्षी आबादी की निगरानी और आंकड़ा संग्रह में सहायता हेतु।
  - » इन भूमिकाओं से नदी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति स्थानीय संरक्षण भावना को बल मिलेगा तथा सहायक आजीविका के अवसर भी सृजित होंगे।
- **आवास फोकस क्षेत्र**
  - » यह पहल पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी-खंडों में लागू की जाएगी, जिनमें शामिल हैं:
    - ➢ चंबल नदी
    - ➢ बिजनौर और नरौरा के निकट ऊपरी गंगा
    - ➢ प्रयागराज में गंगा–यमुना संगम
  - » बिहार में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य के निकट निचली गंगा

लाभान्वित प्रजातियाँ:

- इंडियन स्किमर के अतिरिक्त, यह परियोजना अन्य घटती हुई नदीय पक्षी प्रजातियों को भी लक्षित करती है, जो नदी स्वास्थ्य के संकेतक हैं, जैसे:
  - » ब्लैक-बेलीड टर्न
  - » रिवर टर्न
  - » रिवर लैपविंग
  - » ग्रेट थिक-नी
  - » लिटिल टर्न
  - » लिटिल प्रैटिनकोल

राष्ट्रीय नीतियों के साथ सामंजस्य:

- यह परियोजना नमामि गंगे कार्यक्रम के अनुरूप है, जो गंगा के पुनर्जीवन और नदी जैवविविधता संरक्षण हेतु भारत की प्रमुख पहल है।
- यह कार्यक्रम प्रदूषण नियंत्रण, पारिस्थितिक प्रवाह बनाए रखने, जैवविविधता संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता को NMCG ढांचे के अंतर्गत एकीकृत करता है।
- NMCG ने गंगा के किनारे आर्द्रभूमि संरक्षण, जलीय जैवविविधता निगरानी केंद्रों की स्थापना तथा गंगा डॉल्फिन जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु भी महत्वपूर्ण पहलें की हैं।

महत्व:

- **इको-हाइड्रोलॉजिकल महत्व:** इंडियन स्किमर जैसे नदीय पक्षी बालू-टापू आवासों और गतिशील नदी प्रवाह पर निर्भर होते हैं, जिससे उनका संरक्षण सीधे तौर पर सतत नदी प्रबंधन से जुड़ा है।
- **समुदाय-नेतृत्व संरक्षण:** स्थानीय हितधारकों को सशक्त बनाकर यह पहल जमीनी स्तर पर स्वामित्व और दीर्घकालिक जैवविविधता संरक्षण को बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष:

BNHS–NMCG परियोजना गंगा बेसिन में उच्च-प्राथमिकता वाली नदीय प्रजातियों के लिए विज्ञान-आधारित, समुदाय-केंद्रित संरक्षण मॉडल प्रस्तुत करती है। महत्वपूर्ण आवासों की सुरक्षा और स्थानीय सहभागिता को सुदृढ़ कर यह पहल भारत के व्यापक नदी पुनर्जीवन एजेंडे के अंतर्गत एकीकृत जैवविविधता संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है।

एक नई समुद्री क्रस्टेशियन प्रजाति की खोज

संदर्भ:

कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CUSAT) के शोधकर्ताओं ने लक्षद्वीप के कवरत्ती लैगून (दक्षिण-पूर्वी अरब सागर) से समुद्री क्रस्टेशियन (Marine Crustacean) की एक नई वंश (Genus) और नई प्रजाति की खोज की है। यह अत्यंत सूक्ष्म आकार का जीव हार्पैक्टिकोइड कोपेपॉड (Harpacticoid Copepod) समूह से संबंधित है। इस नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम इंडियाफोंटे बिजोयी (Indiaphonte bijoyi) रखा गया है।

खोज से जुड़े प्रमुख तथ्य:

- **वर्गीकीय पहचान:**
  - » यह जीव हार्पैक्टिकोइडा (Harpacticoida) ऑर्डर से संबंधित है, जो अत्यंत छोटे क्रस्टेशियन होते हैं और सामान्यतः समुद्री तलछट (marine sediments) में पाए जाते हैं।

» यह सूक्ष्म आकार का जीव है और मियोफॉना (Meiofauna) का हिस्सा है। मियोफॉना वे बहुत छोटे जीव होते हैं जिनका आकार 1 मिमी से कम होता है और जो समुद्री तल के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- **नामकरण और वैज्ञानिक योगदान:**
  - » जीनस का नाम –इंडियाफोंटे (Indiaphonte): यह नाम भारत को समर्पित है और समुद्री वर्गिकी (Marine Taxonomy) के क्षेत्र में भारत के बढ़ते योगदान को दर्शाता है।
  - » प्रजाति का नाम – बिजोयी (bijoyi): यह नाम प्रोफेसर एस. बिजोय नंदन के सम्मान में रखा गया है, जो एक प्रतिष्ठित समुद्री पारिस्थितिकी विज्ञानी हैं, कन्नूर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं।
  - » इस प्रजाति का औपचारिक वैज्ञानिक विवरण CUSAT की नीलिमा वासु के. ने मेक्सिको की नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी के सैमुएल ई. गोमेज़ नोगुएरा के सहयोग से प्रस्तुत किया।

वैज्ञानिक महत्व:

- **विशिष्ट संरचना (Unique Morphology):** यह नया जीनस लाओफोंटिडी (Laophontidae) परिवार के अन्य ज्ञात सदस्यों से स्पष्ट रूप से अलग है। इसके कुछ प्रमुख पहचान योग्य गुण इस प्रकार हैं:
  - » तैरने वाले पैरों (swimming legs) की विशिष्ट खंड संरचना,
  - » पूंछ जैसे अंगों (caudal rami) की अलग बनावट
  - » एंटीना (antenna) की विशेष संरचना।
- **लैंगिक द्विरूपता का अभाव:**
  - » अधिकांश हार्पैक्टिकोइड कोपेपॉड्स में नर और मादा के शरीर की बनावट में अंतर पाया जाता है, लेकिन इंडियाफोंटे बिजोयी में यह अंतर नहीं है। नर और मादा बाहरी रूप से लगभग समान दिखते हैं, जो इस समूह में एक दुर्लभ विशेषता मानी जाती है।

समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका:

- आकार में अत्यंत छोटे होने के बावजूद, हार्पैक्टिकोइड कोपेपॉड्स समुद्री पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये:
  - » समुद्री तलछट में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं,
  - » सूक्ष्म शैवाल (microalgae) पर भोजन करते हैं,
  - » जलीय खाद्य श्रृंखला (aquatic food web) की एक आधारभूत कड़ी होते हैं।

भारत की समुद्री विज्ञान के लिए यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है?

- **कम अध्ययन वाली समुद्री जैव विविधता:** दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और लक्षद्वीप के लैगून जैव विविधता से अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन सूक्ष्म जीवों और मियोफॉना के स्तर पर इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन अब तक बहुत सीमित रहा है। यह खोज इन समुद्री क्षेत्रों में गहन और व्यवस्थित अनुसंधान की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से सामने लाती है।
- **वैश्विक वर्गिकी में योगदान:** यह खोज केवल एक नई प्रजाति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरे नए जीनस की पहचान को दर्शाती है। इससे समुद्री वर्गिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय भूमिका और वैज्ञानिक क्षमता उजागर होती है। जीवन की जैव विविधता को समझने के लिए वर्गिकी एक मूल आधार है, और इस क्षेत्र में भारत का योगदान लगातार सशक्त हो रहा है।
- **संरक्षण से जुड़े निहितार्थ:** ऐसे सूक्ष्म समुद्री जीवों का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है:
  - » समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति और स्वास्थ्य का आकलन,
  - » जलवायु परिवर्तन के समुद्री पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, तथा
  - » संवेदनशील प्रवाल भित्ति और लैगून पारिस्थितिक तंत्र में सतत एवं संतुलित संसाधन प्रबंधन।

निष्कर्ष:

इंडियाफोंटे बिजोयी की खोज केवल एक वर्गीकीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह वैश्विक समुद्री जैव विविधता के ज्ञान में भारतीय वैज्ञानिकों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म स्तर पर किए गए सावधानीपूर्ण क्षेत्रीय अनुसंधान और कठोर वैज्ञानिक वर्गीकरण के माध्यम से CUSAT के वैज्ञानिकों ने भारतीय महासागर में मियोफॉना की विविधता की समझ को और अधिक गहराई प्रदान की है। यह उपलब्धि पारिस्थितिकी, संरक्षण विज्ञान और जैव विविधता अध्ययन के लिए दूरगामी महत्व रखती है।

वैश्विक जल 'दिवालियापन' की शुरुआत

संदर्भ:

यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर वॉटर, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ की एक हालिया रिपोर्ट ने "वैश्विक जल दिवालियापन" (ग्लोबल

वॉटर बैंकरप्सी) के एक नए दौर की चेतावनी दी है। इसका तात्पर्य यह है कि मीठे पानी के स्रोत इतनी तेज़ी से समाप्त हो रहे हैं कि अनेक क्षेत्रों में उनकी प्राकृतिक भरपाई अब संभव नहीं रह जाएगी। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जलवायु परिवर्तन और लगातार बढ़ती मांग के बीच टिकाऊ जल प्रबंधन अत्यंत आवश्यक हो गया है।

वैश्विक जल दिवालियापन क्या है?

- पहले प्रचलित अवधारणाओं (जैसे जल तनाव या जल संकट) से अलग, जल दिवालियापन का अर्थ है मीठे पानी के स्रोतों का स्थायी और अपरिवर्तनीय रूप से क्षय होना।
- यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नदियों, भूजल भंडारों और हिमनदों से पानी की निकासी उनकी प्राकृतिक पुनर्भरण क्षमता से कहीं अधिक हो जाती है। यह अवधारणा दर्शाती है कि समस्या केवल पानी की उपलब्धता की नहीं, बल्कि असंतुलित और अव्यवहारिक जल प्रबंधन की है।

वैश्विक स्तर पर प्रमुख निष्कर्ष:

- लगभग 6.1 अरब लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जल असुरक्षा या गंभीर जल असुरक्षा की स्थिति है।
- लगभग 4 अरब लोग हर वर्ष कम से कम एक महीने तक अत्यधिक जल कमी का सामना करते हैं।
- अनेक शहरों में "डे ज़ीरो" जैसी घटनाओं की बढ़ती संख्या नगर जल प्रणालियों के लगभग ध्वस्त होने का संकेत देती है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, वाष्पीकरण, जंगलों में आग और मिट्टी में लवणता बढ़ रही है, वहीं भूजल का अत्यधिक दोहन और आर्द्रभूमियों का विनाश इस संकट को और गंभीर बना रहा है।

नीति संबंधी सुझाव:

- वैश्विक और राष्ट्रीय नीति चर्चाओं में "जल दिवालियापन" की अवधारणा को स्पष्ट रूप से मान्यता दी जाए।
- मीठे पानी के संसाधनों की निगरानी हेतु एक प्रभावी वैश्विक ढांचा विकसित किया जाए।
- ऐसे विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण लगाया जाए जो स्थानीय जल स्रोतों को और अधिक क्षति पहुँचाती हैं।
- पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, कुशल सिंचाई तथा शहरी जल संरक्षण जैसे टिकाऊ भूमि और जल प्रबंधन उपायों को प्रोत्साहित किया जाए।
- जल योजना को जलवायु अनुकूलन और जलवायु सहनशीलता की व्यापक रणनीतियों के साथ एकीकृत किया जाए।

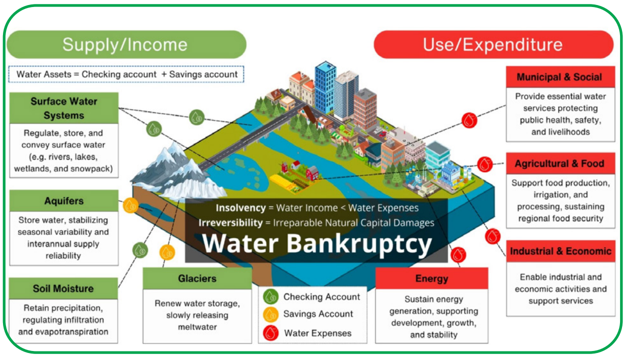

भारत और जल दिवालियापन का जोखिम:

- भारत में टिकाऊ जल प्रबंधन एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है। लगभग 60 करोड़ भारतीय उच्च से अत्यधिक जल तनाव का सामना कर रहे हैं।
- भारत विश्व की लगभग 18% आबादी का भार वहन करता है, जबकि उसके पास वैश्विक मीठे पानी का केवल 4% संसाधन उपलब्ध है।
- वर्ष 2030 तक जल की मांग उपलब्ध आपूर्ति से लगभग 70% अधिक होने का अनुमान है, जिससे खाद्य सुरक्षा, शहरी स्थिरता और आर्थिक विकास पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

प्रमुख सरकारी ढांचे और योजनाएँ:

- जल शक्ति मंत्रालय (स्थापना: 2019) भारत के जल शासन को कई महत्वपूर्ण पहलों के माध्यम से दिशा प्रदान करता है:
  - **जल जीवन मिशन (2028 तक विस्तारित):** अब लगभग 80% ग्रामीण घरों में कार्यात्मक नल जल कनेक्शन उपलब्ध हैं।
  - **अटल भूजल योजना:** सात राज्यों में समुदाय आधारित भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देती है।
  - **जल शक्ति अभियान (कैच द रेन):** वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर केंद्रित है।
  - **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:** "प्रति बूंद अधिक फसल" के सिद्धांत के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करती है।
  - **राष्ट्रीय जल नीति (संशोधनाधीन):** जलवायु सहनशीलता और समन्वित जल शासन पर विशेष बल देती है।

टिकाऊ जल प्रबंधन की रणनीतियाँ:

- **चक्राकार जल प्रबंधन:** शहरों में उपयोग किए गए कम से कम 20% जल के पुनः उपयोग को अनिवार्य बनाना।
- **प्रकृति आधारित समाधान:** जोहड़, बावड़ी, तालाब, टैंक और

आर्द्रभूमि जैसे पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण और पुनर्जीवन।

- **कृषि सुधार:** कम जल-आवश्यकता वाली फसलों—जैसे मोटे अनाज और दलहन—की ओर फसल विविधीकरण।
- **स्मार्ट तकनीक:** जल रिसाव की पहचान हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संवेदक तकनीक और भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग।

मुख्य चुनौतियाँ:

- **भूजल की कमी:** भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जहाँ कुल निकासी का 80–90% भाग सिंचाई के लिए होता है।
- **जल प्रदूषण:** लगभग 70% सतही जल स्रोत किसी न किसी रूप में दूषित हो चुके हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** अनियमित मानसून और हिमालयी हिमनदों का पीछे हटना जल असुरक्षा को और बढ़ा रहा है।
- **खंडित शासन व्यवस्था:** विभिन्न संस्थाओं के बीच कमजोर समन्वय प्रभावी जल प्रबंधन में बाधा उत्पन्न करता है।

निष्कर्ष:

संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि जल की कमी अब केवल तनाव या अस्थायी संकट नहीं रही, बल्कि अनेक क्षेत्रों में यह अपरिवर्तनीय रूप लेती जा रही है। व्यापक मानव पीड़ा और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए टिकाऊ जल प्रबंधन, समन्वित नीतिगत दृष्टिकोण और मजबूत वैश्विक सहयोग अनिवार्य हैं।

दिल्ली का शीतकालीन प्रदूषण

संदर्भ:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा कराए गए एक हालिया मेटा-विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि दिल्ली के शीतकालीन वायु प्रदूषण में द्वितीयक कणीय पदार्थ सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सर्दियों के मौसम में पीएम2.5 प्रदूषण का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा द्वितीयक कणों से उत्पन्न होता है, जो अब तक अधिक जिम्मेदार माने जाने वाले वाहनों के उत्सर्जन और पराली जलाने जैसे स्रोतों से भी अधिक है।

मेटा-विश्लेषण के प्रमुख निष्कर्ष:

- सीएक्यूएम की इस रिपोर्ट में दिल्ली के वायु प्रदूषण से संबंधित कई स्रोत-विभाजन अध्ययनों का समेकित विश्लेषण किया गया है। सर्दियों के दौरान प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित पाए गए:
    - **द्वितीयक कणीय पदार्थ:** 27 प्रतिशत
    - **परिवहन से होने वाला उत्सर्जन:** 23 प्रतिशत
    - **बायोमास दहन:** 20 प्रतिशत (जिसमें फसल अवशेष तथा नगर ठोस कचरे का जलाया जाना शामिल है)
    - **धूल:** 15 प्रतिशत
    - **औद्योगिक गतिविधियाँ:** 9 प्रतिशत
- यह रिपोर्ट किसी नए प्रदूषण स्रोत की पहचान नहीं करती, बल्कि पूर्ववर्ती अध्ययनों में अपनाई गई विभिन्न पद्धतियों को एकरूप बनाकर नीति-निर्माण के लिए एक अधिक स्पष्ट और समन्वित आकलन प्रस्तुत करती है।

द्वितीयक कणीय पदार्थ क्या हैं?

- द्वितीयक कणीय पदार्थ सीधे वातावरण में उत्सर्जित नहीं होते, बल्कि वायुमंडल में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप बनते हैं। इनके निर्माण में मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक तथा अमोनिया जैसी गैसें शामिल होती हैं।
- **दिल्ली के संदर्भ में:**
    - कोयले के दहन और ईंट भट्टों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है।
    - वाहनों और ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है।
    - ये अम्ल, कृषि में उर्वरकों के उपयोग और पशुओं के मल-मूत्र से निकलने वाली अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया करके अमोनियम सल्फेट तथा अमोनियम नाइट्रेट जैसे सूक्ष्म कण बनाते हैं, जो पीएम2.5 का एक बड़ा भाग होते हैं।
- अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि पीएम2.5 का लगभग 25 से 60 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं सल्फेट और नाइट्रेट कणों से मिलकर बनता है, जिससे द्वितीयक कणीय पदार्थ अत्यंत प्रभावी और घातक प्रदूषक बन जाते हैं।

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव:

- द्वितीयक कणीय पदार्थ अपने अत्यंत सूक्ष्म आकार (पीएम2.5) के कारण विशेष रूप से हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये फेफड़ों के गहरे हिस्सों तक पहुँचने के साथ-साथ रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं।
- इनसे दमा, दीर्घकालिक श्वसन रोग, फेफड़ों का कैंसर, हृदय संबंधी

विकार, नेत्र रोग तथा तीव्र श्वसन संक्रमण जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। चूँकि इन कणों का निर्माण मौसम संबंधी परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है, इसलिए केवल किसी एक स्रोत पर प्रतिबंध लगाकर इन्हें नियंत्रित करना कठिन हो जाता है।

आगे की राह:

- रिपोर्ट यह रेखांकित करती है कि केवल पराली जलाने या यातायात पर प्रतिबंध जैसे प्रत्यक्ष और दिखाई देने वाले स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक है:
  - नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसी पूर्ववर्ती गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना, जिसके लिए स्वच्छ ईंधन, सख्त औद्योगिक मानक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा।
  - उत्सर्जन की विश्वसनीय सूची तैयार करना तथा मजबूत स्रोत-विभाजन अध्ययन करना, जिसे सीएक्यूएम वर्ष 2026 को आधार वर्ष मानकर करने की योजना बना रहा है।
  - बेहतर प्रारंभिक चेतावनी और निर्णय-समर्थन प्रणालियों के माध्यम से वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान को मजबूत बनाना।

निष्कर्ष:

सीएक्यूएम की यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि दिल्ली की वायु प्रदूषण समस्या केवल स्थानीय उत्सर्जन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रासायनिक प्रक्रियाओं और व्यापक प्रणालीगत कारकों से भी गहराई से जुड़ी हुई है। द्वितीयक कणीय पदार्थों के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा, परिवहन, कृषि और शहरी प्रशासन, सभी क्षेत्रों में समन्वित तथा दीर्घकालिक प्रयास आवश्यक हैं। तभी वायु गुणवत्ता में स्थायी और प्रभावी सुधार संभव हो सकेगा।

भारत के नदी डेल्टाओं की चिंताज़नक स्थिति

संदर्भ:

नेचर' (Nature) पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने पुष्टि की है कि भारत के कई प्रमुख नदी डेल्टा वर्तमान में अत्यंत चिंताजनक दर से धंस रहे हैं। यह भौगोलिक गिरावट इतनी तीव्र है कि कई मामलों में भूमि धंसने की यह रफ्तार क्षेत्रीय समुद्र स्तर के बढ़ने की गति को भी पीछे छोड़ रही है। इन डेल्टा क्षेत्रों में 'भूमि धंसाव' (Land Subsidence) का यह संकट मुख्य रूप से अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों का परिणाम है, जिसने लाखों लोगों के जीवन को संकट में डाल दिया है। इस स्थिति के कारण तटीय आबादी पर आकस्मिक बाढ़, स्थायी जलमग्नता और बड़े पैमाने पर विस्थापन का गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

नदी डेल्टा के बारे में:

- डेल्टा वह उपजाऊ भूमि होती है जो नदियों द्वारा लाए गए तलछट (Sediment) के जमाव से बनती है। यह जमाव तब होता है जब नदी किसी बड़े जलाशय (जैसे समुद्र या झील) में प्रवेश करते समय धीमी हो जाती है। ग्रीक अक्षर डेल्टा के नाम पर रखे गए इन क्षेत्रों में समृद्ध मिट्टी और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं।
- डेल्टा आमतौर पर घनी आबादी वाले होते हैं और कृषि, मत्स्य पालन तथा व्यापार के माध्यम से लाखों लोगों का भरण-पोषण करते हैं। हालांकि, ये धंसाव, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। नील, मिसिसिपी और गंगा-ब्रह्मपुत्र (दुनिया का सबसे बड़ा) इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

डेल्टा का महत्व:

- नदी डेल्टा दुनिया के केवल 1% भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं, लेकिन 350-500 मिलियन लोगों और दुनिया के 34 में से 10 मेगा-सिटीज (विशाल शहरों) को सहारा देते हैं। वे कृषि, बंदरगाह और समुद्री व्यापार जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं।
- कम ऊंचाई (अक्सर समुद्र तल से दो मीटर से भी कम) पर स्थित होने के कारण, ये तूफान, बढ़ते समुद्र और बदलते वर्षा पैटर्न जैसे जलवायु खतरों के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- पृथ्वी की सतह का धीरे-धीरे नीचे धंसना (भूमि धंसाव) एक प्रमुख जोखिम कारक के रूप में उभरा है। 2014 और 2023 के बीच, दुनिया के आधे से अधिक अध्ययन किए गए डेल्टाओं में 3 मिमी प्रति वर्ष से अधिक की दर से धंसाव देखा गया।
- **भारत की स्थिति:** भारत के ब्राह्मणी, महानदी और गंगा-ब्रह्मपुत्र सहित 13 डेल्टाओं में धंसने की दर वैश्विक औसत समुद्र स्तर वृद्धि (\approx 4 मिमी/वर्ष) से अधिक पाई गई।
- ब्राह्मणी और महानदी सबसे तेजी से धंसने वाले डेल्टाओं में शामिल हैं, जहाँ बड़े क्षेत्र प्रति वर्ष 5 मिमी से अधिक धंस रहे हैं। यह स्थिति बिना किसी चरम जलवायु घटना के भी बाढ़ के खतरे को काफी बढ़ा देती है।

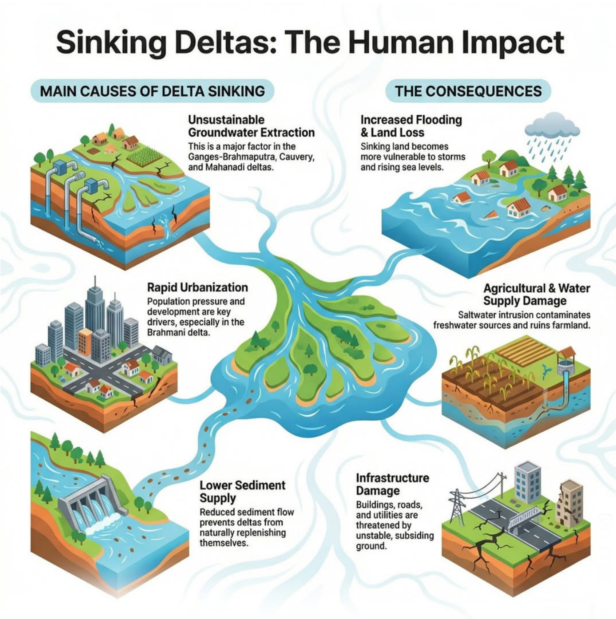

मानवीय गतिविधियां और भूजल दोहन:

- भारतीय डेल्टाओं में धंसाव का प्राथमिक कारण अत्यधिक भूजल दोहन है। कृषि, उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए पानी के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत तलछट दब जाते हैं, जिससे सतह स्थायी रूप से नीचे गिर जाती है।
- इसके अतिरिक्त, ऊपरी इलाकों में बने बाँध और तटबंध तलछट की आपूर्ति को कम कर देते हैं, जिससे डेल्टाओं को मिलने वाला प्राकृतिक पोषण छिन जाता है। यह ठीक वैसा ही पैटर्न है जैसा नील और मिसिसिपी डेल्टाओं में देखा गया है।

भारत के लिए निहितार्थ:

- भारतीय डेल्टाओं को "तैयारी रहित गोताखोर" के रूप में वर्णित किया गया है, जो समुद्र के बढ़ते स्तर का सामना तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास अनुकूलन की क्षमता सीमित है। निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीण और स्वदेशी समुदायों को विस्थापन का सबसे अधिक खतरा है। कोलकाता जैसे शहरी केंद्र भी धंस रहे हैं, जिससे बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता बढ़ गई है।

आगे की राह:

- इन जोखिमों को कम करने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है:
  - » भूजल निष्कर्षण का नियमन: पानी निकालने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना।
  - » प्राकृतिक तलछट प्रवाह की बहाली: नदियों में तलछट के बहाव को फिर से सुचारू करना।
  - » बाढ़ सुरक्षा को मजबूत करना: रक्षात्मक ढांचे तैयार करना।
  - » एकीकृत डेल्टा प्रबंधन नीतियां: व्यापक और समन्वित नीतियां लागू करना।
  - » कमजोर आबादी के लिए सामाजिक और आर्थिक जोखिमों को कम करने वाली प्लानिंग को प्राथमिकता देना।

निष्कर्ष:

भारत के नदी डेल्टा खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं। मानवीय गतिविधियों और बढ़ते समुद्र के कारण बढ़ता धंसाव एक बड़े संकट का संकेत है। साक्ष्यों पर आधारित नीतिगत हस्तक्षेप ही इन नाजुक क्षेत्रों और लाखों लोगों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत का एआई दृष्टिकोण: समावेशी विकास, संप्रभु नवाचार और विकसित भारत @2047

संदर्भ:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आज वैश्विक शक्ति-संतुलन, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक परिवर्तन का निर्णायक कारक बन चुकी है। जिन देशों ने समय रहते एआई को नीति, निवेश और संस्थागत सुधारों के साथ अपनाया है, वे नवाचार, उत्पादकता और वैश्विक प्रभाव में अग्रणी बन रहे हैं। भारत भी इसी परिवर्तनकारी दौर में है। एआई अब शोध प्रयोगशालाओं या बड़ी कंपनियों तक सीमित न रह कर हर स्तर पर नागरिकों के जीवन में प्रवेश कर चुकी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ हुई गोलमेज़ बैठक और आगामी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि भारत एआई को केवल तकनीकी उन्नयन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास रणनीति के रूप में देख रहा है।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026:

- भारत 19–20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में 'भारत-एआई इम्पैक्ट समिट' आयोजित करेगा। यह वैश्विक दक्षिण (Global South) में आयोजित होने वाला पहला उच्चस्तरीय वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा फ्रांस में आयोजित एआई एक्शन समिट में की थी।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - » यह शिखर सम्मेलन एक बहुपक्षीय मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य जिम्मेदार, समावेशी और विकासोन्मुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सहयोग को आगे बढ़ाना है। इसके प्रमुख विषयों में एआई गवर्नेंस, नैतिकता, डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), कौशल विकास, और सार्वजनिक हित के क्षेत्रों, जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जलवायु और आपदा प्रबंधन, में एआई के अनुप्रयोग शामिल होंगे।
- **महत्व:**
  - » यह पहल भारत की "समावेशी डिजिटल विकास" की दृष्टि को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करती है और वैश्विक दक्षिण की विकासात्मक आवश्यकताओं को एआई एजेंडा के केंद्र में लाती है। साथ ही, यह नियम-आधारित, मानव-केंद्रित एआई के लिए साझा मानकों, सर्वोत्तम प्रथाओं और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करेगी। भारत के लिए यह डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं, स्टार्टअप पारिस्थितिकी और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी कूटनीति में नेतृत्व स्थापित करने का अवसर भी है।

भारत का एआई इकोसिस्टम: वर्तमान परिदृश्य:

- भारत का तकनीकी और एआई इकोसिस्टम तीव्र गति से विस्तार कर रहा है। अनुमानतः इस क्षेत्र का वार्षिक राजस्व 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और 60 लाख से ज्यादा पेशेवर इसमें कार्यरत हैं। देश में 1,800 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) हैं, जिनमें 500 से अधिक एआई पर केंद्रित हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम भी उल्लेखनीय है, लगभग 1.8 लाख स्टार्टअप्स में से नए स्टार्टअप्स का बड़ा हिस्सा एआई को अपने उत्पादों और सेवाओं में एकीकृत कर रहा है।
- वैश्विक स्तर पर भी भारत की स्थिति सुदृढ़ हुई है। स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल (2025) के अनुसार, भारत एआई प्रतिस्पर्धात्मकता में विश्व का तीसरा प्रमुख देश बनकर उभरा है।

यह उपलब्धि प्रतिभा, अनुसंधान, निवेश और नीतिगत समर्थन के समन्वय का परिणाम है।

इंडियाएआई मिशन: भारत की एआई रणनीति का आधार:

- भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) यात्रा का केंद्रीय स्तंभ इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है, को मार्च 2024 में ₹10,371.92 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृति दी गई। मिशन का विज़न "भारत में एआई बनाना और एआई को भारत के लिए कारगर बनाना" डिजिटल संप्रभुता और लोक-कल्याण को साथ लेकर चलता है।
- इंडियाएआई मिशन के सात स्तंभ हैं:
  - » **इंडियाएआई कंप्यूट स्तंभ:** यह स्तंभ किफायती लागतों पर उच्च-स्तरीय जीपीयू उपलब्ध कराता है। अब तक 38,000 से अधिक जीपीयू शामिल किए गए हैं।
  - » **इंडियाएआई एप्लिकेशन डिवेलपमेंट पहल:** यह स्तंभ विशिष्ट रूप से भारत की चुनौतियों के लिए एआई एप्लीकेशन विकसित करता है। इसमें स्वास्थ्य सेवा, कृषि, जलवायु परिवर्तन, शासन, और सहायक शिक्षण प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। जैसे, साइबरगार्ड एआई हैकथॉन
  - » **एआईकोश (डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म):** एआईकोश एआई मॉडल्स के प्रशिक्षण के लिए बड़े डेटासेट विकसित करता है। यह सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से डेटा एकीकृत करता है। ये संसाधन डेवलपर्स को बुनियादी मॉड्यूल बनाने के बजाय एआई समाधान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं।
  - » **इंडियाएआई फाउंडेशन मॉडल्स:** यह स्तंभ भारतीय डेटा और भाषाओं का उपयोग करके भारत के अपने बड़े मल्टीमॉडल मॉडल्स विकसित करता है। यह जनरेटिव एआई में संप्रभु क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करता है।
  - » **इंडियाएआई फ़्यूचर स्किल्स:** यह स्तंभ एआई-कुशल पेशेवर तैयार करता है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब्स स्थापित की जा रही हैं।
  - » **इंडियाएआई स्टार्टअप वित्तपोषण:** यह स्तंभ एआई स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह मार्च 2025 में लॉन्च किया गया।
  - » **सुरक्षित और विश्वसनीय एआई:** यह स्तंभ मजबूत शासन के साथ जिम्मेदार एआई एडॉप्शन सुनिश्चित करता है। ये मशीन अनलर्निंग, पूर्वाग्रह शमन, निजता-संरक्षित मशीनलर्निंग, व्याख्यात्मकता, ऑडिटिंग, और शासन परीक्षण पर केंद्रित हैं।

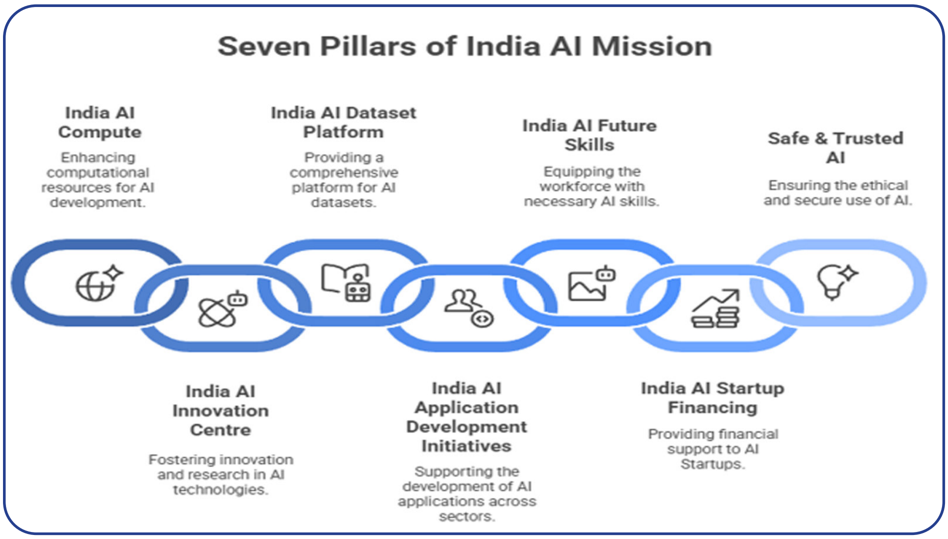

एआई के व्यावहारिक अनुप्रयोग:

- **कृषि:** एआई मौसम पूर्वानुमान, कीट-रोग पहचान और सिंचाई सलाह के माध्यम से किसानों को डेटा-आधारित निर्णय लेने में सहायता कर रही है। उपग्रह डेटा और मृदा विश्लेषण से उपज व आय-सुरक्षा में सुधार हो रहा है।
- **स्वास्थ्य सेवा:** एआई-आधारित डायग्नोस्टिक्स, टेलीमेडिसिन और व्यक्तिगत उपचार योजनाएँ ग्रामीण–शहरी स्वास्थ्य अंतर को कम कर रही हैं। इससे समय, लागत और त्रुटियों में कमी आती है।
- **शिक्षा और कौशल विकास:** व्यक्तिगत शिक्षण (Personalised Learning), बहुभाषी सामग्री और एआई-सहायता प्राप्त प्लेटफ़ॉर्म शिक्षा को अधिक समावेशी बना रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एआई कौशल का समावेशन भविष्य के कार्यबल को तैयार

कर रहा है।

- **शासन और न्याय:** ई-कोर्ट्स, एआई-आधारित अनुवाद और दस्तावेज़ विश्लेषण से न्याय तक पहुँच सरल हो रही है। बहुभाषी निर्णय उपलब्धता शासन की पारदर्शिता बढ़ाती है।
- **मौसम और जलवायु सेवाएँ:** एआई भारत की प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत कर रहा है। एडवांस्ड ड्वोरक तकनीक चक्रवात की तीव्रता का अनुमान लगाने में मदद करती है।
- **शासन और न्यायालय सम्बन्धी सेवाएं:** एआई शासन और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी को पुनः आकार दे रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट फेज III के तहत, न्याय प्रणाली को अधिक कुशल और सुलभ बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया जा रहा है। ई-एचसीआर और ई-आईएलआर जैसे डिजिटल कानूनी प्लेटफ़ॉर्म अब नागरिकों को कई क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन निर्णयों तक पहुँच प्रदान करते हैं, जिससे न्याय प्रदाय अधिक पारदर्शी और समावेशी बनता है।

अन्य प्रमुख सरकारी पहलें और नीतिगत प्रोत्साहन:

भारत सरकार परिवर्तनकारी पहलों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपने एआई विज़न को कार्य रूप दे रही है।

- **एआई उत्कृष्टता केंद्र:** अनुसंधान-आधारित नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, और टिकाऊ शहरों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में तीन उत्कृष्टता केंद्र (CoEs) स्थापित किए हैं। ये केंद्र सहयोगात्मक स्थान के रूप में डिज़ाइन किए गए हैं जहाँ अकादमिक, उद्योग और सरकारी संस्थान मिलकर स्केलेबल एआई समाधान विकसित करते हैं। इसके साथ ही, पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योग-संगत एआई कौशल के साथ तैयार किया जा सके और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल विकसित किया जा सके।
- **एआई दक्षता ढांचा:** यह ढांचा सरकारी अधिकारियों के लिए संरचित प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे वे आवश्यक एआई कौशल प्राप्त कर सकें और उन्हें नीति निर्माण और शासन में लागू कर सकें। वैश्विक मानकों के अनुरूप डिज़ाइन किया गया, यह ढांचा सुनिश्चित करता है कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र सूचित, चुस्त, और एआई-प्रेरित भविष्य के लिए तैयार रहे।
- **सर्वम एआई:** सर्वम् एआई, बेंगलुरु स्थित कंपनी, उन्नत एआई अनुसंधान को व्यावहारिक शासन समाधानों में परिवर्तित कर रही है। यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के साथ साझेदारी में, यह जनरेटिव एआई का उपयोग करके आधार सेवाओं को अधिक स्मार्ट और सुरक्षित बना रही है।
- **भाषिणी:** भाषिणी एक एआई-संचालित प्लेटफ़ॉर्म है जो कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद और संभाषण उपकरण प्रदान करके भाषा की बाधाओं को मिटाता है। यह नागरिकों को आसानी से डिजिटल सेवाएं उपयोग करने में मदद करता है, भले ही वे पढ़ने-लिखने में सहज न हों।
- **भारतजेन एआई:** 2 जून 2025 को भारतजेन समिट में लॉन्च किया गया, भारतजेन एआई पहला सरकार द्वारा वित्तपोषित, देशज मल्टीमॉडल बड़ा भाषा मॉडल है। यह 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और टेक्स्ट, संभाषण, और छवि की समझ को एकीकृत करता है।
- **इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026:** भारत, फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी करेगा। इस समिट में भारत की एआई क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा।

समावेशी सामाजिक विकास और नीति आयोग का दृष्टिकोण:

- अक्टूबर 2025 की नीति आयोग की रिपोर्ट "समावेशी सामाजिक विकास के लिए एआई" भारत के विशाल अनौपचारिक कार्यबल को सशक्त बनाने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग का एक व्यावहारिक और समावेशी रोडमैप प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट का तर्क है कि एआई को श्रमिकों का विकल्प नहीं, बल्कि उनकी उत्पादकता, सुरक्षा और आय-वृद्धि का साधन बनना चाहिए।
- रिपोर्ट वास्तविक जीवन के अनुभवों, जैसे गृह स्वास्थ्य सहायक, बढ़ई, किसान आदि, के माध्यम से अनौपचारिक श्रमिकों के सामने मौजूद प्रणालीगत बाधाओं और उनकी आकांक्षाओं को उजागर करती है। इसमें एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और इमर्सिव लर्निंग को ऐसे सक्षम उपकरणों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो भाषा, साक्षरता, भुगतान, कौशल और सूचना से जुड़ी चुनौतियों को दूर कर सकते हैं।
- 2035 तक के लिए परिकल्पित भविष्य में वॉयस-फर्स्ट एआई इंटरफेस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से पारदर्शी भुगतान, तथा माइक्रो-क्रेडेंशियल्स और ऑन-डिमांड लर्निंग के ज़रिये निरंतर कौशल उन्नयन की व्यवस्था शामिल है। इस दृष्टि का केंद्र डिजिटल

श्रमसेतु मिशन है, जो राज्य-प्रेरित कार्यान्वयन, नियामक समर्थन और बहु-हितधारक साझेदारियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर एआई अपनाने को बढ़ावा देगा।

- अंततः, रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि समावेशी डिजिटल विकास के लिए केवल तकनीकी आशावाद नहीं, बल्कि समन्वित आर एंड डी निवेश, लक्षित कौशल विकास और मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक है। आधार, यूपीआई और जन धन जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाओं की सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत में समावेशी और स्केलेबल डिजिटल समाधान संभव हैं।

चुनौतियाँ:

- **डेटा की गुणवत्ता और निजता:** एआई प्रणालियों की प्रभावशीलता बड़े और विश्वसनीय डेटा पर निर्भर करती है। भारत में डेटा का बिखराव, असंगत गुणवत्ता और मानकीकरण की कमी एआई मॉडल्स की सटीकता को प्रभावित करती है। साथ ही, नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और निजता एक गंभीर चिंता है, विशेषकर तब जब एआई का उपयोग स्वास्थ्य, पहचान और वित्तीय सेवाओं में किया जा रहा हो।
- **एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह और नैतिकता:** यदि एआई प्रणालियाँ पक्षपातपूर्ण या अपूर्ण डेटा पर प्रशिक्षित होती हैं, तो वे सामाजिक भेदभाव को दोहरा या बढ़ा सकती हैं। जाति, लिंग, क्षेत्र और भाषा से जुड़े पूर्वाग्रह एल्गोरिद्मिक निर्णयों में परिलक्षित हो सकते हैं, जिससे समानता और न्याय के संवैधानिक मूल्यों पर प्रश्न खड़े होते हैं।
- **डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण और हाशिये के समुदाय:** डिजिटल अवसंरचना, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की असमानता के कारण एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहे हैं। ग्रामीण, आदिवासी और हाशिये पर स्थित समुदायों के लिए एआई-आधारित सेवाओं तक पहुँच अभी भी सीमित है, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ और गहरी हो सकती हैं।
- **नियामक संतुलन: नवाचार बनाम नियंत्रण:** नीति-निर्माताओं के सामने चुनौती यह है कि वे नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए सुरक्षा, नैतिकता और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन स्थापित करें।

निष्कर्ष:

भारत की एआई यात्रा एक स्पष्ट संदेश देती है कि प्रौद्योगिकी का उद्देश्य केवल दक्षता नहीं, बल्कि समावेश, सशक्तिकरण और न्याय होना चाहिए। इंडियाएआई मिशन, समावेशी नीतियाँ और क्षेत्रवार अनुप्रयोग भारत को न केवल तकनीकी रूप से सक्षम, बल्कि सामाजिक रूप से उत्तरदायी एआई शक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, एआई भारत के लिए एक साधन है जो आर्थिक वृद्धि के साथ मानवीय मूल्यों को भी सुदृढ़ करता है।

संक्षिप्त मुद्दे

कॉस्मिक डस्ट (अंतरिक्षीय धूल) के कणों की पहचान

संदर्भ:

हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने प्रयोगात्मक डेटा के आधार पर पुष्टि की है कि अंतरग्रहीय धूल के कण (IDPs) पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में लगभग हर 1,000 सेकंड (≈16 मिनट) में एक कण की दर से टकराते हैं। यह खोज XPoSat मिशन के साथ लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर, डस्ट एक्सपेरिमेंट (DEX) द्वारा किए गए अवलोकनों पर आधारित है।

डस्ट एक्सपेरिमेंट (DEX) के बारे में:

- DEX एक छोटा और हल्का (3 किग्रा) वैज्ञानिक उपकरण है जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL), अहमदाबाद द्वारा विकसित किया गया है। इसे 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किए गए PSLV-C58 XPoSat मिशन के दौरान PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल (POEM) पर तैनात किया गया था।
  - **कार्य सिद्धांत:** DEX एक 'हाइपरवेलोसिटी इम्पैक्ट डिटेक्टर' (अति-वेग प्रभाव डिटेक्टर) का उपयोग करता है। इसे पृथ्वी के निकट बेहद तेज गति से प्रवेश करने वाले सूक्ष्म अंतरिक्ष धूल कणों को महसूस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - **डिटेक्शन डेटा:** लगभग 350 किमी की ऊँचाई और 140°

चौड़े 'फील्ड ऑफ व्यू' पर कार्य करते हुए, DEX ने जनवरी और फरवरी 2024 के बीच धूल के प्रभावों को रिकॉर्ड किया। आंकड़ों ने पुष्टि की कि सूक्ष्म कणों का प्रभाव लगातार हर 1,000 सेकंड में हो रहा है, जो पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष में धूल के निरंतर प्रवाह (flux) को प्रमाणित करता है।

अंतरग्रहीय धूल कण (IDPs) क्या हैं?

- अंतरग्रहीय धूल के कण सूक्ष्म टुकड़े होते हैं जो धूमकेतुओं, क्षुद्रग्रहों (asteroids), उल्कापिंडों और अन्य खगोलीय पिंडों से उत्पन्न होते हैं। ये कण पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष में धूल की एक पतली परत बनाते हैं और कभी-कभी 'टूटते हुए तारों' के रूप में तब दिखाई देते हैं जब वे वायुमंडल में प्रवेश करते समय जल जाते हैं।
- अपने सूक्ष्म आकार के बावजूद, ये कण अति-वेग (hypervelocity) गति से यात्रा करते हैं, जिससे वे अंतरिक्ष यान, उपग्रहों और भविष्य के मानव मिशनों को टकराने पर गंभीर नुकसान पहुँचाने में सक्षम होते हैं।

यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है?

- **अंतरिक्ष वातावरण की समझ बढ़ाना:** पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष में धूल के घनत्व और व्यवहार को समझने से अंतरिक्ष के वातावरण (जिसे अक्सर 'अंतरिक्ष मौसम' कहा जाता है) की व्यापक समझ में मदद मिलती है। वर्तमान और भविष्य की अंतरिक्ष संपत्तियों के जोखिमों का आकलन करने के लिए यह ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **अंतरिक्ष यान और उपग्रहों की सुरक्षा:** 4 किमी/सेकंड से अधिक की गति से यात्रा करने वाले कण 'हाइपरवेलोसिटी इम्पैक्ट' पैदा कर सकते हैं, जिससे सतह के मामूली घर्षण से लेकर विनाशकारी संरचनात्मक विफलता तक हो सकती है। सुरक्षात्मक शील्ड डिजाइन करने और अंतरिक्ष यान प्रणालियों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रभाव दर और धूल प्रवाह पर सटीक डेटा आवश्यक है।

वैज्ञानिक और रणनीतिक प्रभाव:

- **ग्रह विज्ञान:** IDPs पर डेटा वैज्ञानिकों को प्रारंभिक सौर मंडल के गठन और ग्रहों के वायुमंडल के विकास को समझने में मदद करता है।
- **अंतरिक्ष मौसम निगरानी:** धूल प्रवाह की निरंतर निगरानी अंतरिक्ष मौसम के पूर्वानुमान से जुड़ी है, जो संचार, नेविगेशन और पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- **अपनी तरह की पहली उपलब्धि:** DEX की सफल तैनाती और संचालन स्वदेशी अंतरिक्ष विज्ञान उपकरणों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो उन्नत अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।

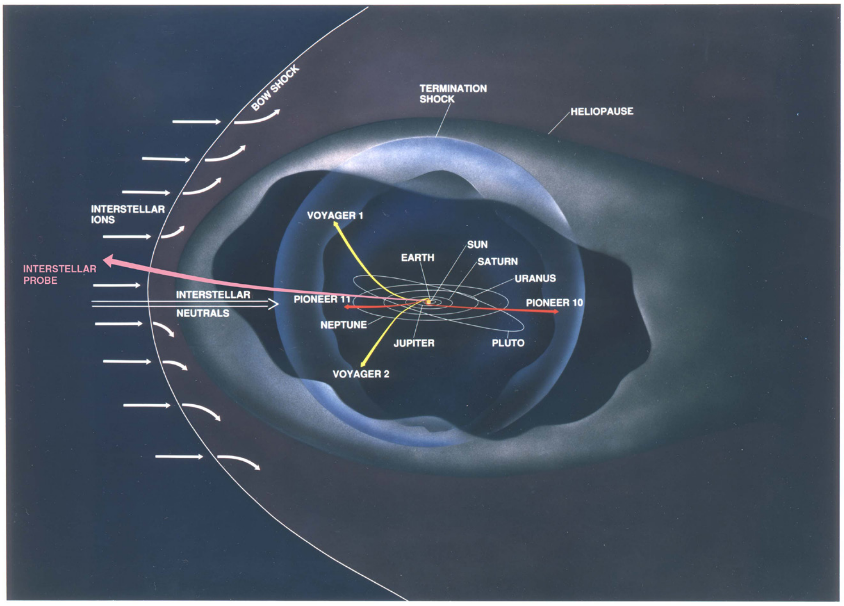

निष्कर्ष:

इसरो की यह पुष्टि न केवल एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों (मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरग्रहीय अन्वेषण सहित) के लिए एक रणनीतिक उपलब्धि भी है। DEX की सफलता अंतरिक्ष पर्यावरण की बेहतर समझ, उन्नत अंतरिक्ष यान सुरक्षा डिजाइन और सौर मंडल के ग्रहों के वायुमंडल में गहरी अंतर्दृष्टि का मार्ग प्रशस्त करती है।

दिल्ली में रेबीज 'अधिसूचित रोग' घोषित

संदर्भ:

दिल्ली सरकार ने 'महामारी रोग अधिनियम, 1897' के तहत रेबीज को एक अधिसूचित रोग (Notifiable Disease) घोषित करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य रोग की निगरानी को मजबूत करना, समय

पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना और बचाव योग्य बीमारी का त्वरित उपचार सुलभ कराना है।

रेबीज के विषय में:

- रेबीज एक विषाणु जनित ज़ूनोटिक बीमारी है, जिसका प्रसार मुख्य रूप से संक्रमित कुत्तों के काटने अथवा उनके लार के संपर्क में आने से होता है। इस रोग की सबसे गंभीर चुनौती इसकी उच्च मृत्यु दर है। वस्तुतः एक बार नैदानिक लक्षण (Clinical Symptoms) प्रकट होने के पश्चात यह बीमारी लगभग हमेशा घातक सिद्ध होती है।
- हालांकि, चिकित्सकीय दृष्टिकोण से यह पूरी तरह निवारण योग्य है, बशर्ते पीड़ित को समय पर 'पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस' (PEP) यानी उचित टीकाकरण और उपचार उपलब्ध कराया जाए। दिल्ली सरकार द्वारा इसे अधिसूचित रोग घोषित करने का निर्णय भारत के उस व्यापक रणनीतिक लक्ष्य के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य एकीकृत स्वास्थ्य प्रयासों के माध्यम से कुत्तों द्वारा होने वाली मानवीय रेबीज मौतों को पूर्णतः समाप्त करना है।

पृष्ठभूमि:

- भारत में कमजोर निगरानी प्रणाली के कारण ऐतिहासिक रूप से रेबीज के मामलों की रिपोर्टिंग बहुत कम रही है, जिसके परिणामस्वरूप डेटा में कमी और चिकित्सा हस्तक्षेप में देरी होती रही है। वर्तमान में एंटी-रेबीज वैक्सीन (ARV) और रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन (RIG) की उपलब्धता के बावजूद, कई पीड़ित समय पर उपचार नहीं करा पाते, जिससे ऐसी मौतें होती हैं जिन्हें उचित समय पर रोका जा सकता था।
- अब रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करने से सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाएगा कि वे संदिग्ध, संभावित और पुष्ट मामलों की रिपोर्ट निर्दिष्ट अधिकारियों को दें। यह कदम न केवल सटीक डेटा संग्रह और त्वरित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा, बल्कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करके मृत्यु दर को कम करने में भी निर्णायक सिद्ध होगा।

इस निर्णय के मुख्य प्रावधान:

- अधिसूचना लागू होने के बाद, दिल्ली के सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को मानवीय रेबीज के हर मामले की सूचना तुरंत उचित अधिकारियों को देनी होगी।
- रिपोर्टिंग तंत्र को 'एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम' (IDSP) के साथ जोड़ा जाएगा ताकि रियल-टाइम निगरानी और रुझानों का विश्लेषण किया जा सके।
- वर्तमान में, दिल्ली 59 स्वास्थ्य सुविधाओं में एंटी-रेबीज टीके और 33 केंद्रों पर रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन प्रदान करती है। सरकार 'रेबीज उन्मूलन के लिए राज्य कार्य योजना' (SAPRE) को लागू करने की योजना बना रही है, जो "वन हेल्थ" (One Health) दृष्टिकोण अपनाती है। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा सेवाओं और स्थानीय निकायों को एक साथ जोड़ा जाएगा।

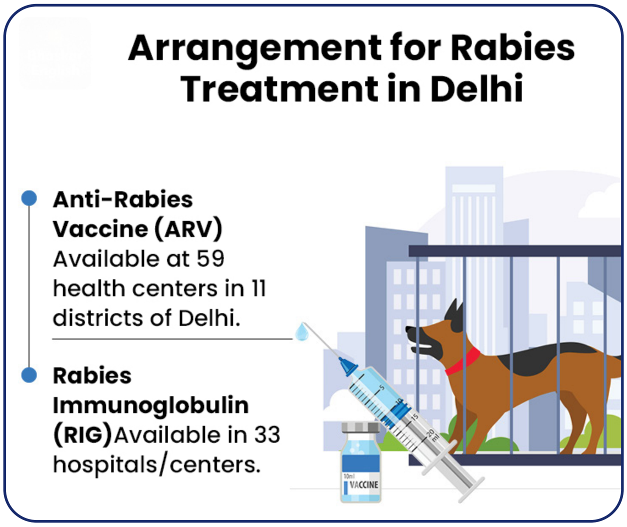

महामारी रोग अधिनियम, 1897 के बारे में:

- यह औपनिवेशिक काल का कानून है जिसे 4 फरवरी, 1897 को शुरू में बॉम्बे में ब्यूबोनिक प्लेग को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था।
- यह अधिनियम राज्य सरकारों को महामारी के दौरान असाधारण कदम उठाने का अधिकार देता है, जिसमें सार्वजनिक व्यवहार पर नियम जारी करना, निरीक्षण करना, क्वारंटाइन लागू करना और रोकथाम की रणनीतियां बनाना शामिल है।

महत्व:

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी:** अनिवार्य अधिसूचना से मजबूत महामारी विज्ञान डेटा प्राप्त होगा, जिससे साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और संसाधनों का कुशल आवंटन संभव होगा।
- **समय पर उपचार:** त्वरित रिपोर्टिंग से PEP (टीकाकरण) का जल्दी प्रशासन सुनिश्चित होगा, जो मृत्यु को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **उन्मूलन लक्ष्य:** यह उपाय राष्ट्रीय और वैश्विक लक्ष्यों का समर्थन करता है ताकि एकीकृत टीकाकरण और जन जागरूकता के माध्यम से रेबीज को समाप्त किया जा सके।

चुनौतियाँ:

- निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से नियमों का पालन कराना, टीकों और RIG की निरंतर आपूर्ति बनाए रखना और पशु के काटने पर तुरंत रिपोर्ट करने के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना बड़ी चुनौतियाँ हैं।

निष्कर्ष:

दिल्ली में मानवीय रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करना एक सक्रिय और निवारक सार्वजनिक स्वास्थ्य कदम है। यह रोग की निगरानी को मजबूत करता है, त्वरित चिकित्सा और प्रशासनिक प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है और रोकी जा सकने वाली मौतों को कम करता है। यह निर्णय साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत की पहली राज्य-वित्तपोषित BSL-4 प्रयोगशाला

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर, गुजरात में गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (GBRC) में एक उच्च-नियंत्रण जैव सुरक्षा स्तर-4 (BSL-4) प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। इस सुविधा को भारत के लिए एक "स्वास्थ्य कवच" के रूप में वर्णित किया गया है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा और जैव प्रौद्योगिकी क्षमता में एक नए चरण की शुरुआत है।

BSL-4 सुविधा के बारे में:

- BSL-4 जैव सुरक्षा नियंत्रण के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक और अत्यधिक संक्रामक रोगजनकों (Pathogens) पर शोध के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनके लिए वर्तमान में प्रभावी उपचार या टीके उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।
- **प्रमुख गतिविधियाँ:** रोगजनकों का अलगाव (Isolation), निदान, चिकित्सा और वैक्सीन विकास, तथा तीव्र प्रकोप प्रतिक्रिया। ये सभी कार्य कड़े नियंत्रण और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत किए जाते हैं।
- **लागत और संरचना:** यह प्रयोगशाला गुजरात राज्य जैव प्रौद्योगिकी मिशन (GSBTM) के तहत ₹362 करोड़ की लागत से 11,000 वर्ग मीटर में बनाई जाएगी। इसमें BSL-4, BSL-3, BSL-2 के साथ-साथ पशु अनुसंधान के लिए ABSL-4 और ABSL-3 जैसी कई मॉड्यूल सुविधाएं शामिल होंगी।
- **ऐतिहासिक महत्व:** पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) के बाद यह भारत की दूसरी नागरिक BSL-4 प्रयोगशाला होगी, लेकिन किसी राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित और संचालित होने वाली यह पहली प्रयोगशाला है।

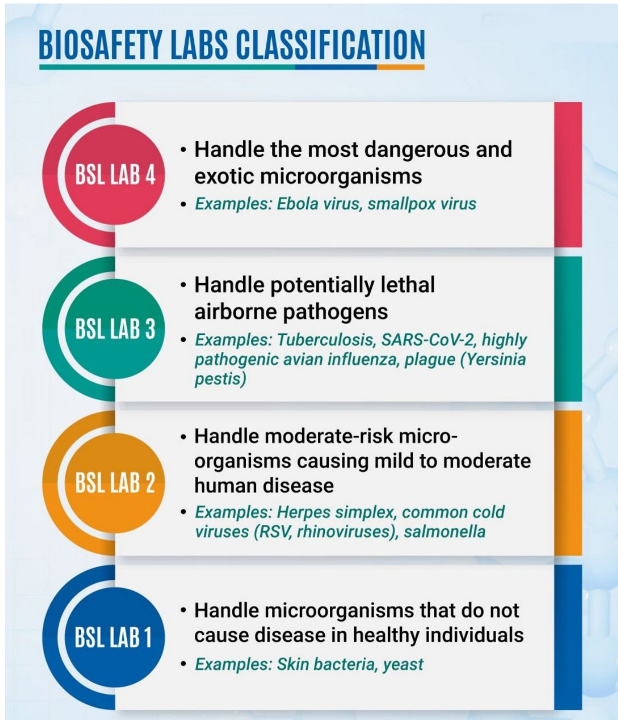

रोगजनकों (Pathogens) के बारे में:

- रोगजनक बीमारी फैलाने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जिनमें वायरस, बैक्टीरिया, कवक , प्रोटोजोआ और कृमि शामिल हैं। ये किसी मेजबान (Host) के शरीर में प्रवेश कर अपनी संख्या बढ़ाते हैं और सामान्य शारीरिक कार्यों को बाधित करते हैं, जिससे संक्रामक रोग होते हैं।

संस्थानिक और रणनीतिक महत्व:

- यह प्रयोगशाला गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (GBRC) के तहत संचालित होगी, जिसके पास पहले से ही BSL-2+ सुविधा है। यह COVID-19 महामारी के दौरान SARS-CoV-2 जीनोम को अनुक्रमित करने वाले भारत के पहले संस्थानों में से एक था।
- नई सुविधा उच्च-नियंत्रण रोगजनक अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगी, जो घातक मानव और पशु रोगों, विशेष रूप से ज़ूनोटिक संक्रमणों (जानवरों से इंसानों में फैलने वाली

बीमारियाँ) के प्रबंधन की क्षमता को मजबूत करेगी।

भारत में जैव सुरक्षा प्रयोगशाला परिदृश्य:

- इस पहल से पहले, भारत में पुणे स्थित NIV में केवल एक नागरिक BSL-4 प्रयोगशाला थी। वायरस अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला (VRDL) योजना के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में महामारी की तैयारी बढ़ाने के लिए 154 BSL-2 और 11 BSL-3 प्रयोगशालाओं सहित कुल 165 जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है।

भारत के लिए महत्व:

- **जैव सुरक्षा:** यह देश की बायो-सिक्योरिटी, स्वास्थ्य तैयारियों और बीमारियों के प्रकोप को रोकने की शक्ति को बढ़ाता है।
- **वन हेल्थ अप्रोच:** वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास और मानव व पशु स्वास्थ्य को एकीकृत करने वाले 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण को समर्थन देता है।
- **आत्मनिर्भरता:** उच्च जोखिम वाले रोगजनकों के शोध के लिए विदेशी प्रयोगशालाओं पर निर्भरता कम होगी।
- **वैश्विक नेतृत्व:** वैश्विक जैविक अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

निष्कर्ष:

गुजरात में राज्य-वित्तपोषित BSL-4 प्रयोगशाला की स्थापना भारत की सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। यह लैब वैज्ञानिकों को सबसे खतरनाक वायरस पर सुरक्षित रूप से शोध करने की प्रेरणा देगी, जिससे बीमारियों का तुरंत पता लगाना और उनके टीके तेजी से बनाना आसान होगा। यह कदम न केवल भारत की स्वास्थ्य नीति को मजबूत करेगा, बल्कि देश को दुनिया भर में स्वास्थ्य सुरक्षा के मामले में एक अधिक सक्षम और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा।

पीएसएलवी-सी62/ईओएस-एन1 मिशन

संदर्भ:

12 जनवरी 2026 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का PSLV-C62 मिशन विफल रहा, जो एक वर्ष के भीतर भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) के लिए दूसरी लगातार असफलता थी। यह मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और इसमें घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए 16 उपग्रह ले जाए गए थे। इस असफलता ने ISRO की प्रक्षेपण विश्वसनीयता और भविष्य के रणनीतिक मिशनों की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मिशन के बारे में:

- इस मिशन में मुख्य उपग्रह EOS-N1 (अन्वेशा) था, जो DRDO द्वारा विकसित एक रणनीतिक पृथ्वी अवलोकन और निगरानी उपग्रह है। सह-यात्री उपग्रहों में 15 अन्य उपग्रह शामिल थे, जिनमें से सात उपग्रह बेंगलुरु स्थित ध्रुव स्पेस के और अन्य ब्राज़ील, नेपाल और यूके से थे।
- मिशन में AayulSAT भी शामिल था, जो भारत का पहला ऑन-ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग डेमोंस्ट्रेटर था, और यह ISRO के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक सहयोग पर ध्यान को दर्शाता है।

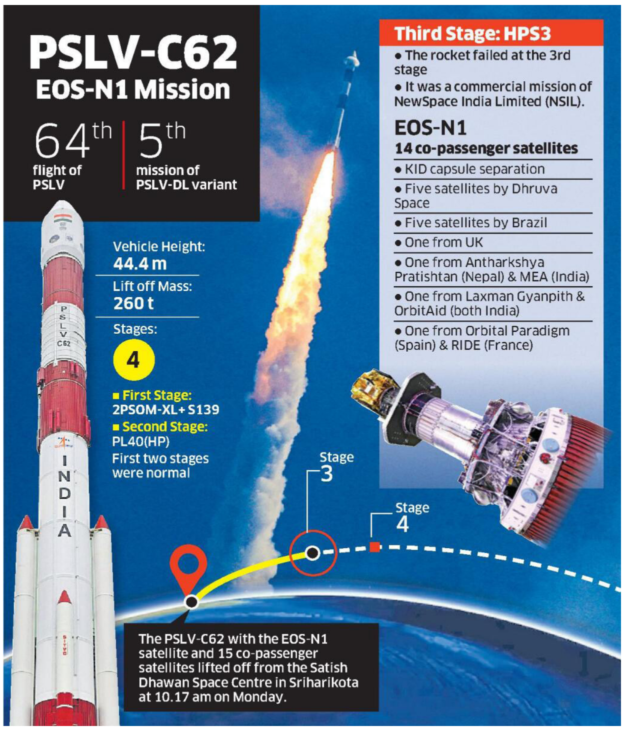

प्रक्षेपण यान के बारे में:

- इस मिशन में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी-सी62) के डीएल विन्यास का उपयोग किया जाएगा, जिसमें दो ठोस स्ट्रैप-ऑन बूस्टर लगाए गए होंगे।
- यह पीएसएलवी की 64वीं उड़ान होगी, जिसे भारत के अंतरिक्ष प्रक्षेपण बेड़े का सबसे विश्वसनीय और सिद्ध प्रक्षेपण यान माना जाता है।

- पीएसएलवी का सफल अभियानों का एक दीर्घ इतिहास रहा है, जिसमें चंद्रयान-1, मंगल ऑर्बिटर मिशन जैसे ऐतिहासिक मिशन शामिल हैं। इन अभियानों ने वैश्विक स्तर पर भारत की अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षमता और विश्वसनीयता को सुदृढ़ रूप से स्थापित किया है।

असफलता के निहितार्थ:

- यह घटना PSLV-C61 की मई 2025 में हुई असफलता के बाद हुई है, जिसमें भी तीसरे चरण (थर्ड स्टेज) में तकनीकी खराबी शामिल थी। लगातार दो असफलताओं ने गुणवत्ता नियंत्रण, चरणीय विश्वसनीयता और PSLV की पारंपरिक "वर्कहॉर्स" स्थिति पर प्रश्न उठाए हैं, जो ऐतिहासिक रूप से दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च वाहनों में से एक रही है।
- इस असफलता के बावजूद, यह मिशन सॉलिड-फ्यूल स्टेज की गतिशीलता और मिशन जोखिम प्रबंधन पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जो भविष्य के PSLV मिशनों और गगनयान से संबंधित उड़ानों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के बारे में:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1969 में डॉ. विक्रम साराभाई के दूरदर्शी नेतृत्व में की गई थी। यह संगठन अंतरिक्ष विभाग (DoS) के अधीन कार्य करता है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को उत्तरदायी है। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है।
- **दायित्व और उद्देश्य:**
    - » इसरो का प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना तथा अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान को निरंतर आगे बढ़ाना है।
    - » इसकी प्रमुख गतिविधियों में उपग्रहों का निर्माण, प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी का विकास, विभिन्न अंतरिक्ष अनुप्रयोगों का विस्तार तथा ग्रहों और अंतरिक्ष का अन्वेषण शामिल है।
- **प्रमुख उपलब्धियाँ:**
    - » **आर्यभट्ट (1975):** भारत का पहला उपग्रह
    - » **PSLV:** विश्वसनीय और किफायती प्रक्षेपण यान
    - » **GSLV और LVM3:** भारी वजन उठाने की क्षमता
    - » **चंद्रयान-3 (2023):** चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग
    - » **मंगल ऑर्बिटर मिशन (2014):** पहले ही प्रयास में सफलता
    - » **आदित्य-एल1:** भारत का पहला सौर मिशन

निष्कर्ष:

12 जनवरी 2026 को प्रस्तावित पीएसएलवी-सी62 / ईओएस-एन1 मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। यह मिशन पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवाचार तथा वैश्विक सहयोग के प्रति इसरो की निरंतर प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। साथ ही, यह वैज्ञानिक, रणनीतिक एवं व्यावसायिक उद्देश्यों का समन्वय करते हुए भारत के सशक्त, आत्मनिर्भर और जीवंत अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक और ठोस एवं निर्णायक कदम सिद्ध होता है।

मेटाबॉलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीयोटिक लिवर डिजीज (MASLD)

संदर्भ:

हाल ही में, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीयोटिक लिवर डिजीज (MASLD) भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में उभर रहा है।

MASLD के विषय में:

- मेटाबॉलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीयोटिक लिवर डिजीज (MASLD), जिसे पूर्व में 'नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज' (NAFLD) कहा जाता था, एक अत्यंत सामान्य किंतु लक्षणरहित स्थिति है।
- इसकी मुख्य विशेषता लिवर में अतिरिक्त वसा का जमा होना है, जो सीधे तौर पर मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे मेटाबॉलिक कारकों से जुड़ी होती है।
- वैश्विक स्तर पर लगभग 30% वयस्क इससे प्रभावित हैं। शुरुआती चरणों में वजन घटाने, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के माध्यम से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, अन्यथा यह गंभीर होकर सिरोसिस, लिवर फेलियर या कैंसर का कारण बन सकता है।

जोखिम कारक:

- भारत की एक बड़ी आबादी MASLD से प्रभावित है। भारतीय अध्ययनों के अनुसार, लगभग एक-तिहाई वयस्क इससे पीड़ित हो सकते हैं, विशेषकर वे लोग जिन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम है।
- **मुख्य जोखिम कारक:**

- » अधिक वजन या मोटापा
- » टाइप 2 डायबिटीज
- » उच्च रक्तचाप
- » कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का बढ़ा हुआ स्तर
- » गतिहीन जीवनशैली (Sedentary lifestyle)
- ▪ यह बीमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस से मजबूती से जुड़ी हुई है, इसलिए इसके बढ़ने से रोकने के लिए शुरुआती पहचान बहुत महत्वपूर्ण है।

पैथोफिज़ियोलॉजी और प्रगति:

- ▪ MASLD में लिवर की कोशिकाओं में वसा जमा हो जाती है, जो इलाज न होने पर सूजन और घाव पैदा कर सकती है। यह इन चरणों में आगे बढ़ती है:
  - » **स्टीयोटोसिस (Steatosis):** बिना सूजन के वसा का जमा होना।
  - » **स्टीटोहेपेटाइटिस (Steatohepatitis):** लिवर की कोशिकाओं में सूजन।
  - » **फाइब्रोसिस (Fibrosis):** लिवर में निशान या स्कार टिश्यू का बनना।
  - » **सिरोसिस (Cirrhosis):** लिवर का गंभीर रूप से डैमेज होना, जिससे लिवर फेलियर और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
- ▪ शुरुआती MASLD के अक्सर कोई लक्षण नहीं होते, और लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) भी सामान्य आ सकते हैं, जिससे निदान मुश्किल हो जाता है।

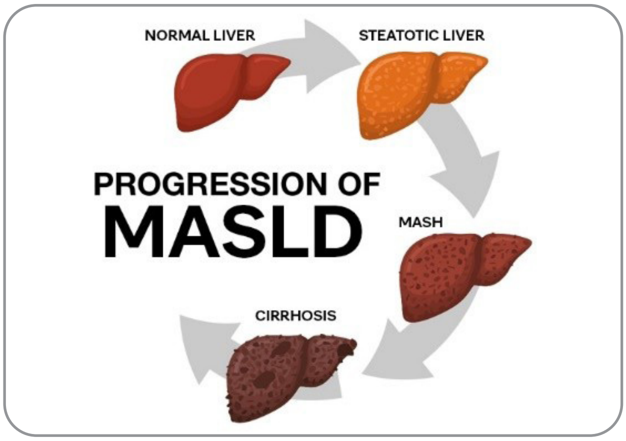

प्रबंधन और उपचार:

- ▪ MASLD को जीवनशैली में बदलाव के जरिए काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है:
  - » **आहार:** साबुत अनाज, फल, सब्जियां और लीन प्रोटीन पर जोर देना चाहिए; रिफाइंड कार्ब्स, मीठे पेय और प्रोसेस्ड फूड कम करना चाहिए; मल्टीग्रेन अनाज को प्राथमिकता देनी चाहिए।
  - » **वजन प्रबंधन:** शरीर के वजन में 7-10% की कमी लिवर की चर्बी और कार्यक्षमता में सुधार करती है।
  - » **शारीरिक गतिविधि:** एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों को शामिल करना चाहिए, बैठने का समय कम करना और बीच-बीच में छोटे एक्टिव ब्रेक लेना।
  - » **नींद और उपवास:** 7-8 घंटे की नींद ले,विशेषज्ञ की देखरेख में इंटरमिटेंट फास्टिंग (16:8 या 14:10) अपनाएं।
- ▪ गंभीर मामलों में मेडिकल मैनेजमेंट (डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल के लिए) और बैरिएट्रिक सर्जरी का उपयोग किया जा सकता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थ:

- ▪ मोटापा, गतिहीन जीवनशैली और खान-पान में बदलाव के कारण भारत में MASLD एक बढ़ती चुनौती है। जागरूकता, स्क्रीनिंग, कार्यस्थल कल्याण कार्यक्रम और शुरुआती हस्तक्षेप से सिरोसिस, लिवर कैंसर और हृदय संबंधी जटिलताओं के जोखिम को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

MASLD एक ऐसी बीमारी है जिससे बचाव और प्रबंधन संभव है। NAFLD से इसका नया नामकरण (MASLD) मेटाबॉलिक स्वास्थ्य और लिवर के कार्य के बीच के संबंध को दर्शाता है। इस 'साइलेंट महामारी' को नियंत्रित करने के लिए शुरुआती जांच और जीवनशैली में बदलाव सबसे महत्वपूर्ण हैं।

निपाह वायरस

संदर्भ:

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2025 से अब तक पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस (NiV) के केवल दो पुष्ट मामले सामने आए हैं।

मामलों में कमी के कारण:

- ▪ केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकारों ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के प्रोटोकॉल के अनुसार त्वरित सार्वजनिक स्वास्थ्य

प्रतिक्रिया सुनिश्चित की। अपनाए गए प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

- प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और सक्रिय मॉनिटरिंग को बढ़ाया गया।
- संदिग्ध मामलों और उनके संपर्क में आए लोगों की गहन प्रयोगशाला जाँच।
- संक्रमण की कड़ी को ट्रैक करने के लिए फील्ड इन्वेस्टिगेशन।
- प्रसार को रोकने के लिए पुष्ट मामलों का कंटेनमेंट और उन्हें आइसोलेशन में रखना।

निपाह वायरस के बारे में:

- **ज़ूनोटिक वायरस:** इसकी पहचान पहली बार 1998-99 में मलेशिया के 'काम्पंग सुंगई निपाह' में हुई थी। यह वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। फ्रूट बैट (परोपोडिडे परिवार के चमगादड़) इसके प्राकृतिक वाहक हैं और सूअर इसके मध्यवर्ती मेजबान (Intermediate hosts) हो सकते हैं।
- **मानव-से-मानव संचरण:** निपाह वायरस मनुष्य से मनुष्य के बीच फैल सकता है, जो इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बनाता है।
- **वर्गीकरण:** यह 'पैरामिक्सोविरिडे' (Paramyxoviridae) परिवार के 'हेनिपावायरस' (Henipavirus) जीनस से संबंधित है और एक बायोसेफ्टी लेवल-4 (BSL-4) रोगजनक है।

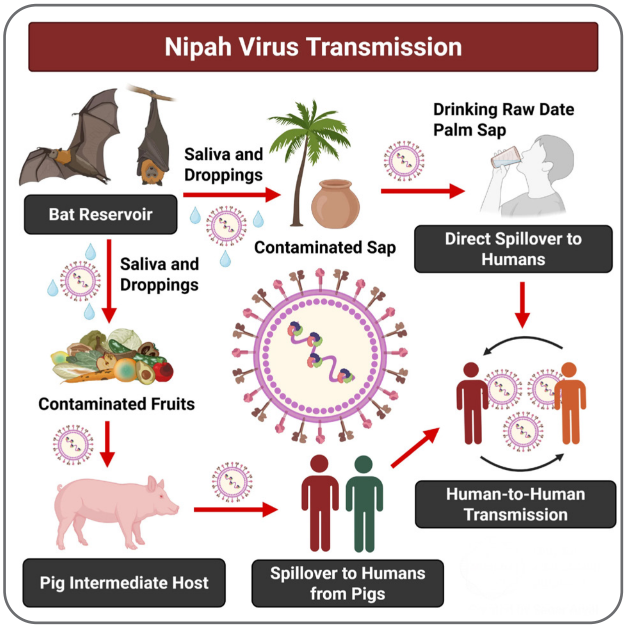

संरचना और जीनोम:

- यह एक सिंगल-स्ट्रैंडेड, नेगेटिव-सेंस आरएनए (RNA) वायरस है।
- इसका 'न्यूक्लियोकैप्सिड' एक मैट्रिक्स प्रोटीन द्वारा सुरक्षित रहता है। इसमें मौजूद फ्यूजन प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन वायरस को कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करते हैं।
- यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एक विशिष्ट साइटोप्लाज्मिक संरचना प्रदर्शित करता है।

लक्षण और नैदानिक विशेषताएँ:

- **शुरुआती लक्षण:** इन्फ्लूएंजा (जुकाम-बुखार) जैसे होते हैं, जिनमें बुखार, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ शामिल है।
- **गंभीर स्थिति:** यह बढ़कर एक्यूट एन्सेफलाइटिस (दिमाग में सूजन) का रूप ले सकता है, जिससे दौरे पड़ना, भटकाव, कोमा और मृत्यु तक हो सकती है।
- **असिम्टोमैटिक संक्रमण:** कई बार रोगियों में कोई लक्षण नहीं दिखते, जिससे निगरानी और रोकथाम कठिन हो जाती है।

निदान और उपचार:

- **जाँच (Diagnosis):** इसकी पुष्टि आरटी-पीसीआर , ELISA, सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट और BSL-4 प्रयोगशालाओं में वायरस आइसोलेशन के माध्यम से की जाती है।
- **उपचार:** मनुष्यों या जानवरों के लिए अभी तक कोई स्वीकृत टीका (Vaccine) नहीं है। उपचार मुख्य रूप से 'सपोर्टिव केयर' और आइसोलेशन पर आधारित है।

हालिया प्रगति:

- भारत में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और रेमडेसिविर जैसी एंटीवायरल दवाओं के उपयोग से जीवित रहने की दर में सुधार हुआ है। मृत्यु दर, जो 2018 में 91% थी, 2023-25 के दौरान घटकर लगभग 33% रह गई है।

भारत में निपाह वायरस:

- भारत ने पहले भी कई बार निपाह के प्रकोप का सामना किया है:
  - » पश्चिम बंगाल: (2007)
  - » केरल: (2018, 2023, 2025)
- इन घटनाओं ने शुरुआती पहचान, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया के महत्व को रेखांकित किया है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26: वैश्विक अनिश्चितता के मध्य भारत की आर्थिक मजबूती

सन्दर्भ:

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2026 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 प्रस्तुत किया। यह सर्वेक्षण भारत की व्यापक आर्थिक स्थिति, क्षेत्रवार प्रवृत्तियों तथा मध्यम अवधि की नीति प्राथमिकताओं का विस्तृत आकलन प्रस्तुत करता है। ऐसे समय में जब वैश्विक अनिश्चितता बढ़ी हुई है, सर्वेक्षण भारत को एक स्थिर, तीव्र गति से बढ़ती और लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में रेखांकित करता है।

वैश्विक अनिश्चितता के बीच विकास:

- वैश्विक आर्थिक परिवेश अभी भी नाजुक बना हुआ है, जिसमें भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार विखंडन तथा वित्तीय कमजोरियाँ प्रमुख हैं। यद्यपि वैश्विक विकास अपेक्षा से बेहतर रहा है, फिर भी जोखिम ऊँचे बने हुए हैं और उनका पूर्ण प्रभाव विलंब से सामने आ सकता है।
- इस पृष्ठभूमि में भारत का आर्थिक प्रदर्शन अत्यंत सशक्त रहा है। प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि सकल मूल्य वर्धन (GVA) की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत आंकी गई है। इसके साथ ही भारत लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
- विकास व्यापक और मांग-आधारित रहा है। निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) वित्तीय वर्ष 2026 में 7.0 प्रतिशत बढ़कर जीडीपी का 61.5 प्रतिशत हो गया, जो 2012 के बाद सबसे अधिक है। कम मुद्रास्फीति, स्थिर रोजगार, वास्तविक आय में वृद्धि और सुदृढ़ कृषि प्रदर्शन से ग्रामीण मांग को बल मिला, जबकि कर युक्तिकरण और श्रम बाजार की बेहतर स्थिति ने शहरी उपभोग को समर्थन दिया।

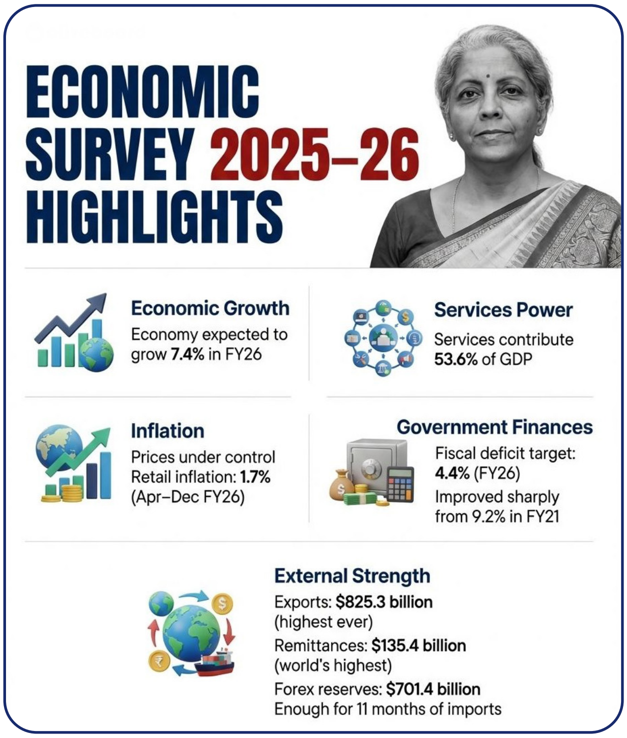

- निवेश गतिविधियों में भी तेजी आई। सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) 7.8 प्रतिशत बढ़ा और जीडीपी के 30 प्रतिशत के स्वस्थ स्तर पर बना रहा। इसे निरंतर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय तथा निजी निवेश में पुनरुद्धार से समर्थन मिला, जो बढ़ती कॉरपोरेट घोषणाओं

में परिलक्षित हुआ।

- आपूर्ति पक्ष पर, सेवा क्षेत्र विकास का प्रमुख इंजन बना रहा। वित्तीय वर्ष 25-26 की पहली छमाही में सेवा क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धन (GVA) वृद्धि 9.3 प्रतिशत रही और पूरे वर्ष के लिए इसके 9.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह आधुनिक, व्यापार योग्य और डिजिटल सेवाओं पर भारत की बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।

राजकोषीय समेकन और मौद्रिक स्थिरता:

- आर्थिक सर्वेक्षण भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता के आधार स्तंभ के रूप में विश्वसनीय राजकोषीय समेकन को रेखांकित करता है। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन से नीति की विश्वसनीयता बढ़ी है और निवेशकों का विश्वास सुदृढ़ हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 2025 में मॉर्निंगस्टार DBRS, S&P ग्लोबल रेटिंग्स और R&I द्वारा भारत की रेटिंग को बढ़ाया गया।
- केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में संरचनात्मक सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2016–20 के दौरान जीडीपी के औसतन 8.5 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में यह 9.2 प्रतिशत हो गई। यह मुख्यतः गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह में वृद्धि के कारण हुआ, जो बेहतर अनुपालन और आय वृद्धि को दर्शाता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई, जिसे प्रौद्योगिकी-सक्षम कर प्रशासन से सहायता मिली।
- जीएसटी संग्रह मजबूत बना रहा। अप्रैल–दिसंबर 2025 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह ₹17.4 लाख करोड़ रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। ई-वे बिल जैसे उच्च आवृत्ति संकेतक भी सशक्त आर्थिक गतिविधि की ओर संकेत करते हैं।
- सार्वजनिक निवेश विकास का प्रमुख चालक बना रहा। केंद्र का प्रभावी पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 25 में जीडीपी के लगभग 4 प्रतिशत तक पहुँच गया, जो महामारी-पूर्व अवधि में 2.7 प्रतिशत था। राज्यों को पूंजीगत व्यय बनाए रखने के लिए "राज्यों को पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता" योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया।
- ऋण स्थिरता के मोर्चे पर भी प्रगति हुई। 2020 के बाद से सामान्य सरकारी ऋण-से-जीडीपी अनुपात में लगभग 7.1 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई, जबकि सार्वजनिक निवेश ऊँचा बना रहा, जो विकास समर्थन और राजकोषीय विवेक के संतुलन को दर्शाता है।
- मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र में भारत का नियामक ढाँचा और सुदृढ़ हुआ। सितंबर 2025 में सकल एनपीए 2.2 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए 0.5 प्रतिशत पर आ गए, जो कई दशकों के न्यूनतम स्तर हैं। दिसंबर 2025 तक ऋण वृद्धि 14.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष–विश्व बैंक के वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (FSAP) ने भारत की सुदृढ़ और पर्याप्त पूंजीयुक्त वित्तीय प्रणाली की पुष्टि की।

बाह्य क्षेत्र और मुद्रास्फीति: वैश्विक एकीकरण के साथ स्थिरता

- सर्वेक्षण वैश्विक मंदी के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के स्थिर एकीकरण को रेखांकित करता है। 2005 से 2024 के बीच वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हुई, जबकि वैश्विक सेवा निर्यात में इसकी हिस्सेदारी दोगुने से अधिक बढ़ी।
- वित्तीय वर्ष 25 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड USD 825.3 अरब तक पहुँचा, जिसका मुख्य कारण सेवा निर्यात रहा। सेवा निर्यात USD 387.6 अरब रहा और 13.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे आईटी और व्यापार सेवाओं में भारत की वैश्विक स्थिति सुदृढ़ हुई। गैर-पेट्रोलियम निर्यात भी ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँचा।
- चालू खाता घाटा Q2 वित्तीय वर्ष 26 में जीडीपी के लगभग 1.3

प्रतिशत पर नियंत्रित रहा। इसे मजबूत सेवा निर्यात और रिकॉर्ड USD 135.4 अरब के प्रेषण (रेमिटेंस) से समर्थन मिला, जिससे भारत विश्व का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। जनवरी 2026 तक विदेशी मुद्रा भंडार USD 701.4 अरब तक पहुँच गया, जो लगभग 11 महीनों के आयात कवर के बराबर है।

- वैश्विक निवेश वातावरण के कमजोर रहने के बावजूद, अप्रैल–नवंबर 2025 के दौरान भारत ने USD 64.7 अरब का सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया और 2024 में ग्रीनफील्ड निवेश घोषणाओं में विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया।
- मुद्रास्फीति, भारत की एक प्रमुख व्यापक आर्थिक उपलब्धि के रूप में उभरी। अप्रैल–दिसंबर 2025 के दौरान औसत शीर्षक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति 1.7 प्रतिशत रही, जो CPI श्रृंखला शुरू होने के बाद सबसे कम है। यह मुख्यतः खाद्य और ईंधन कीमतों में गिरावट के कारण संभव हुआ।

क्षेत्रीय परिवर्तन: कृषि, उद्योग, सेवाएँ और अवसंरचना

- सर्वेक्षण विभिन्न क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन को रेखांकित करता है:
  - कृषि क्षेत्र में, बेहतर मानसून से खाद्यान्न उत्पादन मूल्यांकन वर्ष (AY) 2024–25 में बढ़कर 3,577.3 लाख मीट्रिक टन हो गया। बागवानी उत्पादन 362 मिलियन टन तक पहुँच गया, जो खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है। पशुधन और मत्स्य क्षेत्र में दीर्घकालिक रूप से मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), पीएम-किसान हस्तांतरण और पेंशन योजनाओं से किसानों की आय को समर्थन मिला, जबकि ई-नाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से बाजार तक पहुँच बेहतर हुई।
  - वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद औद्योगिक क्षेत्र मजबूत हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विनिर्माण सकल मूल्य वर्धन (GVA) वृद्धि में उल्लेखनीय तेजी आई। उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के तहत ₹2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ और 12 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर पहुँचा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को आगे बढ़ाया।
- सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व बना रहा, जो जीडीपी का 53 प्रतिशत से अधिक और सकल मूल्य वर्धन (GVA) का 56 प्रतिशत योगदान देता है तथा हाल के वर्षों में 80 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करता रहा है।
- अवसंरचना निवेश भारत की विकास रणनीति का केंद्रीय तत्व बना रहा। वित्तीय वर्ष 18 के बाद से सरकारी पूंजीगत व्यय चार गुना से अधिक बढ़ा। राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे, विद्युत क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी, जल आपूर्ति और अंतरिक्ष अवसंरचना में उल्लेखनीय विस्तार हुआ।

सामाजिक विकास और रोजगार:

- सर्वेक्षण मानव विकास और समावेशन में प्रगति को रेखांकित करता है। भारत विश्व की सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा प्रणालियों में से एक संचालित करता है। उच्च शिक्षा का तीव्र विस्तार हुआ है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लचीले क्रेडिट ढाँचे और अंतरराष्ट्रीयकरण से समर्थन मिला।
- स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मातृ, शिशु और बाल मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आई है, जो वैश्विक औसत से कहीं बेहतर है। रोजगार संकेतक सकारात्मक रहे। दूसरी तिमाही के वित्तीय वर्ष 2025-26 में 56 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत थे। श्रम सुधारों से गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का दायरा मिला। ई-श्रम पोर्टल ने असंगठित श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं की कवरेज को सुदृढ़ किया। ग्रामीण विकास पहलों, गरीबी में कमी और सामाजिक सेवाओं पर बढ़ते व्यय ने समावेशी विकास को मजबूती दी।
- AI का प्रसार, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणालियों के माध्यम से शहरी कनेक्टिविटी, और आयात प्रतिस्थापन से रणनीतिक लचीलापन एवं अनिवार्यता की ओर नीति बदलाव भारत के दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

निष्कर्ष:

आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 ऐसी अर्थव्यवस्था की तस्वीर प्रस्तुत करता है जिसने उच्च विकास दर के साथ व्यापक आर्थिक स्थिरता, गहरे संरचनात्मक सुधार और वैश्विक अनिश्चितता के बीच मजबूत लचीलापन हासिल किया है। नियंत्रित मुद्रास्फीति, सशक्त सार्वजनिक निवेश, विस्तारित सेवा क्षेत्र, बेहतर मानव विकास और रणनीतिक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भारत आने वाले वर्षों में समावेशी, लचीले और वैश्विक रूप से एकीकृत विकास को बनाए रखने की मजबूत स्थिति में है।

केंद्रीय बजट 2026–27: अवसंरचना, विनिर्माण और समावेशी विकास की रूपरेखा

सन्दर्भ:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026–27 संसद में प्रस्तुत किया। 'विजन 2047' की यात्रा के मध्य चरण में स्थित यह बजट ऐसे महत्वपूर्ण समय पर प्रस्तुत हुआ है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद संरचनात्मक बाधाओं का समाधान करते हुए विकास की आवश्यकताओं और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। अपने मूल में, यह बजट अवसंरचना-आधारित, सुधार-उन्मुख और विनिर्माण-प्रेरित रणनीति प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य उच्च विकास पथ को बनाए रखना, नागरिकों के लिए जीवन की सुगमता में सुधार करना, निजी निवेश को उत्प्रेरित करना तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में भारत की भूमिका को और सुदृढ़ करना है। इसके स्वरूप में पूर्व प्राथमिकताओं की निरंतरता स्पष्ट दिखाई देती है, साथ ही प्रौद्योगिकी, डेटा अवसंरचना और कर सुधारों जैसे क्षेत्रों में कुछ साहसिक नई नीतिगत पहलें भी शामिल हैं।

बजट अनुमान 2026–27 के अनुसार, गैर-ऋण प्राप्तियाँ ₹36.5 लाख करोड़ और कुल व्यय ₹53.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि शुद्ध कर प्राप्तियाँ पर ₹28.7 लाख करोड़ आकलन किया गया हैं। सकल बाजार उधारी ₹17.2 लाख करोड़ और दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से शुद्ध उधारी ₹11.7 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.3% पर अनुमानित है, जबकि ऋण-से-जीडीपी अनुपात 55.6% रहने का अनुमान है, जो संशोधित अनुमान (RE) 2025–26 के 56.1% से थोड़ा कम है।

बजट

भारतीय संविधान में "बजट" शब्द का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया गया है, इसे अनुच्छेद 112 के अंतर्गत 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा गया है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर इसे संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसमें वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल–31 मार्च) के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है।

- **मुख्य प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 110 (धन विधेयक):** यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक क्या है, जिसमें कराधान, सरकारी उधारी तथा समेकित कोष की अभिरक्षा से जुड़े विषय शामिल हैं। बजट का हिस्सा वित्त विधेयक सामान्यतः धन विधेयक होता है।
  - **अनुच्छेद 113 (अनुमानों की प्रक्रिया):** आरोपित (गैर-मतदान योग्य) और मतदान योग्य व्ययों के बीच अंतर करता है।
  - **अनुच्छेद 114 (विनियोग विधेयक):** विनियोग अधिनियम के बिना समेकित कोष से कोई धन नहीं निकाला जा सकता।
  - **अनुच्छेद 115 (अनुपूरक अनुदान):** अप्रत्याशित आवश्यकताओं या नई सेवाओं के लिए अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति की अनुमति देता है।
  - **अनुच्छेद 116 (वोट ऑन अकाउंट):** पूर्ण बजट स्वीकृति से पहले सरकार के संचालन हेतु अग्रिम अनुदान की अनुमति देता है।
  - **अनुच्छेद 117 एवं 265:** वित्त विधेयकों से संबंधित हैं और यह स्थापित करते हैं कि कर केवल विधि द्वारा ही लगाए जा सकते हैं।
  - **अनुच्छेद 266–267:** नियमित और अप्रत्याशित सरकारी व्ययों के लिए समेकित कोष, लोक लेखा और आकस्मिकता निधि की स्थापना करते हैं।
- ये अनुच्छेद भारत की बजटीय प्रक्रिया की कानूनी और प्रक्रियात्मक आधारशिला प्रदान करते हैं, जिससे जवाबदेही, संसदीय नियंत्रण और राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित होता है। बजट तीन 'कर्तव्यों' से प्रेरित है, जो संतुलित विकास के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं:
  - **आर्थिक वृद्धि को तेज़ और सतत बनाना:** पहला कर्तव्य अर्थव्यवस्था में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर केंद्रित है, साथ ही वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना करने की क्षमता को मजबूत करने पर जोर देता है। इसमें विनिर्माण, अवसंरचना, नवाचार और निर्यात प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ शामिल हैं, ताकि वृद्धि को सुदृढ़ और दीर्घकालिक बनाया जा सके।

» **आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षमताओं का निर्माण:** दूसरा कर्तव्य जन-केंद्रित विकास पर आधारित है जो अवसरों का सृजन, कौशल विकास को समर्थन, रोजगार को बढ़ावा और नागरिकों को भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाने पर जोर देता है। यह विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों को उनकी आर्थिक और सामाजिक आकांक्षाएँ साकार करने में सक्षम बनाने पर बल देता है।

» **समावेशी विकास सुनिश्चित करना (सबका साथ, सबका विकास):** तीसरा कर्तव्य सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और क्षेत्रक को संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुँच प्राप्त हो। यह विकास के एक समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें विकास के लाभ भारत की विविध जनसंख्या में व्यापक रूप से साझा किए जाते हैं।

बजट 2026-27 के प्रमुख पहलू:

- **समष्टि आर्थिक परिदृश्य और राजकोषीय रणनीति:** बजट की पूर्व संध्या पर भारत की समष्टि आर्थिक स्थिति लचीलापन को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% आँकी गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2026–27 में नाममात्र वृद्धि 10% रहने का अनुमान है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 27 के लिए जीडीपी के 4.3% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित करते हुए राजकोषीय समेकन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, साथ ही 2030 तक ऋण अनुपात को लगभग 50% पर स्थिर करने का मध्यम अवधि लक्ष्य रखा है।

» **पूंजीगत व्यय पर जोर:** सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बजट का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है, जो अवसंरचना सृजन और आर्थिक गुणक प्रभावों का चालक है। पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ किया गया है, जो जीडीपी के 4.4% के बराबर है, जिससे परिसंपत्ति सृजन को बनाए रखने और निजी निवेश को आकर्षित करने के सरकार के इरादे स्पष्ट होते हैं। पूंजीगत व्यय की प्राथमिकताओं में परिवहन नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग, शहरी अवसंरचना और ऊर्जा प्रणालियाँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य संपर्क सुधारना, लॉजिस्टिक्स लागत घटाना और उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।

» **कर सुधार और अनुपालन में सुगमता:** बजट 2026 की सबसे अधिक प्रतीक्षित विशेषताओं में कर प्रणाली का सरलीकरण शामिल है, ताकि इसे अधिक सरल, पारदर्शी और अनुपालन-अनुकूल बनाया जा सके।

» **नया आयकर अधिनियम और सरलीकरण:** एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में आयकर अधिनियम, 2025 की घोषणा की गई है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यह छह दशक पुराने कानून को प्रतिस्थापित करेगा और मुकदमेबाजी को कम करने तथा फाइलिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से अधिक सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान करेगा। नए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल होने की उम्मीद है, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों को लाभ मिलेगा।

» **कर राहत और TCS युक्तिकरण:** बजट में कई कर राहत उपाय प्रस्तुत किए गए, जिनमें शामिल हैं:

➢ मौजूदा आयकर स्लैब को बनाए रखना, दरों में बदलाव के बजाय अनुपालन में राहत पर जोर।

- उदार प्रेषण योजना (LRS) के तहत विदेशी यात्रा पैकेज, शिक्षा और चिकित्सा प्रेषण पर स्रोत पर कर संग्रह (TCS) को घटाकर 2% करना, जिससे वैश्विक आवागमन सुगम हो सके।
- ये कदम राजस्व सुदृढ़ता बनाए रखते हुए अनुपालन बोझ कम करने के बीच संतुलन को दर्शाते हैं, जो करदाताओं और व्यवसायों की एक प्रमुख अपेक्षा है।

- **अवसंरचना, संपर्क और लॉजिस्टिक्स:**
  - **उच्च गति रेल कॉरिडोर:** एक प्रमुख प्रस्ताव के रूप में सात नए उच्च गति रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई, जो मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी जैसे प्रमुख आर्थिक क्लस्टरों को जोड़ेंगे। इन कॉरिडोरों का उद्देश्य यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी लाना, गतिशीलता में सुधार करना और शहरी समूहों के आसपास विकास के केंद्र के रूप में कार्य करना है। ऐसे निवेशों से औद्योगिक संपर्क, क्षेत्रीय विकास और निर्माण, संचालन तथा सहायक सेवाओं में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
  - **राष्ट्रीय जलमार्ग और समर्पित माल ढुलाई गलियारे:** बजट में लॉजिस्टिक्स दक्षता पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें शामिल हैं:
    - पाँच वर्षों में 20 राष्ट्रीय जलमार्गों का संचालन।
    - पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे (जैसे दानकुनी से सूरत), जिससे माल परिवहन लागत घटे और वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो।
  - सामूहिक रूप से, इन पहलों का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना जो वर्तमान में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षाकृत अधिक है और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।
  - **अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड:** दीर्घ अवधि वाली परियोजनाओं में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड का प्रस्ताव किया गया है, जो आंशिक ऋण गारंटी प्रदान कर ऋणदाताओं और निवेशकों के बीच जोखिम की धारणा को कम करेगा।
  - **विनिर्माण और रणनीतिक उद्योग:** बजट ने इस सिद्धांत को और सुदृढ़ किया है कि सतत विकास के लिए विनिर्माण केंद्रीय भूमिका निभाता है, विशेष रूप से रणनीतिक और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में।

- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0:** वैश्विक चिप संकट और आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश आकर्षित करने के पूर्व प्रयासों पर आधारित है।
  - **सेमीकंडक्टर से आगे क्षेत्रीय फोकस:** अन्य प्रमुख विनिर्माण पहलों में शामिल हैं:
    - जैव-फार्मास्युटिकल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम (₹10,000 करोड़)।
    - ₹40,000 करोड़ के उन्नत परिव्यय के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना।
    - ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में दुर्लभ मृदा कॉरिडोर, ताकि खनिज प्रसंस्करण और उन्नत विनिर्माण को समर्थन मिल सके।
  - ये रणनीतिक प्रयास आयात निर्भरता को कम करने, उच्च मूल्य वाले रोजगार सृजित करने और भारत को वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में और गहराई से एकीकृत करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

- **एमएसएमई, उद्यमिता और पूंजी तक पहुँच:** छोटे व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये रोजगार प्रदान करते हैं, उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं और ग्रामीण तथा शहरी आजीविका को बनाए रखते हैं।
  - **लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) ग्रोथ फंड:** एमएसएमई वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए ₹10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड घोषित किया गया, जिसे आत्मनिर्भर भारत फंड में ₹2,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि से पूरक किया गया है।
  - **तरलता समर्थन और ऋण सुधार:**
    - एमएसएमई से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE) खरीद के लिए TReDS (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) का अनिवार्य उपयोग, ताकि तरलता में सुधार हो।
    - वित्तपोषण लागत घटाने और जोखिम साझा करने के लिए क्रेडिट गारंटी में वृद्धि।
    - टियर II और टियर III शहरों में 'कॉरपोरेट मित्र', जो कंपनियों को अनुपालन दायित्वों को कुशलता से पूरा

करने में सहायता करेंगे।

» ये संरचनात्मक हस्तक्षेप पूंजी तक पहुँच को बेहतर बनाने, वित्तपोषण चैनलों को औपचारिक बनाने और छोटे उद्यमों को बड़े मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने का प्रयास करते हैं।

- **सामाजिक क्षेत्र: शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण कल्याण:** बजट ने सामाजिक क्षेत्र में निवेश के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है, साथ ही विकासात्मक हस्तक्षेपों में प्रौद्योगिकी के समावेशन पर जोर दिया है।

» **शिक्षा और कौशल विकास:**

➢ उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण मॉडल के तहत प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावासों की स्थापना।

➢ एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र को समर्थन, ताकि रचनात्मक प्रतिभा का विकास हो और शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जा सके।

» ये कदम इस बात को रेखांकित करते हैं कि दीर्घकालिक आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए मानव पूंजी विकास अत्यंत आवश्यक है।

» **कृषि और किसान समर्थन:** कृषि नीति में सब्सिडी की बजाय उत्पादकता वृद्धि पर अधिक जोर दिया गया है, जिसमें 'भारत विस्तार' जैसे प्रौद्योगिकी-आधारित हस्तक्षेप शामिल हैं, जो किसानों को बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद के लिए विभिन्न डेटा संसाधनों को एकीकृत करता है।

- **रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता:**

» राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप, बजट में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए गए हैं।

» रक्षा व्यय को बढ़ाकर लगभग ₹7.85 लाख करोड़ किया गया है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा आधुनिकीकरण, विमान और नौसैनिक परिसंपत्तियों के लिए निर्धारित है।

» यह भारत की रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने के इरादे को दर्शाता है, जो रणनीतिक स्वायत्तता के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

- **वित्तीय क्षेत्र और शासन सुधार:** बजट में वित्तीय बाजारों को गहराई देने और नियामक ढांचे में सुधार के लिए कई उपाय प्रस्तावित किए गए हैं:

» कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए मार्केट मेकिंग ढांचा, ताकि तरलता और निवेशक भागीदारी बढ़े।

» शहरी अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड निर्गम को प्रोत्साहन।

» वैश्विक पूंजी प्रवाह में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप FEMA नियमों की समीक्षा।

» ट्रस्ट-आधारित मॉडल और अग्रिम निर्णयों की वैधता अवधि बढ़ाने वाले सीमा शुल्क सुधार।

» इन सुधारों का उद्देश्य गहरे पूंजी बाजारों को प्रोत्साहित करना और वैश्विक वित्तीय एकीकरण में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करना है।

- **राजकोषीय स्थिरता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण:**

» राजकोषीय अनुशासन इस बजट का एक केंद्रीय विषय बना हुआ है। 4.3% के लक्षित राजकोषीय घाटे के माध्यम से विकासात्मक आवश्यकताओं और समष्टि आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। राजकोषीय समेकन लक्ष्यों को आधार बनाकर और सार्वजनिक ऋण को नियंत्रण में रखकर, बजट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भारत की निवेश-आधारित विकास यात्रा दीर्घकाल में टिकाऊ बनी रहे।

निष्कर्ष:

केंद्रीय बजट 2026–27 उच्च विकास को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ़ करने और राजकोषीय उत्तरदायित्व बनाए रखने के बीच एक जटिल संतुलन को प्रतिबिंबित करता है। अवसंरचना, रणनीतिक विनिर्माण, कर सुधार और मानव पूंजी पर इसका फोकस भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। यद्यपि क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से बड़े पैमाने की अवसंरचना परियोजनाओं और नियामक क्रियान्वयन में, फिर भी यह बजट विकास, समावेशन और सुधार को एकीकृत करने वाला एक सुसंगत रोडमैप प्रस्तुत करता है।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा

संदर्भ:

हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी 'ट्रेड वॉच क्वार्टरली' (Q1 FY26) रिपोर्ट ने मुक्त व्यापार समझौता भागीदारों के साथ भारत के व्यापार संतुलन में चिंताजनक रुझान दिखाए हैं। मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) के माध्यम से भारत का आर्थिक जुड़ाव निर्यात बढ़ाने, बाजारों में विविधता लाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल होने की रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है।

मुख्य निष्कर्ष:

- **FTA भागीदारों के साथ बढ़ता व्यापार घाटा**
  - » अप्रैल से जून 2025 के बीच, FTA देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा 59.2% बढ़ गया है। इस दौरान आयात 10% बढ़कर 65.3 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि निर्यात 9% गिरकर 38.7 बिलियन डॉलर रह गया।
  - » घाटे में इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण आसियान (ASEAN) क्षेत्र को होने वाले निर्यात में कमी है, जो भारत का सबसे बड़ा FTA निर्यात गंतव्य है।
- **प्रमुख FTA देशों को निर्यात में गिरावट**
  - » **आसियान (ASEAN):** निर्यात में 16.9% की कमी आई। विशेष रूप से मलेशिया (-39.7%), सिंगापुर (-13.2%) और ऑस्ट्रेलिया (-10.9%) में भारी गिरावट दर्ज की गई।
  - » **संयुक्त अरब अमीरात (UAE):** भारत के दूसरे सबसे बड़े FTA भागीदार को निर्यात में 2.1% की मामूली गिरावट आई।
  - » **सकारात्मक रुझान:** इसके विपरीत दक्षिण कोरिया (+15.6%), जापान (+2.8%), थाईलैंड (+2.9%) और भूटान (+10.2%) को होने वाले निर्यात में सुधार देखा गया।
- **निर्यात प्रदर्शन में संरचनात्मक बदलाव**
  - » **पेट्रोलियम:** वैश्विक कीमतों और मांग के रुझान के कारण पेट्रोलियम निर्यात में भारी गिरावट आई।
  - » **इलेक्ट्रॉनिक्स:** इस क्षेत्र में 47% की जबरदस्त वृद्धि हुई, जो कुल निर्यात का 11% से अधिक है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की मजबूत होती पकड़ को दर्शाता है।

भारत की व्यापार रणनीति के निहितार्थ:

- **प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की आवश्यकता:** रिपोर्ट मौजूदा FTAs के भीतर प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देती है।
- **मूल्य श्रृंखला एकीकरण:** इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा अन्य उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ गहरा जुड़ाव आवश्यक है।

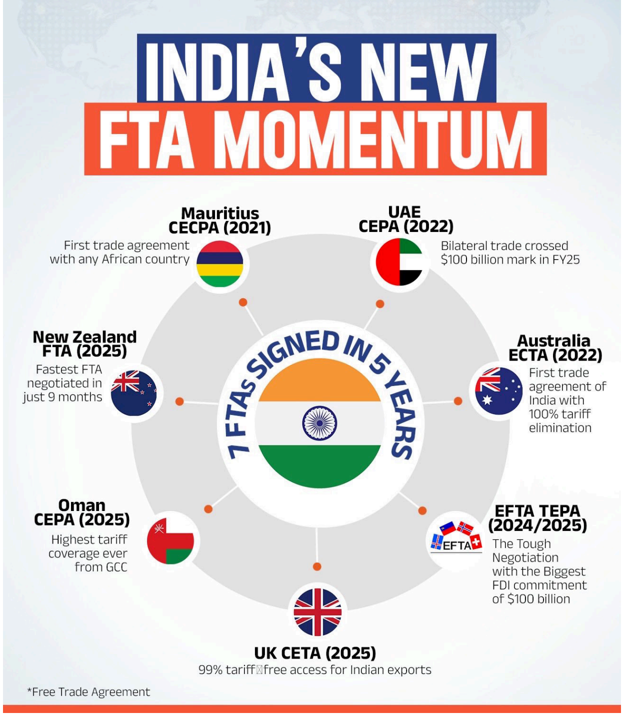

आगे की राह:

- **व्यापार नीति में सुधार:** 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' पर अधिक जोर देना और श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए बाजार तक पहुंच को आसान बनाना।
- **निर्यात आधार का विविधीकरण:** इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर, इंजीनियरिंग सामान और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते हुए उद्योगों को बढ़ावा देना।
- **घरेलू विनिर्माण:** आयातित कच्चे माल पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना।

निष्कर्ष:

हालांकि FTA भागीदारों के साथ व्यापार घाटा बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में मजबूत वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है। वर्तमान व्यापार असंतुलन को एक अवसर में बदलने के लिए रणनीतिक व्यापार

वार्ता और लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप महत्वपूर्ण होंगे।

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर

संदर्भ:

हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2026 को भारत की तंबाकू कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलावों की प्रभावी तिथि के रूप में अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना के परिणामस्वरूप जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की औपचारिक समाप्ति होगी तथा एक नई तंबाकू कर व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें अधिक जीएसटी दरें, अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य व राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर का प्रावधान किया गया है।

पृष्ठभूमि:

- जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करते समय केंद्र सरकार ने राज्यों को यह आश्वासन दिया था कि एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में परिवर्तन के कारण यदि राज्यों को किसी भी प्रकार की राजस्व हानि होती है, तो उसकी पूर्ण क्षतिपूर्ति की जाएगी।
- इसी उद्देश्य से तंबाकू, पान मसाला तथा लग्ज़री वस्तुओं जैसे चुनिंदा उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाया गया था।
- कोविड-19 महामारी के दौरान राज्यों को समय पर क्षतिपूर्ति भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को उधारी लेनी पड़ी, जिससे अस्थायी वित्तीय देनदारियाँ उत्पन्न हुईं।
- वर्तमान में ये सभी देनदारियाँ पूर्णतः चुका दी गई हैं। क्षतिपूर्ति की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने और सभी बकाया दायित्वों के निपटारे के साथ यह उपकर अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर चुका है।
- इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को समाप्त करने तथा 1 फरवरी 2026 से नई कर संरचना लागू करने का निर्णय लिया है।

नई तंबाकू कर व्यवस्था:

- नई व्यवस्था के तहत तंबाकू उत्पाद जीएसटी के अंतर्गत बने रहेंगे, किंतु अब उन पर अधिक दरों के साथ अतिरिक्त कर भी लगाए जाएंगे।
- सिगरेट, पान मसाला तथा इसी प्रकार के उत्पादों पर 40% जीएसटी लागू होगा, जबकि बीड़ी को 18% जीएसटी स्लैब में रखा गया है।
- एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में एमआरपी आधारित मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत कर लेनदेन मूल्य के बजाय घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर लगाया जाएगा। इससे कम मूल्य दिखाकर कर चोरी करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
- इसके अतिरिक्त, तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा, जो उत्पाद की श्रेणी, संरचना और विशिष्टताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न होगा।
- पान मसाला पर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा, जबकि गुटखा और चबाने वाले तंबाकू जैसे उत्पादों पर पैकिंग मशीन की क्षमता से संबद्ध उत्पाद शुल्क लागू किया जाएगा।
- नियामकीय निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए पैकिंग मशीन नियम, 2026 लागू किए गए हैं, जिनके अंतर्गत पैकिंग मशीनों का विवरण प्रस्तुत करना तथा मासिक आधार पर शुल्क का भुगतान अनिवार्य किया गया है।

बदलाव के पीछे का तर्क:

- यह नई कर व्यवस्था तीन प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित है।
  - » पहला, राजकोषीय स्थिरता, क्योंकि अस्थायी और उद्देश्य-विशेष जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के स्थान पर अब अधिक स्थायी, नियमित और अनुमानित उत्पाद शुल्क आधारित राजस्व व्यवस्था स्थापित की जा रही है।
  - » दूसरा, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना, क्योंकि हानिकारक तंबाकू उत्पादों पर उच्च कर बोझ बनाए रखकर उनके उपभोग को प्रभावी रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है।
  - » तीसरा, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, क्योंकि एमआरपी आधारित मूल्यांकन तथा क्षमता-आधारित शुल्क प्रणाली कर चोरी और संभावित राजस्व हानि को प्रभावी रूप से कम करने में सहायक होगी।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव:

- अधिक कर लगाए जाने से खुदरा कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप खपत में कुछ कमी आ सकती है। हालांकि, नशे की प्रवृत्ति के कारण तंबाकू उत्पादों की मांग सामान्यतः अपेक्षाकृत कम लचीली बनी रहती है।
- राज्यों को अब राजस्व जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के माध्यम से अलग से प्राप्त नहीं होगा, बल्कि यह सामान्य विभाज्य कर पूल के माध्यम से साझा किया जाएगा। साथ ही, कर संग्रह का एक भाग सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों के लिए नियोजित किए जाने की संभावना बनी रहेगी।
- इस परिवर्तन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संक्रमणकाल के दौरान

केंद्र और राज्यों के बीच सुदृढ़ संस्थागत समन्वय, निरंतर परामर्श तथा पारदर्शी व्यवस्था आवश्यक होगी, जिससे राज्यों के राजस्व प्रवाह में स्थिरता और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष:

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की समाप्ति तथा नई तंबाकू कर व्यवस्था की शुरुआत भारत की अप्रत्यक्ष कर नीति में एक महत्वपूर्ण और संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। राजस्व संग्रह को सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों और कर अनुपालन के सुदृढ़ीकरण से जोड़ते हुए सरकार एक अधिक प्रभावी, स्वास्थ्य-उन्मुख और वित्तीय रूप से टिकाऊ कर ढांचे की स्थापना करना चाहती है। इस सुधार की सफलता प्रभावी प्रवर्तन तंत्र, पूरक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों तथा अवैध तंबाकू व्यापार पर निरंतर और कठोर निगरानी पर निर्भर करेगी।

भारत बना दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था

संदर्भ:

हाल ही में, भारत ने नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (Nominal GDP) के मामले में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी है। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है, जो जापान के अनुमानित जीडीपी से थोड़ा अधिक है। यह उपलब्धि वर्षों की निरंतर आर्थिक वृद्धि और संरचनात्मक सुधारों का परिणाम है।

भारत की आर्थिक प्रगति:

- 2025 में, वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.2% तक पहुंच गई, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को उजागर करती है।
- उच्च विकास और मध्यम मुद्रास्फीति का यह दुर्लभ संयोजन "गोल्डीलॉक्स चरण" (Goldilocks phase) के रूप में वर्णित किया गया है, जो बिना किसी बड़े मैक्रोइकॉनॉमिक असंतुलन के निरंतर विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है।
- यह रैंकिंग सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद (अमेरिकी डॉलर में वर्तमान कीमतों पर मापी गई) पर आधारित है, जो विनिमय दर के उतार-चढ़ाव और वैश्विक मूल्य आंदोलनों के प्रति संवेदनशील है। फिर भी, यह विश्व अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाती है, जो वैश्विक आर्थिक गतिशीलता में एक प्रतीकात्मक बदलाव प्रस्तुत करता है।

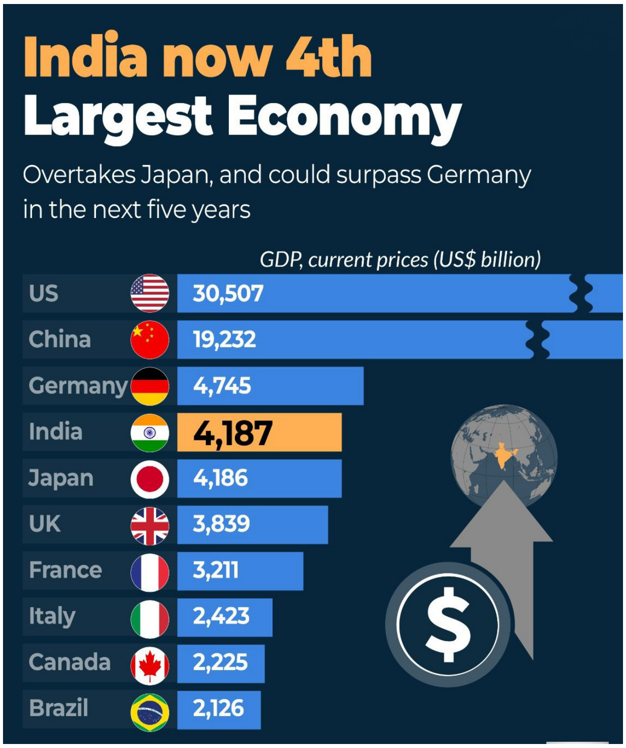

भारत के प्रमुख विकास चालक:

- **जनसांख्यिकीय लाभ:** भारत की बड़ी और अपेक्षाकृत युवा आबादी एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करती है, जो घरेलू खपत का समर्थन करती है और श्रम बल का विस्तार करती है।
- **संरचनात्मक सुधार:** व्यापार करने में आसानी में सुधार, निवेश मानदंडों को उदार बनाने और कराधान को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों ने आर्थिक दक्षता को बढ़ाया है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा दिया है।
- **घरेलू मांग और खपत:** बढ़ती आय और एक मध्यम वर्ग के विस्तार से प्रेरित मजबूत निजी खपत, आर्थिक विकास का एक प्रमुख इंजन बनकर उभरी है।
- **बुनियादी ढांचा और डिजिटलीकरण:** भौतिक बुनियादी ढांचे (सड़कें, बंदरगाह, रसद) और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश ने उत्पादकता, कनेक्टिविटी और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया है।

- **विनिर्माण और निर्यात:** यद्यपि सेवाओं का प्रभुत्व है फिर भी विनिर्माण और निर्यात में निरंतर वृद्धि, विशेष रूप से उच्च-मूल्य वाले सामानों में दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनौतियां:

- इन सकारात्मक रुझानों के बावजूद, कई चुनौतियां भारत के भविष्य के पथ को प्रभावित कर सकती हैं:
    - **उच्च विकास दर बनाए रखना:** दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के लिए, भारत को विस्तारित अवधि में औसत से ऊपर विकास दर बनाए रखनी होगी।
    - **बुनियादी ढांचा और कौशल अंतराल:** जबकि बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, रसद, ऊर्जा उपलब्धता और मानव पूंजी में अंतराल बना हुआ है। प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने और निवेश आकर्षित करने के लिए इन कमियों को दूर करना आवश्यक है।
    - **संस्थागत और नियामक दक्षता:** श्रम बाजारों, भूमि अधिग्रहण, नियामक प्रक्रियाओं और वित्तीय प्रणालियों में और सुधार दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं।
    - **मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता:** मूल्य स्थिरता बनाए रखना, राजकोषीय संतुलन का प्रबंधन करना और वित्तीय लचीलापन सुनिश्चित करना वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच महत्वपूर्ण रहेगा।

भू-राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव:

- वैश्विक आर्थिक पदानुक्रम में भारत के उदय के जीडीपी रैंकिंग से परे प्रभाव हैं:
    - **वैश्विक मंचों में अधिक प्रभाव:** उच्च जीडीपी रैंकिंग G20, आईएमएफ, विश्व बैंक, और बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं जैसे संस्थानों में भारत की आवाज को मजबूत करती है।
    - **बढ़ा हुआ भू-राजनीतिक वजन:** आर्थिक पैमाना रणनीतिक प्रभाव में बदल जाता है, विशेष रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहलों और बहुपक्षीय साझेदारियों को आकार देने में।
    - **बढ़ा हुआ निवेश आकर्षण:** सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में, भारत प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में उच्च स्तर के एफडीआई को आकर्षित करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात पर टैरिफ खत्म

संदर्भ:

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 1 जनवरी 2026 से भारत से होने वाले निर्यात पर सभी (100%) टैरिफ लाइनों पर शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया है। यह निर्णय भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे दो लोकतांत्रिक देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। यह कदम भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) के तहत उठाया गया था। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूती मिलेगी तथा आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया और अधिक गहरी होगी।

पृष्ठभूमि:

- भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) एक व्यापार समझौता है, जिसका उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापारिक संबंधों को मज़बूत करना है। इस समझौते पर अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी हुआ।
- ECTA के तहत दोनों देशों ने चरणबद्ध रूप से टैरिफ (शुल्क) कम करने, व्यापार को आसान बनाने और आपसी बाज़ार तक बेहतर पहुँच प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

हाल की प्रगति और प्रमुख विकास:

- **पूर्ण टैरिफ उन्मूलन:**
  - 1 जनवरी 2026 से, भारत–ऑस्ट्रेलिया ECTA के तहत भारतीय निर्यात पर शुल्क-मुक्त ऑस्ट्रेलियाई टैरिफ लाइनों का कवरेज 96.4% से बढ़कर 100% हो गया।
  - इसके परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलियाई बाज़ार में भारतीय वस्तुओं को पूर्ण (100%) शुल्क-मुक्त पहुँच प्राप्त होगी, जिससे भारत के निर्यात को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।
- **द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि:**
  - 2024-25 में, ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात लगभग 8% बढ़ा, जो लगभग 8.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
  - इसी अवधि के दौरान कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 24.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
  - ये रुझान भारतीय निर्यात की बढ़ती व्यापार विविधीकरण और प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार का संकेत देते हैं।
- **क्षेत्रीय लाभ (Sectoral Gains):**
  - कई प्रमुख क्षेत्रों में भारत के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिनमें रत्न और आभूषण (अप्रैल–नवंबर 2025 के दौरान लगभग 16% की वृद्धि), फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और परिधान, तथा कॉफी एवं अन्य कृषि उत्पाद शामिल हैं।
  - यह वृद्धि विशेष रूप से श्रम-गहन उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल निर्यात अवसर बढ़ते हैं बल्कि रोज़गार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलता है।
- **व्यापार सुविधा उपाय:**
  - जैविक उत्पादों के लिए एक पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (MRA) पर 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे अनुपालन लागत कम हो गई और प्रमाणन आवश्यकताओं को सरल बनाया गया। इस तरह के गैर-टैरिफ सुविधा उपाय टैरिफ उदारीकरण के पूरक हैं और व्यापार करने में समग्र आसानी में सुधार करते हैं।

ECTA से CECA में संक्रमण:

- ECTA की सफलता के आधार पर, भारत और ऑस्ट्रेलिया गहरे और व्यापक आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य से समझौते को एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) में अपग्रेड करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

CECA वार्ता की स्थिति:

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच CECA वार्ता का 11वां दौर अगस्त 2025 में नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और गहरा बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
- इन प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटल व्यापार, उत्पत्ति के नियम, सेवा क्षेत्र में बाज़ार पहुँच तथा निवेश सुविधा शामिल रहे, जो द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

महत्वाकांक्षी लक्ष्य:

- दोनों देशों ने 2030 तक 100 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है। प्रस्तावित CECA से निवेश और डिजिटल अर्थव्यवस्था में विस्तारित प्रतिबद्धताओं के साथ 135 से अधिक सेवा उप-क्षेत्रों को शामिल करने की उम्मीद है।

निष्कर्ष:

भारत–ऑस्ट्रेलिया ECTA के तहत 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर सभी टैरिफ समाप्त करने का ऑस्ट्रेलिया का निर्णय द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे विशेष रूप से श्रम-गहन और MSME क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा, आपूर्ति-श्रृंखला एकीकरण को मजबूती तथा इंडो-पैसिफिक व्यापार नेटवर्क में भारत की भागीदारी को गहराई मिलने की उम्मीद है। साथ ही, CECA की दिशा में चल रही वार्ताएँ दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करेंगी।

बैंक धोखाधड़ी पर आरबीआई रिपोर्ट

संदर्भ:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2024–25 रिपोर्ट में भारत की बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा एक गंभीर और चिंताजनक विरोधाभास सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, जहाँ बैंक धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, वहीं इन मामलों में शामिल कुल वित्तीय राशि में तेज़ वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति बैंकिंग धोखाधड़ी के बदलते स्वरूप, वित्तीय अपराधों की बढ़ती जटिलता तथा बैंकिंग सेवाओं के तीव्र डिजिटलीकरण के बीच प्रभावी निगरानी और नियंत्रण से जुड़ी चुनौतियों को उजागर करती है।

आरबीआई रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **मामले कम, लेकिन राशि अधिक**

» **कुल बैंक धोखाधड़ी के मामले (2024–25):** 23,879 (2023–24 में दर्ज 36,052 मामलों की तुलना में उल्लेखनीय कमी)
» **धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि:** ₹34,771 करोड़ (पिछले वर्ष की ₹11,261 करोड़ की राशि की तुलना में तीव्र वृद्धि)
» RBI के अनुसार, धोखाधड़ी की कुल राशि में आई इस असाधारण वृद्धि का प्रमुख कारण 122 मामलों की पुनः जाँच और नई रिपोर्टिंग है, जिनमें कुल ₹18,336 करोड़ की राशि शामिल है। यह पुनर्वर्गीकरण 27 मार्च 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में किया गया, जिसमें बैंकों को किसी उधारकर्ता को 'धोखाधड़ीकर्ता' घोषित करने से पहले निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करने का निर्देश दिया गया था।

▪ **हाल के रुझान (अप्रैल–सितंबर 2025–26):**
» **धोखाधड़ी के कुल मामले:** 5,092 (पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 18,386 मामलों की तुलना में उल्लेखनीय कमी)
» **धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि:** ₹21,515 करोड़ (पिछले वर्ष की ₹16,569 करोड़ की तुलना में स्पष्ट वृद्धि)
➢ ये आँकड़े दर्शाते हैं कि भले ही बैंक धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही हो, लेकिन उच्च मूल्य वाली धोखाधड़ी अब भी बैंकिंग प्रणाली के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।

बैंक धोखाधड़ी का स्वरूप:

▪ **प्रकार के आधार पर:**
» **कार्ड और इंटरनेट से जुड़ी धोखाधड़ी:** वर्ष 2024–25 में कुल बैंक धोखाधड़ी मामलों की संख्या का 66.8% हिस्सा
» **ऋण (एडवांस) से संबंधित धोखाधड़ी:** कुल धोखाधड़ी राशि का 33.1%, अर्थात मूल्य के आधार पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली श्रेणी
➢ इससे स्पष्ट होता है कि जहाँ डिजिटल माध्यमों से होने वाली धोखाधड़ी मामलों की संख्या के लिहाज़ से प्रमुख है, वहीं ऋण से जुड़ी धोखाधड़ी बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय स्थिरता के लिए सबसे बड़ा जोखिम उत्पन्न करती है।

▪ **बैंक श्रेणी के आधार पर:**
» **निजी क्षेत्र के बैंक:**
➢ कुल धोखाधड़ी मामलों की संख्या का 59.3%
➢ कार्ड और इंटरनेट धोखाधड़ी की संख्या अपेक्षाकृत अधिक
» **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक:**
➢ कुल धोखाधड़ी राशि का 70.7%
➢ ऋण से जुड़ी धोखाधड़ी संख्या और वित्तीय मूल्य दोनों के लिहाज़ से प्रमुख
➢ RBI के अनुसार, विभिन्न बैंक समूहों में ऋण से संबंधित धोखाधड़ी में दर्ज की गई वृद्धि का मुख्य कारण पूर्व में दर्ज मामलों का पुनर्वर्गीकरण है, जिनमें से अधिकांश बड़े कॉरपोरेट ऋणों से जुड़े हुए थे।

बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती:

धोखाधड़ी की राशि बढ़ने के बावजूद, RBI ने भारत की बैंकिंग प्रणाली को कुल मिलाकर मज़बूत और स्थिर बताया है।

▪ **वित्तीय स्थिति के संकेतक:**
» बैलेंस शीट वृद्धि (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक): 11.2% (2024–25)
» क्रेडिट वृद्धि: 11.5%
» जमा वृद्धि: 11.1%

▪ **लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता:**
» परिसंपत्ति पर प्रतिफल (RoA): सभी बैंक समूहों में सुधार
» जोखिम-भारित परिसंपत्तियों पर पूंजी अनुपात (CRAR):
➢ मार्च 2025: 17.4%
➢ सितंबर 2025: 17.2% (नियामकीय न्यूनतम स्तर से काफ़ी अधिक)

▪ **परिसंपत्ति गुणवत्ता:**
» **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA):**
➢ मार्च 2025 में घटकर 2.2% (कई दशकों का न्यूनतम स्तर)
➢ सितंबर 2025 में और सुधरकर 2.1%
» शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) में भी परिसंपत्ति गुणवत्ता बेहतर हुई है और पूंजी की स्थिति मज़बूत बनी हुई है।

RBI द्वारा चिन्हित उभरती चुनौतियाँ:

▪ **बड़े मूल्य की धोखाधड़ी में वृद्धि:** धोखाधड़ी के मामलों की संख्या कम होने के बावजूद, उच्च वित्तीय मूल्य वाले मामलों में जोखिम का संकेंद्रण लगातार बढ़ रहा है।
▪ **डिजिटल और साइबर जोखिम:** बैंकिंग सेवाओं के तीव्र

डिजिटलीकरण के कारण साइबर धोखाधड़ी, डेटा उल्लंघन और परिचालन संबंधी कमजोरियों की आशंका बढ़ गई है।

- **गैर-बैंकिंग संस्थाओं से बढ़ती प्रतिस्पर्धा:** गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) और फिनटेक फर्में ऋण बाज़ार में प्रतिस्पर्धा को तेज़ कर रही हैं, जिससे नियामकीय और पर्यवेक्षण संबंधी चुनौतियाँ जटिल होती जा रही हैं।
- **शासन और जोखिम प्रबंधन में कमियाँ:** कॉरपोरेट गवर्नेंस, ऋण आकलन (क्रेडिट अप्रेज़ल) तथा स्वीकृति के बाद की निगरानी प्रणालियों में निरंतर बनी हुई कमजोरियाँ वित्तीय स्थिरता के लिए चिंता का विषय हैं।

आगे की राह:

- RBI ने इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ज़ोर दिया है:
  - जोखिम आकलन और आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था को मज़बूत किया जाए
  - डिजिटल तकनीक को सुरक्षित और जिम्मेदारी से अपनाया जाए
  - उपभोक्ताओं में जागरूकता और संरक्षण बढ़ाया जाए
  - कॉरपोरेट गवर्नेंस के मानकों में सुधार किया जाए
  - धोखाधड़ी की पहचान, रिपोर्टिंग और समय रहते चेतावनी देने वाली प्रणालियाँ मजबूत हों
- वित्तीय समावेशन और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देते हुए बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और भरोसे को बनाए रखना भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण और सतत नीति चुनौती बना हुआ है।

भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश

संदर्भ:

आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनने की उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2024–25 में भारत का कुल चावल उत्पादन 150.18 मिलियन टन दर्ज किया गया, जबकि इसी अवधि में चीन का उत्पादन 145.28 मिलियन टन रहा। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि कृषि क्षेत्र में निरंतर नीतिगत समर्थन, किसानों की मेहनत और आधुनिक कृषि तकनीकों के सफल उपयोग का परिणाम है।

पृष्ठभूमि:

- ऐतिहासिक रूप से चीन लंबे समय तक वैश्विक चावल उत्पादन में अग्रणी देश रहा है। इसका प्रमुख कारण वहाँ प्रति हेक्टेयर अधिक उपज, उन्नत कृषि मशीनीकरण और आधुनिक कृषि इनपुट्स का व्यापक उपयोग रहा। धीरे-धीरे भारत ने इस अंतर को कम किया।
- इसके पीछे चावल की खेती वाले क्षेत्र का विस्तार, सिंचाई सुविधाओं में निरंतर सुधार, उच्च उपज देने वाली किस्मों को अपनाना और सरकार की सहायक व प्रोत्साहनकारी नीतियाँ अहम भूमिका में रहीं।
- भारत में चावल की खेती मुख्यतः खरीफ मौसम में होती है, जिसमें बुआई जून–जुलाई के दौरान और कटाई नवंबर–दिसंबर में की जाती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई राज्य प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। चावल का उत्पादन न केवल देश की घरेलू खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि निर्यात मांग को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

जलवायु आवश्यकताएँ और खेती की विधियाँ:

- चावल की फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, अधिक आर्द्रता और लगभग 100–200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल समतल भूमि तथा पानी को लंबे समय तक रोकने वाली दोमट या चिकनी मिट्टी में सबसे अच्छी तरह विकसित होती है।
- पानी और श्रम लागत को कम करने के उद्देश्य से किसान अब तेजी से सीधे बुवाई की विधि (डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस) को अपना रहे हैं। इसके साथ ही जीनोम-संपादित चावल की नई किस्में, जैसे 'कमला' और 'पूसा डीएसटी', ने उपज क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ जल उपयोग की दक्षता में भी सुधार किया है।
- चावल सघनता प्रणाली, यद्यपि श्रम-प्रधान है, फिर भी यह बीज और पानी की आवश्यकता को काफी हद तक घटाती है और जलवायु

दबाव वाले क्षेत्रों में एक टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में उभर रही है।

उच्च चावल उत्पादकता के प्रमुख कारण:

- **विज्ञान आधारित कृषि:** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे अग्रणी अनुसंधान संस्थानों ने अधिक उपज देने वाली, जलवायु-अनुकूल तथा कम अवधि में तैयार होने वाली चावल की उन्नत किस्में विकसित की हैं। हाल ही में उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से 184 नई फसल किस्में जारी की गईं।
- **नीतिगत समर्थन:** न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुनिश्चित व्यवस्था, सिंचाई ढाँचे का निरंतर विस्तार तथा प्रभावी बीज वितरण प्रणाली जैसी सरकारी पहलों ने किसानों को चावल की खेती अपनाने और उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
- **खाद्य सुरक्षा और निर्यात:** मजबूत घरेलू उत्पादन से देश की खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ होती है। साथ ही, भारत विश्व के प्रमुख चावल निर्यातकों में अपनी स्थिति और मजबूत करता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है और अंतरराष्ट्रीय कृषि बाजारों में भारत की भूमिका और प्रभाव बढ़ता है।

उपलब्धि का महत्व:

- **वैश्विक खाद्य सुरक्षा:** चावल उत्पादन में भारत की अग्रणी भूमिका वैश्विक खाद्य प्रणाली को मजबूती और स्थिरता प्रदान करेगी, विशेष रूप से एशिया जैसे क्षेत्रों में, जहाँ चावल मुख्य आहार है।
- **आर्थिक प्रभाव:** अधिक उत्पादन से घरेलू खाद्य कीमतों में स्थिरता आती है, ग्रामीण आजीविका को सहारा मिलता है और वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ती है।
- **कृषि नेतृत्व:** यह उपलब्धि वैश्विक कृषि मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को रेखांकित करती है तथा यह प्रमाणित करती है कि नीति निरंतरता, आधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग और किसानों की सक्रिय भागीदारी मिलकर बड़े और टिकाऊ परिणाम दे सकती हैं।

चुनौतियाँ:

- इस उल्लेखनीय सफलता के बावजूद भारत में प्रति हेक्टेयर चावल की औसत उपज अब भी चीन की तुलना में कम बनी हुई है। इसके अलावा, चावल की खेती अत्यधिक जल-आधारित है, जिसके कारण भूजल स्तर में गिरावट, मिट्टी की उर्वरता में कमी और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी चिंताएँ लगातार बढ़ रही हैं।
- इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सटीक कृषि तकनीकों को अपनाने, टिकाऊ और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने तथा कृषि मशीनीकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनना भारत के लिए वैज्ञानिक नवाचार, नीति निरंतरता और किसानों की मेहनत का प्रमाण है। यह उपलब्धि न केवल वैश्विक खाद्य सुरक्षा को मजबूत करती है, बल्कि भारत की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ बनाती है। अब विकास का अगला चरण टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर आधारित होना चाहिए, ताकि लंबे समय तक उत्पादन बना रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे और पारिस्थितिक संतुलन कायम रह सके।

टेक्स-रैम्प्स योजना

संदर्भ:

हाल ही में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र क्षेत्र से संबंधित रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग और स्टार्ट-अप (Tex RAMPS) योजना के अंतर्गत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन के प्रथम दिन संपन्न हुए, जिसका विषय "भारत के वस्त्र: विकास, विरासत और नवाचार की बुनाई" था।

टेक्स-रैम्प्स योजना के बारे में:

- टेक्स-रैम्प्स एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे पूर्णतः भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और जिसे भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त है। इस योजना का उद्देश्य साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, सुदृढ़ डेटा प्रणालियों, अनुसंधान तथा नवाचार के माध्यम से वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र को सशक्त बनाना है।
- यह योजना वस्त्र क्षेत्र में लंबे समय से विद्यमान डेटा की कमी, अनुसंधान अवसंरचना, योजना निर्माण, निगरानी व्यवस्था तथा क्षमता विकास से संबंधित चुनौतियों को दूर करने का प्रयास करती है।

टेक्स-रैम्प्स के प्रमुख उद्देश्य:

- **अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना:** क्षेत्र-विशेष अनुसंधान को प्रोत्साहित कर नीति निर्माण को सुदृढ़ बनाना और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना।

- **डेटा-आधारित योजना:** वास्तविक समय में डेटा संग्रह और एकीकृत सांख्यिकीय प्रणालियों के माध्यम से बेहतर एवं सटीक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना।
- **निगरानी और विश्लेषण को सशक्त बनाना:** रणनीतिक नीति निर्माण के लिए प्रदर्शन की निगरानी और उन्नत विश्लेषण को सक्षम बनाना।
- **स्टार्ट-अप और नवाचार को प्रोत्साहन:** स्टार्ट-अप्स, नए उत्पादों और उच्च मूल्य वाले निर्माण को प्रोत्साहित करना।
- **क्षेत्रीय क्षमताओं में वृद्धि:** राज्यों, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग और ज्ञान साझा करने के माध्यम से क्षेत्रीय क्षमता का विकास करना।

वित्त वर्ष 2026 से 2031 तक इस योजना के लिए कुल अनुमानित व्यय ₹305 करोड़ निर्धारित किया गया है।

समझौतों का मुख्य फोकस:

- **क्लस्टर एवं ज़िला स्तर की योजना:** हथकरघा, हस्तशिल्प, परिधान तथा तकनीकी वस्त्र जैसे प्रमुख उपक्षेत्रों के लिए एकीकृत योजना निर्माण पर विशेष बल दिया गया है, जिसका प्रभावी क्रियान्वयन क्लस्टर और ज़िला स्तर पर किया जाएगा।
- **सहकारी संघवाद:** राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से यह पहल सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करती है तथा वस्त्र क्षेत्र के विकास हेतु केंद्र–राज्य सहयोग को मज़बूत बनाती है।

वित्तीय सहायता:

- **राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अनुदान:** योजना के अंतर्गत प्रत्येक भागीदार राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को योजना से संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु प्रति वर्ष ₹12 लाख का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- **ज़िला कार्य योजना अनुदान:** ज़िला स्तर पर कार्य योजनाओं के निर्माण तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रति ज़िला प्रति वर्ष ₹1 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

वस्त्र क्षेत्र पर प्रभाव:

- यह पहल सुदृढ़ डेटा अवसंरचना और उन्नत विश्लेषण के माध्यम से नीति निर्माण के लिए एक मज़बूत आधार तैयार करेगी, जिससे नीतियाँ अधिक प्रभावी, लक्षित और समयानुकूल बन सकेंगी।
- मज़बूत डेटा प्रणालियों और एकीकृत योजना के माध्यम से यह योजना वर्ष 2030 तक भारत के वस्त्र उद्योग को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सरकार के लक्ष्य को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती है।
- ज़िला और क्लस्टर स्तर पर केंद्रित दृष्टिकोण से राष्ट्रीय रणनीतियों का स्थानीय क्षमताओं और विशिष्टताओं के साथ बेहतर समन्वय होगा, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- सुदृढ़ डेटा प्रणालियाँ वस्त्र क्षेत्र में लंबे समय से विद्यमान सांख्यिकीय कमियों को दूर करने के साथ-साथ वास्तविक समय में निगरानी और मूल्यांकन को संभव बनाएँगी।

निष्कर्ष:

टेक्स-रैम्प्स योजना के अंतर्गत हुए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर वस्त्र क्षेत्र को डेटा-आधारित शासन, एकीकृत योजना, अनुसंधान तथा नवाचार के माध्यम से आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं। राज्यों के साथ सशक्त साझेदारी के ज़रिये वस्त्र मंत्रालय सहकारी संघवाद और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूती प्रदान करना चाहता है, जिससे आने वाले दशक में भारत का वस्त्र क्षेत्र सतत विकास, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर हो सके।

भारत में क्रिप्टो के लिए नए केवाईसी नियम

संदर्भ:

हाल ही में भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने क्रिप्टोकरेंसी उपयोगकर्ताओं के लिए लाइव सेल्फी, जियो-टैगिंग और पेनी-ड्रॉप के माध्यम से बैंक खाता सत्यापन को अनिवार्य किया है। यह कदम धन शोधन रोधी (Anti-Money Laundering) और नो योर कस्टमर (केवाईसी) ढांचे को और अधिक मज़बूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि डिजिटल परिसंपत्तियों के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग तथा अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

नए केवाईसी नियमों के बारे में:

- एफआईयू ने क्रिप्टोकरेंसी उपयोगकर्ताओं के लिए अब निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अनिवार्य कर दिया है:
  - उपयोगकर्ता की वास्तविक और सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए लिवनेस डिटेक्शन के साथ लाइव सेल्फी।
  - खाता पंजीकरण के समय जियो-टैगिंग तथा आईपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल) पते की ट्रैकिंग।
  - बैंक खाते के वास्तविक स्वामित्व की पुष्टि के लिए पेनी-ड्रॉप के

माध्यम से सत्यापन।

» अतिरिक्त केवाईसी के अंतर्गत पैन और सरकारी पहचान पत्र, जिनका सत्यापन ओटीपी द्वारा किया जाएगा। उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर छह महीने में तथा अन्य ग्राहकों के लिए प्रतिवर्ष केवाईसी अद्यतन अनिवार्य होगा।

विनियामक उद्देश्य:

- पहचान की पुष्टि को मज़बूत बनाना और फर्जी खातों या पहचान की चोरी को रोकना।
- डिजिटल परिसंपत्तियों के ज़रिये होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिम को कम करने के लिए लेन-देन की निगरानी और ट्रेसबिलिटी बढ़ाना।
- यह सुनिश्चित करना कि खाता खोलने वाला व्यक्ति वास्तविक रूप से उपस्थित है और जिन वित्तीय साधनों का उपयोग किया जा रहा है, उनसे उसका वैध तथा प्रमाणिक संबंध है।

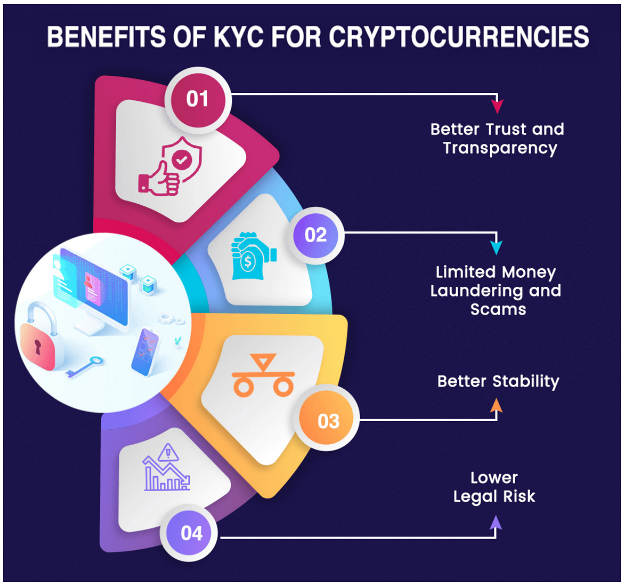

नीति और शासन के लिए महत्व:

- **अवैध वित्त पर रोक:** क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के लिए कड़े एएमएल और केवाईसी नियम वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं। इनका उद्देश्य डिजिटल परिसंपत्तियों को औपचारिक और विनियमित वित्तीय प्रणाली के दायरे में लाना तथा कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधित संगठनों को वित्तपोषण जैसी अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।
- **नियामक स्पष्टता:** यद्यपि भारत में क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मुद्रा का दर्जा प्राप्त नहीं है, फिर भी ये नए दिशा-निर्देश क्रिप्टो एक्सचेंजों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत रिपोर्टिंग इकाई के रूप में स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं, जिससे उन्हें संदिग्ध लेन-देन की नियमित रिपोर्टिंग करना अनिवार्य होगा।
- **उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा:** सुदृढ़ सत्यापन प्रक्रियाएँ वास्तविक और ईमानदार उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी तथा पहचान की चोरी से सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। हालांकि, बढ़ा हुआ अनुपालन बोझ नए या सामान्य निवेशकों के लिए खाता खोलने की प्रक्रिया को कुछ हद तक जटिल भी बना सकता है।

क्रिप्टोकरेंसी के बारे में:

- क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल अथवा आभासी मुद्रा है, जो क्रिप्टोग्राफी तकनीक द्वारा सुरक्षित होती है और किसी केंद्रीय प्राधिकरण के नियंत्रण के बिना विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर संचालित होती है।
- इसकी आधारभूत तकनीक ब्लॉकचेन है, जो एक वितरित, पारदर्शी और स्थायी लेखा प्रणाली होती है, जिसमें लेन-देन क्रमबद्ध रूप से आपस में जुड़े "ब्लॉक्स" में दर्ज किए जाते हैं।
- विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि पूरे नेटवर्क पर किसी एक संस्था या सरकार का नियंत्रण नहीं होता। लेन-देन का सत्यापन माइनिंग या वैलिडेशन प्रक्रियाओं, जैसे प्रूफ-ऑफ-वर्क और प्रूफ-ऑफ-स्टेक, के माध्यम से किया जाता है।
- उपयोगकर्ता अपनी क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ डिजिटल वॉलेट में रखते हैं, जो सार्वजनिक और निजी कुंजियों को सुरक्षित रखते हैं। बिटकॉइन, एथेरियम और स्टेबलकॉइन इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

भारत का नियामक रुख:

- भारत में क्रिप्टोकरेंसी को न तो पूरी तरह नियंत्रित किया गया है और न ही प्रतिबंधित, लेकिन इसे कानूनी मुद्रा का दर्जा प्राप्त नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय जोखिमों को लेकर चेतावनी देता रहा है। कर व्यवस्था के तहत क्रिप्टो ट्रांसफर पर 30 प्रतिशत कर और लेन-देन पर 1 प्रतिशत टीडीएस लगाया जाता है।

निष्कर्ष:

लिवनेस डिटेक्शन के साथ सेल्फी और पेनी-ड्रॉप के माध्यम से बैंक खाता सत्यापन को अनिवार्य करना भारत में क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं की पहचान और प्रमाणीकरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। ये कदम सरकार की उस प्राथमिकता को स्पष्ट करते हैं, जिसमें वित्तीय पारदर्शिता को सुदृढ़ करना, उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और वर्चुअल परिसंपत्तियों पर प्रभावी निगरानी स्थापित करना शामिल है,

यह ऐसा क्षेत्र है जो तेज़ी से विस्तार कर रहा है, लेकिन जहाँ अवसरों के साथ-साथ पर्याप्त जोखिम भी निहित हैं।

भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि

संदर्भ:

हाल के वर्षों में भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। भारत सरकार के अनुसार, देश का कुल मत्स्य उत्पादन वित्त वर्ष 2024–25 में बढ़कर लगभग 198 लाख टन हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2013–14 में यह मात्र 95 लाख टन था। इस प्रकार, पिछले एक दशक के दौरान भारत के मत्स्य उत्पादन में 106% से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो इस क्षेत्र की तेज़ प्रगति, सुदृढ़ नीतिगत समर्थन तथा उत्पादक क्षमता में निरंतर विस्तार को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

निरंतर वृद्धि के प्रमुख कारक:

- **नीतिगत पहल और संस्थागत समर्थन:** नीली क्रांति, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना जैसी परिवर्तनकारी सरकारी पहलों ने इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2014-15 से अब तक इन योजनाओं के तहत ₹32,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूती मिली है और तकनीक को अपनाने को बढ़ावा मिला है।
- **अंतर्देशीय मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर पर फोकस:** अंतर्देशीय मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर पर बढ़ता हुआ फोकस इनके विकास का मुख्य चालक बनकर उभरा है। रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, उन्नत फीडिंग तकनीक तथा वैज्ञानिक जल-संसाधन प्रबंधन जैसी आधुनिक पद्धतियों को अपनाने से मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **बुनियादी ढांचा विकास और बाजार एकीकरण:** कोल्ड स्टोरेज, बर्फ संयंत्र तथा मछली परिवहन प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचे में किए गए सुधारों ने मछली पकड़ने के बाद होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया है। इसके साथ ही, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 26 लाख से अधिक हितधारकों, जिनमें मछुआरे और उद्यमी शामिल हैं, का पंजीकरण किया गया है। इससे न केवल विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच सरल हुई है, बल्कि वित्तीय सहायता और बाजार से जुड़ाव भी अधिक सुलभ और प्रभावी हुआ है।

वैश्विक स्थिति और आर्थिक प्रभाव:

- **वैश्विक उत्पादक:** भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है, जो कुल वैश्विक उत्पादन में लगभग 8% का योगदान देता है।
- **निर्यात:** वित्त वर्ष 2024-25 में समुद्री खाद्य (seafood) का निर्यात ₹62,400 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

सामाजिक-आर्थिक लाभ:

- यह प्रोटीन युक्त भोजन तक पहुंच बढ़ाकर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- यह उत्पादन से लेकर विपणन तक की पूरी श्रृंखला में रोजगार के अवसर पैदा करता है।
- यह ग्रामीण और तटीय अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर पारंपरिक मछुआरा समुदायों को लाभ पहुँचाता है।
- यह स्थिरता और संसाधन संरक्षण के साथ मत्स्य विकास को जोड़कर भारत के 'ब्लू इकोनॉमी' (Blue Economy) विजन का समर्थन करता है।

चुनौतियां:

- प्रगति के बावजूद, मत्स्य पालन क्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिन पर निरंतर और विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है:
  - » समुद्री भंडार के अत्यधिक दोहन को रोकने हेतु जिम्मेदार मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देना।
  - » जल की गुणवत्ता तथा पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं का प्रभावी समाधान।
  - » जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जैसे समुद्र के बढ़ते तापमान और अम्लीकरण के कारण मत्स्यिकी उत्पादकता पर पड़ने वाले दीर्घकालिक जोखिम।

निष्कर्ष:

वित्त वर्ष 2024–25 में भारत का मछली उत्पादन लगभग 198 लाख टन तक पहुँचना देश में लागू प्रभावी नीतिगत ढांचे और तकनीकी नवाचारों की सफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। भविष्य में खाद्य सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि उत्पादकता में वृद्धि और पारिस्थितिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखा जाए।

भारत की जीडीपी को लेकर आईएमएफ का पूर्वानुमान

संदर्भ:

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वित्त वर्ष 2025–26 (FY26) के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है। यह अक्टूबर 2025 में जारी अनुमान की तुलना में 0.7 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2026–27 (FY27) के लिए विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में गति बनी रहेगी, हालांकि इसमें कुछ नरमी आएगी। ये अनुमान आईएमएफ की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के जनवरी 2026 अपडेट में जारी किए गए हैं।

आईएमएफ के संशोधित अनुमान की प्रमुख बातें:

- **वित्त वर्ष 2026 में अपेक्षा से अधिक तेज़ वृद्धि**
  - » तीसरी तिमाही के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और चौथी तिमाही तक बनी निरंतर गति के कारण विकास अनुमान में बढ़ोतरी की गई है।
  - » राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत रही, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाती है।
- **वित्त वर्ष 2027 और वित्त वर्ष 2028 के लिए दृष्टिकोण**
  - » वित्त वर्ष 2027 और वित्त वर्ष 2028, दोनों वर्षों के लिए विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
  - » यह अपेक्षाकृत धीमी गति अस्थायी और चक्रीय कारकों के प्रभाव के कम होने को दर्शाती है, जिससे अर्थव्यवस्था तेज़ विकास के चरण से निकलकर एक अधिक स्थिर और टिकाऊ मध्यम अवधि की विकास राह पर आगे बढ़ रही है।

भारत की विकास संभावनाओं में सुधार के कारण:

- **घरेलू मांग और उपभोग:** विशाल घरेलू बाजार, बढ़ती आय और सेवाक्षेत्र की निरंतर मजबूत मांग आर्थिक स्थिरता और विकास को मज़बूत आधार प्रदान कर रही है।
- **निवेश और औद्योगिक गतिविधि:** निवेशकों का बढ़ता विश्वास, औद्योगिक उत्पादन में निरंतर वृद्धि तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में हो रहा बुनियादी ढांचा निवेश आर्थिक विस्तार को गति दे रहा है।
- **तीसरी और चौथी तिमाही की मजबूती:** वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही में दर्ज किया गया बेहतर आर्थिक प्रदर्शन अल्पकालिक विकास संभावनाओं को और अधिक सुदृढ़ करता है।

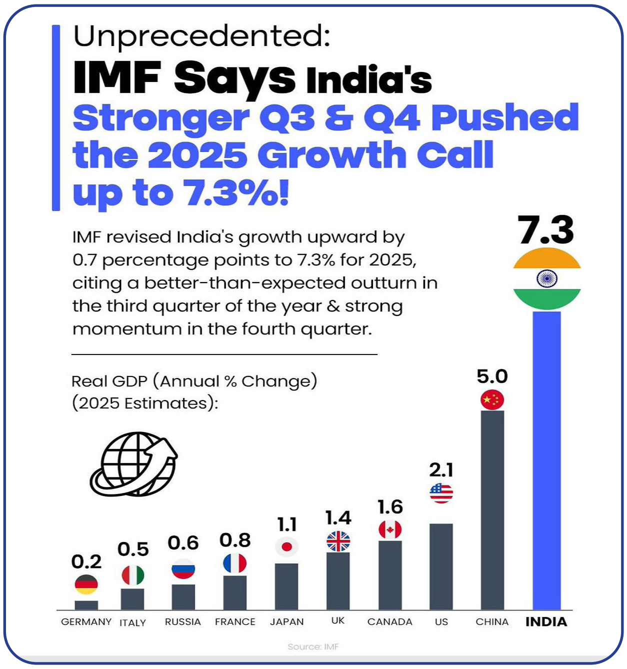

वैश्विक विकास के संदर्भ में तुलना:

- वैश्विक आर्थिक विकास दर 2026 में लगभग 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 2027 में मामूली रूप से घटकर 3.2 प्रतिशत हो सकती है।
- इस पृष्ठभूमि में भारत से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हुए विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखेगा।

नीतिगत और संरचनात्मक प्रभाव:

- **वैश्विक विकास में भारत की भूमिका:** विकास अनुमान में हुई बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है, साथ ही इससे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास और अधिक मजबूत होता है।
- **मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति:** मुद्रास्फीति के भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित 4 (± 2) प्रतिशत के लक्ष्य दायरे में बने रहने की संभावना है, जिससे मौद्रिक नीति को लागू करने में नीति-निर्माताओं को अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन प्राप्त होगा।
- **संरचनात्मक सुधार और स्थिरता:** श्रम बाजार, बुनियादी ढांचे,

डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा कारोबार में सुगमता से जुड़े निरंतर और प्रभावी सुधार दीर्घकाल में टिकाऊ, संतुलित और समावेशी आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं।

चुनौतियाँ और जोखिम:

- भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार अनिश्चितताएँ निर्यात और निवेश प्रवाह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं।
- विकसित देशों की धीमी वृद्धि से बाहरी मांग कमजोर हो सकती है।
- वैश्विक कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से मुद्रास्फीति का दबाव फिर बढ़ सकता है।

आईएमएफ के बारे में:

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में स्थित है और इसके 191 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी। आईएमएफ का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।
- यह सदस्य देशों को नीति संबंधी सलाह, तकनीकी सहायता और आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सहयोग प्रदान करता है तथा एक वैश्विक आर्थिक निगरानी संस्था और अंतिम ऋणदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष:

वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर को बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत किया जाना देश की मजबूत आर्थिक बुनियाद, घरेलू मांग की निरंतर मजबूती और अनुकूल अल्पकालिक आर्थिक परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यद्यपि वित्त वर्ष 2027–28 में विकास दर में कुछ नरमी आने की संभावना है, फिर भी नियंत्रित मुद्रास्फीति और निरंतर जारी संरचनात्मक सुधार दीर्घकाल में टिकाऊ और संतुलित विकास को समर्थन प्रदान कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत के सामने समावेशी और दीर्घकालिक विकास के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

खुले समुद्र में भारत की पहली समुद्री मछली पालन परियोजना

सन्दर्भ:

हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान सागर में नॉर्थ बे पर भारत की पहली खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया। यह परियोजना भारत की ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य देश के विशाल महासागरीय संसाधनों की आर्थिक क्षमता का उपयोग करना है।

परियोजना के विषय में:

- यह पहल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उसके तकनीकी अंग राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।
- यह परियोजना भारत की पहली खुले समुद्र में केज-आधारित समुद्री मछली पालन पहल है, जिसे अंडमान सागर की प्राकृतिक महासागरीय परिस्थितियों में लागू किया गया है।
- यह पहल दो प्रमुख घटकों पर केंद्रित है:
  - » **समुद्री वनस्पति (सीवीड/समुद्री शैवाल की खेती):** गहरे समुद्र में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मछुआरों को सीवीड के बीज वितरित किए गए।
  - » **समुद्री जीव (फिनफिश/पंखदार मछली पालन):** एनआईओटी द्वारा डिज़ाइन किए गए खुले समुद्र के केज का उपयोग करते हुए केज-आधारित मछली पालन के लिए फिनफिश के बीज उपलब्ध कराए गए, जो ऑफशोर परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम हैं।

पहल का रणनीतिक महत्व:

- **ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा:** यह पहल भारत की ब्लू इकोनॉमी रणनीति की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों की आर्थिक क्षमता का उपयोग करना है, ठीक उसी प्रकार जैसे भारत अपनी स्थलीय संपत्तियों का उपयोग करता रहा है।
- **तटीय और द्वीपीय समुदायों को सशक्त बनाना:** यह पायलट परियोजना वैज्ञानिक नवाचार को आजीविका सृजन के साथ जोड़ती है, जिससे स्थानीय मछुआरा समुदायों को प्रौद्योगिकी, बीज और समुद्री एक्वाकल्चर के लिए प्रशिक्षण का लाभ मिलता है।
- इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और तटीय तथा द्वीपीय आबादी के लिए आय के स्रोतों में विविधता लाना है।

समुद्री पालन को सुदृढ़ करने वाली प्रौद्योगिकी:

- यह परियोजना एनआईओटी द्वारा विकसित आधुनिक खुले समुद्र के केज का उपयोग करती है, जिन्हें वास्तविक समुद्री परिस्थितियों में सुरक्षित और प्रभावी रूप से काम करने के लिए तैयार किया गया

है। यह पारंपरिक तटीय मछली पालन प्रणालियों की तुलना में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को दर्शाती है।

- यह पहल तटीय क्षेत्रों पर दबाव डालने के बजाय समुद्र की प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप सतत तरीके अपनाती है, जिससे तटवर्ती पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाला दबाव कम होता है।

ब्लू इकोनॉमी का महत्व:

- **व्यापक समुद्री क्षेत्र**
  - » भारत की तटरेखा लगभग 7,500–11,098 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें 9 तटीय राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश और अनेक द्वीप शामिल हैं।
  - » भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है, जो गहरे समुद्र की मत्स्यिकी, एक्वाकल्चर तथा खनिज और ऊर्जा संसाधनों के दोहन की विशाल संभावनाएं प्रदान करता है।
- **आर्थिक योगदान**
  - » समुद्री क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4 प्रतिशत का योगदान है, किंतु समग्र पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन के अभाव के कारण यह योगदान वास्तविक क्षमता से कम आंका गया प्रतीत होता है।
  - » भारत के कुल वस्तु व्यापार का लगभग 95 प्रतिशत (आयतन के आधार पर) समुद्री मार्गों के माध्यम से संपन्न होता है, जो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य में महासागरों के अत्यंत रणनीतिक महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
- **आजीविका और खाद्य सुरक्षा**
  - » मत्स्यिकी और एक्वाकल्चर क्षेत्र लाखों लोगों की आजीविका का आधार हैं, जिनमें मछली पकड़ने, प्रसंस्करण और सहायक गतिविधियों से जुड़े लोग शामिल हैं।
  - » भारत विश्व के शीर्ष मछली उत्पादक देशों में शामिल है, जो इसकी वर्तमान क्षमताओं और भविष्य की अपार संभावनाओं को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

अंडमान सागर में भारत की पहली खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ देश की समुद्री क्षमता के दोहन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रौद्योगिकी, सतत विकास और सामुदायिक भागीदारी के समन्वय के माध्यम से यह पहल महासागर-आधारित आर्थिक विकास की एक विस्तार योग्य आधारशिला रखती है और ब्लू इकोनॉमी को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में सुदृढ़ करती है।

स्टार्टअप इंडिया का एक दशक

संदर्भ:

हाल ही में 16 जनवरी, 2026, को स्टार्टअप इंडिया पहल का एक दशक पूरा हुआ है, जिसे 2016 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के तहत शुरू किया गया था। पिछले दस वर्षों में, इस पहल ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक में बदल दिया है, जिसमें दिसंबर 2025 तक 2 लाख से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप शामिल हैं। इनमें से लगभग 50% स्टार्टअप टियर-II और टियर-III शहरों से उत्पन्न हुए हैं, जो उद्यमिता के लोकतंत्रीकरण और समावेशी क्षेत्रीय विकास के प्रोत्साहन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स की भूमिका:

स्टार्टअप्स निम्नलिखित माध्यमों से भारत के आर्थिक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरे हैं:

- तकनीकी नवाचार और उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ, इस पहल ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा किए हैं तथा वित्तीय समावेशन और डिजिटल अपनाने को भी प्रोत्साहित किया है।
- एग्री-टेक, टेलीमेडिसिन, माइक्रोफाइनेंस, एड-टेक और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नवाचारी समाधानों के माध्यम से ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स ने समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, जहाँ 45% से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक या भागीदार मौजूद है, जो उद्यमिता को आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक समानता दोनों के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में रेखांकित करता है।

प्रमुख सरकारी पहल:

- **वित्त पोषण और वित्त**
  - » **स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS):** ₹10,000 करोड़ का कॉर्पस, 140 से अधिक वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) के माध्यम से निवेश, जिससे 1,370 से अधिक स्टार्टअप्स को समर्थन मिला।
  - » **स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS):** पात्र स्टार्टअप उधारकर्ताओं के लिए संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-

free) ऋण की सुविधा प्रदान करती है।

» **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS):** शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स के समर्थन हेतु 215 से अधिक इनक्यूबेटरों को ₹945 करोड़ का आवंटन।

▪ **इकोसिस्टम विकास:**

» **स्टार्टअप इंडिया हब:** स्टार्टअप्स को निवेशकों, सलाहकारों, इनक्यूबेटरों और कॉर्पोरेट भागीदारों से जोड़ने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म।

» **राष्ट्रीय परामर्श पोर्टल (MAARG):** संरचित परामर्श के माध्यम से स्टार्टअप्स को रणनीतिक और क्षेत्रीय मार्गदर्शन प्रदान करता है।

» **राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (SRF):** राज्यों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने हेतु प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहित करता है।

▪ **नवाचार और डीप-टेक कार्यक्रम**

» **अटल इनोवेशन मिशन (AIM 1.0 और 2.0):** अटल टिंकरिंग लैब्स, कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप, यूथ को:लैब तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों के लिए लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देता है।

» **GENESIS और MeitY स्टार्टअप हब:** विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों में डीप-टेक नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।

» **TIDE 2.0 और NIDHI कार्यक्रम:** टियर-II/III शहरों, महिला उद्यमियों और विशेष योग्यजनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ICT एवं प्रौद्योगिकी-संचालित उद्यमिता का समर्थन करते हैं।

▪ **ग्रामीण और जमीनी स्तर की उद्यमिता**

» **स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP):** 3.74 लाख से अधिक ग्रामीण उद्यमों का समर्थन कर स्थानीय आजीविका को सशक्त बनाया है।

» **नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (ASPIRE):** ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, कौशल विकास और सूक्ष्म उद्यम निर्माण को बढ़ावा देता है।

» **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):** स्वरोजगार और जमीनी स्तर के उद्यम निर्माण हेतु मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है, जिसमें SC/ST समुदायों, महिलाओं और आकांक्षी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन शामिल हैं।

एक दशक का प्रभाव:

▪ 2014 में केवल 4 यूनिकॉर्न से बढ़कर 120 से अधिक उच्च-मूल्य वाले स्टार्टअप्स तक का विकास, जिनका सामूहिक मूल्य $350 बिलियन से अधिक है।

- छोटे शहरों से मजबूत प्रतिनिधित्व, जो विकेंद्रीकृत और समावेशी नवाचार के उभरते स्वरूप को दर्शाता है।
- एग्री-टेक, क्लीन मोबिलिटी, एड-टेक और वित्तीय समावेशन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्टार्टअप्स का संरचनात्मक एकीकरण।
- लाखों युवाओं के लिए रोजगार का सृजन, साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, औद्योगिक सहयोग और वैश्विक बाजारों तक पहुँच की सुविधा।

आगे की राह:

जैसे-जैसे भारत तीव्र विस्तार से स्थायी स्केलिंग (sustainable scaling) की ओर अग्रसर हो रहा है, स्टार्टअप्स नवाचार-आधारित आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जनसांख्यिकीय लाभांश और सुधार-उन्मुख शासन पर आधारित स्टार्टअप्स, 2030 तक $7.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तथा व्यापक 'विकसित भारत 2047' के रोडमैप के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक विजन को साकार करने में केंद्रीय भूमिका निभाते रहेंगे।

एमएसएमई क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सिडबी में इक्विटी निवेश

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) में ₹5,000 करोड़ के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य MSMEs को वित्तीय सहायता का विस्तार करना, रोजगार पैदा करना और बढ़ती ऋण मांगों के बीच SIDBI की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना है।

कैसे लागू किया जाएगा?

- वित्तीय सेवा विभाग (DFS) यह पूंजी तीन किश्तों में प्रदान करेगा:
  - **2025-26 में:** ₹568.65 के बुक वैल्यू पर ₹3,000 करोड़।
  - **2026-27 और 2027-28 में:** तत्कालीन बुक वैल्यू पर ₹1,000-₹1,000 करोड़।
- यह चरणबद्ध दृष्टिकोण SIDBI के ऋण संचालन का समर्थन करने के लिए एक निरंतर पूंजी आधार सुनिश्चित करता है, साथ ही एक मजबूत 'कैपिटल टू रिस्क-वेटेड एसेट्स रेशियो' (CRAR) बनाए रखने में मदद करता है।

एमएसएमई पर प्रभाव:

- वर्तमान में, सिडबी लगभग 76.26 लाख एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस निवेश के बाद:
  - लाभार्थियों की संख्या 2027-28 तक बढ़कर 102 लाख होने की संभावना है।
  - लगभग 25.74 लाख नए उद्यम इस नेटवर्क से जुड़ेंगे।
- प्रति एमएसएमई औसतन 4.37 व्यक्तियों के रोजगार सृजन को देखते हुए, इस विस्तार से लगभग 1.12 करोड़ नौकरियां पैदा होने का अनुमान है, जो आजीविका और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

सिडबी (SIDBI) के वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- यह निवेश SIDBI को एक मजबूत CRAR बनाए रखने में मदद करेगा, जिससे क्रेडिट रेटिंग की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और बैंक प्रतिस्पर्धी दरों पर संसाधन जुटाने में सक्षम होगा। ऋण स्थिरता के लिए एक स्वस्थ CRAR आवश्यक है, विशेष रूप से तब जब MSME वित्तपोषण बढ़ने के साथ बैंक की जोखिम-भारित संपत्तियां (risk-weighted assets) बढ़ती हैं। यह कदम MSME क्षेत्र के लिए सस्ती ऋण पहुंच बढ़ाने के सरकार के व्यापक उद्देश्य का भी समर्थन करता है।

एमएसएमई विकास में सिडबी की भूमिका:

- 1990 में स्थापित, सिडबी एमएसएमई के प्रचार, वित्तपोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। यह विकास, अन्य संस्थानों के साथ समन्वय और क्षेत्रीय विकास के सरकार के ट्रिपल एजेंडे को लागू करता है।
- प्रमुख पहलों में शामिल हैं:
  - » **गिफ्ट (GIFT) योजना:** हरित प्रौद्योगिकियों के लिए रियायती वित्त और क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है।
  - » **ट्रेड्स (TReDS) प्लेटफॉर्म:** बिना किसी कोलेटरल (collateral) के MSMEs के लिए इनवॉइस का तेजी से भुगतान सुनिश्चित करता है।
  - » **उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (Udyam Assist Platform -UAP):** औपचारिक पंजीकरण और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।
  - » **क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE):** ₹5 करोड़ तक के कोलेटरल-मुक्त ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

सिडबी में ₹5,000 करोड़ का इक्विटी निवेश भारत के MSME इकोसिस्टम को मजबूत करने, ऋण की पहुंच बढ़ाने और रोजगार सृजन करने के लिए एक रणनीतिक पहल है। सतत विकास और नवाचार का समर्थन करके, यह उपाय सरकार के एक मजबूत, वित्तीय रूप से समावेशी और लचीले एमएसएमई क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास में योगदान देता है।

7 आंतरिक सुरक्षा

तकनीक और रणनीतिक स्वायत्तता: भारत के पनडुब्बी कार्यक्रम का विश्लेषण

सन्दर्भ:

पिछले दशक से हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific) वैश्विक भू-राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। इस बदलती समुद्री विस्तार नीति में भारत की स्थिति न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील भी है। हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) की बदलती सुरक्षा ढांचा में भारतीय नौसेना अपनी पारंपरिक क्षमताओं को आधुनिकतम मानकों के अनुरूप ढाल रही है। भारतीय नौसेना की दीर्घकालिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में 'प्रोजेक्ट-75I' (P-75I) सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी स्तंभ है। लगभग 8 बिलियन डॉलर (60,000 करोड़ रुपये से अधिक) की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना केवल सैन्य बेड़े के विस्तार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' और पाकिस्तान की बढ़ती नौसैनिक आक्रामकता के विरुद्ध भारत का एक व्यापक रणनीतिक प्रतिक्रिया भी है।

इसी सन्दर्भ में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की हालिया भारत यात्रा में रक्षा और सुरक्षा सहयोग एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा। दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जो रणनीतिक संबंधों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जर्मनी ने हाल के वर्षों में अपने रक्षा निर्यात मानदंडों में बदलाव किया है, जिससे भारतीय खरीद के लिए मंजूरी प्रक्रिया सरल हो गई है। वर्षों से लंबित आवेदनों पर अब तेजी से कार्रवाई की जा रही है, जिससे रक्षा व्यापार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बन रहा है।

प्रोजेक्ट P-75I और AIP प्रणाली:

- प्रोजेक्ट P-75I के तहत छह अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी घटक 'एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन' (AIP) प्रणाली है।
- पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी 'स्टेल्थ' (अदृश्य रहने की क्षमता) की सीमा है। उन्हें अपनी बैटरियों को चार्ज करने के लिए बार-बार सतह पर आना पड़ता है या 'स्नोर्कल' करना पड़ता है, जिससे वे रडार और उपग्रहों की पकड़ में आ जाती हैं। AIP तकनीक से लैस होने के बाद, ये पनडुब्बियां दो से तीन सप्ताह तक लगातार पानी के भीतर रह सकती हैं। यह क्षमता उन्हें परमाणु पनडुब्बियों के करीब ले जाती है, लेकिन कम शोर के कारण ये शांत और अधिक घातक होती हैं। भारत के लिए यह तकनीक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के उथले पानी में ये पनडुब्बियां दुश्मन के विमानवाहक पोतों के लिए अदृश्य खतरा पैदा करती हैं।

प्रोजेक्ट-75I पनडुब्बी कार्यक्रम:

- प्रोजेक्ट-75I भारत के पिछले प्रोजेक्ट-75 की अगली पहल है, जिसके तहत मज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) में छह स्कॉर्पीन-क्लास पनडुब्बियां बनाई गई थीं।
- प्रोजेक्ट-75 के विपरीत, प्रोजेक्ट-75I में बाद में रेट्रोफिटिंग करने के बजाय, निर्माण के चरण में ही अत्याधुनिक AIP तकनीक पेश की गई है।
- **प्रोजेक्ट-75I पनडुब्बी की मुख्य बातें:**
  - 6 उन्नत डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण
  - एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) से लैस
  - लंबे समय तक पानी के अंदर ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन की गई
  - स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप (SP) मॉडल के तहत निर्मित

» स्वदेशीकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ज़ोर

- **प्रोजेक्ट-75I पनडुब्बी कार्यक्रम का महत्व:** प्रोजेक्ट-75I भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करता है:
  - » IOR में चीनी पनडुब्बियों की गतिविधियों पर नज़र रखना
  - » महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) को सुरक्षित करना
  - » लंबे समय तक गुप्त गश्त करना
  - » बिना उकसावे के विश्वसनीय प्रतिरोध का संकेत देना

एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP)

- पारंपरिक पनडुब्बियां आमतौर पर बैटरी पर निर्भर करती हैं जिन्हें रिचार्ज करने के लिए समय-समय पर सतह पर आना पड़ता है या स्नोर्कलिंग करनी पड़ती है, जिससे उनके पकड़े जाने का खतरा रहता है। AIP तकनीक इस समीकरण को पूरी तरह से बदल देती है।
- **AIP पनडुब्बियों के रणनीतिक लाभ:**
  - » पनडुब्बियों को हफ्तों तक पानी के अंदर रहने की अनुमति देता है।
  - » ध्वनिक, रडार और इन्फ्रारेड सिग्नेचर को काफी कम करता है
  - » स्टील्थ, जीवित रहने की क्षमता और सहनशक्ति को बढ़ाता है
  - » गुप्त निगरानी और समुद्री नियंत्रण मिशन के लिए आदर्श
  - » कम लागत पर लगभग परमाणु पनडुब्बी जैसी स्टील्थ क्षमता प्रदान करता है।
- भारत के लिए, AIP पारंपरिक और परमाणु पनडुब्बियों के बीच परिचालन अंतर को पाटता है - बिना लागत या राजनीतिक जोखिम बढ़ाए। यह कार्यक्रम एक स्पष्ट संदेश देता है: भारत अपने प्राथमिक समुद्री क्षेत्र में पानी के नीचे प्रभुत्व नहीं छोड़ेगा।

क्षेत्रीय शक्ति संतुलन:

- भारत के रक्षा योजनाकारों के सामने वर्तमान में 'टू-फ्रंट वॉर' (दो मोर्चों पर युद्ध) की स्थिति समुद्र में भी आकार ले रही है।
  - » **चीन का प्रभाव:** पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है। जिबूती में आधार और ग्वादर में निवेश के माध्यम से चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को स्थायी बना रहा है।
  - » **पाकिस्तान का आधुनिकीकरण:** पाकिस्तान ने चीन से आठ 'हंगोर-क्लास' (Type 039B) पनडुब्बियां खरीदने का समझौता किया है, जो AIP तकनीक से लैस हैं।

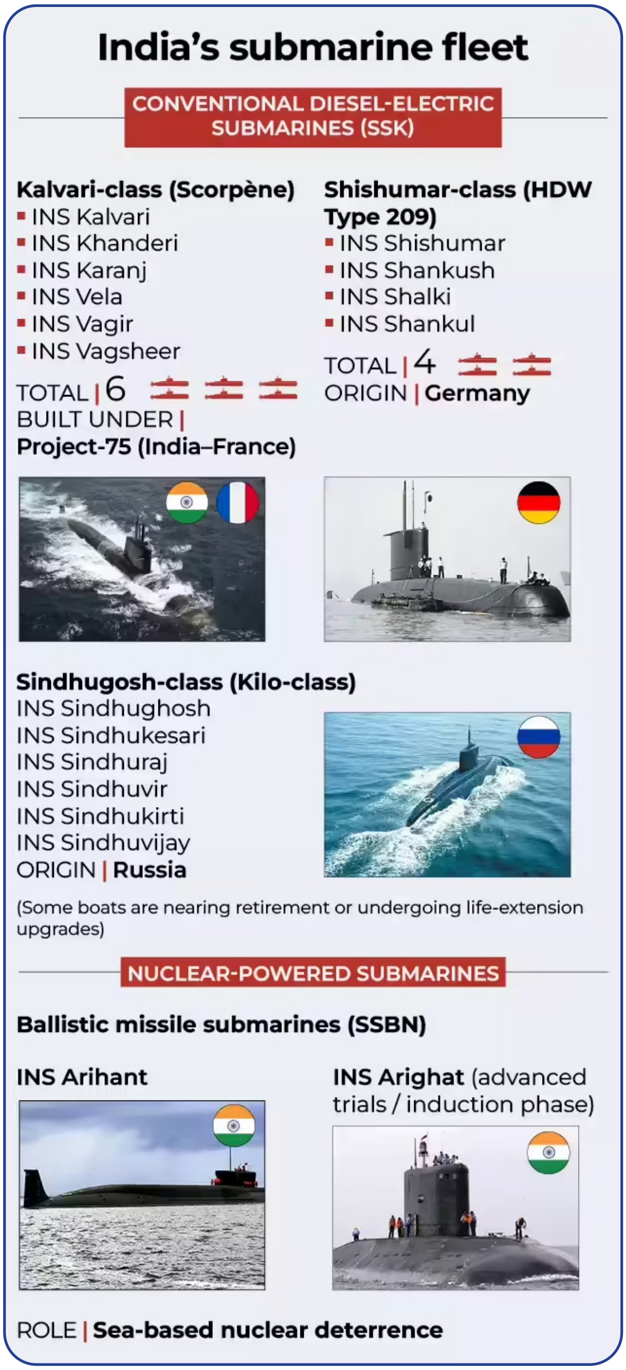

- यदि भारत अपने बेड़े का समय पर आधुनिकीकरण नहीं करता, तो एक समय ऐसा आ सकता है जब पाकिस्तान की पनडुब्बी मारक क्षमता भारत के बराबर या उससे अधिक हो जाए। P-75I इस तकनीकी अंतर को पाटने का कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत के पास न केवल 'क्षेत्रीय रक्षा' की क्षमता हो, बल्कि वह दुश्मन के समुद्री संचार मार्ग (SLOCs) को बाधित करने की 'क्षेत्रीय

पहुंच' (Power Projection) भी रखे।

रणनीतिक साझेदारी मॉडल और आत्मनिर्भर भारत:

- प्रोजेक्ट-75I भारत के 'रणनीतिक साझेदारी' (Strategic Partnership - SP) मॉडल के तहत पहली बड़ी परियोजना है। इस मॉडल का उद्देश्य रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र को शामिल करना और विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) के साथ दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करना है।
- जर्मनी की 'थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स' (TKMS) और भारत की 'मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स' (MDL) के बीच बढ़ते सहयोग ने इस परियोजना को नई गति दी है। यहाँ मुख्य बिंदु 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण' (ToT) है। भारत अब केवल एक खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। इस परियोजना की शर्त ही यह है कि पनडुब्बियों का निर्माण भारतीय यार्डों में हो और उनमें स्वदेशी सामग्री का प्रतिशत उच्च हो। यह दीर्घकाल में भारत को एक 'पनडुब्बी निर्माण हब' के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखता है।

आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव:

- 8 बिलियन डॉलर का निवेश केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है। ऐसे बड़े रक्षा प्रोजेक्ट्स के 'मल्टीप्लायर इफेक्ट' होते है।
  - » **एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र:** इन पनडुब्बियों के हजारों छोटे पुर्जों और सेंसरों के लिए देश भर के छोटे और मध्यम उद्योगों को काम मिलता है।
  - » **कौशल विकास:** उच्च-तकनीकी वेल्डिंग, स्टील्थ सामग्री का विज्ञान और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स में भारतीय इंजीनियरों और श्रमिकों का कौशल स्तर वैश्विक मानकों तक पहुँचता है।
  - » **अनुसंधान एवं विकास (R&D):** डीआरडीओ (DRDO) द्वारा विकसित स्वदेशी AIP मॉड्यूल को इन पनडुब्बियों में एकीकृत करने की योजना, भारत की स्वदेशी वैज्ञानिक क्षमता की परीक्षा भी है।

चुनौतियां:

- P-75I की प्रक्रिया में अत्यधिक देरी हुई है। मूल योजना के दशक भर बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है। जटिल निविदा प्रक्रिया, कड़ी तकनीकी शर्तें और विदेशी कंपनियों की 'प्रौद्योगिकी साझा' करने में विलंब ने इसे धीमा किया है।
- इस बीच, भारतीय नौसेना की पुरानी पनडुब्बियों का रिटायर होना एक 'क्षमता अंतराल' (Capability Gap) पैदा कर रहा है। सरकार द्वारा इसे 'मिशन मोड' में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, अन्यथा जब तक ये पनडुब्बियां सेवा में आएंगी, तब तक समुद्री तकनीक के मानक और भी बदल चुके होंगे।

निष्कर्ष:

प्रोजेक्ट-75I भारत की समुद्री संप्रभुता का भविष्य है। एक शक्तिशाली और आधुनिक पनडुब्बी बेड़ा यह सुनिश्चित करता है कि हिंद महासागर में शक्ति का संतुलन बना रहे। भारत की 'सागर' (SAGAR - Security and Growth for All in the Region) नीति की सफलता के लिए P-75I का सफल क्रियान्वयन अपरिहार्य है। यदि भारत इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करता है, तो यह न केवल दक्षिण एशिया में, बल्कि पूरे विश्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में 'महान शक्ति' (Great Power) बनने के दावे को मजबूत करेगा।

भारत में साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी

सन्दर्भ:

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत को व्यापक वित्तीय आघात पहुँचा है। इस वर्ष धोखाधड़ी के कारण भारतीयों ने कुल ₹19,812.96 करोड़ की पूंजी गंवा दी है। 'नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' पर दर्ज 21.7 लाख से अधिक शिकायतें इस समस्या की गंभीरता को रेखांकित करती हैं।

क्षेत्रीय प्रभाव और सांख्यिकीय विश्लेषण:

- आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि देश के पांच प्रमुख राज्यों, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में कुल वित्तीय हानि का आधे से अधिक हिस्सा केंद्रित है। इन राज्यों में कुल नुकसान ₹10,000 करोड़ के पार पहुँच गया है।
- विस्तार और राज्य-वार विवरण:
  - » **महाराष्ट्र:** ₹3,203 करोड़ के नुकसान और 2,83,320 शिकायतों के साथ सबसे अधिक प्रभावित राज्य रहा।
  - » **कर्नाटक:** ₹2,413 करोड़ का नुकसान और 2,13,228 शिकायतें।
  - » **तमिलनाडु:** ₹1,897 करोड़ का नुकसान और 1,23,290 शिकायतें।
  - » **उत्तर प्रदेश:** ₹1,443 करोड़ का नुकसान और 2,75,264 शिकायतें। यह बड़े ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों वाले राज्यों में भी बढ़ते जोखिम को दर्शाता है।
  - » **तेलंगाना:** लगभग 95,000 शिकायतों से ₹1,372 करोड़ का नुकसान।
- ये पांचों राज्य डिजिटल माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी के मुख्य केंद्र रहे।

धोखाधड़ी की प्रकृति और प्रवृत्तियाँ:

- वर्ष 2025 में वित्तीय अपराधों के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं:
  - » **निवेश संबंधी धोखाधड़ी (77%):** यह सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। लुभावने रिटर्न का लालच देकर की जाने वाली जालसाजी कुल आर्थिक हानि का मुख्य कारण रही।
  - » **डिजिटल अरेस्ट (8%):** यह एक उभरता हुआ मनोवैज्ञानिक अपराध है, जिसमें कानून का डर दिखाकर पीड़ितों से अवैध वसूली की जाती है।
  - » **अन्य श्रेणियां:** क्रेडिट कार्ड जालसाजी (7%), सेक्सटॉर्शन (4%) और ई-कॉमर्स फ्रॉड (3%) भी प्रमुखता से दर्ज किए गए।
- विशेषज्ञों के अनुसार, तीव्र डिजिटलीकरण, ऑनलाइन वित्तीय व्यवहार में वृद्धि और संगठित साइबर नेटवर्क की बढ़ती तकनीकी जटिलता (Sophistication) इस वृद्धि के प्राथमिक कारक हैं।

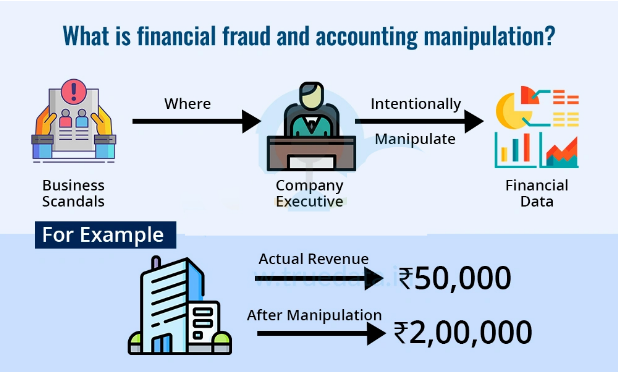

भेद्यता के प्रमुख कारण:

- **शहरीकरण और डिजिटल पैठ:** जिन राज्यों में डिजिटल साक्षरता और शहरीकरण अधिक है, वहां वित्तीय उत्पादों के साथ अधिक जुड़ाव के कारण जोखिम भी आनुपातिक रूप से बढ़ा है।
- **त्वरित लाभ की आकांक्षा:** जालसाज अक्सर अनियमित निवेश योजनाओं और फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स के माध्यम से लोगों की 'अल्प समय में अधिक धन' कमाने की इच्छा का लाभ उठाते हैं।
- **जागरूकता का अभाव:** वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) तो बढ़ा है, लेकिन सुरक्षात्मक समझ अब भी सीमित है। विशेषकर वरिष्ठ नागरिक और नए डिजिटल उपयोगकर्ता 'सोशल इंजीनियरिंग' (धोखाधड़ी से जानकारी निकलवाना) का आसान शिकार बन रहे हैं।

आगे की राह:

भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के समक्ष साइबर-वित्तीय धोखाधड़ी एक गंभीर चुनौती है। हालांकि तकनीक ने सेवाओं को सुलभ बनाया है, लेकिन इसने अपराध के नए मार्ग भी खोले हैं। भविष्य में नियामक तंत्र (Regulatory Framework) को सुदृढ़ करने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण और व्यापक जन-जागरूकता अभियान के माध्यम से

ही इस बढ़ते खतरे को नियंत्रित किया जा सकता है।

भारतीय तटरक्षक जहाज 'समुद्र प्रताप'

संदर्भ:

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय तटरक्षक जहाज (ICGS) 'समुद्र प्रताप' को राष्ट्र को कमीशन किया। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत (PCV) है। यह कमीशनिंग भारत के समुद्री पर्यावरण संरक्षण ढांचे को मजबूत करने और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास है। यह पोत 'आत्मनिर्भर भारत' के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है और समुद्री पर्यावरणीय आपात स्थितियों से निपटने की भारत की क्षमता को बढ़ाता है।

डिजाइन और क्षमताएं:

- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 'समुद्र प्रताप' में 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल है, जो भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमताओं को दर्शाती है।
    - **आकार:** इसकी लंबाई 114.5 मीटर और विस्थापन (Displacement) 4,200 टन है।
    - **गति और क्षमता:** यह 22 समुद्री मील (Knots) से अधिक की गति प्राप्त कर सकता है और इसकी परिचालन क्षमता 6,000 समुद्री मील है।
    - **तकनीक:** इसमें 'डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम', उन्नत प्रदूषण पहचान और प्रतिक्रिया उपकरण, तेल रिकवरी मशीनरी और एक उच्च क्षमता वाली अग्निशमन प्रणाली शामिल है। यह जहाज 'इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम' और 'ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम' से भी लैस है, जो जटिल और लंबे समुद्री मिशनों के दौरान परिचालन दक्षता सुनिश्चित करता है।

भूमिका और कार्य:

- समुद्र प्रताप की प्राथमिक भूमिका भारत के क्षेत्रीय जल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर तेल रिसाव (Oil Spills) और समुद्री प्रदूषण से लड़ना है। इसके विशेष उपकरण प्रदूषकों के प्रभावी नियंत्रण, रिकवरी और विश्लेषण में सक्षम हैं, जिससे पारिस्थितिक क्षति को कम किया जा सके।
- प्रदूषण नियंत्रण के अलावा, यह पोत खोज और बचाव अभियान (Search and Rescue), समुद्री कानून प्रवर्तन और समुद्र में अग्निशमन का कार्य भी करता है। इसकी एकीकृत निगरानी प्रणाली समुद्री यातायात की निगरानी को बढ़ाती है और समुद्री सुरक्षा एवं पर्यावरण नियमों को लागू करने में मदद करती है।

सामरिक महत्व:

- **पर्यावरण संरक्षण:** भारत की लंबी तटरेखा और भारी समुद्री यातायात पारिस्थितिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाते हैं। समर्पित प्रदूषण नियंत्रण पोत त्वरित प्रतिक्रिया सक्षम करते हैं, जिससे समुद्री जैव विविधता और तटीय आजीविका की रक्षा होती है।
- **समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA):** यह पोत भारत के समुद्री क्षेत्रों में गतिविधियों की निगरानी, विनियमन और सुरक्षा करने की क्षमता को मजबूत करता है।
- **'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा:** स्वदेशी डिजाइन और निर्माण उन्नत जहाज निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को रेखांकित करते हैं, जिससे घरेलू उद्योग और कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलता है।
- **क्षेत्रीय नेतृत्व:** विशेष पर्यावरण संरक्षण संपत्तियों की तैनाती जिम्मेदार समुद्री शासन, पर्यावरण प्रबंधन और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

निष्कर्ष:

'समुद्र प्रताप' भारतीय तटरक्षक बेड़े में केवल एक नया इजाफा नहीं है; यह समुद्री इंजीनियरिंग और पर्यावरण सुरक्षा में भारत की बढ़ती दक्षता का प्रतीक है। रणनीतिक दूरदर्शिता के साथ उन्नत तकनीक को एकीकृत करके, यह पोत समुद्री प्रदूषण से निपटने, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने और एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।

हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में बड़ी सफलता

संदर्भ:

हाल ही में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने अपने 'एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट फुल-स्केल कम्बस्टर' का सफलतापूर्वक लंबी अवधि का ग्राउंड टेस्ट किया, जिसमें 12 मिनट से अधिक का रन टाइम हासिल किया गया। यह परीक्षण हैदराबाद स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी (DRDL) की 'स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट' (SCPT) सुविधा में आयोजित किया गया था। यह उपलब्धि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमताओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ऐसे समय में जब उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकियों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है।

स्क्रैमजेट तकनीक के बारे में:

- स्क्रैमजेट (सुपरसोनिक कम्बशन रैमजेट) एक एयर-ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम (हवा से ऑक्सीजन लेने वाली प्रणोदन प्रणाली) है, जिसे हाइपरसोनिक गति (आमतौर पर मैक 5 या ध्वनि की गति से पांच गुना अधिक) पर कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- पारंपरिक रॉकेट इंजनों के विपरीत, स्क्रैमजेट दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे सुपरसोनिक वायु प्रवाह की स्थिति में निरंतर प्रणोदन संभव हो पाता है। इससे वाहन में ऑक्सीडाइज़र ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे वजन कम होता है और ईंधन दक्षता बढ़ती है।

परीक्षण का महत्व:

- यह सफल परीक्षण फुल-स्केल कम्बस्टर डिज़ाइन और 'स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट' (SCPT) सुविधा की परिचालन क्षमता दोनों को प्रमाणित करता है। यह भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल करता है जो स्वदेशी हाइपरसोनिक प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करने में सक्षम हैं।
- यह उपलब्धि अप्रैल 2025 में किए गए पिछले सब-स्केल स्क्रैमजेट परीक्षणों पर आधारित है, जिसने 1,000 सेकंड से अधिक समय तक स्थिर दहन का प्रदर्शन किया था, जो लंबी अवधि के हाइपरसोनिक संचालन की दिशा में प्रगति का संकेत देता है।

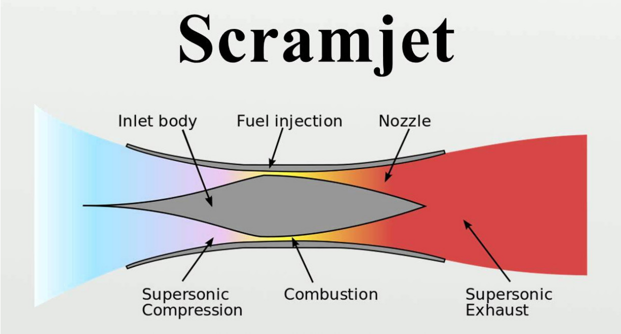

रणनीतिक और रक्षा निहितार्थ:

- **हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की उन्नति:** हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें मैक 5 (6,100 किमी/घंटा से अधिक) से अधिक की गति बनाए रख सकती हैं। यह सटीकता के साथ त्वरित हमले करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे विरोधियों के लिए प्रतिक्रिया का समय काफी कम हो जाता है और मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए चुनौती पैदा होती है।
- **स्वदेशी तकनीकी क्षमता को मजबूती:** स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए 'एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट कम्बस्टर' का सफल विकास रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता के लक्ष्यों को दर्शाता है।
- **व्यापक एयरोस्पेस अनुप्रयोग:** सैन्य उपयोग के अलावा, स्क्रैमजेट तकनीक में हाइपरसोनिक वाहनों, तेज़ वैश्विक परिवहन प्रणालियों और भविष्य के अंतरिक्ष-पहुँच प्लेटफार्मों में उपयोग की क्षमता है, जो इसके नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों में महत्व को रेखांकित करती है।

वैश्विक संदर्भ:

- हाइपरसोनिक तकनीक आधुनिक रक्षा नवाचार का सबसे उन्नत हिस्सा है, जो हाई-स्पीड प्रोपल्शन, उन्नत सामग्री, थर्मल प्रबंधन और सटीक मार्गदर्शन प्रणालियों को जोड़ती है। अमेरिका, रूस और चीन जैसी प्रमुख शक्तियां रणनीतिक और सैन्य श्रेष्ठता हासिल करने के लिए हाइपरसोनिक हथियारों में सक्रिय रूप से निवेश कर रही

हैं। भारत का सफल 12-मिनट का कम्बस्टर परीक्षण इसकी भू-रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है और एक विश्वसनीय निवारक क्षमता (deterrence capability) के विकास में योगदान देता है।

चुनौतियाँ:

- इस प्रगति के बावजूद, कई चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिनमें उड़ान एकीकरण (flight integration), निरंतर थर्मल प्रबंधन, संरचनात्मक अखंडता और हाइपरसोनिक गति पर मार्गदर्शन स्थिरता शामिल है।
- ग्राउंड-टेस्ट की सफलता को परिचालन क्षमता में बदलने के लिए एक सफल हवाई प्रदर्शन (airborne demonstration) अगला महत्वपूर्ण कदम होगा।

निष्कर्ष:

12 मिनट का स्क्रैमजेट कम्बस्टर ग्राउंड टेस्ट भारत के हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह स्वदेशी, लंबी अवधि के हाइपरसोनिक प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करने की देश की क्षमता को रेखांकित करता है और भविष्य के हाइपरसोनिक मिसाइल विकास और उन्नत एयरोस्पेस नवाचार के लिए एक मजबूत नींव रखता है।

प्रलय मिसाइल

संदर्भ:

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा तट के समीप एक ही लॉन्चर से बहुत कम समय के अंतराल में प्रलय मिसाइलों के दो सफल सल्वो प्रक्षेपण किए। यह परीक्षण उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों के अंतर्गत किया गया, जिसने इस प्रणाली की संचालन क्षमता और मजबूती को स्पष्ट रूप से सिद्ध किया।

प्रलय मिसाइल के बारे में:

- प्रलय एक स्वदेशी रूप से विकसित, ठोस ईंधन आधारित, अर्ध-बैलिस्टिक सरफेस-टू-सरफेस मिसाइल है। इसे पारंपरिक वारहेड के साथ उच्च सटीकता से सामरिक लक्ष्यों पर प्रहार करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह मिसाइल भारत की रक्षा प्रणाली में अल्प दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज़ मिसाइलों के बीच की क्षमता की कमी को प्रभावी रूप से पूरा करती है।

मुख्य विशेषताएँ:

- **प्रकार:** अर्ध-बैलिस्टिक सरफेस-टू-सरफेस मिसाइल
- **प्रणोदन:** दो-चरणीय ठोस ईंधन प्रणाली, जो त्वरित प्रक्षेपण क्षमता और उच्च परिचालन विश्वसनीयता प्रदान करती है।
- **उड़ान पथ:** अर्ध-बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र, जिसमें उड़ान के दौरान मार्ग बदलने की क्षमता होती है, जिससे शत्रु की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा इसे रोकना कठिन हो जाता है।
- **मारक दूरी:** लगभग 150 से 500 किलोमीटर, जो पेलोड विन्यास पर निर्भर करती है।
- **मार्गदर्शन प्रणाली:** उन्नत नेविगेशन एवं मार्गदर्शन तंत्र, जो उच्च स्तर की लक्ष्य-सटीकता सुनिश्चित करता है।
- **वारहेड क्षमता:** विभिन्न प्रकार के पारंपरिक वारहेड ले जाने में सक्षम, जिससे मिशन-आधारित परिचालन लचीलापन प्राप्त होता है।
- **सल्वो प्रक्षेपण क्षमता:** एक ही लॉन्चर से कम समय के अंतराल में कई मिसाइलों का प्रक्षेपण, जिससे संतृप्ति प्रहार (Saturation Strike) की प्रभावशीलता बढ़ती है।

उद्देश्य और रणनीतिक लक्ष्य:

- **त्वरित सटीक हमला क्षमता:** भारतीय सेना और वायुसेना को ऐसी पारंपरिक मिसाइल उपलब्ध कराना, जो कम समय में उच्च सटीकता के साथ महत्वपूर्ण सामरिक लक्ष्यों को नष्ट कर सके।
- **बेहतर सामरिक प्रतिरोधक क्षमता:** पारंपरिक हथियारों के माध्यम से भरोसेमंद प्रतिरोधक शक्ति विकसित करना, जिससे परमाणु हथियारों पर निर्भरता कम हो सके।
- **संचालन तत्परता:** एक ऐसी मोबाइल, भरोसेमंद और तेजी से तैनात की जा सकने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित करना, जो तीव्र और उच्च-स्तरीय संघर्ष की स्थितियों में प्रभावी हो।

सल्वो परीक्षण क्यों महत्वपूर्ण है?

- **संचालन सत्यापन:** वास्तविक परिस्थितियों में मिसाइल के प्रदर्शन की पुष्टि करता है, जिससे इसके शीघ्र सैन्य उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है।
- **मजबूत पारंपरिक प्रतिरोधक शक्ति:** क्षेत्रीय खतरों के जवाब में भारत की पारंपरिक मिसाइल क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाता है।
- **आत्मनिर्भर भारत:** स्वदेशी मिसाइल विकास क्षमता को मजबूत करता है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य को समर्थन देता है।

PRALAY: Surface-to-Surface Missile

Pralay is a canisterised tactical, surface-to-surface, and short-range ballistic missile for battlefield use developed by the Defence Research and Development Organisation of India

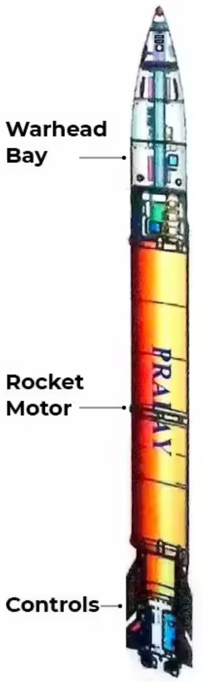

ENGINE: **Two stage** rocket motor with third stage MaRV

SPEED: **Mach 1 to 1.6**

RANGE: **150-500 km**

TRAJECTORY: **low**

GUIDANCE SYSTEM: Inertial navigation system

LAUNCH PLATFORM: **8x8 BEML**-Tatra transporter erector launcher

MASS: **5 tonnes** (4.9 long tons; 5.5 short tons)

OPERATIONAL RANGE: **150–500 km** (93–311 mi)

Can change its path after covering certain range mid-air and is difficult to be tracked

It is capable of being launched from a mobile launcher and has latest navigation system and integrated avionics

It has the **capability to defeat interceptor missiles**

व्यापक रणनीतिक संदर्भ:

- प्रलय मिसाइल भारत की सामरिक प्रहार क्षमताओं को गहराई और लचीलापन प्रदान करती है। यह ब्रह्मोस जैसी मिसाइल प्रणालियों का पूरक है और पारंपरिक हथियारों से लैस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की भूमिका निभाती है। इसका विकास भारत की विश्वसनीय प्रतिरोधक नीति, सटीक पारंपरिक युद्ध क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।

निष्कर्ष:

प्रलय मिसाइल का सफल सल्वो प्रक्षेपण भारत की उन्नत मिसाइल तकनीकी क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है तथा देश की पारंपरिक प्रहार शक्ति को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करता है। इसकी उच्च सटीकता, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और परिचालन लचीलापन इसे भारत की सामरिक प्रतिरोधक संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक बनाते हैं। सेवा में शामिल होने की दिशा में अग्रसर यह मिसाइल भारत की उभरती रक्षा निर्माण क्षमता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक है।

₹79,000 करोड़ रक्षा खरीद की मंजूरी

संदर्भ:

हाल ही में 29 दिसंबर 2025 को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग ₹79,000 करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। ये अधिग्रहण भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए हैं, जो उभरती क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और परिचालन तत्परता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रमुख रक्षा खरीद:

DAC ने तीनों सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रस्तावों को मंजूरी दी:

- **भारतीय सेना:** भारतीय सेना के लिए हाल ही में अनुमोदित रक्षा खरीद प्रस्तावों में:
  - सटीक हमलों को अंजाम देने के लिए 'लॉयटर मुनिशन सिस्टम',
  - छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई खतरों का पता लगाने हेतु 'लो-लेवल लाइटवेट रडार',
  - पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए 'लॉन्ग-रेंज गाइडेड रॉकेट' और
  - उभरते ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए 'ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम' (ड्रोन रोधी प्रणाली) शामिल हैं।

Boost to armed forces

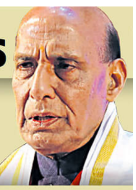

₹79,000 crore
TOTAL VALUE OF ACQUISITIONS

ARMY: Nag Missile System (Tracked) Mk-II (NAMIS), Ground Based Mobile ELINT System (GBMES) and High Mobility Vehicles (HMVs) with Material Handling

NAVY: Landing Platform Docks (LPD), 30mm Naval Surface Gun (NSG), Advanced Light Weight Torpedoes (ALWT), Electro Optical Infra-Red Search and Track System, and Smart Ammunition for the 76mm Super Rapid Gun Mount.

AIR FORCE: Long Range Target Saturation/Destruction System

- **भारतीय नौसेना:** भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निम्न कदम उठाए हैं, जिनमें:
  - » बोलार्ड पुल टग्स और सॉफ्टवेयर-डिफाइंड रेडियो का उपयोग शामिल है,
  - » समुद्री निगरानी बढ़ाने के लिए 'हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस' (HALE) रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को लीज पर लेना भी शामिल है।
- **भारतीय वायु सेना:**
  - » अस्त्र (Astra) Mk-II हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें
  - » LCA तेजस सिम्युलेटर सिस्टम
  - » सटीक-निर्देशित हथियारों के लिए SPICE-1000 गाइडेंस किट
  - » सामूहिक रूप से, ये खरीद अगली पीढ़ी की लड़ाकू प्रणालियों, उन्नत निगरानी, सटीक हमले की क्षमताओं और काउंटर-ड्रोन ऑपरेशंस पर रणनीतिक जोर को दर्शाती हैं।

रणनीतिक महत्व :

- **रक्षा क्षमताओं का सशक्तिकरण:** ये अधिग्रहण भारत की युद्धक क्षमता और रणनीतिक मजबूती को बढ़ाते हैं, विशेषकर लगातार बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्यों में।
- **स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा:** ये निर्णय 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जिससे घरेलू रक्षा निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलता है।
- **सभी सेवाओं का समग्र आधुनिकीकरण:** थल, नभ और जल क्षेत्रों में संतुलित आधुनिकीकरण से संयुक्त सशस्त्र बल की तैयारी और क्षमता को मजबूती मिलती है।
- **परिचालन दक्षता में सुधार:** रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) के तहत प्रक्रियाओं में सुधार से खरीद समय कम होता है, जिससे बल की तत्परता और प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि होती है।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) के बारे में:

- रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सशस्त्र बलों और तटरक्षक बल से संबंधित पूंजीगत अधिग्रहण और रक्षा नीति मामलों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खरीद निर्णय रणनीतिक रूप से संतुलित, समय पर और लागत प्रभावी हों।
  - » **स्थापना:** 2001 में, रक्षा खरीद को सुव्यवस्थित करने और प्रणालीगत देरी को कम करने के लिए।
  - » **अध्यक्ष:** केंद्रीय रक्षा मंत्री।
  - » **उद्देश्य:** सैन्य आधुनिकीकरण और परिचालन तैयारियों की सुविधा के लिए आवंटित संसाधनों का कुशल उपयोग।
  - » **संरचना:** DAC वरिष्ठ नागरिक और सैन्य नेतृत्व को एक साथ लाता है, जिसमें शामिल हैं:
    - ➤ रक्षा राज्य मंत्री
    - ➤ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)
    - ➤ थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख
    - ➤ रक्षा मंत्रालय के सचिव
    - ➤ सदस्य सचिव और अन्य वरिष्ठ रक्षा अधिकारी

निष्कर्ष:

रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा ₹79,000 करोड़ की रक्षा खरीद की मंजूरी सैन्य आधुनिकीकरण, रणनीतिक तैयारी और आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। उन्नत हथियारों और निगरानी प्लेटफार्मों के समय पर अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाकर, DAC राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और भारत के सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखे हुए है।

भैरव बटालियन

सन्दर्भ:

हाल ही में जयपुर में 15 जनवरी को आयोजित 78वें सेना दिवस परेड के दौरान, भारतीय सेना की नवनिर्मित 'भैरव बटालियन' ने अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई। यह भारत की बदलती रक्षा मुद्रा को दर्शाता है, जो त्वरित प्रतिक्रिया, हाइब्रिड युद्ध और तकनीक-सक्षम युद्ध संचालन पर केंद्रित है।

भैरव बटालियन के बारे में:

- भैरव बटालियन उच्च गति वाली आक्रामक टुकड़ियाँ हैं, जिन्हें रणनीतिक पैरा स्पेशल फोर्सेस और सामान्य इन्फैंट्री इकाइयों के बीच के परिचालन अंतर को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- जहाँ घातक प्लाटून बटालियन सामरिक हमले करती हैं और पैरा एसएफ गहरे रणनीतिक मिशनों को अंजाम देती हैं, वहीं भैरव इकाइयाँ तत्काल सीमावर्ती आकस्मिकताओं या कम समय के नोटिस पर शुरू किए जाने वाले हमलों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया

क्षमता प्रदान करती हैं।

आधुनिकीकरण पहल:

- यह बटालियन भारतीय सेना के 2025 आधुनिकीकरण और बल पुनर्गठन कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य थल सेना को हाइब्रिड और तकनीक-संचालित युद्ध के लिए तैयार करना है।

संरचना और संगठन:

- **एकीकृत बल मिश्रण:** प्रत्येक भैरव बटालियन लगभग 200-250 कर्मियों की एक टुकड़ी है। इसमें इन्फैंट्री, आर्टिलरी (तोपखाना), एयर डिफेंस और सिग्नल्स सहित कई अंगों के जवान शामिल होते हैं, जो इसे स्वायत्त और प्रभावी आक्रामक संचालन के सक्षम बनाते हैं।
- **भर्ती:** सेना इसमें "सन्स ऑफ द सॉयल" (मिट्टी के लाल) भर्ती अवधारणा का पालन करती है, जिसमें उन क्षेत्रों के स्थानीय कर्मियों को प्राथमिकता दी जाती है जहाँ इन्हें तैनात किया जाना है। इससे इलाके और जलवायु की जानकारी का लाभ मिलता है, जिससे विशिष्ट परिचालन वातावरण में यूनिट की प्रभावशीलता बढ़ जाती है।

तैनाती और विस्तार:

- **वर्तमान स्थिति:** 2026 की शुरुआत तक, लगभग 15 भैरव बटालियन गठित की जा चुकी हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इस बल को 23-25 बटालियन तक बढ़ाने की योजना है।
- **तैनाती:** इन इकाइयों को कोर और डिवीजन स्तर की संरचनाओं के तहत तैनात किया जा रहा है, विशेष रूप से राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर जैसी संवेदनशील सीमाओं पर, जहाँ तेज गतिशीलता और आक्रामक रुख अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मानवरहित और हाइब्रिड युद्ध पर ध्यान:

- **तकनीकी एकीकरण:** भैरव बटालियन मानवरहित और हाइब्रिड युद्ध की दिशा में सेना के प्रयासों का केंद्र हैं। इन्हें दुश्मन के ठिकानों की निगरानी करने और सटीक निशाना साधने के लिए ड्रोन और अन्य मानवरहित प्रणालियों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
- **ड्रोन ऑपरेटर्स पूल:** इन क्षमताओं को सहारा देने के लिए, सेना एक लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर्स का एक बड़ा पूल विकसित कर रही है, जो भविष्य के संघर्षों में नेटवर्क-आधारित और तकनीक-प्रधान संचालन पर बढ़ते जोर को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

भैरव बटालियन का उदय भारतीय सेना की आधुनिकीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण विकास है। ये इकाइयाँ पारंपरिक पैदल सेना और विशेष बलों के बीच की कमी को दूर करते हुए त्वरित आक्रामक कार्रवाई करने में सक्षम हैं। भैरव बटालियन की उपस्थिति, भविष्य के जटिल सुरक्षा वातावरण के लिए भारत की हाइब्रिड युद्ध क्षमताओं की ओर झुकाव को भी रेखांकित करता है।

एकीकृत रॉकेट-मिसाइल फोर्स

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत के लिए एक एकीकृत रॉकेट-मिसाइल फोर्स बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि आधुनिक युद्ध में तेजी से एकीकृत और सटीक-प्रहार (precision-based) क्षमताओं की मांग बढ़ रही है।

रॉकेट फोर्स क्या है?

- रॉकेट फोर्स एक विशेष सैन्य कमान है जो लंबी दूरी की रॉकेट

आर्टिलरी और मिसाइल प्रणालियों के संचालन के साथ-साथ सटीक हमलों की योजना, कमान, नियंत्रण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के कमांड सेंटरों, एयरबेस, लॉजिस्टिक्स हब और रणनीतिक बुनियादी ढांचे को प्रभावी ढंग से निशाना बनाना है।

प्रमुख विशेषताएं:

- रॉकेट और मिसाइल संपत्तियों के केंद्रीकृत कमान और नियंत्रण के साथ जीपीएस, रडार और इन्फ्रारेड जैसी उन्नत प्रणालियों का उपयोग करके सटीक और प्रभावी हमले सुनिश्चित किए जाते हैं।
- स्टैंड-ऑफ स्ट्राइक क्षमता के माध्यम से सुरक्षित कमांड सेंटरों से हमले किए जाते हैं, जिससे अग्रिम पंक्ति के सैनिकों का जोखिम कम होता है और हताहतों की संख्या न्यूनतम रहती है।
- थल सेना, नौसेना और वायु सेना के एकीकरण से दुश्मन की अग्रिम पंक्तियों के पार गहरी पैठ वाले हमले (deep strikes) और संयुक्त अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है।

रॉकेट-मिसाइल फोर्स की आवश्यकता:

- **युद्ध की बदलती प्रकृति:** आधुनिक संघर्ष अब पारंपरिक आमने-सामने की लड़ाई (टैंक और पैदल सेना) से हटकर सटीकता, तेज गति और लंबी दूरी की मारक क्षमता पर केंद्रित हो गए हैं।
- **सटीक और प्रभावी मार:** मिसाइलें 400-450 किमी दूर स्थित दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना बना सकती हैं। इससे सैन्य ठिकानों या रणनीतिक ढांचों की सुरक्षा के लिए 'दूरी' का महत्व खत्म हो गया है, क्योंकि अब कोई भी स्थान पहुंच से बाहर नहीं है।
- **कम जोखिम और उच्च सुरक्षा:** रॉकेट और मिसाइलों के बढ़ते उपयोग से युद्ध के मैदान में बड़े पैमाने पर सैनिकों को तैनात करने की जरूरत कम हो गई है। इससे दुश्मन के भीतर गहरी पैठ वाले हमले करना संभव हो गया है, जिससे अपनी सेना के हताहत होने का जोखिम काफी कम हो जाता है।

भारत के लिए रणनीतिक तर्क:

- **दो-मोर्चों की सुरक्षा चुनौती:**
  - पाकिस्तान और चीन दोनों ही समर्पित रॉकेट या मिसाइल बल संचालित करते हैं।
  - चीन ने 2015 में PLA रॉकेट फोर्स की स्थापना की थी।
  - पाकिस्तान ने अगस्त 2025 में अपनी 'आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड' की घोषणा की, जो कथित तौर पर चीन के मॉडल पर आधारित है।
- **हालिया अभियानों से सीख:**
  - 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत ने विश्वसनीय मिसाइल स्ट्राइक क्षमताओं का प्रदर्शन किया।
  - पाकिस्तानी एयरबेस के खिलाफ कथित तौर पर ब्रह्मोस (BrahMos) मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 10-11 एयरबेस पर नुकसान की सूचना मिली।
- इस ऑपरेशन ने सटीक और उच्च-प्रभाव वाले स्टैंड-ऑफ हमलों की भारत की क्षमता को दर्शाया।

भारत की वर्तमान क्षमताएं:

- भारत के पास पहले से ही मजबूत रॉकेट और मिसाइल प्रणालियां हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - **पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट सिस्टम:** 120 किमी तक की परीक्षित रेंज (इसे 150 किमी तक बढ़ाने की योजना है और दीर्घकालिक लक्ष्य 300-450 किमी तक है)।
  - **प्रलय (Pralay):** सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल।
  - **ब्रह्मोस (BrahMos):** सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल।
- हालाँकि ये प्रणालियाँ मजबूत प्रतिरोध प्रदान करती हैं, लेकिन वर्तमान में ये अलग-अलग कमान संरचनाओं के तहत काम करती हैं, जिससे पूर्ण परिचालन तालमेल (synergy) सीमित हो जाता है।

एकीकृत रॉकेट-मिसाइल फोर्स के लाभ:

- हमलों की एकीकृत योजना और समन्वित निष्पादन।
- तेजी से निर्णय लेना और प्रतिक्रिया समय में कमी।
- सटीक-निर्देशित हथियारों (precision-guided munitions) का इष्टतम उपयोग।
- विरोधियों के खिलाफ बेहतर प्रतिरोधक क्षमता।
- थल सेना में हताहतों की संख्या में कमी।
- तीव्र और सीमित संघर्ष दोनों स्थितियों के लिए बेहतर तैयारी।

निष्कर्ष:

भारतीय सेना प्रमुख का 'एकीकृत रॉकेट-मिसाइल फोर्स' का आह्वान युद्ध के बदलते स्वरूप और भारत के जटिल सुरक्षा वातावरण का एक सटीक मूल्यांकन है। चीन और पाकिस्तान दोनों द्वारा समर्पित रॉकेट बल संचालित किए जाने के कारण, ऐसी कमान का गठन अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता बन गया है। एक सुव्यवस्थित रॉकेट-मिसाइल फोर्स न केवल भारत की प्रतिरोधक क्षमता (deterrence) को सुदृढ़ करेगी, बल्कि देश की सैन्य तैयारियों को 21वीं सदी के आधुनिक युद्ध की वास्तविकताओं के अनुरूप भी बनाएगी।

वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026

संदर्भ:

हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने 'वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026' जारी की है। इस रिपोर्ट में 'भू-आर्थिक टकराव' को अल्पकालिक वैश्विक जोखिमों में शीर्ष पर रखा गया है, जबकि 'साइबर असुरक्षा' को भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम बताया गया है।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) के बारे में:

- विश्व आर्थिक मंच एक स्विस सार्वजनिक-निजी सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना 1971 में क्लॉस श्वाब द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
- यह सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज और शैक्षणिक क्षेत्र के प्रमुखों को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है।

वैश्विक जोखिम क्या है?

- वैश्विक जोखिम से तात्पर्य ऐसी संभावित घटना या स्थिति से है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, जनसंख्या या प्राकृतिक प्रणालियों के बड़े हिस्से को गंभीर नुकसान पहुँचाने में सक्षम हो। ये जोखिम अक्सर परस्पर जुड़े होते हैं और सीमाओं के पार व्यापक प्रभाव पैदा कर सकते हैं।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **वैश्विक जोखिम परिदृश्य (2026–2028)**
  - अल्पकालिक अवधि में, भू-आर्थिक टकराव अन्य सभी जोखिमों को पीछे छोड़कर शीर्ष वैश्विक चिंता बन गया है। इसमें देशों द्वारा भू-राजनीतिक लाभ प्राप्त करने और प्रतिद्वंद्वियों को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक साधनों (जैसे व्यापार प्रतिबंध, आर्थिक दंड/ निवेश नियंत्रण और तकनीकी प्रतिबंध) का रणनीतिक उपयोग शामिल है।
  - यह रुझान बढ़ती आर्थिक प्रतिस्पर्धा और पारंपरिक बहुपक्षीय ढाँचों के कमजोर होने को दर्शाता है।
- **वैश्विक स्तर पर अन्य प्रमुख जोखिम:**
  - **राज्य-आधारित सशस्त्र संघर्ष:** देशों के बीच जारी तनाव और युद्ध।
  - **भ्रामक सूचना और दुष्प्रचार:** ऐसी सूचना और प्रसार जो सामाजिक एकजुटता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करते हैं।
  - **सामाजिक ध्रुवीकरण:** समाजों के भीतर और उनके बीच बढ़ता अंतर।
  - **चरम मौसमी घटनाएँ:** हालांकि अल्पकालिक अवधि में पर्यावरणीय जोखिमों पर भू-राजनीतिक और आर्थिक चिंताएँ हावी हो गई हैं।

दीर्घकालिक जोखिम (2036 तक):

- अगले एक दशक के परिदृश्य में, पर्यावरणीय जोखिमों की गंभीरता सबसे अधिक बनी हुई है:
  - चरम मौसमी घटनाएँ।
  - जैव विविधता की हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन।
  - पृथ्वी प्रणालियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीकों के प्रतिकूल परिणाम।

भारत के लिए जोखिम परिदृश्य (2026):

- भारत के लिए यह रिपोर्ट प्राथमिकताओं के एक अलग संयोजन पर प्रकाश डालती है:
  - **साइबर असुरक्षा:** इसे बड़ा जोखिम माना गया है, जो शासन, भुगतान और सेवा वितरण के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे पर भारत की अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है।
  - **आय और धन की असमानता:** निरंतर बनी रहने वाली असमानताएं जो आर्थिक और सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं।
  - **अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाएँ और सामाजिक सुरक्षा:** स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढाँचे और कल्याणकारी प्रणालियों में कमियाँ।
  - **आर्थिक मंदी:** वैश्विक झटकों और व्यापारिक बाधाओं के प्रति संवेदनशीलता जो विकास और रोजगार को प्रभावित करती है।
  - **राज्य-आधारित सशस्त्र संघर्ष:** क्षेत्रीय तनाव और सीमा पार के मुद्दों से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियाँ।
- वैश्विक परिदृश्य की तुलना में, भारत का जोखिम विशुद्ध भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बजाय सामाजिक और शासन संबंधी चुनौतियों पर अधिक बल देता है।

भारत के लिए नीतिगत निहितार्थ:

- रिपोर्ट के निष्कर्ष भारत की रणनीतिक योजना और प्रशासनिक

प्रतिक्रियाओं के लिए कई संकेत देते हैं:

- » डिजिटल इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा बुनियादी ढाँचे और नियामक ढाँचों को सुदृढ़ करना।
- » समावेशी विकास रणनीतियों और विस्तारित सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से आय असमानता को दूर करना।
- » लचीलापन बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा तंत्र में सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करना।
- » भू-आर्थिक झटकों के प्रभाव को कम करने के लिए व्यापार और आर्थिक साझेदारी का विविधीकरण करना।
- » राष्ट्रीय नियोजन ढाँचों में दीर्घकालिक जलवायु और तकनीकी जोखिम आकलनों को एकीकृत करना।

C-295 विमान

सन्दर्भ:

हाल ही में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने घोषणा की कि पहला "मेड इन इंडिया" C-295 सैन्य परिवहन विमान गुजरात के वडोदरा स्थित एयरबस–टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) की अंतिम असेम्बली लाइन से सितंबर 2026 से पहले रोल-आउट किया जाएगा।

C-295 विमान के बारे में:

- एयरबस C-295 एक मध्यम दूरी का, ट्विन-इंजन टर्बोप्रॉप सामरिक परिवहन विमान है, जिसे मूल रूप से स्पेन की CASA (अब एयरबस डिफेंस एंड स्पेस का हिस्सा) ने डिजाइन किया था। यह बहु-भूमिकाओं में सक्षम है, जैसे सैनिकों और कार्गो का परिवहन, पैराड्रॉपिंग, मेडिकल इवैक्यूएशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट और विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों तथा अलग-अलग रनवे स्थितियों में प्रभावी प्रदर्शन करता है।
- भारत ने 2021 में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ ₹21,935 करोड़ का अनुबंध 56 C-295 विमानों के लिए किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो-748 बेड़े को प्रतिस्थापित करना है।

मेक इन इंडिया और उत्पादन योजना:

- समझौते के तहत पहले 16 C-295 विमान 2023–25 के दौरान स्पेन के सेविले स्थित एयरबस संयंत्र से "फ्लाइ-अवे" स्थिति में वितरित किए गए।
- शेष 40 विमानों का निर्माण और असेम्बली भारत में TASL द्वारा संयुक्त औद्योगिक साझेदारी के तहत की जाएगी।
- वडोदरा में स्थित फाइनल असेम्बली लाइन (FAL), जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2024 में हुआ, भारत के निजी क्षेत्र में सैन्य विमानों के लिए अपनी तरह की पहली सुविधा है, जो रक्षा औद्योगिक आधार में एक बड़े बदलाव को दर्शाती है।

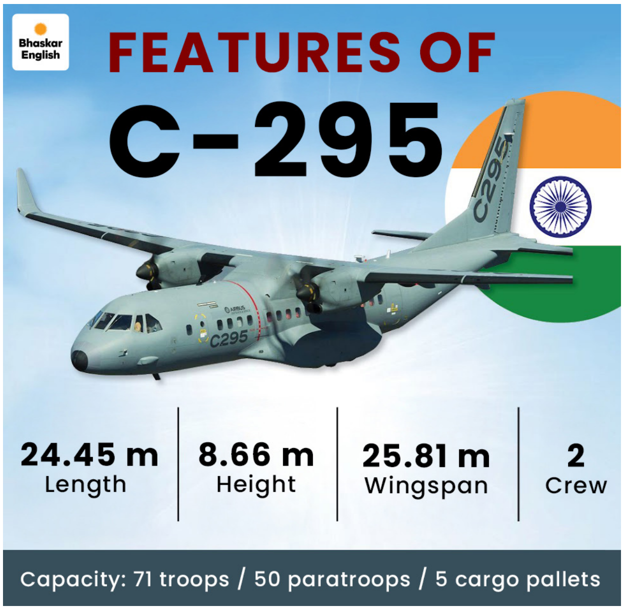

रणनीतिक और औद्योगिक महत्व:

भारत में निर्मित पहले C-295 के रोल-आउट का बहुआयामी महत्व है:

- **रक्षा क्षमता और आधुनिकीकरण**
  - » भारतीय वायुसेना की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता को सुदृढ़ करता है, जो सैनिकों की आवाजाही, लॉजिस्टिक्स और मानवीय अभियानों के लिए आवश्यक है।
  - » पुराने एवरो-748 बेड़े को एक आधुनिक और बहुपयोगी परिवहन प्लेटफॉर्म से प्रतिस्थापित करता है।
- **स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा**
  - » 'मेक इन इंडिया' की दिशा में एक बड़ा कदम, जो घरेलू एयरोस्पेस इकोसिस्टम का विस्तार करता है।
  - » भारत में महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटकों और प्रमुख उप-असेंबलियों का उत्पादन, जिससे भारतीय आपूर्तिकर्ताओं का वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण होता है।
- **कौशल और औद्योगिक इकोसिस्टम का विकास**
  - » असेम्बली लाइन और संबद्ध आपूर्ति श्रृंखला एयरोस्पेस विनिर्माण में कुशल रोजगार और क्षमता निर्माण को समर्थन

देती है।

- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग**
  » साझा रणनीतिक हितों और द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित भारत और स्पेन के बीच बढ़ते रक्षा औद्योगिक सहयोग को दर्शाता है।

आर्थिक और भू-राजनीतिक प्रभाव:

- **आर्थिक प्रभाव:** यह कार्यक्रम घरेलू एमएसएमई भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा, औद्योगिक क्षमताओं को गहराई देगा और भविष्य में एयरोस्पेस निर्यात को समर्थन दे सकता है।
- **भू-रणनीतिक स्थिति:** स्वदेशी रक्षा विनिर्माण आयात निर्भरता को कम करता है, रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाता है और भारत को वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष:

भारत के पहले मेड-इन-इंडिया C-295 विमान का आगामी रोल-आउट रक्षा विनिर्माण और आत्मनिर्भरता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत रणनीतिक साझेदारी, औद्योगिक क्षमता और राष्ट्रीय नीति लक्ष्यों के समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करता है। 2031 तक पूर्ण परिचालन की दिशा में बढ़ते इस प्रोजेक्ट से भारत की रक्षा तैयारी मजबूत होगी और एयरोस्पेस औद्योगिक आधार का विस्तार होगा।

डीआरडीओ की हाइपरसोनिक मिसाइल

संदर्भ:

26 जनवरी 2026 को आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने लंबी दूरी की पोत-रोधी हाइपरसोनिक मिसाइल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व रखने वाली उपलब्धि मानी जा रही है।

एलआर-एएसएचएम के बारे में:

- एलआर-एएसएचएम एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ द्वारा स्थिर एवं गतिशील समुद्री लक्ष्यों पर सटीक प्रहार के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता लगभग 1,500 किलोमीटर है। इस मिसाइल को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इसके मोबाइल लॉन्चर के साथ प्रदर्शित किया गया।
- यह मिसाइल अर्ध-बैलिस्टिक पथ का अनुसरण करती है। इसकी उड़ान की प्रारंभिक अवस्था बैलिस्टिक मिसाइल के समान होती है, किंतु इसके पश्चात यह अपेक्षाकृत कम ऊँचाई पर वायुमंडल के भीतर आगे बढ़ती है और "स्किप" तकनीक का प्रयोग करती है। इससे मिसाइल को उच्च गतिशीलता प्राप्त होती है तथा यह शत्रु की निगरानी प्रणालियों से बचने में सक्षम हो जाती है।
- यह मिसाइल प्रारंभिक चरण में लगभग मैक 10 की गति प्राप्त करती है और औसतन मैक 5 की गति बनाए रखती है, जिससे इसे पहचानना एवं अवरोधित करना अत्यंत कठिन हो जाता है।

मुख्य तकनीकी विशेषताएँ:

- **हाइपरसोनिक उड़ान एवं गतिशीलता:** एलआर-एएसएचएम में दो-चरणीय ठोस ईंधन रॉकेट प्रणोदन प्रणाली का उपयोग किया गया है। प्रथम चरण मिसाइल को हाइपरसोनिक गति तक पहुँचाता है, जबकि द्वितीय चरण इसे और आगे ले जाकर बिना इंजन वाले ग्लाइड चरण में प्रवेश कराता है। इस चरण में मिसाइल नियंत्रित मोड़ लेती है, जिससे बचने की संभावना और अनिश्चितता बढ़ती है।
- **कम पहचान क्षमता:** अत्यधिक गति के साथ कम ऊँचाई पर उड़ान भरने के कारण यह मिसाइल भूमि एवं समुद्र आधारित रडार प्रणालियों से बच निकलती है। परिणामस्वरूप शत्रु को प्रतिक्रिया देने का समय अत्यंत सीमित रह जाता है और उसकी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली प्रभावहीन हो जाती है।
- **स्वदेशी तकनीक:** एलआर-एएसएचएम में प्रयुक्त सभी एवियोनिक्स, सेंसर तथा मार्गदर्शन प्रणालियाँ पूर्णतः स्वदेशी हैं। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत के निरंतर प्रयासों को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है।

रणनीतिक महत्व:

- **समुद्री क्षेत्र में सुदृढ़ रोकथाम क्षमता:** लंबी दूरी से शत्रु पोतों पर प्रहार करने की क्षमता के कारण एलआर-एएसएचएम भारत की

समुद्री रोकथाम शक्ति को उल्लेखनीय रूप से सशक्त बनाती है। हिंद महासागर क्षेत्र में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ नौसैनिक शक्ति व्यापार, सुरक्षा और भू-राजनीतिक स्थिरता को सीधे प्रभावित करती है।

- **त्वरित प्रतिक्रिया एवं प्रतिरोधक क्षमता:** अपनी अत्यधिक गति के कारण यह मिसाइल अपनी अधिकतम सीमा को लगभग 15 मिनट में पार कर सकती है। इससे शत्रु के निर्णय लेने और प्रतिक्रिया देने की समय-सीमा अत्यंत संकुचित हो जाती है, जिससे भारत की प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है।
- **बहु-क्षेत्रीय उपयोग की संभावना:** प्रारंभिक चरण में इसे भारतीय नौसेना के लिए तटीय बैटरियों से तैनात किया जाएगा। भविष्य में इसके जहाज़ से प्रक्षेपित, वायु से प्रक्षेपित तथा थलसेना और वायुसेना के लिए पृथक संस्करण विकसित किए जाने की भी संभावना है, जिससे यह एक बहुउपयोगी हथियार प्रणाली के रूप में उभर सकती है।

प्रभाव:

- एलआर-एएसएचएम के अनावरण के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया है, जिनके पास उन्नत हाइपरसोनिक हथियार तकनीक उपलब्ध है। इस वर्ग में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश शामिल हैं। यह उपलब्धि सामग्री विज्ञान, प्रणोदन तकनीक और उच्च गति वायुगतिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाती है, जो सतत हाइपरसोनिक उड़ान के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
- ग्लाइड वाहन आधारित मिसाइल प्रणालियों के साथ-साथ डीआरडीओ स्क्रैमजेट प्रणोदन तकनीक पर आधारित हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों के विकास पर भी कार्य कर रहा है। यह हाइपरसोनिक युद्ध क्षमता के विकास के लिए भारत की द्वि-आयामी रणनीति को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

डीआरडीओ द्वारा विकसित एलआर-एएसएचएम हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की रणनीतिक और तकनीकी क्षमताओं में एक गुणात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। इसके रक्षा ढांचे में सम्मिलित होने से भारत की प्रतिरोधक शक्ति, समुद्री पहुँच तथा त्वरित प्रहार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह उपलब्धि वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी परिदृश्य में भारत की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाती है। उन्नत हथियार प्रणालियों में निरंतर नवाचार के माध्यम से भारत न केवल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ कर रहा है, बल्कि आत्मनिर्भरता और तकनीकी बढ़त भी सुनिश्चित कर रहा है, ऐसे युग में जहाँ युद्ध की प्रकृति तीव्र गति और अत्याधुनिक तकनीक से परिभाषित हो रही है।

प्रमुख चर्चित स्थल

चागोस द्वीपसमूह (हिंद महासागर)

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने की ब्रिटेन की योजना की आलोचना की है। मई 2025 में, ब्रिटेन ने मॉरीशस के साथ एक संप्रभुता हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत ब्रिटेन ने चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता औपचारिक रूप से मॉरीशस को सौंपने पर सहमति दी, जबकि डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे के लिए 99 वर्षों का पट्टा अपने पास रखा। इस समझौते का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसले को लागू करना है, साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा सैन्य अड्डे के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करना है, जिसे हिंद महासागर में पश्चिमी सैन्य उपस्थिति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

पृष्ठभूमि

- चागोस द्वीपसमूह मध्य हिंद महासागर में स्थित 60 से अधिक छोटे द्वीपों का समूह है। इसका सबसे बड़ा द्वीप डिएगो गार्सिया है, जहाँ ब्रिटेन–अमेरिका का एक प्रमुख संयुक्त सैन्य अड्डा स्थित है, जिसका उपयोग मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया में रणनीतिक अभियानों के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से ये द्वीप मॉरीशस के ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा थे।
- 1965 में मॉरीशस की स्वतंत्रता से ठीक पहले ब्रिटेन ने चागोस द्वीपसमूह को अलग कर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी (BIOT) का गठन किया। 1970 के दशक की शुरुआत में डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे के निर्माण के लिए ब्रिटेन ने स्थानीय चागोसियन आबादी को जबरन निष्कासित किया और उन्हें मुख्यतः मॉरीशस तथा सेशेल्स में पुनर्वासित किया। वे लंबे समय से अपने द्वीपों पर लौटने की मांग कर रहे हैं।

- 2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय दिया कि यह उपनिवेशवाद-उन्मूलन प्रक्रिया अवैध थी और ब्रिटेन को अपना प्रशासन समाप्त कर क्षेत्र मॉरीशस को लौटाना चाहिए।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- **रणनीतिक सैन्य महत्व:**
  - » डिएगो गार्सिया पश्चिमी देशों के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य केंद्रों में से एक है। यहाँ हवाई अड्डे, नौसैनिक सुविधाएँ और लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जो एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों के लिए अहम हैं।
  - » इस अड्डे तक पहुँच बनाए रखना अमेरिका और ब्रिटेन की रणनीतिक क्षमता के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- **उपनिवेशोत्तर कानूनी और नैतिक मुद्दे:**
  - » यह लंबा विवाद उपनिवेशवाद-उन्मूलन, संप्रभुता और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों से जुड़े गंभीर प्रश्न उठाता है।
  - » मॉरीशस से द्वीपों को अलग करना और चागोसियन लोगों का जबरन विस्थापन आज भी अत्यंत विवादास्पद विषय बने हुए हैं।

» हिंद महासागर में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:

» क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव (जैसे बंदरगाह, सैन्य ठिकाने और साझेदारियाँ) के बीच पश्चिमी देश अपनी रणनीतिक स्थिति सुरक्षित रखना चाहते हैं। चागोस द्वीपसमूह की स्थिति व्यापक इंडो-पैसिफिक सुरक्षा परिदृश्य में सीधे तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

शक्सगाम घाटी (Shaksgam Valley)

हाल ही में भारत ने शक्सगाम घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर औपचारिक रूप से आपत्ति दर्ज कराई है। भारत का कहना है कि ये परियोजनाएँ अवैध हैं, क्योंकि यह घाटी उसके कानूनी दावे के अनुसार भारतीय क्षेत्र है। रिपोर्टों के अनुसार, इन परियोजनाओं में सड़कें और अन्य लॉजिस्टिक विकास शामिल हैं, जो संभवतः व्यापक चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से जुड़े हुए हैं। भारत CPEC को भी मान्यता नहीं देता, क्योंकि यह उन क्षेत्रों से होकर गुजरता है जिन पर भारत अपना दावा करता है।

पृष्ठभूमि

- शक्सगाम घाटी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित एक उच्च-ऊँचाई वाला क्षेत्र है, जो चीन के शिनजियांग और पाकिस्तान-प्रशासित गिलगित-बाल्टिस्तान से सटा हुआ है।
- वर्ष 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक सीमा समझौता हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान ने लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र — ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट — चीन को सौंप दिया।
- भारत ने इस समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है और उसका दावा है कि यह घाटी जम्मू और कश्मीर की पूर्व रियासत का हिस्सा है, जिस पर भारत संपूर्ण रूप से अपना दावा करता है।
- भारत के अनुसार, पाकिस्तान को इस क्षेत्र को "सौंपने" का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं था, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत यह भारतीय क्षेत्र था।
- भारतीय नेतृत्व (जिसमें थल सेना प्रमुख और लद्दाख के उपराज्यपाल शामिल हैं) बार-बार यह दोहरा चुके हैं कि 1963 का समझौता अवैध है और भारत इस क्षेत्र में किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करता, जिससे भारत की निरंतर कूटनीतिक आपत्ति स्पष्ट होती है।

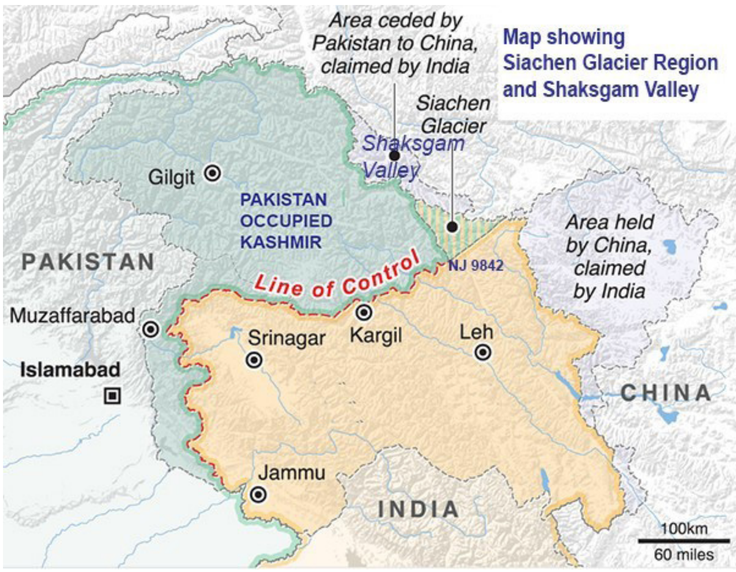

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- **क्षेत्रीय अखंडता और अंतरराष्ट्रीय कानून:**
  » शक्सगाम पर भारत का दावा इस कानूनी सिद्धांत पर आधारित है कि जिस सरकार के पास वैध संप्रभुता नहीं है, वह किसी क्षेत्र को वैध रूप से हस्तांतरित नहीं कर सकती।
  » यदि चीन के नियंत्रण को स्वीकार किया गया, तो इससे भारत की अन्य क्षेत्रीय विवादों पर स्थिति कमजोर हो सकती है।
- **रणनीतिक और सैन्य प्रभाव:**
  » सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख मोर्चे के निकट होने के कारण, इस घाटी में बुनियादी ढांचे का विकास चीन की क्षमता को बढ़ा सकता है, जिससे वह भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास संवेदनशील क्षेत्रों में सैनिकों या आपूर्ति की आवाजाही आसान बना सके।
- **क्षेत्रीय भू-राजनीति:**

- यह विवाद भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच जटिल त्रिकोणीय संबंधों को उजागर करता है।
- ऐसे उच्च-ऊँचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास और क्षेत्रीय दावे व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा हैं, जिनमें CPEC और दक्षिण एशिया में प्रभाव को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा भी शामिल है।

ग्रीनलैंड

ग्रीनलैंड अपनी सामरिक स्थिति (strategic location), दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार, पिघलती बर्फ के कारण और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की बात करने से डेनमार्क के प्रभुत्व वाला यह विशाल आर्कटिक द्वीप, भू-राजनीतिक का केंद्र बिंदु बन गया है।

- **भूगोल और स्थिति:** ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागरों के बीच स्थित है। यह डेनमार्क साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड की अपनी सरकार है, जो अधिकांश आंतरिक मामलों को संभालती है, जबकि रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के अधीन रहती है।
- **जनसंख्या और पहचान:** ग्रीनलैंड की जनसंख्या लगभग 56,000 है, जो मुख्यतः तटीय नगरों में निवास करती है। यहाँ की अधिकांश आबादी स्वदेशी इनुइट समुदाय से संबंधित है, जिनका भूमि और प्रकृति से गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है।
- **ऐतिहासिक शासन व्यवस्था:** ग्रीनलैंड कई सदियों तक डेनमार्क का उपनिवेश रहा। वर्ष 1953 में इसे औपचारिक रूप से डेनमार्क राज्य में शामिल कर लिया गया। 1979 में गृह शासन (Home Rule) की शुरुआत हुई और 2009 से स्वशासन (Self-Government) के अधिकारों का विस्तार हुआ।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- ग्रीनलैंड केवल एक दूरस्थ, बर्फीला द्वीप नहीं है बल्कि कई परस्पर जुड़े कारणों से इसका रणनीतिक महत्व तेज़ी से बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व के प्रमुख कारण:
  - **भू-राजनीति और सैन्य महत्व:** इसकी आर्कटिक स्थिति नए समुद्री मार्गों को खोलती है। यह अमेरिका और नाटो (NATO) को निगरानी, रक्षा और सुरक्षा क्षमताएँ प्रदान करता है। साथ ही, यह क्षेत्र रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भी सहायक है।
  - **संसाधन और अर्थव्यवस्था:** ग्रीनलैंड खनिज संसाधनों से समृद्ध है तथा यहाँ तेल और गैस की संभावनाएँ भी मौजूद हैं। उभरते आर्कटिक व्यापार मार्ग इसे वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं।
  - **संप्रभुता और स्वायत्तता:** ग्रीनलैंड की स्वतंत्रता की आकांक्षाएँ अमेरिका और वैश्विक रणनीतिक हितों से जुड़ती हैं। इससे भविष्य की आर्कटिक भू-राजनीति की दिशा निर्धारित होने की संभावना है।

गाज़ा (Gaza)

इज़राइल ने गाज़ा और मिस्र के बीच स्थित रफ़ाह सीमा पार (Rafah Border Crossing) को सीमित स्तर पर पैदल यात्रियों के लिए फिर से खोल दिया है। यह कदम अक्टूबर 2025 से लागू अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्धविराम (Ceasefire) ढांचे के तहत एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। मई 2024 में हमास के साथ संघर्ष के दौरान इज़राइल द्वारा इस क्रॉसिंग पर कब्ज़ा किए जाने के बाद यह पहली बड़ी पुनःखोल (reopening) है।

गाज़ा लंबे समय से इज़राइल–फिलिस्तीन संघर्ष का प्रमुख केंद्र रहा है, जहाँ भूमि, पहचान और शासन को लेकर विवाद बना हुआ है। 1967 से यह क्षेत्र विभिन्न स्तरों पर इज़राइली सैन्य नियंत्रण और नाकाबंदी में रहा है। 2007 से गाज़ा पर हमास का शासन है, जिसे इज़राइल, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा दक्षिणी इज़राइल पर बड़े हमले के बाद संघर्ष ने गंभीर रूप ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप इज़राइल ने लंबा सैन्य अभियान चलाया।

गाज़ा का भूगोल:

- गाज़ा पट्टी (Gaza Strip) पूर्वी भूमध्यसागर के तट पर स्थित एक संकीर्ण फ़िलिस्तीनी क्षेत्र है।
- इसके उत्तर और पूर्व में इज़राइल, जबकि दक्षिण-पश्चिम में मिस्र की सीमा लगती है।
- प्रमुख रफ़ाह सीमा पार गाज़ा की दक्षिणी सीमा पर मिस्र के साथ स्थित है। यह इज़राइल से होकर गुज़रे बिना गाज़ा का बाहरी दुनिया से जुड़ने का मुख्य मार्ग है। अन्य सीमा पार मार्ग, जैसे उत्तर में एरेज़ (Erez), गाज़ा को इज़राइल से जोड़ते हैं, लेकिन वे अक्सर प्रतिबंधित रहते हैं और इज़राइली नियंत्रण में होते हैं।

रफ़ाह क्रॉसिंग का महत्व:

- रफ़ाह सीमा पार का पुनःखुलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लंबे समय से जारी इज़राइल–हमास संघर्ष के कारण बंद रहने के बाद गाज़ा से लोगों की आवाजाही का एक प्रमुख मार्ग उपलब्ध कराता है।
- इसके माध्यम से मानवीय सहायता (Humanitarian Aid) के गाज़ा में प्रवेश और बाहर जाने की संभावनाएँ भी बढ़ सकती हैं।
- कुल मिलाकर, यह कदम गाज़ा की मानवीय स्थिति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है।

पावर पैक्ड न्यूज

मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना

- गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आनंद जिले के भद्रन गांव से मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना (MGY) का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य 114 प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी समान बुनियादी ढांचे के साथ विकसित करना है। इस योजना के तहत ₹663 करोड़ की लागत से 2,666 ग्राम पंचायत घर-सह-तलाटी आवास भवनों का निर्माण किया जाएगा, जो ग्रामीण विकास और शासन को मजबूत करेगा।
- इस योजना का उद्देश्य गांवों और शहरों के बीच विकास के अंतर को कम करना, ग्रामीण आत्मनिर्भरता बढ़ाना और शहरी क्षेत्रों पर दबाव कम करना है।
- प्रथम चरण में 114 गांवों का चयन, जो तालुका मुख्यालय के रूप में कार्य करते हैं, वहां सड़क, भूमिगत जल निकासी, और सौर ऊर्जा चालित स्ट्रीट लाइटें जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 'ई-ग्राम' सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। 2,666 ग्राम पंचायत घरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा।
- ग्रामोत्थान अभियान को बाद में 10,000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में लागू किया जाएगा। यह योजना गुजरात में ग्रामीण स्तर पर शासन को सशक्त बनाने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दो नए रामसर स्थल

- भारत ने हाल ही में पटना पक्षी अभयारण्य (उत्तर प्रदेश) और छारी-ढंड (गुजरात) को रामसर स्थल घोषित किया है। यह आर्द्रभूमि (Wetlands) संरक्षण प्रयासों में एक बड़ी उपलब्धि है। जनवरी 2026 तक, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 98 हो गई है।
  - **पटना पक्षी अभयारण्य (उत्तर प्रदेश):** एटा जिले में स्थित यह अभयारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे पर पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ 178 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
  - **छारी-ढंड (गुजरात):** कच्छ के रण में स्थित यह मौसमी खारा वेटलैंड अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जो विशेष रूप से सारस (Cranes) और फ्लेमिंगो के लिए शीतकालीन घर है।
- भारत, ईरान के रामसर में 1971 में हस्ताक्षरित 'आर्द्रभूमि पर सम्मेलन' (रामसर सम्मेलन) के अनुबंधित पक्षों में से एक है। भारत 1 फरवरी 1982 को इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता बना।
- रामसर स्थलों का दर्जा मिलने से इन क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त होता है, जिससे स्थानीय पर्यटन और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलती है। यह भारत के 'अमृत धरोहर' मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- आर्द्रभूमि न केवल जल संचयन में मदद करती है, बल्कि कार्बन सोखने और बाढ़ नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना

- हाल ही में 27 जनवरी, 2026 को पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत एक पायलट परियोजना के रूप में एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना शुरु की है।
- यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत एक क्षेत्र-विशिष्ट पहल है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति बचत को स्वास्थ्य देखभाल व्यय, ओपीडी और आईपीडी से जोड़ना है।
- यह योजना सीमित पैमाने पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में लागू की जा रही है, ताकि पूर्ण क्रियान्वयन से पहले इसकी परिचालन, तकनीकी और नियामक व्यवहार्यता परखी जा सके। योजना स्वैच्छिक और अंशदायी है तथा मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत निवेश किया जाता है।

- चिकित्सा खर्चों के लिए ग्राहक अपने योगदान का 25% तक आंशिक निकासी कर सकते हैं, जबकि गंभीर बीमारी की स्थिति में एकमुश्त 100% निकासी की अनुमति है। इस पहल से स्वास्थ्य खर्च घटेंगे और एनपीएस इकोसिस्टम में ग्राहक-केंद्रित नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी और झांकी

- 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड में परेड के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों और झांकियों के पुरस्कार घोषित किए गए। इन पुरस्कारों का निर्णय तीन स्वतंत्र निर्णायक मंडलों द्वारा परेड के दौरान प्रदर्शन के आधार पर किया गया, जिसमें सशस्त्र बलों, केंद्रीय अर्धसैन्य बलों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के दलों को मूल्यांकन किया गया।
- इस वर्ष तीनों सशस्त्र सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार भारतीय नौसेना को मिला। केंद्रीय अर्धसैन्य बलों और अन्य सहायक बलों की श्रेणी में दिल्ली पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का सम्मान मिला।
- सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ (टैब्लो) की श्रेणी में महाराष्ट्र की झांकी "गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरता का प्रतीक" प्रथम स्थान पर रहा। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर और केरल की झांकियाँ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं, जिनमें क्षेत्रीय संस्कृति, हस्तशिल्प तथा डिजिटल साक्षरता जैसे विषयों को दर्शाया गया। केंद्रीय मंत्रालयों की श्रेणी में संस्कृति मंत्रालय की झांकी "वंदे मातरम् – एक राष्ट्र की आत्म-ध्वनि" को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया।
- ये पुरस्कार परंपरागत अनुशासन, आधिकारिक प्रदर्शन क्षमता और सांस्कृतिक विविधता के प्रतीक हैं, जो गणतंत्र दिवस की परेड को एक राष्ट्रीय गौरव के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लागू

- उत्तराखंड सरकार ने राज्यपाल की स्वीकृति के बाद समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को लागू कर दिया है। यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया है। इसका उद्देश्य समान नागरिक संहिता के प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।
- संशोधनों के माध्यम से प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार किए गए हैं, जिनका फोकस महिला सशक्तिकरण, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और नागरिक मामलों में समानता पर है। एक प्रमुख सुधार विवाह पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़ा है। यूसीसी लागू होने से पहले विवाह पंजीकरण उत्तराखंड अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2010 के तहत ऑफलाइन होता था, जिसमें दंपति और दो गवाहों की उप-पंजीयक कार्यालय में शारीरिक उपस्थिति आवश्यक थी।
- संशोधन के बाद प्रक्रिया का सरलीकरण और डिजिटलीकरण किया गया है। अब लगभग 100% विवाह पंजीकरण ऑनलाइन पूरे हो रहे हैं, जिसके लिए कार्यालय में भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। यूसीसी लागू होने के एक वर्ष के भीतर 47 लाख से अधिक विवाह पंजीकरण पूरे हो चुके हैं, जो सुधारों की प्रभावशीलता दर्शाता है।
- इसके अलावा, दंडात्मक प्रावधानों को नई भारतीय कानूनी संहिताओं के अनुरूप किया गया है और अपीलीय तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया है। यूसीसी के एक वर्ष पूर्ण होने पर 27 जनवरी को "यूसीसी दिवस" मनाया गया और राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

विभिन्न संस्था द्वारा भारत की विकास दर का अनुमान

- जनवरी 2026 में जारी विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारत की विकास दर के अनुमान निम्नलिखित हैं:
  - **आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26:** भारत सरकार द्वारा 30 जनवरी 2026 को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF):** IMF ने जनवरी 2026 में अपनी 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट में भारत के विकास अनुमान को

बढ़ाकर 7.3% कर दिया है।

- » **विश्व बैंक (World Bank):** विश्व बैंक ने भी जनवरी 2026 में भारत की विकास दर के अनुमान में सुधार करते हुए इसे 7.2% रहने की संभावना जताई है।
- » **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI):** RBI के अनुसार चालू वित्त वर्ष (FY26) के लिए विकास दर का अनुमान 7.3% है।
- » **अगले वित्त वर्ष 2026-27 का अनुमान:** आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विकास दर 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है।

- **विकास के प्रमुख कारक:**
  - » घरेलू मांग में मजबूती और कृषि क्षेत्र में सुधार।
  - » विनिर्माण (Manufacturing) और सेवा क्षेत्र में निरंतर विस्तार।
  - » सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय (Capex) पर निरंतर जोर।
- ये सभी अनुमान दर्शाते है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

ग्राका माचेल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025

- मोज़ाम्बिक की प्रख्यात मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ता ग्राका माचेल को वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह घोषणा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई। चयन एक अंतरराष्ट्रीय जूरी ने किया, जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने की।
- यह पुरस्कार शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक सशक्तिकरण और मानवीय कार्यों के क्षेत्र में ग्राका माचेल के असाधारण योगदान को मान्यता देता है। पुरस्कार के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और ₹1 करोड़ की नकद राशि प्रदान की जाएगी।
- ग्राका माचेल को एक प्रतिष्ठित अफ्रीकी राजनेता और वैश्विक मानवाधिकार अधिवक्ता माना जाता है। 1990 के दशक में उन्होंने सशस्त्र संघर्षों का बच्चों पर प्रभाव विषय पर संयुक्त राष्ट्र के ऐतिहासिक अध्ययन का नेतृत्व किया, जिसने अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता और बाल संरक्षण नीतियों को नई दिशा दी।
- उन्होंने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास को बढ़ावा देने वाली कई संस्थाओं की स्थापना की है। वह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की पत्नी भी रहीं और दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला के रूप में कार्य किया।

सैन्य क्वांटम मिशन नीति ढांचा जारी

- भारत की रक्षा क्षमताओं को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 22 जनवरी 2026 को जनरल अनिल चौहान ने सैन्य क्वांटम मिशन नीति ढांचा जारी किया। यह एक व्यापक नीति दस्तावेज है, जिसमें सशस्त्र बलों में क्वांटम प्रौद्योगिकियों के समावेशन की रणनीति और कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।
- नीति में क्वांटम तकनीक के चार प्रमुख स्तंभों- क्वांटम संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संवेदन और क्वांटम सामग्री की पहचान की गई है। इसका उद्देश्य थल सेना, नौसेना और वायु सेना को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करना और तकनीकी बढ़त सुनिश्चित करना है।
- प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में समर्पित शासी निकायों का प्रस्ताव किया गया है। नीति में संयुक्तता और एकीकरण को सफलता की कुंजी माना गया है, जो आधुनिक और तकनीक-आधारित युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

वीरता पुरस्कारों की घोषणा

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी है, जिनमें 6 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल

हैं। इनमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, जो भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, से सम्मानित किया गया। मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा सिंह और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया।

- सूची में 13 शौर्य चक्र शामिल हैं, जिनमें एक मरणोपरांत है। इसके अतिरिक्त, एक वीरता बार सेना पदक, 44 वीरता सेना पदक, 6 वीरता नौसेना पदक और 2 वीरता वायु सेना पदक स्वीकृत किए गए। राष्ट्रपति ने अतिरिक्त रूप से 301 सैन्य पदकों को भी मंज़ूरी दी है।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और सीमा सड़क विकास बोर्ड (BRDB) के कर्मियों के लिए 98 मेंशन-इन-डिस्पैच (Mention-in-Despatches) को मंज़ूरी दी है। इसमें 5 मरणोपरांत सम्मान शामिल हैं, जो ऑपरेशन रक्षक, स्नो लेपर्ड, मेघदूत, राइनो, सिंदूर और अन्य ऑपरेशनों में अदम्य साहस व बहादुरी के लिए दिए गए हैं।

पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष इंदरजीत सिंह बिंद्रा का निधन

- भारतीय क्रिकेट प्रशासन के दिग्गज इंदरजीत सिंह बिंद्रा का 25 जनवरी 2026 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 1993 से 1996 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे और भारत में क्रिकेट के व्यावसायीकरण व विपणन के नए युग के सूत्रधार माने जाते हैं।
- उन्होंने 1978 से 2014 तक तीन दशकों से अधिक समय तक पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में पंजाब क्रिकेट को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली।
- उनके योगदान को सम्मानित करते हुए 2015 में मोहाली स्थित पीसीए स्टेडियम का नाम बदलकर आई.एस. बिंद्रा स्टेडियम रखा गया। वर्तमान आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने उन्हें भारतीय क्रिकेट प्रशासन का स्तंभ बताया।
- बिंद्रा का योगदान केवल प्रशासन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने खेल को पेशेवर और वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान किया। उनका निधन भारतीय क्रिकेट के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है।

भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा की

- भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 के लिए 131 विशिष्ट व्यक्तियों के नामों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। कुल 19 महिलाएं इस सूची में हैं और 16 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे।
- पद्म विभूषण से सम्मानित होने वालों में अभिनेता धर्मेंद्र (मरणोपरांत), न्यायाधीश के. टी. थॉमस, वायलिन वादक एन. राजम, साहित्यकार पी. नारायणन और राजनेता वी. एस. अच्युतानंदन (मरणोपरांत) शामिल हैं।
- पद्म भूषण पाने वालों में गायिका अलका याग्निक, अभिनेता ममूटी, उद्योगपति उदय कोटक और टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज प्रमुख हैं।
- खेल क्षेत्र में रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और अन्य खिलाड़ियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार कला, खेल, सार्वजनिक सेवा और विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हैं।

सुनीता विलियम्स ने ली नासा से सेवानिवृत्ति

- प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 वर्षों के उल्लेखनीय करियर के बाद नासा से सेवानिवृत्ति ले ली है। नासा के अनुसार, उनकी सेवानिवृत्ति 27 दिसंबर 2025 से प्रभावी हुई। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नौ महीने तक चले अप्रत्याशित लंबे मिशन के बाद लिया गया।
- नासा प्रशासक जेरेड आइज़ैकमैन ने उन्हें मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्तित्व बताया। सुनीता विलियम्स का जन्म यूक्लिड, ओहियो में हुआ था, जबकि वह नीडहम, मैसाचुसेट्स को अपना गृहनगर मानती हैं। उनके पिता, गुजरात के मेहसाना जिले के झुलासन में जन्मे एक न्यूरोएनाटोमिस्ट थे, जबकि उनकी मां स्लोवेनियाई मूल की हैं।
- उनकी पहली अंतरिक्ष उड़ान 2006 में STS-116 मिशन के साथ शुरू हुई। उन्होंने तीन अभियानों में कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए, नौ स्पेस

वॉक पूरे किए और 62 घंटे से अधिक समय अंतरिक्ष में कार्य किया जो किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए सर्वाधिक है। वह अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति भी रहीं।

अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय 21 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
- सरकार ने योजना के प्रचार, जागरूकता और विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य योजना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक इसकी पहुँच को और व्यापक बनाना है। क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के लिए निरंतर सहायता प्रदान की जाएगी तथा अंतराल निधि को भी सुदृढ़ किया जाएगा।
- 2015 में शुरू की गई यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करती है, जो अंशदान पर निर्भर करती है। जनवरी 2026 तक इसके तहत 8.66 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं।
- यह निर्णय वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, विशेषकर उन नागरिकों के लिए जो औपचारिक पेंशन प्रणाली से वंचित रहे हैं।

अमेलिया वाल्वरडे बनीं भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच

- अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अमेलिया वाल्वरडे को सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। कोस्टा रिका की निवासी वाल्वरडे तुर्की के अंताल्या में चल रहे भारतीय टीम के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो चुकी हैं।
- यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारतीय महिला टीम एएफसी महिला एशियाई कप की तैयारी कर रही है, जो मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। वाल्वरडे मौजूदा कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर टीम की तकनीकी, सामरिक और मानसिक मजबूती पर कार्य करेंगी।
- मौजूदा स्टाफ में क्रिसपिन छेत्री, प्रिया पीवी और मारियो अगुइयार जैसे अनुभवी कोच शामिल हैं। वाल्वरडे का अंतरराष्ट्रीय अनुभव भारतीय महिला फुटबॉल को नई दिशा देने में सहायक माना जा रहा है।
- यह कदम भारत में महिला खेलों के विकास और वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे भारतीय महिला फुटबॉल को नई पहचान मिलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश का पहला ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बना लखनऊ

- लखनऊ को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पहला ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर घोषित किया गया है। यह उपलब्धि शिवारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के चालू होने के साथ हासिल हुई।
- लखनऊ नगर निगम अब शहर के नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का 100 प्रतिशत वैज्ञानिक प्रसंस्करण कर रहा है। नव उद्घाटित शिवारी संयंत्र की क्षमता 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। तीन चालू संयंत्रों के साथ कुल 2,100 मीट्रिक टन से अधिक कचरे का प्रतिदिन प्रसंस्करण किया जा रहा है।
- कचरे को जैविक और अजैविक भागों में पृथक कर खाद, बायोगैस, पुनर्चक्रण और RDF उत्पादन किया जाता है। अब तक 12.86 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक निपटान किया जा चुका है और 25 एकड़ से अधिक भूमि पुनः प्राप्त की गई है।
- यह मॉडल चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित है और अन्य शहरी निकायों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में उभर रहा है।

स्कोच अवार्ड 2025

- टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट) को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कोच अवार्ड-2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार "संसाधन विकसित भारत" विषय पर आयोजित 104वें स्कोच शिखर सम्मेलन में प्रदान किया गया। यह सम्मान आपदा और आपातकालीन संचार प्रणालियों के क्षेत्र में सी-डॉट के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है।
- सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन को एक एकीकृत आपदा चेतावनी प्रसार मंच के रूप में विकसित किया गया है। यह प्रणाली भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) जैसी प्रमुख एजेंसियों को एक ही डिजिटल मंच पर जोड़ती है। इसके माध्यम से मौसम संबंधी आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों में वास्तविक समय (रियल-टाइम) चेतावनियाँ उत्पन्न कर आम जनता तक तेजी से पहुँचाई जा सकती हैं।
- स्कोच पुरस्कार शासन और विकास में सुधार हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं और संस्थानों को प्रदान किया जाता है। यह वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
- सी-डॉट, दूरसंचार विभाग (दूरसंचार विभाग) के तत्वावधान में कार्यरत एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्था है, जो आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी दूरसंचार तकनीकों के विकास में अहम भूमिका निभा रही है।

विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती

- घरेलू क्रिकेट में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में विदर्भ ने सौराष्ट्र को 38 रनों से पराजित किया। यह मैच बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला गया।
- विदर्भ की जीत में अथर्व तायडे की शतकीय पारी निर्णायक साबित हुई। उन्होंने फाइनल में 128 रन बनाते हुए टूर्नामेंट का अपना पहला शतक लगाया, जिसकी बदौलत विदर्भ ने 318 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए सौराष्ट्र ने मध्यक्रम में संघर्षपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन पूरी टीम 279 रनों पर सिमट गई।
- विजय हजारे ट्रॉफी, जिसे पहले रणजी वन-डे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था, भारतीय घरेलू क्रिकेट की प्रमुख एकदिवसीय प्रतियोगिता है। इसका पहला आयोजन 2002-03 में किया गया था। इस टूर्नामेंट में तमिलनाडु और कर्नाटक सबसे सफल टीमें रही हैं, जिन्होंने अब तक पाँच-पाँच बार खिताब जीता है।
- पिछले सत्र 2024-25 में कर्नाटक विजेता रहा था। विदर्भ की यह ऐतिहासिक जीत घरेलू क्रिकेट में टीम की निरंतर प्रगति, मजबूत बल्लेबाज़ी और संतुलित गेंदबाज़ी आक्रमण को दर्शाती है।

टायलर पुरस्कार

- अमेरिकी वैज्ञानिक टोबी कियर्स को माइकोराइज़ल कवक नेटवर्क पर उनके अग्रणी शोध के लिए पर्यावरण उपलब्धि हेतु टायलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टायलर पुरस्कार को "पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार" कहा जाता है, जो वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट पर्यावरणीय योगदान को मान्यता देता है।
- टोबी कियर्स के शोध ने विशाल भूमिगत कवक जालों की भूमिका को उजागर किया है, जो पौधों और उनकी जड़ों के बीच पोषक तत्वों के आदान-प्रदान का माध्यम बनते हैं। ये माइकोराइज़ल नेटवर्क पृथ्वी के जलवायु संतुलन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। शोध के अनुसार, ये नेटवर्क प्रतिवर्ष लगभग 13.12 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिलती है।
- टोबी कियर्स और उनके सहयोगियों द्वारा विकसित वैश्विक भूमिगत एटलस ने इन नेटवर्कों के वैश्विक वितरण और महत्व को वैज्ञानिक दृष्टि से रेखांकित किया है। उनके निष्कर्ष दर्शाते हैं कि माइकोराइज़ल कवक केवल पौधों के सहजीवी नहीं हैं, बल्कि पृथ्वी के प्रमुख जैव-भौतिक

परिसंचरण तंत्रों में से एक हैं।

- एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में अनुसंधान अध्यक्ष के रुप में कार्यरत कियर्स का शोध भूमिगत जैव विविधता के संरक्षण, दीर्घकालिक जलवायु विनियमन और कार्बन भंडारण की रणनीतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इलैयाराजा को पद्मपानी पुरस्कार

- भारतीय सिनेमा के महान संगीतकार इलैयाराजा को 11वें अजंता-एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पद्मपानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय और दीर्घकालिक योगदान को मान्यता देता है।
- इस सम्मान में पद्मपानी स्मृति-चिह्न, प्रशस्ति पत्र तथा 2 लाख रुपये की नकद राशि शामिल है। इससे पहले यह पुरस्कार जावेद अख्तर, साईं परंजपे और ओम पुरी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को प्रदान किया जा चुका है।
- 11वां अजंता-एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 28 जनवरी से 1 फरवरी तक महात्मा गांधी मिशन, छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। सह-प्रस्तुतिकरण राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) और महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज एवं सांस्कृतिक विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।
- इलैयाराजा ने तमिल सिनेमा के साथ-साथ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में संगीत की नई भाषा गढ़ी। उनका संगीत भारतीय सिनेमा में शास्त्रीय और लोक तत्वों के अद्वितीय समन्वय का प्रतीक माना जाता है।

योवेरी मुसेवेनी पुनः युगांडा की राष्ट्रपति

- युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने राष्ट्रपति चुनाव में सातवीं बार सत्ता हासिल की है। आधिकारिक परिणाम 17 जनवरी 2026 को घोषित किए गए, जिसमें मुसेवेनी को 71.65 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। यह चुनाव राष्ट्रव्यापी इंटरनेट बंद के बीच संपन्न हुआ, जिसने इसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए।
- मुसेवेनी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी संगीतकार से राजनेता बने बोबी वाइन रहे, जिन्हें 24.72 प्रतिशत वोट मिले। बोबी वाइन, जिनका वास्तविक नाम क्यगुलानी सेन्तामू है, ने चुनाव परिणामों को अस्वीकार करते हुए आरोप लगाया कि मतदान प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताएँ हुईं और उनके एजेंटों का अपहरण किया गया।
- चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को भी आलोचना का सामना करना पड़ा। मतदान के दिन बायोमेट्रिक मतदाता पहचान मशीनों के खराब होने से विशेषकर शहरी क्षेत्रों में मतदान में देरी हुई। कुल मतदान प्रतिशत 52 प्रतिशत रहा, जो 2006 में बहुदलीय राजनीति की बहाली के बाद सबसे कम है।
- इसके अतिरिक्त, अनुभवी विपक्षी नेता किज्जा बेसिये अभी भी राजद्रोह के आरोपों में जेल में हैं। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद से युगांडा में राष्ट्रपति पद का शांतिपूर्ण हस्तांतरण न होना, देश के लोकतांत्रिक भविष्य पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

यमन में राजनीतिक बदलाव

- यमन के प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्रेक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे सऊदी समर्थित राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद यमन के विदेश मंत्री शाया मोहसेन ज़िंदानी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब यमन एक बार फिर क्षेत्रीय शक्तियों के बीच तनाव का केंद्र बनता जा रहा है।
- हाल के महीनों में यमन में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मतभेद गहराते दिखाई दिए हैं। दिसंबर में यूएई समर्थित अलगाववादी संगठन दक्षिणी संक्रमण परिषद ने दक्षिणी और पूर्वी यमन के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह संगठन सऊदी

सीमा के निकट तक पहुँच गया, जिसे सऊदी अरब ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना। इसके जवाब में सऊदी समर्थित लड़ाकों ने इन क्षेत्रों में पुनः नियंत्रण स्थापित किया।

- इससे पहले सऊदी अरब और यूएई यमन के गृहयुद्ध में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ एकजुट थे। किंतु अब दोनों खाड़ी देशों के बीच भू-राजनीति, तेल उत्पादन और प्रभाव क्षेत्र को लेकर मतभेद उभर आए हैं। यह स्थिति यमन में राजनीतिक अस्थिरता को और गहरा कर सकती है।

गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026

- गोल्डन ग्लोब अवाड्र्स 2026 का आयोजन लॉस एंजिल्स में किया गया, जिसमें फिल्म और टेलीविजन जगत में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कारों का 83वां संस्करण था, जिसमें वर्ष 2025 में प्रदर्शित फिल्मों और अमेरिकी टीवी प्रस्तुतियों को मान्यता दी गई।
- फिल्म श्रेणी में 'हैमनेट' को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म (ड्रामा) और 'वन बैटल आफ्टर अनदर' को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म (म्यूज़िकल/कॉमेडी) का पुरस्कार मिला। गैर-अंग्रेज़ी फ़िल्म श्रेणी में 'द सीक्रेट एजेंट' विजेता रही, जबकि सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फ़िल्म का पुरस्कार 'के-पॉप डेमन हंटर्स' को मिला।
- अभिनय श्रेणियों में जेसी बकली और वैगनर मोरा ने ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अभिनेता का पुरस्कार जीता। टेलीविजन वर्ग में नेटफ्लिक्स की 'एडोलेसेंस' ने सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड सीरीज़ का खिताब हासिल किया।
- गोल्डन ग्लोब अवाड्र्स न केवल वैश्विक सिनेमा और टीवी उद्योग की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि नए रुझानों और विषयवस्तु को भी अंतरराष्ट्रीय पहचान प्रदान करते हैं।

भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ

- भारत ने रेल परिवहन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ किया है। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलेगी, जो देश के सबसे महत्वपूर्ण रेल गलियारों में से एक है।
- पूरी तरह वातानुकूलित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हवाई यात्रा जैसा आरामदायक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। इसमें 16 आधुनिक कोच हैं, जिनकी कुल यात्री क्षमता 823 है। यह ट्रेन कालीघाट मंदिर और कामाख्या देवी मंदिर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों को भी जोड़ेगी।
- जहाँ मौजूदा सरायघाट एक्सप्रेस को इस मार्ग पर लगभग 17 घंटे लगते हैं, वहीं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यह दूरी केवल 14 घंटे में पूरी करेगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा और पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी वर्चुअल रुप से हरी झंडी दिखाई तथा बागुरुम्बा द्वौ 2026 में भाग लेकर सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया।

मिजोरम बना 'भारत की अदरक राजधानी'

- मिजोरम को हाल ही में 'भारत की अदरक राजधानी' घोषित किया गया है। यह मान्यता नीति आयोग द्वारा अदरक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि और उसकी उच्च गुणवत्ता के आधार पर प्रदान की गई है। यह उपलब्धि राज्य के कृषि-आधारित विकास मॉडल की सफलता को दर्शाती है।
- मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने इस उपलब्धि का श्रेय राज्य के किसानों को देते हुए कहा कि उनके निरंतर प्रयासों ने मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। उन्होंने आइजोल से लगभग 21 किलोमीटर दूर सैरांग बागवानी केंद्र में स्थापित अदरक प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन भी किया, जिससे मूल्य संवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पैशन फ्रूट में आय सृजन की अत्यधिक संभावनाएँ हैं और सरकार इसकी खेती को और अधिक प्रोत्साहित

करेगी। मिजोरम कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार, वर्ष 2025 में राज्य में 3.38 करोड़ किलोग्राम से अधिक अदरक की खरीद की गई, जो इसकी व्यावसायिक सफलता को दर्शाता है। यह पहल 'वोकल फॉर लोकल', कृषि विविधीकरण और पूर्वोत्तर भारत के समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

राकेश अग्रवाल एनआईए के नए प्रमुख नियुक्त

- वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 14 जनवरी को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की स्वीकृति के बाद की गई।
- हिमाचल प्रदेश कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अग्रवाल वर्तमान में एनआईए में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे और पहले से ही महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। एनआईए प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल 31 अगस्त, 2028 तक रहेगा, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है।
- इसके साथ ही, सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भी वरिष्ठ नियुक्तियाँ की हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल (सीमा सुरक्षा बल) का नया महानिदेशक बनाया गया है। ये नियुक्तियाँ देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी अभियानों और सीमा प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

78वां सेना दिवस समारोह

- 15 जनवरी को राजस्थान की राजधानी जयपुर में 78वां सेना दिवस भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। यह आयोजन भारतीय सेना की वीरता, अनुशासन और आधुनिक युद्ध क्षमता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से जगतपुरा के महल रोड पर किया गया।
- परेड के दौरान सुसज्जित टुकड़ियों ने सलामी मंच के सामने अनुकरणीय पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया। स्वदेशी मिसाइल प्रणालियाँ, उन्नत टैंक, ड्रोन और आधुनिक युद्धक वाहनों ने भारतीय सेना की तकनीकी क्षमता को उजागर किया। विभिन्न रेजिमेंटों की भागीदारी ने सेना की विविध परंपराओं और युद्ध कौशल को रेखांकित किया।
- इस समारोह में नेपाल आर्मी बैंड की सहभागिता ने भारत-नेपाल के मजबूत रक्षा सहयोग को दर्शाया। साथ ही, कालबेलिया और गैर नृत्य जैसे लोक सांस्कृतिक प्रदर्शनों ने कार्यक्रम में क्षेत्रीय रंग भर दिया। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक इस अवसर पर उपस्थित रहे। उत्सव के अंतर्गत एसएमएस स्टेडियम में 'शौर्य संध्या' का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सहभागिता की।

हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2026

- हाल ही में लंदन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी की गई। इस नवीनतम सूचकांक में भारतीय पासपोर्ट ने पांच स्थान की छलांग लगाते हुए 80वां स्थान हासिल किया है, जबकि वर्ष 2025 में भारत 85वें स्थान पर था। इस रैंकिंग के अनुसार भारतीय नागरिकों को 55 देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा-ऑन-अराइवल प्रवेश की सुविधा प्राप्त है।
- यह सूचकांक कुल 227 वैश्विक गंतव्यों के लिए 199 देशों के पासपोर्टों का मूल्यांकन करता है और यह पूरी तरह से अन्तर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ (IATA) द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रामाणिक आंकड़ों पर आधारित है।
- वैश्विक स्तर पर एशियाई देशों का दबदबा बना हुआ है। सिंगापुर पहले स्थान पर है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जिनके नागरिकों को 188 गंतव्यों तक वीज़ा-मुक्त पहुंच प्राप्त है। यूरोप के कई देशों- डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, स्पेन और लक्ज़मबर्ग ने तीसरा स्थान साझा किया है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष 10 में वापसी करने में सफल रहा है, जबकि अफगानिस्तान 101वें स्थान के साथ सबसे निचले पायदान पर बना हुआ है। भारत की बेहतर रैंकिंग उसकी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, यात्रा संबंधों और वैश्विक स्वीकार्यता में क्रमिक सुधार को दर्शाती है।

फ्रांस में जनसांख्यिकीय बदलाव

- वर्ष 2025 फ्रांस के जनसांख्यिकीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार, देश में जन्मों की संख्या की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई। यह स्थिति फ्रांस की अब तक की अपेक्षाकृत मजबूत जनसंख्या संरचना में गिरावट का संकेत देती है।
- फ्रांस की राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसी INSEE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में लगभग 6.51 लाख मौतें हुईं, जबकि केवल 6.45 लाख जन्म दर्ज किए गए। इसके परिणामस्वरूप देश की जनसंख्या में स्वाभाविक गिरावट देखी गई।
- परंपरागत रूप से फ्रांस यूरोपीय संघ के अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रजनन दर और युवा आबादी के लिए जाना जाता रहा है। किंतु अब देश बुज़ुर्ग होती आबादी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और गिरती प्रजनन दर जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। 2025 में फ्रांस की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.56 बच्चे रह गई, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद का सबसे निचला स्तर है।
- यद्यपि 2023 में फ्रांस यूरोपीय संघ में दूसरी सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश था, लेकिन हालिया प्रवृत्तियाँ यह संकेत देती हैं कि भविष्य में श्रमबल, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

नीति आयोग का निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) 2024

- नीति आयोग द्वारा हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) 2024 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है, जबकि पहला संस्करण अगस्त 2020 में प्रकाशित हुआ था। इसका उद्देश्य भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्यात-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करना है, जो भारत के 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के माल निर्यात लक्ष्य के अनुरूप है।
- EPI 2024 चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है- निर्यात अवसंरचना (20%), व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र (40%), नीति एवं शासन (20%) और निर्यात प्रदर्शन (20%)। इन स्तंभों के अंतर्गत कुल 13 उप-स्तंभ और 70 संकेतक शामिल हैं।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बड़े राज्य, छोटे राज्य, उत्तर-पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणियों में बांटा गया है। आगे इन्हें अग्रणी, चुनौती देने वाले और आकांक्षी समूहों में वर्गीकृत किया गया है।
- बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश अग्रणी रहे, जबकि छोटे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, दादरा एवं नगर हवेली तथा गोवा शीर्ष प्रदर्शनकर्ता रहे। यह सूचकांक सहकारी संघवाद और राज्य-स्तरीय निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

विराट कोहली बने दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़

- भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों (टेस्ट, एकदिवसीय और टी20) में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने श्रीलंका के महान विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया है।
- 11 जनवरी 2026 को वडोदरा में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच के दौरान कोहली ने यह कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने अपनी 93 रनों की शानदार पारी के दौरान 28,016 रनों का संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा। कोहली अब तक 624 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 28,068 से अधिक रन बना चुके हैं।
- इस प्रतिष्ठित सूची में शीर्ष स्थान पर भारत के सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम 34,357 अंतरराष्ट्रीय रन दर्ज हैं। कोहली सबसे तेज 28,000

अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं, जो उनकी निरंतरता और फिटनेस का प्रमाण है।

“10-मिनट डिलीवरी” मॉडल हटाने का निर्णय

- हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के हस्तक्षेप के बाद भारत के प्रमुख क्विक-कॉमर्स और फूड-डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो और स्विगी ने अपने ऐप्स से “10-मिनट डिलीवरी” मॉडल को हटाने का निर्णय लिया है। यह बदलाव व्यापक रूप से चर्चा में तब आया जब दिसंबर 2025 के दौरान डिलीवरी कर्मियों ने अत्यधिक तेज़ डिलीवरी लक्ष्यों, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और जोखिमभरे रोड-एक्सीडेंट्स के खिलाफ़ व्यापक विरोध और हड़तालें कीं।
- 10-मिनट डिलीवरी मॉडल एक क्विक-कॉमर्स रणनीति है जो डार्क स्टोर्स, एआई-आधारित मांग पूर्वानुमान और दृष्टिगत रूप से अनुकूलित लॉजिस्टिक्स पर आधारित है। इसका उद्देश्य मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में किराना और आवश्यक वस्तुएँ सिर्फ़ दस मिनट के भीतर ग्राहकों तक पहुँचाना है। हालांकि उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिला, कार्यबल के लिए यह अत्यंत दबावपूर्ण और जोखिम-भरा साबित हुआ।
- श्रम मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, समय-बद्ध डिलीवरी ब्रांडिंग को हटाना श्रमिकों की सुरक्षा और गरिमा को प्राथमिकता देता है और यह संकेत देता है कि उपभोक्ता सुविधा और श्रमिक हितों के बीच संतुलन आवश्यक है। इस निर्णय से क्विक-कॉमर्स क्षेत्र में उत्तरदायी श्रम प्रथाओं और कठोर नियामक निगरानी की दिशा में बदलाव की अपेक्षा बढ़ी है, जो भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था को अधिक टिकाऊ और सुरक्षित बनाने में सहायक होगा।

ब्रिक्स 2026: आधिकारिक लोगो, थीम और वेबसाइट

- भारत ने 13 जनवरी 2026 को अपने ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता कैलेंडर वर्ष के लिए आधिकारिक लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया, जिससे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियाँ औपचारिक रूप से शुरु हो गईं। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने नई वेबसाइट brics2026.gov.in, थीम व लोगो को लॉन्च किया, यह प्लेटफॉर्म अध्यक्षता से जुड़ी सभी बैठकों, पहलों तथा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा।
- लॉन्च किए गए लोगो में कमल का फूल मुख्य रुप से शामिल है, जो शक्ति, सौंदर्य, एकता और समावेशिता का प्रतीक है। लोगो के केंद्र में “नमस्ते” का अभिवादन भारत की सौहार्दना और सम्मान की संस्कृति को दर्शाता है। लोगो की पंखुड़ियों में सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के रंग शामिल हैं, जो एकता, विविधता और साझा उद्देश्य की भावना को दिखाते हैं।
- इस वर्ष की आधिकारिक थीम है “लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability)”, जो समूह के मानव-केंद्रित और वैश्विक कल्याण पर जोर देती है। इस थीम का लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों जैसे स्वास्थ्य, आर्थिक अनिश्चितताओं, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी बदलाव का सामना करने में मिलकर काम करना है।
- भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन-केंद्रित, समावेशी और सतत विकास की दिशा में भी एक मजबूत संदेश देती है। इसका उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को और गहरा बनाते हुए वैश्विक मंच पर साझा हित और समाधान को आगे बढ़ाना है।

16वीं IRENA महासभा अबू धाबी में सम्पन्न

- अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) की 16वीं महासभा 10–12 जनवरी 2026 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित हुई, जिसका विषय “मानवता को ऊर्जा प्रदान करना: साझा समृद्धि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा” था। इस सत्र में 1,500 से अधिक मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग नेताओं और साझेदारों ने भाग लिया, जिससे यह बैठक ऊर्जा संक्रमण पर वैश्विक बहस और सहयोग का एक प्रमुख मंच बनी।
- इस महासभा के दौरान, सदस्य देशों ने 2026–27 के लिए एक मध्यम अवधि की रणनीति और कार्यक्रम को अपनाया और नवीकरणीय

ऊर्जा के व्यापक और तेज़ विस्तार की वैश्विक प्रतिबद्धता को दोहराया गया। बैठक में जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति, ऊर्जा संक्रमण की गति बढ़ाने, वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन, डिजिटल तकनीक और सतत ऊर्जा-ईंधन के उपयोग सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने 2025 में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में USD 2.2 ट्रिलियन के रिकॉर्ड निवेश का उल्लेख करते हुए कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण अब अपरिवर्तनीय हो चुका है, लेकिन इसे पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरुप रखने के लिए और अधिक तेज़ करना आवश्यक है।
- IRENA, जो 2009 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है और जिसका मुख्यालय अबू धाबी, UAE में है, नवीकरणीय ऊर्जा के वैश्विक विस्तार को प्रोत्साहित करता है। यह देशों को नीति-निर्माण, तकनीकी सहायता और दक्षता-निर्माण में सहयोग प्रदान करता है और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को न्यायसंगत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए प्रयासरत है। भारत भी IRENA का एक संस्थापक सदस्य है।
- इस बैठक ने स्पष्ट किया कि नवीकरणीय ऊर्जा न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और दीर्घकालिक सतत विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार है।

मध्य प्रदेश सरकार ने 'स्वच्छ जल अभियान' शुरू किया

- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 10 जनवरी 2026 को पूरे राज्य में 'स्वच्छ जल अभियान' की शुरुआत की है। यह पहल भोपाल से शुरु की गई और इसका उद्देश्य राज्यभर में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करना है। अभियान की शुरुआत इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से उत्पन्न स्वास्थ्य संकट, संक्रमण और मौतों की त्रासदी के बाद की गई है, जिससे साफ पानी की आपूर्ति में सुधार की अनिवार्यता उजागर हुई।
- इस अभियान के तहत सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता की व्यापक जांच की जाएगी और दूषित जल के स्रोतों की पहचान कर उन्हें तुरंत ठीक किया जाएगा। पानी की आपूर्ति प्रणाली में रिसाव (Leakage) की पहचान, पाइपलाइनों की सफाई और जल भंडारण टैंकों के नियमित परीक्षण और सफाई पर विशेष जोर दिया गया है।
- आधुनिक तकनीक का प्रयोग भी किया जाएगा। रोबोटिक तकनीक और GIS मैपिंग के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइनों में रिसाव और संदूषण के संभावित बिंदुओं की पहचान की जाएगी। साथ ही, सरकार ने 'जल सुनवाई' (Jal Sunwai) जैसी व्यवस्थाएँ बढ़ाई हैं, जहां नागरिक अपनी पेयजल से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उनसे निपटारा तय समय में किया जाएगा।
- स्वच्छ जल अभियान के माध्यम से जल सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे भविष्य में जल-जनित रोगों और संकटों से निपटा जा सके।

भारत बना पहला व्यावसायिक बायो-बिटुमेन उत्पादन करने वाला देश

- हाल ही में भारत ने बायो-बिटुमेन (Bio-Bitumen) का वाणिज्यिक उत्पादन शुरु कर वैश्विक स्तर पर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस उपलब्धि की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित CSIR टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कार्यक्रम के दौरान की गई। यह नवाचार सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI) और सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (IIP) के संयुक्त प्रयास का परिणाम है।
- बायो-बिटुमेन एक पर्यावरण-अनुकूल बाइंडर है, जो पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन का टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है। इसे धान की पराली और कृषि/बायोमास अवशेषों से पायरोलीसिस प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है, जिससे प्राप्त बायो-ऑयल को परिष्कृत कर पारंपरिक बिटुमेन के साथ मिलाया जाता है। यह मिश्रण सड़क निर्माण के लिए उपयुक्त होता है और गुणवत्ता परीक्षण मानकों को पूरा करता है।
- **बायो-बिटुमेन के प्रमुख लाभ-**

» पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना और जीवन-चक्र उत्सर्जन घटाना।
» कच्चे तेल पर निर्भरता कम होकर आयात बचत, जिससे भारत हर साल लगभग ₹25,000-₹30,000 करोड़ बचा सकता है।
» कृषि अपशिष्ट को मूल्यवान संसाधन में बदलकर किसानों और ग्रामीण रोजगार को समर्थन देना।

- यह पहल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत और हरित अवसंरचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सतत, स्वदेशी एवं पर्यावरण-अनुकूल सड़क निर्माण को बढ़ावा देती है।

इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रोत्साहन योजना में 22 अतिरिक्त परियोजनाओं को मंज़ूरी

- इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रोत्साहन योजना (ECMS) के तहत इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 22 अतिरिक्त परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। यह मंज़ूरी योजना की तीसरी किश्त के अंतर्गत दी गई है, जिसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है।
- इन 22 परियोजनाओं से लगभग ₹41,863 करोड़ का निवेश आने की संभावना है तथा इससे करीब ₹2,58,152 करोड़ का उत्पादन मूल्य सृजित होने का अनुमान है। इसके साथ ही लगभग 33,791 प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे, जबकि अप्रत्यक्ष रुप से इससे कहीं अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- ये परियोजनाएँ 11 प्रमुख उत्पाद श्रेणियों से संबंधित हैं, जिनमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB), कैपेसिटर, कनेक्टर, एनक्लोज़र, लिथियम-आयन सेल, कैमरा व डिस्प्ले मॉड्यूल जैसे उप-असेंबली घटक तथा एल्युमिनियम एक्सट्रूज़न और एनोड सामग्री जैसे आपूर्ति-श्रृंखला से जुड़े उत्पाद शामिल हैं। इन विनिर्माण इकाइयों की स्थापना आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे विभिन्न राज्यों में की जाएगी, जिससे क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा मिलेगा।
- अप्रैल 2025 में शुरु की गई ECMS एक PLI-प्रकार की योजना है, जिसका लक्ष्य स्थानीय मूल्य संवर्धन, निवेश आकर्षण और मोबाइल, टेलीकॉम, ऑटोमोटिव व आईटी हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक रुप से प्रतिस्पर्धी बनाना है।

भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में ऐतिहासिक वृद्धि

- भारत ने ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए वर्ष 2025 में अपनी गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 266.78 गीगावाट कर लिया है। इस प्रगति को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने रेखांकित किया। यह क्षमता 2024 की तुलना में 22.6% अधिक है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की गति को दर्शाती है।
- वर्ष 2025 के दौरान 49 गीगावाट से अधिक नई गैर-जीवाश्म क्षमता जोड़ी गई, जिसमें सौर ऊर्जा की भूमिका सर्वाधिक रही। सौर ऊर्जा क्षमता 97.86 गीगावाट से बढ़कर 135.81 गीगावाट हो गई, जो 38.8% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है। इसके साथ ही, पवन ऊर्जा क्षमता भी 48.16 गीगावाट से बढ़कर 54.51 गीगावाट हो गई।
- यह प्रगति सुसंगत नीतिगत ढांचे, दीर्घकालिक योजना, निजी निवेश और अनुकूल नियामक वातावरण का परिणाम है। गैर-जीवाश्म ऊर्जा में यह विस्तार न केवल ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को भी मजबूती देता है।
- यह उपलब्धि 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में भारत को एक मजबूत आधार प्रदान करती है और भारत को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व के पथ पर अग्रसर करती है।

भारतीय हॉकी खिलाड़ी दविंदर सिंह गरचा का निधन

- ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी दविंदर सिंह गरचा का 73 वर्ष की आयु में 10 जनवरी को पंजाब के जालंधर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारत की स्वर्ण पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम के प्रमुख सदस्य थे। यह

स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी में भारत का आठवां और अब तक का अंतिम ओलंपिक स्वर्ण था।

- 7 दिसंबर 1952 को जन्मे दविंदर सिंह गरचा ने 1979 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी में पदार्पण किया। 1980 ओलंपिक में उन्होंने छह मैचों में आठ गोल किए, जो भारत की स्वर्णिम जीत में निर्णायक सिद्ध हुए। उन्होंने 30 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 19 गोल किए।
- खेल के मैदान के बाहर भी उनका जीवन प्रेरणादायी रहा। वे भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी थे और पंजाब पुलिस में पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) के पद तक पहुँचे। उनकी खेल उपलब्धियों और योगदान के लिए उन्हें 2021 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दविंदर सिंह गरचा का निधन भारतीय हॉकी और सार्वजनिक सेवा- दोनों क्षेत्रों के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

इंडिया पोस्ट की दो नई सेवाएं

- इंडिया पोस्ट ने हाल ही में स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 नामक दो नई प्रीमियम सेवाएं शुरू की हैं। इन सेवाओं का आधिकारिक शुभारंभ केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 11 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर में किया गया।
- स्पीड पोस्ट 24: यह सेवा प्रमुख शहरी मार्गों पर बुकिंग के 24 घंटों के भीतर मेल और पार्सल की गारंटीड डिलीवरी सुनिश्चित करती है।
- स्पीड पोस्ट 48: यह सेवा अन्य घरेलू मार्गों पर 48 घंटों के भीतर समयबद्ध डिलीवरी का वादा करती है।
- शुरुआती चरण में यह सेवा 1000 से अधिक पिन कोड को कवर करेगी, जिसमें मुख्य रुप से मेट्रो शहर और प्रमुख शहरी मार्ग शामिल हैं।
- इन सेवाओं का लक्ष्य भारतीय डाक को एक 'लागत केंद्र' (Cost Centre) से 'लाभ केंद्र' (Profit Centre) में बदलना, डाक नेटवर्क को आधुनिक बनाना, निजी कूरियर कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना और ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स के लिए विश्वसनीय विकल्प प्रदान करना है।
- ग्राहकों को रीयल-टाइम एंड-टू-एंड ट्रैकिंग और एसएमएस अलर्ट की सुविधा मिलेगी। यह पहल सरकार के 'डिजाइन इन इंडिया' और डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरुप है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान सेवा मानक स्थापित करती है।

राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली (NIDMS)

- हाल ही में 9 जनवरी, 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली (NIDMS) का उद्घाटन किया, जिसे "आतंकवाद के खिलाफ अगली पीढ़ी का सुरक्षा कवच" कहा गया है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र (NBDC) द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 1999 से अब तक के सभी आईईडी (IED) विस्फोटों और घटनाओं का डेटा शामिल है।
- यह प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग का उपयोग करती है ताकि विभिन्न घटनाओं के बीच पैटर्न, कार्यप्रणाली (Modus Operandi) और 'सिग्नेचर लिंकेज' की पहचान की जा सके। यह जांच एजेंसियों जैसे NIA, ATS, राज्य पुलिस और CAPFs के लिए "सिंगल-क्लिक एक्सेस" प्रदान करता है।
- यह आतंकवादी घटनाओं की जांच में साक्ष्य-आधारित सहायता प्रदान करके देश की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाता है। 'वन नेशन, वन डेटा रिपॉजिटरी' के तहत अलग-अलग विभागों के डेटा को एक जगह एकीकृत करता है। विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच वास्तविक समय (Real-time) में जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
- इसमें विस्फोटों के पैटर्न और उपयोग किए गए विस्फोटकों के प्रकार का विश्लेषण करना भी शामिल है ताकि भविष्य की घटनाओं को रोका जा सके। यह प्रणाली इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS-2) के साथ भी एकीकृत है, जो 'वन डेटा–वन एंट्री' के सिद्धांत पर काम करती है।

भारत–फिजी कृषि सहयोग का विस्तार

- भारत और फिजी ने अपने मौजूदा कृषि सहयोग समझौता ज्ञापन (MoU) को अगले पाँच वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। यह निर्णय नई दिल्ली में भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और फिजी के कृषि एवं जलमार्ग मंत्री तोमासी तुनाबुना के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान लिया गया।
- इस सहयोग को अधिक प्रभावी बनाने हेतु दोनों देशों ने कृषि क्षेत्र में एक संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) गठित करने का निर्णय भी लिया है। वार्ता में कृषि और खाद्य सुरक्षा को सहयोग के प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया, जो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- चर्चा का मुख्य केंद्र लघु कृषि मशीनरी, डिजिटल कृषि समाधान, कृषि अनुसंधान, छात्र विनिमय कार्यक्रम तथा विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल रहे। इससे फिजी जैसे द्वीपीय देशों को भारत के अनुभव से लाभ मिलेगा, जबकि भारत को प्रशांत क्षेत्र में अपनी कूटनीतिक और विकासात्मक उपस्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिलेगा।
- भारत–फिजी संबंध 1879 से चले आ रहे हैं, जब भारतीय श्रमिक फिजी पहुंचे थे। भारत ने 1948 में वहाँ आयुक्त की नियुक्ति की थी और इंदिरा गांधी ने 1981 में फिजी की यात्रा की थी। यह समझौता दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समकालीन विकास आवश्यकताओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आईसीजेएस 2.0 में उत्तराखंड पुलिस प्रथम

- उत्तराखंड पुलिस ने आईसीजेएस (Inter-Operable Criminal Justice System) 2.0 की राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर डिजिटल पुलिसिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह रैंकिंग राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जारी मासिक CCTNS/ICJS प्रगति डैशबोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है।
- उत्तराखंड ने 93.46 अंकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि हरियाणा और असम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार मीना ने इस अवसर पर दो प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित किया पहली, ICJS 2.0 में राष्ट्रीय नेतृत्व और दूसरी, प्रयागराज महाकुंभ-2025 के दौरान उत्तराखंड एसडीआरएफ का अनुकरणीय प्रदर्शन।
- आईसीजेएस 2.0 का उद्देश्य 2026 तक पुलिस, अदालतों, अभियोजन, जेल, फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट डेटाबेस को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करना है। उत्तराखंड ने राष्ट्रीय समयसीमा से पहले ही अधिकांश मॉड्यूल एकीकृत कर लिए हैं।
- प्रयागराज महाकुंभ-2025 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर 112 सदस्यीय उत्तराखंड एसडीआरएफ टीम की तैनाती की गई थी, जिसकी सेवाओं के लिए उन्हें पदक और प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। यह उपलब्धि उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन और आपराधिक न्याय सुधारों में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करती है।

पारिस्थितिकी विज्ञानी और पर्यावरणविद् माधव गाडगिल का निधन

- प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद् माधव गाडगिल का 82 वर्ष की आयु में पुणे स्थित उनके आवास पर संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। वे पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी और संरक्षण पर अपने अग्रणी कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध थे।
- माधव गाडगिल को 2024 में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त, उन्हें शांति स्वरुप भटनागर पुरस्कार, पद्म श्री (1981) और पद्म भूषण (2006) से भी नवाज़ा गया।
- उनकी ऐतिहासिक गाडगिल रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रुप से संवेदनशील क्षेत्रों में विकास गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट में पत्थर की खुदाई, नई सड़कों के निर्माण और खड़ी ढलानों पर निर्माण पर प्रतिबंध जैसे उपाय प्रस्तावित किए गए थे।

- गाडगिल ने बार-बार चेतावनी दी थी कि अनियंत्रित विकास और खनन गतिविधियाँ नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों में आपदाओं के जोखिम को बढ़ा रही हैं। वे जन-केंद्रित संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के सम्मान के प्रबल समर्थक थे। उनका निधन भारतीय पर्यावरण विमर्श के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

भारतीय सेना द्वारा 2026 'नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष' घोषित

- भारतीय सेना ने भविष्य की युद्ध तैयारियों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए वर्ष 2026 को 'नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष' घोषित किया है। इस घोषणा पर प्रकाश भारतीय सेना के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा जारी नववर्ष संदेश में डाला गया।
- इस पहल का मुख्य उद्देश्य सेना के विभिन्न अंगों के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, रियल-टाइम डेटा आधारित निर्णय क्षमता विकसित करना तथा समग्र युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाना है। आधुनिक युद्ध परिदृश्य में सूचना, डेटा और नेटवर्क-आधारित प्रणालियाँ निर्णायक भूमिका निभा रही हैं, ऐसे में यह घोषणा भविष्य-उन्मुख मानी जा रही है।
- सेना ने स्वयं को परिवर्तन के एक दशक से गुजरती हुई संस्था के रुप में रेखांकित किया है, जिसके प्रमुख स्तंभ संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार हैं। स्वदेशी प्रौद्योगिकियों, डिजिटल प्रणालियों और निरंतर सुधारों को सैन्य क्षमताओं के सशक्तिकरण का आधार बताया गया है।
- यह घोषणा 2024-25 को 'प्रौद्योगिकी आत्मसातकरण वर्ष' घोषित किए जाने के बाद की गई है, जो चरणबद्ध सैन्य आधुनिकीकरण दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह पहल रक्षा सुधारों, डिजिटल एकीकरण और आत्मनिर्भर भारत के व्यापक लक्ष्य के अनुरुप है।

पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का निधन

- पूर्व विश्व बिलियड्र्स चैंपियन मनोज कोठारी के निधन से भारतीय खेल जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। 5 जनवरी को 67 वर्ष की आयु में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली स्थित एक अस्पताल में हृदयाघात के कारण उनका निधन हो गया।
- मनोज कोठारी भारतीय बिलियड्र्स के स्वर्णिम युग के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक थे। उन्होंने वर्ष 1990 में विश्व बिलियड्र्स चैंपियनशिप का खिताब जीतकर भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अपने करियर में 16 बार राज्य बिलियड्र्स चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया।
- उनकी खेल उपलब्धियों के सम्मान में वर्ष 2005 में उन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। हाल ही में, 2025 में भारतीय बिलियड्र्स और स्नूकर महासंघ द्वारा उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।
- मनोज कोठारी का योगदान न केवल उपलब्धियों तक सीमित रहा, बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के खिलाड़ियों को प्रेरित करने में भी अहम भूमिका निभाई।

बेंगलुरु-विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के निर्माण में एनएचएआई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

- भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बेंगलुरु-कडप्पा-विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इस उपलब्धि की घोषणा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने की।
- ये रिकॉर्ड बेंगलुरु-कडप्पा-विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे (एनएच-544जी) पर राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाए गए। पहला रिकॉर्ड 24 घंटे में लगभग 29 लेन-किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का है, जबकि दूसरा रिकॉर्ड 24 घंटे में 10,000 मीट्रिक टन से अधिक बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का है।

- 343 किलोमीटर लंबा यह आर्थिक गलियारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच अंतर-राज्यीय संपर्क को मजबूत करेगा। यह परियोजना तेज, सुरक्षित और निर्बाध परिवहन के माध्यम से व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।
- यह उपलब्धि भारत की बढ़ती निर्माण क्षमता, परियोजना प्रबंधन दक्षता और अवसंरचना क्षेत्र में वैश्विक मानकों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यूआईडीएआई द्वारा आधार के लिए 'उदय' नामक नए शुभंकर का शुभारंभ

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार सेवाओं को अधिक जन-अनुकूल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से 'उदय' नामक एक नया शुभंकर लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, यह शुभंकर आधार से जुड़ी जानकारी को सरल और प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुँचाने में सहायक होगा।
- 'उदय' का उद्देश्य आधार सेवाओं जैसे अपडेट, प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन की प्रक्रियाओं को आम नागरिकों के लिए समझने में आसान बनाना है। इससे डिजिटल समावेशन और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- पिछले वर्ष यूआईडीएआई ने MyGov प्लेटफॉर्म पर एक राष्ट्रव्यापी शुभंकर डिज़ाइन प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसमें केरल के त्रिशूर के अरुण गोकुल ने डिज़ाइन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता था।
- यह पहल डिजिटल शासन को अधिक सहभागी, सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. प्रलय मिसाइल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह स्वदेशी रूप से विकसित अर्ध-बैलिस्टिक (क्वासी-बैलिस्टिक) सतह-से-सतह मिसाइल है।
2. यह लंबी दूरी की सटीक मार के लिए द्रव (लिक्विड) प्रणोदक का उपयोग करती है।
3. इसकी उड़ान पथ (ट्रैजेक्टरी) दुश्मन की वायु-रक्षा प्रणालियों द्वारा इसे अवरोधित करना कठिन बना देती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2, और 3

2. रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह रक्षा उपकरणों की पूंजीगत खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
2. इसकी अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करते हैं।
3. इसे रक्षा खरीद में देरी को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

3. भारत–ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात 2024–25 में लगभग 8.58 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
2. इसी अवधि में कुल द्विपक्षीय माल व्यापार लगभग 24.1 अरब अमेरिकी डॉलर था।
3. भारत ने 2024–25 में ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

4. भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. गिग वर्कर पारंपरिक नियोक्ता–कर्मचारी संबंध के बाहर कार्य में संलग्न होते हैं।
2. प्लेटफ़ॉर्म वर्कर अनिवार्य रूप से एक समय में केवल एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लिए काम करते हैं।
3. कार्य आवंटन और प्रोत्साहन (incentives) निर्धारित करने में एल्गोरिदमिक प्रबंधन (algorithmic management) महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

5. यमन संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यमन संघर्ष की शुरुआत 2014 में हुई जब ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त सरकार को हटा दिया था।
2. 2015 में सऊदी अरब ने हूथी प्रभाव को कम करने के लिए एक सैन्य गठबंधन का नेतृत्व किया।
3. यह संघर्ष पूरी तरह से एक आंतरिक गृहयुद्ध के रूप में रहा है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

6. निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission – EPM) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य कई बिखरी हुई निर्यात संवर्धन योजनाओं को एकीकृत, परिणाम-आधारित तंत्र से प्रतिस्थापित करना है।
2. यह केवल वस्तु (मर्चेंडाइज़) निर्यात पर केंद्रित है और सेवाओं को इसमें शामिल नहीं करता है।

3. इसे निर्यात क्षेत्र में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए डिजिटल रूप से संचालित प्रणाली के रूप में तैयार किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

7. भारत में वर्ष 2025 में धोखाधड़ी और वित्तीय फ्रॉड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. धोखाधड़ी और वित्तीय फ्रॉड के कारण कुल मौद्रिक नुकसान ₹19,000 करोड़ से अधिक था।
2. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 20 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं।
3. धोखाधड़ीपूर्ण निवेश योजनाओं का कुल मौद्रिक नुकसान में आधे से अधिक हिस्सा था।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

8. भारतीय तटरक्षक पोत समुद्र प्रताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत (Pollution Control Vessel – PCV) है।
2. इसे जनवरी 2026 में कोच्चि में कमीशन किया गया था।
3. इसमें 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2, और 3

9. भारत में धान (चावल) की खेती मुख्य रूप से निम्नलिखित किन कृषि-जलवायु आवश्यकताओं से संबंधित है?

1. 25°C से अधिक तापमान
2. 100–200 सेमी के बीच वर्षा
3. कम आर्द्रता और शुष्क जलवायु
4. समतल या हल्की ढाल वाले बाढ़ मैदान

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

10. वेनिज़ुएला में अमेरिका द्वारा संचालित ऑपरेशन एब्सोल्यूट रेज़ॉल्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस ऑपरेशन में उत्तरी वेनेज़ुएला में समन्वित हवाई और स्थल हमले शामिल थे।
2. इसका परिणाम राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के गिरफ्तारी के रूप में हुआ।
3. इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य जुआन गुआइदो को राष्ट्रपति पद पर स्थापित करने के लिए शासन परिवर्तन था।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

11. गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 [UAPA] की धारा 43D(5) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस धारा के तहत यदि न्यायालय यह पाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं, तो जमानत नहीं दी जाएगी।
2. केवल लंबी अवधि तक कारावास (prolonged incarceration) होना ही UAPA के अंतर्गत जमानत देने का पर्याप्त आधार है।
3. यह धारा दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की तुलना में जमानत के लिए अधिक कठोर मानक निर्धारित करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

12. भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन अपराधों को विशेष रूप से संबोधित किया गया है?

1. भ्रामक सूचना (Misinformation)
2. साइबर स्टॉकिंग (Cyberstalking)

3. डिजिटल माध्यम में मानहानि (Defamation in digital space)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

13. भारत–EFTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) महत्वपूर्ण है क्योंकि यह:

1. भारत में 100 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की बाध्यकारी प्रतिबद्धता शामिल करता है।
2. 15 वर्षों की अवधि में भारत में 10 लाख (1 मिलियन) नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखता है।
3. भारत को यूरोपीय संघ (European Union) के बाज़ार तक वरीयतापूर्ण पहुँच प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

14. घास के मैदान (Grasslands) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. घास के मैदान ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो मुख्यतः जंगलों और रेगिस्तानों के बीच मध्यवर्ती वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
2. घास के मैदान पृथ्वी की भूमि का 10% से भी कम क्षेत्र पर फैले हैं।
3. घास के मैदान कार्बन संचयन और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

15. भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India – ECI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे संविधान के भाग XV के तहत स्थापित किया गया है।
2. चुनाव आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, जो पहले आम चुनाव से पहले की घटना है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: 1 व 2 दोनों

D: कोई नहीं

16. इसरो (ISRO) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसरो की स्थापना 1969 में डॉ. विक्रम साराभाई के नेतृत्व में की गई थी।
2. इसरो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
3. अंतरिक्ष विभाग (Department of Space) सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

17. अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance–ISA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका शुभारंभ भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से पेरिस में COP21 के दौरान किया गया था।
2. यह भारत में मुख्यालय वाला पहला संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है।
3. यह किसी विधिक ढांचे के बिना एक गैर-बाध्यकारी स्वैच्छिक गठबंधन के रूप में कार्य करता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

18. अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance–ISA) की "टुवर्ड्स 1000 (Towards 1000)" रणनीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य है?

1. वैश्विक स्तर पर 1,000 गीगावाट (GW) सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना
2. सौर ऊर्जा में 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर (USD 1 ट्रिलियन) के निवेश का संसाधन जुटाना

3. 1,000 मिलियन (1 अरब) लोगों को स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच प्रदान करना
4. प्रति वर्ष 1,000 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन में कमी करना

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

19. अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance–ISA) की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रारंभ में सदस्यता केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों तक सीमित थी।
2. वर्ष 2020 के एक संशोधन द्वारा ISA की सदस्यता पात्रता का विस्तार सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों तक कर दिया गया।
3. वर्तमान में ISA को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक (Observer) का दर्जा प्राप्त है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

20. PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. PRAGATI को 2015 में एक वास्तविक-समय (Real-Time) परियोजना निगरानी प्लेटफ़ॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था।
2. यह एक ICT-सक्षम प्लेटफ़ॉर्म है जो प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO), केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को एकीकृत करता है।
3. यह मुख्य रूप से व्यक्तिगत नागरिकों की शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redress Mechanism) के रूप में कार्य करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

21. भारत के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) महँगाई के लिए समायोजित (adjusted) होती है, जबकि वास्तविक GDP वर्तमान बाजार मूल्य (current market prices) पर आंकी जाती है।
2. भारत में जीडीपी आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी की जाती है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत आता है।
3. जीडीपी की गणना के तीन प्रमुख तरीके हैं: व्यय पद्धति (Expenditure Method), आय पद्धति (Income Method), और उत्पादन/मूल्य-युक्त पद्धति (Production/Value-Added Method)।
4. जीडीपी खरीद शक्ति समानता (PPP) पर आधारित होता है, जो देशों के बीच जीवन यापन की लागत (cost of living) में अंतर को समायोजित करके अंतर्राष्ट्रीय तुलना की अनुमति देता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 2,3 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

22. भारत में पिछले दशक में मछली उत्पादन की वृद्धि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत का कुल मछली उत्पादन 2013–14 और 2024–25 के बीच 100% से अधिक बढ़ गया।
2. इस वृद्धि में तटीय (समुद्री) मछली पकड़ने की तुलना में अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि का अधिक योगदान रहा।
3. इस अवधि के दौरान भारत विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक बन गया।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

23. बाल यौन अपराध (POCSO) अधिनियम, 2012 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. POCSO अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों से संबंधित सभी यौन गतिविधियों को अपराध मानता है, चाहे सहमति हो या न हो।
2. यह अधिनियम न्यायपालिका को सहमति वाले किशोरों के बीच यौन गतिविधियों को कानूनी रूप से छूट देने की अनुमति देता है।
3. यह अधिनियम यौन अपराधों की रिपोर्टिंग और जांच के लिए बाल-

सुलभ प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

24. भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी के नियामक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी को कानूनी निविदा (legal tender) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
2. क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में माना जाता है।
3. भारत में क्रिप्टो लेन-देन पर 30% कर लगता है और ट्रांसफर पर 1% TDS लागू होता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

25. हाल के वर्षों में ग्रीनलैंड का भू-राजनीतिक महत्व पुनः क्यों बढ़ गया है?

1. जलवायु परिवर्तन के कारण इसके खनिज संसाधनों तक पहुँच बढ़ी है और संभावित समुद्री परिवहन मार्ग खुले हैं।
2. यह चीन-प्रभावित दुर्लभ मृदा तत्त्वों की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के अमेरिकी प्रयासों के केंद्र में है।
3. यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण वायु और समुद्री मार्गों पर स्थित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

26. "पैक्स सिलिका (Pax Silica)" पहल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पैक्स सिलिका एक अमेरिका-नेतृत्वित पहल है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए सुरक्षित और सुदृढ़ (resilient) आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना है।
2. यह पहल केवल सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर केंद्रित है ।
3. पैक्स सिलिका में "सिलिका" शब्द आधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए आधारभूत सामग्री के रूप में सिलिकॉन को संदर्भित करता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

27. पैक्स सिलिका (Pax Silica) में भारत की भागीदारी मुख्य रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह:

1. भारत के सेमीकंडक्टर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाती है।
2. संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ रणनीतिक सहयोग को गहरा करती है।
3. भारत की रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) की नीति का पूरक है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

28. अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (International Renewable Energy Agency – IRENA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. IRENA की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी तथा इसका विधान (Statute) वर्ष 2010 में प्रभाव में आया।
2. IRENA का मुख्यालय अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है।
3. भारत, IRENA का एक प्रेक्षक (Observer) राज्य है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

29. सोमालिलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सोमालिलैंड को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है।
2. सोमालीलैंड बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य के पास अदन की खाड़ी के समुद्र तट को नियंत्रित करता है।

3. इसके पास अपनी स्वयं की मुद्रा, सैन्य बल तथा निर्वाचित सरकार है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

30. सोमालीलैंड के रणनीतिक महत्व पर चर्चा में अक्सर ज़िक्र किया जाने वाला बरबेरा बंदरगाह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि:

1. इसे UAE द्वारा एक लॉन्ग-टर्म कंसेशन के तहत विकसित किया गया है।
2. यह बड़े नौसैनिक जहाजों और सैन्य विमानों को होस्ट कर सकता है।
3. यह लाल सागर की सुरक्षा की निगरानी के लिए एक लॉजिस्टिकल हब के रूप में काम करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

31. जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की भारत की हालिया यात्रा के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह यात्रा भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर हुई।
2. जर्मनी यूरोपीय संघ के भीतर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
3. यह यात्रा भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने के बाद हुई।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

32. निम्नलिखित में से कौन से देश 2024 में ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने?

1. मिस्र

2. इथियोपिया

3. ईरान

4. संयुक्त अरब अमीरात

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

33. विश्व बैंक की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विश्व बैंक की उत्पत्ति 1944 में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ।
2. इसका विधिक आधार अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (IDA) के अनुच्छेदों (Articles of Agreement) में निहित है।
3. प्रारंभ में विश्व बैंक का मुख्य ध्यान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण पर था।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

34. भारत में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से गिद्ध प्रजातियाँ गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered) के रूप में वर्गीकृत हैं?

1. सफेद-पीठ वाला गिद्ध (White-rumped Vulture)
2. पतली-चोंच वाला गिद्ध (Slender-billed Vulture)
3. मिस्र का गिद्ध (Egyptian Vulture)
4. लाल-सिर वाला गिद्ध (Red-headed Vulture)

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,2 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

35. स्टार्टअप इंडिया पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे वर्ष 2016 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था।
2. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) इसका नोडल विभाग है।

3. दिसंबर 2025 तक इसके अंतर्गत 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

36. भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
2. यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन दोनों से आगे है।
3. यूनिकॉर्न वह निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप होता है जिसका मूल्यांकन 1 अरब अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक हो।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

37. स्टॉकहोम घोषणा (2020) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसने वर्ष 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों को कम से कम 50% तक घटाने का एक नया वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किया।
2. इसने सड़क सुरक्षा के लिए द्वितीय कार्य दशक (2021–2030) की शुरुआत को चिह्नित किया।
3. इसने सड़क सुरक्षा से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का स्थान ले लिया।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

38. भारत में MSMEs के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. MSMEs भारत के GDP में लगभग 30% का योगदान देती हैं।
2. MSMEs भारत के कुल निर्यात का लगभग 45% हिस्सा हैं।
3. MSME रोजगार का आधे से अधिक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में है।

सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके करें:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

39. प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम केवल धनराशि पर आधारित भाग्य (chance) वाले खेलों को प्रतिबंधित करता है।
2. यह अधिनियम रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है।
3. यह अधिनियम अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े वित्तीय लेन-देन को अवरुद्ध करने हेतु प्राधिकरणों को अधिकार प्रदान करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

40. तिरुक्कुरल (Tirukkural) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह शास्त्रीय तमिल भाषा में रचित 1,330 दोहों (कुरल) का संग्रह है।
2. यह केवल आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों तक सीमित है।
3. इसमें शासन, नैतिकता, अर्थव्यवस्था तथा मानवीय संबंधों से जुड़े विषयों का विवेचन किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

41. स्प्री योजना (Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees), 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की समय-सीमित, एक बार की पहल है, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है।
2. इस योजना के तहत पंजीकरण भारत में 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य है।

3. यह योजना दिसंबर 2025 के बाद भी बढ़ा दी गई है और 31 जनवरी, 2026 तक लागू रहेगी।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

42. भारत की पहली ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह परियोजना गुजरात तट के पास अरब सागर में प्रारंभ की गई है।
2. यह खुले समुद्री परिस्थितियों में केज-आधारित समुद्री मत्स्य पालन से जुड़ी भारत की पहली पहल है।
3. राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) ने ऐसे केज (पिंजरे) डिजाइन किए हैं जो अपतटीय समुद्री परिस्थितियों में संचालन करने में सक्षम हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

43. भारत में ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone – EEZ) 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है।
2. भारत के कुल वस्तु व्यापार (मर्चेंडाइज़ ट्रेड) का लगभग 95% भाग मात्रा के आधार पर समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है।
3. समुद्री क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान 10% से अधिक है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

44. हाई सीज़ ट्रिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह तट से 200 नौटिकल मील से आगे के समुद्री क्षेत्रों पर लागू होती है।
2. विश्व के महासागरों का लगभग दो-तिहाई हिस्सा इसके अधिकार क्षेत्र में आता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: 1 व 2 दोनों

D: कोई नहीं

45. हाई सीज़ ट्रिटी के लागू होने का महत्व इस प्रकार है:

1. यह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र के लिए पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी जैव विविधता ढांचा बनाता है।
2. यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में महासागरों की भूमिका को मजबूत करता है।
3. यह संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून कन्वेंशन (UNCLOS) की जगह लेता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

46. भारत–यूएई व्यापार संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
2. यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
3. द्विपक्षीय व्यापार हाल के वर्षों में US $100 बिलियन को पार कर चुका है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

47. राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के अभिभाषण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान का अनुच्छेद 176 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में राज्यपाल राज्य विधानमंडल को संबोधित करेगा।
2. राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण के कुछ अंशों को संशोधित करने या हटाने का संवैधानिक विवेकाधिकार प्राप्त है।
3. यह अभिभाषण निर्वाचित राज्य सरकार की नीतियों और विधायी

कार्यसूची को प्रतिबिंबित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

48. निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक (Unitary) झुकाव को दर्शाते हैं?

1. अवशिष्ट शक्तियों का संघ में निहित होना
2. समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य के कानूनों पर संसद का वरीयता प्राप्त करना
3. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

49. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना
2. जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना
3. अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करना

उपर्युक्त में से कौन-से राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

50. "डिजिटल गिरफ्तारी (Digital Arrest)" धोखाधड़ी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. डिजिटल गिरफ्तारी में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वारंट के माध्यम से शारीरिक गिरफ्तारी शामिल होती है।
2. ठग जांच एजेंसियों का नकली रूप धारण कर डर और दबाव के माध्यम से धन उगाहते हैं।
3. ऐसे स्कैम में वीडियो कॉल और डीपफेक तकनीकों का सामान्यत: उपयोग होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

उत्तर

1	C	11	B	21	C	31	A	41	B
2	B	12	D	22	A	32	D	42	C
3	D	13	A	23	B	33	B	43	A
4	B	14	B	24	C	34	B	44	C
5	A	15	C	25	D	35	D	45	A
6	B	16	B	26	B	36	B	46	D
7	D	17	A	27	D	37	A	47	B
8	C	18	D	28	A	38	D	48	D
9	C	19	D	29	C	39	C	49	A
10	A	20	A	30	D	40	B	50	C

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

NEW BATCH
UPPCS

9th FEB 2026

Morning Batch: 09:00 AM
Evening Batch: 06:00 PM

23rd FEB 2026

Morning Batch: 09:00 AM
Evening Batch: 06:00 PM

3 Days Class Free
Online/Offline Mode

Aliganj, Lucknow ☎ 7619903300

ध्येय IAS®
most trusted since 2003
Branch
Gomtinagar
ECONOMIC SURVEY
& BUDGET
by
KP Sir
09th FEB 2026
09:00 AM
Open For
All
☎ 7570009003